(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4) सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 14 वां दिवस (संख्या 11

शुक्रवार

दिनांक 5 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक प. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री जीतमल जैन ।

अरावली, स्कूटर फैक्ट्री, अलवर

251. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अरावली स्कूटर फैक्ट्री, अलवर किन शर्तों पर केलविनेटर कम्पनी को दी गई है ? शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : अरावली स्कूटर फैक्ट्री (अरावली स्वचालित वाहन लि०, अलवर) को जिन शर्तों पर केलविनेटर कम्पनी को दिया जाना तय किया गया है उनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(शर्तों के विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्त संख्या तीन के अन्दर कर्मचारियों के सम्बन्ध में लिखा है कि इनकी सेवा इन शर्तों से सम्मान और अधिक लाभकारी होगी । ऐसी कौनसी अधिक लाभकारी शर्त है जिससे कर्मचारियों को लाभ हो रहा है और जो कि अरावली स्कूटर कम्पनी में नहीं थी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन शर्तों पर जिन सेवा नियमों के तहत पूर्व में कर्मचारी काम कर रहे थे, जब अरावली स्कूटर फैक्ट्री को बन्द किया गया, वही शर्तें रहेंगी । उसके बावजूद जो आज केलविनेटर कम्पनी है, जब इसका एमलगमेशन हो रहा था तो उन्होंने हमको इस बात के लिये आश्वस्त किया है कि इस कम्पनी के अन्दर वैंटर फैसिलिटी है । जब फैक्ट्री बन्द हुई उस समय जो लाभ मिल रहा था, उससे अधिक लाभ मिलने की संभावना है, वही अंकित किया है शर्तों में ।

Page No 2

(२)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

श्री जीतमल जैन : 1-7-80 के पूर्व की ब्याज की राशि कुल कितनी हुई ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : 1-7-80 के पूर्व का जो ब्याज माफ किया है वह स्टेट गवर्नमेंट का 21 लाख है और आल इण्डिया फाइनेन्सियल इस्टीट्यूशन का 28 लाख है ।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या केलविनेटर कम्पनी को देने के लिये निविदा कोई प्रकाशित हुई है ? क्या किसी और पार्टी ने भी इस कम्पनी को लेने के लिये प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी शर्तें इससे ज्यादा अच्छी थीं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बात सही है कि इस प्रकार के कोई टेण्डर इनवाइट नहीं किये थे । जो उद्योग हैं, जो कम्पनी हैं, जो इस क्षेत्र के अन्दर काम करती हैं, उन सबको पत्र लिखे गये थे । उसके तहत बहुत सारे आफर आ गये थे, रीको के पास । आई. डी. बी. आई. रीको, और दूसरा फाइनेन्सियल इन्स्टीट्यूशन हैं, इन्होंने सब ने बैठकर उनको स्क्रूटिनाइज किया । स्क्रूटिनाइज करने के बाद तीन कम्पनी, केलविनेटर, आयशर, और स्कूटर इण्डिया लिमिटेड के प्रपोजल्स का अध्ययन किया गया । अध्ययन करने के बाद केलविनेटर के प्रपोजल्स सबसे ज्यादा आकर्षित और लाभदायक लगे, रीको के लिये, स्टेट गवर्नमेन्ट के लिये और दूसरी फाइनेन्सियल इन्स्टीट्यूशन है उनके लिये । इनके आधार पर एग्रीमेन्ट किया गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

श्री कैलाश मेघवाल : कोटा स्टोन कम्पनी ने भी एप्लीकेशन दी थी, यह जिस कम्पनी को दी गई, उससे ज्यादा आकर्षक शर्तें थीं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूर्व में पिछले सत्र में पूछा गया था । यह सही है कि ए. सी. सी. ने इसके लिये आफर दिया था । लेकिन यह आफर जिस समय फाइनलाइज होने की स्टेज पर आ गये थे, उस समय दिया था । वह आफर लेट था, इस मामले के अन्दर इसका भी अध्ययन किया गया है ।

मै निवेदन करना चाहूंगा कि इसको फाइनल करने से पूर्व बजाज वालों को भी लिख कर पूछा गया था, क्योंकि बजाज स्कूटर बाजार में काफी चलता है । उनसे पूछा गया था कि क्या वह हमारे से एग्रीमेन्ट करने के लिये, इसको लेने के लिये तैयार हैं । उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की थी । जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसका आफर लेट आया था । उसकी शर्तें केलविनेटर के मुकाबले अधिक अट्रेक्टिव नहीं थीं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : वर्तमान में जो बाजार कीमत है उससे कम कीमत पर अरावली स्कूटर फैक्ट्री को बेचा गया है । उसका सारा ब्याज माफ कर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिया। 1-7-80 तक का व्याज माफ कर दिया, इससे अंश भागिता, भुगतान और व्याज तीनों में छूट दी गई है, जिससे लोक विनियोजन में चार करोड़ का घाटा होगा और वर्तमान बाजार कीमत से कम कीमत पर केलविनेटर को दी गई है, इसका क्या कारण है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया, इस फैक्ट्री के अन्दर जब ले आफ किया गया, करीब 2.22 करोड़ का घाटा था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्याज की छूट क्यों दी गई है ? आज तक किसी भी कंपनी को नहीं दी गई है। रीको से जो लोन दिये गये हैं, आज तक किसी भी कम्पनी को इस प्रकार की छूट नहीं दी गई है। केल विनेटर पहली कम्पनी है, जिसको इस प्रकार की छूट दी गई है। इसमें व्याज का 2 करोड़ का घाटा है, लोक विनियोजन का घाटा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो करोड़ का नुकसान नहीं है। मैंने 21 लाख और 28 लाख के फिगर्स दिये हैं। आपने जो फिगर्स निकाले हैं........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपको निवेदन किया, बहुत सारे आफर आये थे इसके अन्दर। इसमें आई. डी. बी. आई का मेन रोल रहा है। उसके शेयर थे, दूसरे फायनेन्सियल इन्स्टीट्यूशन के थे, जिनके बिहाफ पर निगोशियेट कर रहे थे। आई. डी. बी. आई. के 185 लाख के शेयर थे और राज्य सरकार के 150 लाख के शेयर थे। आइ. डी. बी. आई ने इम्पोर्टेन्ट रोल अदा किया है। प्रत्येक चीज को माइन्यूटली देखा गया है। सबकी शर्तों को देखने के बाद, इस घाटे की कम्पनी को कोई लेने को तैयार नहीं था, केलविनेटर कम्पनी के अट्रेक्टिव प्रपोजल्स थे, जिसको आई. डी. बी. आई के माध्यम से राज्य सरकार ने स्वीकार किया है। इसमें कई मीटिंग हुई हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्याज माफ किया है, वह क्यों किया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो व्याज माफ किया है 1-7-80 तक का व्याज माफ किया गया है। 1-7-80 के बाद कोई व्याज माफ नहीं किया है। सिर्फ डेफर्ड पेमेन्ट के आधार पर होगा। यह जो आपके मन में भ्रांति है, आगे का व्याज माफ कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको रिवाइव करने की बात थी, रोजगार देने की बात थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय मन्त्री महोदय, स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 1-7-81 तक का व्याज माफ नहीं किया गया है।

Page No 4

(५)

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जो सिक उद्योग हैं, क्या उनका ब्याज माफ करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह नयी फैक्ट्री का सवाल नहीं है। यह सिक यूनिट का सवाल है। इसमें राज्य सरकार का इतना बड़ा इनवाल्वमेंट है। दूसरी फैक्ट्रियाँ हैं, उसके अन्दर और नयी फैक्ट्री में डिस्टिंगुइस करके चलना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपये का विनियोजन........

श्री अध्यक्ष : उत्तर नहीं आयेगा, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करिये। आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी माननीय। सदस्य स्थान ग्रहण कीजिये।

सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत के रिक्त पद पर पदस्थापन।

252. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):** क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या यह सही है कि कोलायत के सहायक उपनिवेशन आयुक्त का पद दो वर्ष से रिक्त पड़ा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बारे में क्षेत्रीय विधायक, आयुक्त, उपनिवेशन व अन्यों ने लिखित में बार-बार निवेदन किया है ? यदि हां, तो उक्त महत्वपूर्ण पद पर अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत के न्यायालय में खातेदारी के प्रार्थना-पत्र, जो कि करीबन नौ हजार हैं तथा सैकड़ों दावे विचाराधीन पड़े हैं ? क्या उक्त पद के रिक्त रहने से जनता को व्यर्थ का व्यय व परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उपरोक्त पद पर नियुक्ति कर देगी ?

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब भी मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछता हूं वे हाउस में हाजिर नहीं रहते। मैं पिछले दो साल से पूछ रहा हूं और वे उत्तर नहीं दे रहे हैं।

राज्य मंत्री यातायात **(श्री जयकृष्ण शर्मा)** : आप प्रश्न पूछिये। आपका क्या मतलब है इन बातों से ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मन्त्री महोदय कहां हैं ? वे हाउस में क्यों नहीं हैं ? उत्तर देते नहीं हैं, इसका कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आज मन्त्री जी उपस्थित क्यों नहीं है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उनको बहुत ही आवश्यक कार्य है और....

श्री अध्यक्ष : सबसे आवश्यक कार्य विधान सभा में मौजूद रहना है, जब सत्र चल रहा हो। मैं उपनिवेशन मन्त्री जी के सभी प्रश्नों को अन्य किसी दिन के लिये

(श्री अध्यक्ष)

स्थगित करता हूं।

(तारांकित प्रश्न संख्या 252, 256, 262 व 36 स्थगित किये गये)

अगला प्रश्न। श्री बंशीलाल पटवा।

नगर परिषद् भीलवाड़ा में चुंगी चोरी के पकड़े गये मामलों में कार्यवाही।

253. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर परिषद् भीलवाड़ा का वर्ष 1980-81 व 1981-82 का आय-व्ययक तैयार किया गया था? यदि हां, तो इन वर्षों में चुंगी की आय किस वर्ष में कितनी-कितनी रही व अन्य मदों में आय कितनी हुई?

(2) कितने मामले उपरोक्त दो वर्षों में चुंगी चोरी के पकड़े गये और उनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी और अन्तर्ग्रस्त राशि में से कितनी प्रतिशत वसूल हुई है?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (**श्री चेतराम मीणा**) : (1) जी हां, चुंगी व अन्य मदों की आय का विवरण निम्न प्रकार रहा—

वर्ष 80-81

चुंगी कर— 50, 15, 129.79
अन्य आय—11, 66, 492.11

वर्ष 81-82

चुंगी कर—52, 26, 765.92
अन्य आय—14, 81, 135.46

(2) वर्ष 80-81 में 46 तथा 81-82 में 155 (10-2-82 तक) चुंगी चोरी के मामले पकड़े गये जिनसे संबंधित अन्तर्ग्रस्त राशि व जुर्माने की वसूली इस प्रकार है:—

वर्ष	अन्तर्ग्रस्त राशि	जुर्माना	कुल वसूली
80-81	1682.77	12733.64	14416.41
81-82	5898.53	51512.48	57411.01

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष : यह पढ़ कर सुना दी है।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जितने चुंगी की चोरियों के मामले पकड़े गये 80-81 और 81-82 में उनमें कितने ऐसे मामले हैं जिनमें 10 प्रतिशत म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार आक्ट्राय ली गई है, इंपोज की गई है और कितने ऐसे मामले हैं जिनमें 10 प्र०श० से कम ली गई है?

श्री चेतराम मीणा : रूल 39 में यह प्रावधान है कि 10 गुना राशि तक ली जा सकती है। इसमें यह नहीं है कि 10 गुना ही ली जायेगी। माननीय सदस्य ने पूछा कि किन-किन मामलों में कितने प्रतिशत ली गई, यह अलग पूरक प्रश्न है।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा निवेदन यह

Page No 6

6

(श्री बंशीलाल पटवा)

है, मैंने यह नहीं पूछा है कि कितने प्रतिशत किस-किस मामले में ली गई। प्रश्न की मूल भावना यह नहीं है। 10 प्रतिशत का इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं लेकिन 10 प्रतिशत नगरपालिकाओं में है नहीं। कहीं 2 प्रतिशत, कहीं 6 प्रतिशत और कहीं 10 प्रतिशत है। भीलवाड़ा में जो प्रतिशत चल रहा है वह किस आधार पर चल रहा है? जो करप्ट प्रेक्टिस चल रही है....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। इतनी विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकती है।

ग्रीन मारबल पत्थर के खनन हेतु उदयपुर डिवीजन में आदिवासियों को प्रदत्त पट्टे

254-**श्री देवेन्द्र कुमार मीणा**(सराड़ा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर डिवीजन में कितने आदिवासियों ने ग्रीन मारबल पत्थर खनन कार्य हेतु किस-किस स्थान के लिए दरख्वास्त पेश की तथा कितनों को पट्टे दिये गये?

(2) क्या यह सही है कि बेरोजगारों की दरख्वास्त अस्वीकार कर पैसे वाले व्यक्तियों को पट्टे दिये गये हैं?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) उदयपुर डिवीजन, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले सम्मिलित हैं, में 39 आदिवासियों ने ग्रीन मारबल (सरपेंटीन) के खनन हेतु वर्ष 1979 से फरवरी, 1982 तक की अवधि में ओडवास, खानबीन, बिलखाई, पीपली, रामाखेत सरु (सभी जिला उदयपुर), मालसुराता, दौलतपुरा, रोहनवाड़ा एवं मानपुर (सभी जिला डूंगरपुर) स्थानों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये। इनमें से 10 आवेदन पत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 18 आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये हैं। शेष 11 आवेदन पत्र अभी विचाराधीन हैं।

(2) जी नहीं। आवेदन पत्र नियमानुसार ही स्वीकार अथवा अस्वीकार किये गये हैं।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : जो 18 आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये वे किन कारणों से अस्वीकृत किये गये हैं?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इनमें से कुछ वन विभाग के क्षेत्र में थे, कुछ का सीमांकन नहीं हुआ था और कुछ आवेदन पत्रों में और कमियां थी इसलिए स्वीकृत नहीं किये जा सके।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, केवल 39 आवेदन पत्र प्रस्तुत हुए। अब तो कुछ दूसरे जिलों से भी इधर लोग आने लगे हैं तो क्या कारण है कि 39 लोगों ने ही एप्लीकेशंस दीं? उनमें से केवल 11 विचाराधीन हैं बाकी रिजेक्ट कर दीं तो रिजेक्ट करने के क्या कारण थे? क्या सरकार की मंशा नहीं है कि खनन के लिए आदिवासियों को जमीन अलाट हो और वे आगे बढ़ें? इसके साथ ही दूसरा प्रश्न मेरा

(श्री मेघराज तावड़)
यह है कि जिनको पट्टे दिये गये हैं क्या उनको काम चलाने के लिए सरकार सब्सिडी और लोन दिलाने का कोईविचार रखती है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया कि टोटल 39 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उनमें से 10 स्वीकृत हुए और 18 अस्वीकृत हुए क्योंकि उनमें से कुछ वन विभाग के क्षेत्र में थे, कुछ सीमांकन नहीं होने और अन्य कमियां होने से सेंक्शन नहीं हुए। 11 विचाराधीन हैं यह पिछले तीन माह से ही विचाराधीन हैं। दूसरी बात, लोन और सब्सिडी देने के लिए राज्य सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है जिसमें से लोन और सब्सिडी माईनिंग वर्क के लिए दी जाय।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, जिन आदिवासियों के प्रार्थना पत्र खारिज किये गये हैं उन्होंने जिस भूखण्ड के लिए आवेदन किया था, क्या वे भूखण्ड और किसी को तो आवटित नहीं किये गये हैं ? यानि जिन 18 आदिवासियों ने जिस स्थान के लिए, जिस एरिया के लिए आवेदन किया था, उनको आपने खारिज किया है, क्या वे स्थान किसी दूसरे को तो स्वीकार नहीं किये गये हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। यह अलग से प्रश्न है। आप अलग से प्रश्न पूछो तो मैं इसका उत्तर दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आदिवासियों से सम्बन्धित प्रश्न था इसलिए अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों को ही अधिक अवसर दिया गया है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 255।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था।

255. श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमशः औसतन एक रोगी शैया कितने व्यक्तियों पर है ?

(2) राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में कितने व्यक्तियों पर तथा कितनों पर शहरी क्षेत्रों में एक अस्पताल है ? इसी प्रकार पृथक-पृथक कितनी डिस्पेन्सरीज एवं सब सेन्टर्स हैं ?

(3) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी-कितनी जनसंख्या पर एक डॉक्टर एवं एक नर्स है ?

(श्री यदुनाथ सिंह)

(4) 25 जनवरी, 1982 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सब सैन्टर्स एवं डिस्पेन्सरीज ऐसी हैं, जहां कोई स्टॉफ कार्य नहीं कर रहा है ? भरतपुर जिले की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्रीमती कमला भील) उपमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य : (1) ग्रामीण क्षेत्रों में 6571 व्यक्तियों पर एक शैया एव शहरी क्षेत्रों में 485 व्यक्तियों पर एक रोगी शैया औसतन पड़ती है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में 6,91,484 व्यक्तियों पर एक अस्पताल तथा शहरी क्षेत्र में 46,976 व्यक्तियों पर एक अस्पताल का औसत आता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में एक डिस्पेन्सरी 24,036 (एडपोस्ट व प्रा० स्वा० केन्द्र सहित) एवं शहरी क्षेत्र में 27,569 व्यक्तियों पर एक डिस्पेन्सरी कार्यरत है। औसतन एक सब सैन्टर (ग्रामीण क्षेत्र) 7864 व्यक्तियों पर स्वीकृत है।

(3) शहरी क्षेत्र में एक चिकित्सक 3790 व्यक्तियों पर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक चिकित्सक 20,399 व्यक्तियों के लिये तथा एक नर्स 2,450 शहरी व्यक्तियों एवं 4,518 ग्रामीण व्यक्तियों के लिये कार्यरत है।

(4) 7 डिस्पेन्सरीज एवं 539 उप केन्द्र बन्द हैं। ये सातों स्टाफ या भवन के अभाव के कारण बन्द हैं। 539 उपकेन्द्रों में से 393 स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण एवं 120 केन्द्र स्टाफ की अनुपलब्धता और भवन के अभाव के कारण एवं 26 उप केन्द्र दोहरी संस्था होने के कारण, जो अन्य स्थानों पर स्थानान्तरण के निर्णय के लिये बन्द हैं। भरतपुर जिले में 34 उप केन्द्र कार्यरत नहीं हैं। भरतपुर जिले की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिलकुल स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नितान्त अभाव है। इसी प्रकार से पिछली बार, गत सत्र में मैंने एक प्रश्न किया था। और उस समय 282 ऐसी डिस्पेन्सरिज और सैन्टर बताये गये थे जहां पर कि स्टाफ नहीं था और बंद थे। मंत्री महोदय ने उस समय यह आश्वासन दिया था कि वहां पर स्टाफ शीघ्र ही लगा दिया जायेगा। उसके विपरीत इस बार प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि 539 से ज्यादा डिस्पेन्सरीज स्टाफ न होने से कार्यरत नहीं हैं। भरतपुर जिले में 34 की सूची दी गयी है, वह गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्टाफ लगाया जाता है उसको डेपूटेशन पर शहरी क्षेत्रों में लगा दिया जाता है, कागजों में ही यह स्टाफ है। वहां पर स्टाफ कार्यरत नहीं है। मेरे पिछले प्रश्न में 27 केन्द्र बंद बताये गये थे परन्तु वास्तव में उनकी संख्या अधिक थी। इसी प्रकार भरतपुर जिले में 34 के बजाय 50-70 से अधिक केन्द्र कार्यरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जो आश्वासन दिया गया था या तो, मन्त्री महोदय, वह

(श्री यदुनाथ सिंह)
आश्वासन वापस ले क्योंकि यह सरकार व्यवस्था करने में अक्षम है या ऐसी कोई योजना बतावें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जो स्वास्थ्य केन्द्र को लेकर डिस्पेरिटीज बढ़ती जा रही हैं, सरकार के सामने उसको कम करने का कोई विकल्प है। एक तरफ बेरोजगारी है—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री यदुनाथसिंह : इसकी पूर्ति किस तरह की जायेगी? अस्पतालों की संख्या कम है, सब सैन्टर्स में स्टाफ कार्यरत नहीं है, इसकी पूर्ति क्या सरकार समय पर करेगी?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सी. एल. कंवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा अस्पताल है और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल, डिस्पेन्सरीज और हेल्थ सेन्टर्स आबादी के अनुपात में कम हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सब अस्पताल, जो शहरी क्षेत्रों में आते हैं, रेफरेल अस्पताल कहलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये यहां सेवाएं उपलब्ध हैं। डिस्पेन्सरीज, हैल्थ सैंटर्स जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के रोगी जाते हैं, वहां से रेफर करने पर शहरी क्षेत्रों में जितने रोगी अस्पताल में आते हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिये सेवाएं उपलब्ध हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री सी. एल. कंवरिया : यहां पर जो सवाई मानसिंह अस्पताल, जनाना अस्पताल हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों के रोगी भी आते हैं और उनको भी यहां सेवाएं मिलती हैं। आबादी को देख कर इसका अन्दाजा न लगावें कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सेवाएं कम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई डिस्पेन्सरीज, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं, एड पोस्ट व सब सैन्टर्स काफी संख्या में हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को सेवाएं उपलब्ध होती हैं।

अब रही बात सब-सेंटर्स की जो कि 539 की संख्या में कार्यरत नहीं हैं। उनका कारण स्टाफ की कमी व कुछ स्थानों पर भवन की कमी भी है इसलिए अधिक हो गई है, हर साल डिस्पेंसरीज व एड पोस्ट खुलते है। लेकिन उनके अनुपात से स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर से निकलता नहीं है इसलिए सब-सेंटर्स खाली अधिक हो गये और उनका स्टाफ इन खोली जाने वाली डिस्पेंसरीज में लगा दिया जाता है। राजस्थान में लगभग 600 प्रसविका, ए० एन० एम० की कमी है। इसकी पूर्ति के लिए राजस्थान में इस वक्त 18 सैन्टर्स ट्रेनिंग देने के लिए चल रहे हैं। इन 18 में 540 की स्ट्रेन्थ है। इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेण्ड ए० एन० एम० प्रसविका की आज कमी है। इसलिए उनकी पूर्ति के लिए यह ट्रेनिंग सैन्टर्स खोले गये हैं। पूर्व में व्यवस्था यह थी कि ट्रेण्ड प्रसविका ए० एन० एम० बाहर केरल से आती थीं। अब विभिन्न क्षेत्रों में ये 18 ट्रेनिंग सैन्टर्स खोले गये हैं। राजस्थान की लड़कियों को आगे लाने के लिए इसकी जो योग्यता है दसवीं वह कम करके आठवीं तक कर दी है। यह

(श्री सी. एल. कंवरिया)

कमी इस प्रकार ट्रेनिंग सैन्टर चला कर के पूरी कर रहे हैं। 6 महीने में 50 ए० एन० एम० निकलती हैं। ज्यों-ज्यों ट्रेण्ड ए० एन० एम० निकलती जायेंगी, वह ट्रेण्ड ए० एन० एम० प्रसविका के पद पर लगा दी जायेंगी और इस तरह पूर्ति होती जायेगी। इस प्रकार आने वाले समय में इसकी पूर्ति हो जायेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह क्या उत्तर है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

मैं आपको अवसर दूंगा। पहले मंत्रीजी को उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री सी० एल० कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, स्टाफ की कमी के कारण अधिकतर उप-केन्द्र कार्यरत नहीं हैं। स्टाफ की कमी किस कारण से है, पहले हमारे यहां ट्रेनिंग सैन्टर नहीं थे, अब 18 ट्रेनिंग सैन्टर खोल दिये गये हैं और हर 6 महीने में 50 की स्ट्रेन्थ वहां से निकल रही है....

(व्यवधान)

और निकलते ही उनको लगा दिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक....

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय गलत जवाब दे रहे है....

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : आपकी गलत नीतियों के कारण गांवों में स्टाफ की कमी है। ऐसा नहीं है कि स्टाफ की कमी है।....

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : शहरों में स्टाफ लगाते जा रहे है और दूसरी ओर कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्टाफ की कमी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जान बूझ कर घोसणा नहीं कर रहे हैं इन्हें निश्चित समय बताना होगा।

एक माननीय सदस्य : ये सब X X X कर रहे हैं। इन्हें कुछ पता तो है नहीं कि गांवों में नर्सों और ए. एन. एम. के साथ क्या होता

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपघोषित किया गया।

Page No 11

(11)

(एक माननीय सदस्य)

है, उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है। पता नहीं है उनके साथ क्या सलूक होता है।

श्री यदुनाथ सिंह : शहरों में नहीं होता है क्या यह सब ? आप फालतू भाषण मत झाड़ा करिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : वहां पर स्टाफ की कमी है तो....

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पूछना चाहता हूं। आप एक सैकण्ड के लिए अनुमति दे दें

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न को किसी अन्य तरीके से उठाया जा सकता है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : इनको जवाब देना पड़ेगा यहीं सदन में। इनको जवाब देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं अधिक, से अधिक यदि माननीय सदस्य शांत रहे तो....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। ज्यादा नहीं मैं एक प्रश्न की इजाजत दे सकता हूं। इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे सकता हूं। एक प्रश्न-कर्त्ता को विपक्ष की ओर से और एक पक्ष की ओर से श्रीमती सूरज मल्होत्रा को प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा। बैठ जायें।

(व्यवधान)

बैठ जाइये। यह कोई तरीका नहीं है। आसन पैरों पर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : गांवों का मामला है। ये रोज टाल जाते हैं। शहरों में डेपुटेशन पर डाक्टरों को लगाते हैं और गांवों में जगह को खाली रखते हैं। यह बताये कि गांवों के कितने लोगों को शहरों में डेपुटेशन पर लगा रखा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : X X X

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि गांवों में....

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष की ओर से प्रश्न-कर्ता प्रश्न पूछेंगे और दूसरे पक्ष की ओर से सूरज मल्होत्रा प्रश्न पूछेंगी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : इतनी सारी जगह खाली पड़ी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, गांवों में जितनी जगह खाली हैं उतनी कमी नहीं है। ये तो....

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : गांवों की जनता की हालत खराब है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शान्त रहें। पहले प्रश्नकर्त्ता एक प्रश्न पूछेंगे....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा। प्रश्नकर्त्ता, संक्षेप में।

श्री यदुनाथसिंह : मेरा प्रश्न है, एक तो मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें कि किस समय तक, किस अवधि तक यह ग्रामीण क्षेत्रों की कमी को वे पूरा कर देंगे या कर दी जायेगी ? जो बजट गांवों के लिए दिया जाता है उसका क्या हो रहा है ? जिन डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाते हैं उनको वापस शहरों में भेज देते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के डाक्टरों को शहरों में नहीं भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि कुल 539 में जो कमी है ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, दोहरा रहे हैं।

श्री सी. एल. कंवरिया : ट्रेनिंग सेंटरों से हर 6 महीने में 50 का स्टाफ आता है तो 100 का स्टाफ एक साल में निकलता है। जैसे-जैसे स्टाफ आता जायेगा हम रिक्त स्थानों को भरते जायेंगे। इस तरह सारे पद भर जायेंगे आने वाले वर्षों में....

श्री यदुनाथसिंह : कब तक हो जायेगा? हमें समय चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दुबारा प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : यह बताये कि इस बजट का क्या हो रहा है ? जो गांवों के लिए दिया जाता है उसको कौन खा रहा है ? इसका जवाब दिलवाया जाये, माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मन्त्री महोदय को पाकिस्तान में डेपुटेशन पर जाना चाहिये....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : ग्रामीण क्षेत्र में तो, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मैडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए भी आदमी को काफी चक्कर काटने होते हैं। वह भी देने वाला वहां पर कोई नहीं है डाक्टर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये। पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा। पहले ही काफी समय चला गया है। बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न अवशेष हैं।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप अन्य किसी तरीके से उठायेंगे तो मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय के पास गई थी और निवेदन किया था कि पंचायत समिति में डाक्टर नहीं है उसके लिए तो इन्होंने जवाब दिया कि अभी तो बैन है। तो क्या गांवों में जो बीमार हैं उन पर बैन लगा दिया जायेगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कर। उत्तर आने दीजिए।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : बीमारी पर भी बैन लगा दीजिये। लोग बीमारी से मर रहे हैं। अभी बरसात का खराब मौसम चल रहा है और बीमारी काफी फैली हुई है....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय सदस्य, ने जो प्रश्न किया है वैसे तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दो डाक्टरों की उनके यहां कमी बतायी है। दूसरे स्थान पर से उनके यहां पर स्थानान्तरण के लिए उन्होंने कहा था तो मैंने निवेदन किया कि ट्रांसफर पर तो सरकार की ओर से बैन है लेकिन नये डाक्टरों में से वहां पर नियुक्ति कर दी जावेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी आपने 19 तारीख को 2500 डाक्टरों के ट्रांसफर किये हैं....

श्री सी. एल. कंवरिया: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि अभी डाक्टरों की एडहाक भर्ती हो रही है तब किसी को वहां पर लगा दिया जायेगा....

(श्री सी. एल. कंवरिया)

19 तारीख को 250 डाक्टरों के ट्रांसफर होने की बात गलत है।

श्री **रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा): जहां पर डाक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है उन गांवों में....

श्री **दाऊदयाल जोशी**: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री **अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। आप तो काफी वयोवृद्ध सदस्य हैं।

अगला प्रश्न। श्री सुरजा राम।

राजस्थान नहर परियोजना

256. श्री **सुरजा राम** (नोखा): क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर के दूसरे चरण की निर्माणधीन नहर में कहां कहां पुल निर्माण पूर्ण हो गया है? क्या आवागमन हेतु पुल खोल दिये गये हैं?

(2) क्या नहर निर्माण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ग्रामवासियों को आवागमन में असुविधा न हो? क्या शिकायतों के उपरान्त भी ग्रामवासियों के लिए रास्ते नहीं छोड़े गये हैं व ऊंट गाड़ी आदि को मीलों का चक्कर काट कर जाना पड़ता है?

(3) बरसलपुर शाखा व चरणवाला शाखा का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा? इन शाखाओं से कब तक काश्तकारों को कृषि सिचाई हेतु पानी दे दिया जायेगा?

(4) राजस्थान नहर निर्माण हेतु अगले सत्र 1982-83 हेतु कितनी सीमेंट व कोयले की आवश्यकता होगी? क्या आवश्यकता के अनुरूप पूर्ति करवा दी जायेगी?

(5) राजस्थान नहर परियोजना के सम्पूर्ण निर्माण व्यय हेतु प्रारम्भ में कितनी राशि आंकी गई थी व अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है?

(6) क्या लिफ्ट कैनाल द्वारा कोलायत तहसील व नोखा तहसील को पानी पहुंचाने की योजना विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां तो कब तक?

श्री **अध्यक्ष**: स्थगित किया गया।

अगला प्रश्न। श्री घनश्याम जैन।

जिला चित्तौड़गढ़ में सीमेंट उद्योगों की स्थापना

257. श्री **घनश्याम जैन** (बेंगू): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कितने सीमेंट उद्योग किस-किस क्षेत्र में लगाये जाने की सम्भावना है?

(2) इस हेतु राज्य सरकार ने किस किस संस्थान को किस-किस क्षेत्र के लिए अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु सिफारिश की है?

Page No 15

(15)

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) चित्तौड़गढ़ जिले में लगने वाले सीमेंट उद्योगों के वितरण की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(2) सूची (क) मे अंकित उद्योगों को राज्य सरकार की सिफारिश पर ही आशय पत्र/ डी. जी. टी. डी. रजिस्ट्रेशन जारी किये गए हैं।

(3) चित्तौड़गढ़ जिले हेतु कोई आवेदन पत्र राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखे)

श्री घनश्याम जैन : क्या सरकार ने इस तरह का सर्वे कराने की कार्यवाही की है कि तहसील में कितने सीमेंट उद्योग लगाये जा सकते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ जिले में तो सर्वे हुआ है इसमें बेगूं को भी सम्मिलित किया हुआ है। अब बेगूं में कितने उद्योग लगाये जा सकते हैं इसकी जानकारी तो नहीं है ? चित्तौड़गढ़ के लेवे तो हैं।

श्री अध्यक्ष : बेगूं का है तो सही ना ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट आफ राजस्थान के पास में कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। चित्तौड़गढ़ में बेगूं सम्मिलित तो है पर बेगूं की अलग से जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री घनश्याम जैन : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। जब चित्तौड़ कोटा रेलवे लाइन बड़ी लाइन की सर्वे हो रही है तो यह खास तौर से कहा जा रहा है कि वह इसलिए निकल रही है कि वहां पर सीमेंट उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके व सीमेंट की ढुलाई के लिये ही हो रही है। तो, राजस्थान सरकार ने फिर इस तरह का सर्वे क्यों नहीं किया कि हमारे यहां पर से जो आशय पत्र जारी हुए हैं उनमें ढिलाई हो रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है या तो वे मेरी बात बात को समझे नहीं हैं या मैं समझा नहीं पाया हूं। जो एप्लीकेशन्स आयी हैं वे हैं—सी. पी. कनोई, शम्भुपुरा, मै. जे. के. सिन्थेटिक्स. लि., शम्भुपुरा, मै. जैनिथ स्टील पाइप्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., पारसोली, श्री राव हरिसिंह, पारसोली, मै. श्रीराम सीमेंट इण्डस्ट्रीज, निम्बाहेड़ा। 5 एप्लीकेशन आलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। यह कहना कि सर्वे नहीं कराया गया है, ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

मालवीय नगर आवासीय योजना, जयपुर

258. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा मालवीय

Page No 16

(16

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
नगर योजना से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के लिए अलग-अलग श्रेणी के भूखण्ड आबंटित किये गये हैं ? यदि हाँ, तो अलग-अलग श्रेणी के कितने-कितने भूखण्ड हैं ?

(2) क्या यह योजना भूखण्ड आवंटन की है अथवा नीलामी की है ? यदि आबंटन की है, तो जो दरें निश्चित की गयी हैं वे किस आधार पर की गयी हैं ?

(3) क्या इससे पूर्व भी आबंटन की योजनाओं में सही दरें निश्चित की गयी हैं ? यदि हाँ, तो वह दरें क्या हैं ?

(4) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के लिए आवटन की योजना में भूखण्डों की दरें अन्य वर्गों से आधी या चौथाई रखी जानी आवश्यक है ?

(5) क्या बड़े भूखण्डों की कीमत ज्यादा रखने से इस वर्ग के व्यक्तियों को अधिक आर्थिक भार पड़ेगा ? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार इन आवंटित 100 वर्ग गज से बड़े भूखण्डों की दरें कम करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, नगर आयोजना (श्री **चेतराम मीणा**) : (1) जी हाँ, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को मालवीय नगर योजना में अलग-अलग श्रेणी में निम्न प्रकार भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। श्रेणी 311.11 वर्ग गज में 14 भू खण्ड, 216.66 वर्ग गज में 12 भूखण्ड, 138.88 में 24 भू खण्ड, 111.11 वर्ग गज में 8 भू खण्ड एवं 55.56 में 3 भू खण्ड।

(2) इस योजना में आबंटन योग्य भू खण्डों की दरें राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (शहर भूमि निस्तारण) नियम, 1974 में किये गये प्रावधान के अनुसार निश्चित की गई हैं। विभिन्न आय वर्ग हेतु भू खण्ड का आकार एवं दर निश्चित किये जाने का नियमों में प्रावधान है।

(3) जी नहीं, विभिन्न योजनाओं की नियमानुसार पृथक-पृथक सुरक्षित दरें निर्धारित की जाती हैं।

(4) जी हाँ।

(5) नियमों के तहत तुलनात्मक उच्च आय वर्ग वाले व्यक्तियों को बड़े भूखण्ड मिलने में ज्यादा दर देनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में परिवर्तन फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए योजना बनाते समय आवंटन की बात रखी गयी थी, उसके बाद नीलामी की गयी तो नीलामी करने से जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए भूखण्ड अलाट किये गये हैं वह उनके बजाय सवर्ण लोगों को चले गये।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जन जाति के जो

(श्री चेतराम मीणा)
प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए आवंटन योग्य उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह नहीं पूछा है मैंने····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। उत्तर दे रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रश्न का उत्तर नहीं आया। योजना बनाते समय सिर्फ आवंटन की बात की गयी थी लेकिन उसके बाद नीलामी की गयी। नीलामी के कारण सवर्ण लोगों ने भूखण्ड ले लिये····

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जन जाति के जितने प्रार्थना पत्र पूर्ण होकर प्राप्त हुए उन सभी को भूखण्ड दे दिये गये हैं। बाद में जो बचे हुए हैं उनके लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये हैं उसकी अन्तिम तारीख 6.3.82 है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कुल कितने भूखण्ड अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए आरक्षित किये गये थे ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महादय, नियमों में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 15 प्रतिशत भू खण्ड रिजर्व किये जाते हैं। उसी तरह से इस योजना को बनाते समय 2080 भूखण्ड दिये, उसमें से 15 प्रतिशत के हिसाब से (विराम) 1851 भू खण्ड थे उनमें से 375 भूखण्ड रिजर्व किये गये उनमें से 61, जितनी एप्लीकेशन आयी, उनको दे दिये गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, 275 भू खण्ड आरक्षित किये गये थे।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। आसन के माध्यम से कहें।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जन जाति के कुल कितने प्रार्थना पत्र आये ? दूसरा, आपने अस्वीकृत जो किये हैं, जिनको भू-खण्ड नहीं दिये हैं, उसका क्या आधार था ? जो अनुसूचित जाति और जन जाति के प्रार्थना पत्र आये उनमें से अस्वीकृत आपने क्यों किये। आप उत्तर दें, उससे पहले मैं निवेदन कर दूं कि मौखिक रूप से अथवा किसी भी एफिडेविट के आधार पर अनुसूचित जाति या जन जाति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सकता है। ऐसा भी सुना गया था राज्य सरकार से····

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं इसकी तो सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन जो प्रार्थना पत्र पूर्ण प्राप्त हुए थे सब तरह से, उन सब को स्वीकार कर लिया गया। किन कारणों से रिजेक्ट किये गये थे यह मेरे पास पास नहीं है। अगर अवैधानिक तरीके से किसी को रिजेक्ट किया है तो उसके बारे में....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गोपाल पचेरवाल : उनमें से कितने को आवंटित किये गये और कितने शेष हैं ? जो शेष हैं उन को....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रार्थना पत्र 400 से ज्यादा आये, 375 आरक्षित थे उनको मिलने चाहिए थे। बिना कारण रिजेक्ट किये गये उनके लेने से पहले ही सवर्ण लोगों ने उन पर कब्जा किया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।
स्थागित प्रश्न ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय नहीं हो रहा है। 375 भू खण्ड उनके लिए आरक्षित थे, 61 कर दिये। पता नहीं किन हालातो में, किन दबाव में आकर सवर्ण लोगों को नीलामी में दे दिये? सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : मैं कोशिश करता हूं कि न्याय मिले लेकिन आप प्रश्न सीमा को समझते हैं कितने प्रश्न पूछे जा सकते है, बह भी आप जानते हैं। जितना न्याय हम कर सकते हैं यह भी आप जानते हैं ।
माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। यही कोशिश रहती है कि न्याय मिले ।

श्री उम्मेदसिंह ।

राजस्थान नहर से सिंचन योग्य भूमि की सिंचाई

262 **श्री उम्मेद सिंह**(डीडवाना): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर का पानी जहां तक पहुंचा है वहा तक क्या सम्पूर्ण भूमि का उपयोग हो रहा है ? यदि नहीं, तो कितनी सिंचित भूमि बेकार पड़ी है ?

(2) भूमि के उपयोग में न आने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार इस ओर कोई प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया कया ।

श्री रामधन ।
स्थगित प्रश्न ।

(दिनांक 23 फरवरी 1982)

ग्रामीण आंचलिक बैंक जयपुर नागौर की उप शाखा रोड़ू द्वारा ऋण का वितरण

17. श्री **रामधन चौधरी** (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्रामीण आंचलिक बैंक जयपुर नागौर की शाखा रोड़ू ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में अपने निर्धारित कोटे के अनुसार ऋण दिया है ? यदि हां, तो "पिछड़े को पहले" योजना के तहत कितने व्यक्तियों को कितनी राशि प्रदान की गयी और उसमें अनुदान की राशि कितनी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामी

(श्री रामधन चौधरी)
आंचलिक बैंक की शाखा रोडू ने स्वीकृति के बाद भी "पिछड़े को पहले "योजना के तहत भुगतान नहीं किया है ? यदि हां", तो क्यों ?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री **बुलाकी दास कल्ला**) : (1) इस वर्ष में ग्रामीण आंचलिक बैंक जयपुर नागौर की शाखा रोडू के द्वारा गोद लिये गये गांवों में 'पिछड़े को पहले' योजना के तहत 35 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। इसके विपरीत बैंक ने 13 व्यक्तियों को 67,500 रुपये ऋण स्वीकृत किया जिसमें से 25,500 रुपये का अनुदान अभिकरण के द्वारा देय है।

(2) जी हां, जिन परिवारों को ऋण स्वीकृत किया गया था उनके लिए पशु क्रय नहीं हो सके इस कारण ऋण वितरित नहीं हुआ है।

श्री रामधन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि 35 का जो टार्गेट था, 35 को ऋण देना था ? क्या यह सही है कि 35 में से सिर्फ 10 आदमियों को ऋण दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि रोडू ग्राम में एक भू खण्ड बना हुआ है जिस पर रामलीला पार्टी के प्रोग्राम दशहरे में किये जाते हैं ? क्या यह कह कर ऋण अस्वीकृत कर दिया गया कि रामलीला पार्टी का सदस्य है इसलिए इसको ऋण नहीं दिया जायेगा ? मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 35 के ऋण प्रार्थना पत्र आये थे उनमें से 15 स्वीकार किये गये, 11 अस्वीकृत किये गये हैं। उसका कारण यह रहा है कि कुछ लोगों ने बैंक से लोन लिये हुए थे, कुछ के ओवर ड्यूज थे, कुछ बैंक लोन्स के अन्तर्गत नहीं आते हैं। ऐसे मामले 9 हैं जिन पर बैंक विचार कर रही है।

जहां तक दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, यह बात सही है कि सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक ने उस व्यक्ति, जिसने रामलीला में रावण का रोल अदा किया था, को इस कारण ऋण नहीं दिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने उस मैनेजर को बुलाकर हिदायत दी तो उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इस प्रकार की गलती नहीं होगी। 21 मार्च, 1982 के पहले उसको मिल जायेगा।

श्री रामधन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सितम्बर, 1980 के अन्दर ग्रामीण आंचलिक बैंक की शाखा रोडू में एक कार्यक्रम चला था कि बैंक के अधिकारी कैंप में जायें, लोगों के फार्म भरवायें और उनकी चैकिंग करें ताकि लोगों को लोन के लिए पीछे-पीछे नहीं फिरना पड़े। उसमें जितने फार्म आये, मैं मौजूद था और जो बी. डी. ओ., तहसीलदार और जो इस कार्य से सम्बन्धित थे, वे वहां थे। मंत्री महोदय ने मंजूर किया है कि वह रामलीला का व्यक्ति था इसलिए उसको ऋण नहीं दिया गया उसको पैसा नहीं मिला, वे अपने पशु क्रय किये हुए वापस ले गये....

श्री बुलाकी दास कल्ला : रोडू के मैनेजर तक पर कार्यवाही कर रहे हैं। इसके

(श्री बुलाकी दास कल्ला)
लिए हम और कुछ नहीं कर सकते....

(व्यवधान)

प्रार्थना पत्र केवल 35 प्राप्त हुए उनमें अधिकांशतः ऐसे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि 27 तारीख को पशु मेला आयोजित किया गया था, पशु उपलब्ध नहीं होने के कारण से वह ऋण उनको नहीं मिल पाया। अभी 6 मार्च की दूसरी बार तारीख निश्चित की गई है। जितनी भी स्वीकृति मिली है वह देने के लिए राज्य सरकार सहमत है और बैंक भी ऋण देने को तैयार है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : वहां पर पशु मेला—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न।

(दिनांक 24 फरवरी, 1982)

तहसील कोलायत में किसानों से अवाप्त असिंचित भूमि की वापसी

36. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन तहसील कोलायत नं 1 से 4 में चक प्लान आ जाने के बाद भूमिहीन काश्तकार को आवंटित 50 बीघा भूमि में से 25 बीघा भूमि अवाप्त की गई है, जबकि मौके पर ऐसी भूमि में पानी नहीं लगता है? यदि हां, तो ऐसे कितने काश्तकारों की कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गई है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि विशेषज्ञों की राय के अनुसार 50 बीघा से कम असिंचित भूमि काश्तकार के लिए अलाभकर है? यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्र में जहां मौके पर सिंचाई नहीं होती, भूमि क्यों अवाप्त की जा रही है?

(3) क्या सरकार द्वारा ऐसे मौके की असिंचित भूमि, जो कि अवाप्त कर ली गई है, काश्तकारों को वापस सिंचित होने तक दे दी जावेगी व भविष्य में सिंचित होने तक अवाप्त नहीं की जावेगी?

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। श्री दाऊदयाल जोशी।

(दिनांक 26 फरवरी, 1982)

मन्त्रिगण द्वारा की गई यात्राओं पर व्यय

97. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष किस किस मन्त्री, राज्य मंत्री व उप मन्त्री ने कितनी कितनी यात्रायें किस किस साधन से की हैं?

(2) यात्राओं के कारण प्रत्येक मन्त्री

(श्री दाऊदयाल जोशी)
पर कितना व्यय हुआ तथा प्रत्येक मन्त्री ने यात्रा व्यय भत्ते एव दैनिक भत्ते के रूप में कितनी धनराशि प्राप्ति की? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) विवरण संलग्न है।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के किये कृपया परिशिष्ट 4देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी : सबसे अधिक वायुयान की यात्रा किस मन्त्री ने की।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने सूची दे दी है। जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 गत वर्ष जिन्होंने वायुयान से यात्रायें कीं उसका विवरण है, आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ कर सुना दूं....

श्री अध्यक्ष : सुना दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह :

श्री शिवचरण माथुर	7
श्री परसराम मदेरणा	2
श्री चन्दनमल बैद	21
श्री बृजसुन्दर शर्मा	1
श्रीमती कमला	4
श्री छोगालाल कंवरिया	—
श्री जयकृष्ण शर्मा	1
श्री प्रद्युम्नसिंह	3
श्री श्रीराम गोटेवाला	1
श्री दिनेश डांगी	—
श्री घासीराम यादव	3
श्री रामपाल उपाध्याय	—
श्री चेतराम मीणा	—
श्री गोविन्दसिंह	1
श्री नरेन्द्रसिंह भाटी	—
श्री शीशराम ओला	2
श्री बुलाकीदास कल्ला	1
श्री गोविन्द आमलिया	1
श्रीमती कमला भील	1
श्री जगन्नाथ पहाड़िया	12
श्री हनुमान प्रभाकर	1
श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता	2
श्री हीरालाल देवपुरा	10
श्री हरसहाय मीणा	4
श्री दुलाराम	—
श्री बनवारीलाल	—
श्री नानालाल	—
श्री रामकिशन	—
श्री ईश्वरलाल सैनी	—
श्री मांगीलाल आर्य	2
श्रीमती भगवती देवी	—
श्री अब्दुल रहमान चौधरी	5

श्री महाराम चौधरी : भत्ते और बता दीजिये। ऐसे कौनसे मन्त्री हैं जिन्होंने सबसे अधिक वायुयान से यात्रायें कीं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, भत्ता और दैनिक भत्ते, दो भत्ते हैं, कौनसा पढ़ कर सुनाऊं।

श्री गोपाल पचेरवाल : दोनों बता दीजिये।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : शामिल करके बता दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह :

नाम	दैनिक भत्ता	यात्रा भत्ता
श्री शिवचरण माथुर	4335.	3133.
श्री परसराम मदेरणा	2397	535
श्री चन्दनमल बैद	5673	14637
श्री बृजसुन्दर शर्मा	4233	2057

पैसे छोड़ता जा रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, राउण्ड फिगर में दे रहा हूं।

श्रीमती कमला	9037	2338
श्री छोगालाल कंवरिया	3034	99.24
श्री जयकृष्ण शर्मा	3979	2827
श्री प्रद्युम्नसिंह	5329	1922
श्री श्रीराम गोटेवाला	2728	4578
श्री दिनेश डांगी	4692	196
श्री घासीराम यादव	7267	1707
श्री रामपाल उपाध्याय	7293	513
श्री चेतराम मीणा	4513	15.16
श्री गोविन्दसिंह	4591,	1438
श्री नरेन्द्रसिंह भाटी	—	—
श्री शीशराम ओला	10415	805
श्री बुलाकीदास कल्ला	4347	3381
श्री गोविन्द आमलिया	4032	3844
श्रीमती कमला भील	4335	3622
श्री जगन्नाथ पहाड़िया	3315	7136
श्री हनुमान प्रभाकर	3646	1831
श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता	4080	2185
श्री हीरालाल देवपुरा	3227	7531
श्री हरसहाय मीणा	3621	2142
श्री दुलाराम	2856	—
श्री बनवारीलाल	2779	101
श्री नानालाल	3034	—
श्री रामकिशन	4029	66.75
श्री ईश्वरलाल सैनी	5014	50.50
श्री मांगीलाल आर्य	7515	1431
श्रीमती भगवतीदेवी	6122	—
श्री अब्दुलरहमान चौधरी	5100	3787

श्री महाराम चौधरी : टोटल ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : दैनिक भत्ते के रूप में जो पिछले साल में पुराने मन्त्रिमण्डल के सदस्य और इस मन्त्रिमण्डल के सदस्यों ने उठाया। एक साल में, यात्रा भत्ते के रूप में— 1, 46,575.99 और 73,917.19 टोटल हुआ 2,20,493.18।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कम खर्च करने की बात कही और इन आकड़ों से सिद्ध होता है कि सबसे अधिक यात्रायें इन्होंने कीं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या यह

Page No 23

(23)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सही नहीं है कि सबसे अधिक भत्ता 10 पर्सेन्ट अकेले वित्त मन्त्री का है, उपदेश वाला पार्ट दूसरा है,

(व्यवधान)

जो आंकड़े मांगे गये थे

श्री अध्यक्ष : अधिक संसाधन जुटाने के लिए काफी भाग दौड़ करनी पड़ी।

श्री गोपाल पचेरवाल : मन्त्री महोदय कार से कितना और वायुवान से कितना खर्च करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न । कारों पर प्रति मन्त्री जो खर्च होता है. वह इसमें शामिल नहीं है। वह अलग से पूछा जा सकता है ?

अगला प्रश्न । श्री देवीसिंह भाटी।

बीकानेर नगर में बाढ राहत क्षेत्र के लिए सड़कों व अन्य कार्य हेतु आवंटित राशि

103. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर विकास न्यास, बीकानेर की देख-रेख, रख-रखाव में कौन कौन सी सड़कें हैं ? कृपया मार्गों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार ने बीकानेर के बाद राहत क्षेत्र हेतु सड़कों व अन्य कार्यों के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की है व ऐसे मरम्मत कार्यों में किस सड़क य अन्य कार्य पर कितनी कितनी राशि खर्च की जा रही है या प्रस्तावित है ? कृपया विभिन्न कार्यवार मय राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बीकानेर में अतिवृष्टि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की सड़कों व अन्य स्थानों की सर्वेक्षण सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार बाढ़ सहायता कोष के दुरुपयोग को रोक, उच्च स्तरीय जांच करायेगी ?

राज्य मन्त्री नगर आयोजना (श्री चेत-राम मीणा) :

(1) बीकानेर नगर विकास न्यास की देखरेख, रखरखाव में आने वाली सड़कों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची "क")

(2) राज्य सरकार ने बीकानेर नगर के बाढ़ राहत क्षेत्र हेतु सड़कों व अन्य कार्यों के लिए कुल 55,37,00 /— रुपये की राशि आवंटित की है। विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही खर्च की राशि एव प्रस्तावित राशि की सूचियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं (सूचीं ख, ग, घ, ङ 1, ङ, 2)

(3) सूचियां सदन के मेज पर रख दी गई हैं (सूची च, छ, ज, झ)

(श्री चेतराम मीणा) :

(4) सूचियां सदन के मेज पर रख दी गई हैं (सूची च, छ, ज, झ)

(5) सहायता कोष के दुरुपयोग का कोई मामला इस विभाग के समक्ष नहीं आया है। अतः जांच आदि का प्रश्न नहीं उठता।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, भाग (4) में जो मन्त्री महोदय ने फर्माया है इसके लिये मैंने खुद मन्त्री महोदय को याद कराया। जो करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी फ्लड अफेक्टेड एरिया के लिये उसके लिए मैंने स्वयं मन्त्री महोदय को बीकानेर में एक ज्ञापन दिया था, एक शिकायत पत्र दिया था और मुख्य मन्त्री जी को भी दिया था, उसे यह बिल्कुल नकार रहे हैं, यह गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने सर्वेक्षण सूची दी है उसके अन्दर शहर की चार दीवारी में संख्या 15, 16, 17 पर उदाहरणस्वरूप साधु कालोनी, जयदेव नारायण पार्क, पब्लिक पार्क आदि हैं। अध्यक्ष महोदय, एक भी क्षेत्र में कोई भी सड़क का कार्य नहीं देखा वहां जो अकालग्रस्त क्षेत्र था उसमें कोई भी सड़क का कार्य नहीं देखा। उस एक करोड़ रुपये को अन्यत्र, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आज तक नहीं रहा, काम लिया जा रहा है। जो इन्होंने सर्वेक्षण सूची तैयार की है, अध्यक्ष महोयय, इसके अन्दर अम्बेडकर सर्किल, नागभिची मन्दिर वाया मेडिकल कालेज, चौतीना मोहल्ला, गवर्नमेंट प्रेस, माता जी टेम्पल वाया राष्ट्रदूत कार्यालय, भट्टों का बाग, रामपुरा मोहल्ला शामिल है। फ्लड अफेक्टड एरिया....

श्री अध्यक्ष : आपका क्षेत्र क्या छोड़ा जा रहा है ?

श्री देवीसिंह भाटी : बिल्कुल कतई छोड़ा जा रहा है। यह मेरा ही क्षेत्र है जो फ्लड अफेक्टेड था ? अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ रुपया राज्य सरकार ने आवंटित किया, परन्तु पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा, म्युनिसिपल कौंसिल के द्वारा सारा का सारा एक करोड़ रुपया अन्यत्र लगाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही गम्भीर मामला है। एक करोड़ रुपया जिस कार्य के लिए आवन्टित किया गया था उस क्षेत्र में उस कार्य के लिये उसका कतई सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा, इसके लिये आप आधे घण्टे को चर्चा का मुझे मौका दें। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं आंकड़े और सबूत पेश करूं जिसके लिये यह दिया है, वार्ड नम्बर एक से उन्नीस, इन मोहल्लों में कोई भी सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ। सर्वेक्षण सूची में यह क्षेत्र नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे अलग से मिलें और मुझे जानकारी दें तो मैं सहानुभूति पूर्वक जो आपकी रिक्वेस्ट होगी, उस पर विचार करूंगा।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री यदुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष : आपने सबसे अधिक समय लिया है।

श्री यदुनाथ सिंह,: पूरक प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।

शहरी विकास पर व्यय

106. **श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :** क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में वर्ष 1981 में शहरी विकास पर कितना धन व्यय किया गया है ?

(2) इसी वर्ष में राज्य के अन्य जिला मुख्यालयों पर कितना कितना धन व्यय किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दीजिये। मंत्री जी इसका उत्तर दीजिये।

राज्य मंत्री, नगर आयोजना (श्री चेतराम मीणा) : (1) 'जयपुर शहर में वर्ष 1981 में शहरी विकास पर 1, 31, 97, 861/-(एक करोड़ इक्तीस लाख 97 हजार 861 रुपये) खर्च हुआ।

(2) विभिन्न जिला मुख्यालयों पर कलेण्डर वर्ष 1981 वित्तीय वर्ष 1981-82 में व्यय की गई धनराशि की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। **(परिशिष्ट--क)**

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी गई है उसमें कोटा और जयपुर को छोड़कर किसी शहर में एक करोड़ से ऊपर धनराशि नहीं है। यह पृथक बात है इस सूची में भरतपुर और जैसलमेर के लिये जो धनराशि है वह करीब साढ़े पांच लाख है। भरतपुर और जैसलमेर में तीन लाख अठ्ठाइस हजार खर्च किये गये हैं। तो क्या, अध्यक्ष महोदय, यह दोनों जिले इतने कम महत्वपूर्ण हैं कि इतनी कम राशि का प्रबन्ध किया गया। और जिलों तो आधा आधा करोड़ रुपये से कम राशियां नहीं हैं। तो भरतपुर और जैसलमेर दो जिलों का महत्व सरकार की नजर में कम है ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जो पूछा गया जो सूचना मांगी गई, मैंने प्रेषित कर दी।

श्री यदुनाथ सिंह : आपका क्या क्राइटेरिया है, यह तो बतायें।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सूचना मांगी थी कि कितना व्यय हुआ था वह सूचना मैने दे दी। माननीय सदस्य का यह कहना कि व्यय कम हुआ है, यह अलग प्रश्न है। आप सरकार को कहिये....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह सही है कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर है। पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं, माननीय सदस्य दो जिलों मुख्यालयों को इस लाभ से वंचित रखा गया। इसके बारे में आपको कुछ कहना है।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सूचना मांगी, कितना व्यय हुआ, वह सूचना मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी।

(व्यवधान)

अब रहा प्रश्न इस बात का कि कम खर्चा हुआ। इसके बारे में निवेदन है कि भरतपुर में सिर्फ यू. आई. टी. क्षेत्र में व्यय हुआ, नगरपालिका क्षेत्र में नहीं हुआ। यह तो किस प्रकार की योजनायें बनाई जाती हैं, कितना विस्तार हुआ, कार्य हुआ, इस पर डिपेण्ड करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर : कोई वजह नहीं बताई। उसके लिये क्या किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नाथद्वारा के ग्राम गुंजोल में उद्योगों हेतु भूमि का अवाप्तिकरण

191. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि नाथद्वारा के गांव गुंजोल में उद्योग के लिये प्रस्तावित भूमि का उपयोग पूरा हो गया है?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उद्योग के लिये और अधिक भूमि अवाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी और कब?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कुल 28 बीघा 15 बिस्वा निजी भूमि की अवाप्ति हेतु राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 6, 17 (1) व (4) के अन्तर्गत दिनांक 14-8-1981 को अधिसूचना प्रसारित की जा चुकी है। भूमि का कब्जा मार्च, 1982 तक लिये जाने की संभावना है।

प्रोसेसिंग हाउस खोलने की योजना

192. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)— क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान हाथकर्घा मण्डल द्वारा राज्य में क्या कोई प्रोसेसिंग हाउस खोलने की योजना है?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) हैण्डलूम कपड़ों के लिये प्रोसेस हाउस की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार ने 45 लाख रुपया ऋण के रूप में स्वीकृत किया है।

राजस्थान हाथकर्घा परियोजना मण्डल द्वारा प्रोसेस हाउस की स्थापना हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (RIICO) के परामर्श से अध्ययन किया जा रहा है।

निर्यात एवं विपणन निगम की स्थापना

193. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार लघु उद्योगों में निर्मित्त होने वाले उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में निर्यात एवं विपणन निगम की स्थापना का विचार कर रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि लघु उद्योग निगम ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने सुझाव प्रेषित किये है?

(3) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार लघु उद्योगों को शोषण से बचाने के लिए उक्त प्रकार के निगम के गठन का विचार करेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) निर्यात प्रोत्साहन निगम के पुनर्गठन के बारे में नियुक्त विशेषाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विभिन्न बैठकों में प्रकट किये गये विचारों के अनुसार राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य सरकार को टिप्पण प्रेषित की गई।

(3) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में सम्मिलित राज्य के नगर

194. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत अलवर को सम्मिलित किया है?

(2) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अलवर नगर के विकास हेतु कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

(3) क्या राज्य के अन्य नगरों जो राजधानी के नजदीक हैं को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

Page No 28

(28)

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 28-2-82 तक अलवर नगर के विकास हेतु केन्द्रीय राशि 137.05 लाख प्राप्त हुई है ।

(3) जी हां । राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के मध्य पत्राचार चल रहा है।

तहसील कोलायत में खनिज पर आधारित उद्योग की स्थापना

195. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर की तहसील कोलायत में खनिज का भारी भण्डार है तथा खनिज पर आधारित उद्योग लगने की वहां पूरी गुंजाइश है ?

(2) क्या उक्त तहसील में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या बीकानेर जिले में खनिज पर आधारित बड़ा कारखाना लगाने की राज्य सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जिला बीकानेर की कोलायत तहसील में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के क्ले खनिज पाये जाते हैं । जिनके छोटे छोटे भण्डार उपलब्ध हैं । इन मुख्य खनिजों के अतिरिक्त मुलतानी मिट्टी, पीली मिट्टी, सिलीका सेण्ड, बजरी, ईंट मिट्टी भी पाई जाती है । खनिज आधारित उद्योग लिये इस तहसील में विभिन्न क्लेज (बाल क्ले फायर क्ले चायना क्ले ही उपयोगी है, जिन पर आधारित एक कारखाना बीकानेर सिरेमिक्स के नाम से स्थापित है जिसमें लो टेन्शन इन्स्युलेटर्स का उत्पादन किया जाता है । खनिज आधारित उद्योग लगाने के लिये केवल खनिज की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें अन्य कच्चा सामान ईंधन, पानी, बिजली आदि का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है।

(2) औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया में औद्योगिक संभावनाओं तकनीकी एवं आर्थिक लाभों को दृष्टिगत रखा जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर विकसित करने के लिये एक परिपत्र दिनांक 15-4-1980 द्वारा स्थानीय निकाय, पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं को भी सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। निकट भविष्य में यहां कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(3) वर्तमान में खनिज पर आधारित कोई बड़ा उद्योग लगाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

Page No 29

(29)

बंगला देश से आये शरणार्थियों के पुनर्वास की योजना

196. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बंगला देश से आये 5 हजार शरणार्थियों को राजस्थान में बसाने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार इन शरणार्थियों को बसाने के लिए राज्य सरकार को 13. करोड़ रुपये देगी और उसमें से 10 करोड़ रु. दिये जा चुके हैं ?

(3) यदि हां, तो इन परिवारों को कहां बसाया जायेगा तथा ये शरणार्थी राजस्थान प्रदेश के हैं या अन्य किसी प्रदेश के ?

(4) क्या यह भी सही है कि अन्य राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया परन्तु राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है ? यदि, हां, तो इसके स्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रतापगढ़ तहसील से अफीम की तस्करी

197. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ तहसील से प्रति वर्ष भारी मात्रा में अफीम की तस्करी की जाती है ? यदि हां, तो प्रतापगढ़ तहसील में अब तक किन-किन तस्करों को तस्करी का माल ले जाते हुए पकड़ा है ? कृपया तस्करी करने वाले तस्करों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रतापगढ़ तहसील में अफीम की तस्करी की जाती है। पिछले तीन वर्षों (1979-80-81) में जिन व्यक्तियों को तस्करी के सम्बन्ध में पकड़ा है उनकी सूची सलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

बन्धुआ मजदूरों के आर्थिक कल्याण की योजनायें

198. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1 अप्रेल, 1981 से लेकर 31

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिसम्बर, 1981 तक प्रदेश में कितने बंधुग्रा मजदूरों को मुक्त कराया गया ?

(2) राज्य सरकार के ग्रांकड़ों से प्रदेश में इस समय कितने बन्धुग्रा मजदूर हैं ?

(3) बन्धुग्रा मजदूरों के ग्राथिक कल्याण के लिए इस वित्तीय वर्ष में कितना खर्च किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई हिस्सों में राजस्थान के करीब एक लाख हरिजन ईंट भट्टों पर ठेकेदारों के यहां बन्धुग्रा मजदूरी का कार्य कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) 36 बन्धुग्रा मजदूरों को मुक्त करवाया गया।

(2) जिलों से प्राप्त जानकारी के ग्रनुसार वर्तमान में कोई ग्रन्य बन्धुग्रा मजदूर नहीं पाये गये हैं।

(2) 0.18 लाख रु. व्यय हुये हैं। 1.44 लाख की एक योजना स्वीकृत हो चुकी है।

(4) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

सीमा सुरक्षा दल के जवानों की हत्या करने वाले तस्करों की पकड़

199. **श्री ग्रमीन खां** (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह बात सही है कि पिछले वर्ष जिला जैसलमेर की सीमा पर बी. एस. एफ. के जवानों को गोली मार कर तस्करों ने हथियार छीन लिये ?

(2) उक्त तस्करों के खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार ने की है ? ग्रब तक उन तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। जब दिनांक 7-10-81 को बी. एस. एफ. गस्त पार्टी तस्करों का पीछा कर रही थी तो तस्करों ने गश्ती पार्टी पर फायर करना शुरू कर दिया। इस मुठभेड़ में बी. एस. एफ. गश्ती पार्टी के 2 जवान मारे गये, एक घायल हो गया व दो ऊंट मारे गये। तस्कर तीन राइफल व 150 कारतूस ले गये।

(2) उक्त ग्राशय की रिपोर्ट थाना सम-पर श्री गोपाल सिंह इन्चार्ज पार्टी द्वारा की जाने पर थाना सम में मुकदमा नं. 18 दिनांक 9-10-81 ग्रन्तर्गत धारा 302, 307, 396, 329 ता. हि. में पंजीबद्ध होकर वृत्ताधिकारी, जैसलमेर द्वारा तफतीश की जा रही है।

Page No 31

(31)

उदयपुर नगर में विद्युत सामग्री के क्रय पर व्यय

200. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर प्रन्यास ने अप्रेल, 1980 से दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 तक नगर में ट्यूबलाइट. बल्ब. एवं सर्च-लाइट लगाने पर कितना धन व्यय किया एवं उक्त सामग्री किस कम्पनी से या किस विक्रेता से खरीदी? सूची मय कीमत के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अप्रेल, 1980 से 31 दिसम्बर, 1981 तक उदयपुर नगर की किस बस्ती में कितनी-कितनी ट्यूब लाइट, बल्ब एवं सर्च लाइट लगाई गई? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर नगर विकास प्रन्यास ने अप्रेल, 1980 से दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 तक न्यास क्षेत्राधिकार में ट्यूब लाइट, बल्ब आदि लगाने पर रु. 1,50,225 व्यय किया है। यह सामग्री निम्न कम्पनी या विक्रेता से खरीदी गई।

फर्म	सामग्री	राशि (कीमत)
1. मै. काम्पटन ग्रीव्ज जयपुर	स्ट्रीट लाइट	1,09 395/-
2. मै. अजन्ता बिजनेस	कोयल,तार आदि	26,000
3. मै. के. एच एजेन्सीज	ट्यूब रोड	9,650/-
4. मै. जय इलेक्ट्रीक	फ्लड लाइट	5,180/-
	योग रु.	1,50,225/-

(2) अप्रेल, 1980 में 31 दिसम्बर, 1981 तक उदयपुर नगर की निम्न न्यास बस्तियों में ट्यूब लाइटें, बल्ब आदि लगाये गये,

बस्ती का नाम	ट्यूब लाइटें	बल्ब
1. हिरनमगरी स.न. 3 से 6	155	80
2. मोती मगरी योजना	20	—
3. सुन्दरवास योजना	15	—
4. हाथीपोल योजना	10	—
5. अम्बामाता योजना	40	25
6. हिरन मगरी से 11 व 13 माछला मगरा, माली कालोनी जेल के पास कच्ची बस्ती (साउथ संब डिवीजन)	106	
7. कार्यालय भवन	9	
	355	105

नगर पालिका गंगा शहर भू-खण्ड आवंटन

201. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री देवीसिंह भाटी)

(1) क्या यह सही है कि नगर पालिका गंगाशहर द्वारा सन् 1974-75 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्ड नं. 5 में भू-खण्डों का आवंटन किसी दूसरे की खातेदारी भूमि में कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त आवंटन में से कितनों को कब्जा नहीं दिया गया था ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पालिका का उक्त आवंटियों को उक्त भू-खण्डों के बदले में दूसरे भू-खण्ड देने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक निशान देही दी जावेगी ?

(4) क्या गलत आवंटन के लिये दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 74-75 में नहीं बल्कि 75-76 में वार्ड नं 5 में, 262 भू-खण्डों की योजना बनाकर भू-खण्ड आवंटित किये गए थे। बाद में इन भू-खण्डों का मामला विवादास्पद हो जाने के कारण, न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) 76 आवंटियों को मौके पर कब्जा नहीं दिया गया था। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) इन आवंटनों का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(4) न्यायलय के निर्णय के बाद विचार किया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

अजमेर नगर के मध्य स्थित गाय भैंसों के बाड़ों को हटाना

202 **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर के मध्य स्थित सैंकड़ों गाय भैंसों के बाड़ों को शीघ्र वहां से हटाया जावेगा ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि नागरिकों को राहत दिलाने के लिये अजमेर, जयपुर, जोधपुर नगरों में सूअरों से मुक्ति की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक तय होगी ?

उत्तर

(1) जी हां। पशु-पालकों को नोटिस दे दिये गये हैं पर अभी समय लगेगा।

(2) पालतू एवं आवारा पशु, जिनमें सूअर भी शामिल हैं, नियमानुसार शहर में नहीं घूम सकते। नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

आबू पर्वत पर नक्की झील में नौका विहार व्यवस्था

203. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) क्या

Page No 33

(33)

(श्री नन्द लाल मीणा)

स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि आबू पर्वत पर नक्की झील में नौका विहार की व्यवस्था नगरपालिका द्वारा की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) वर्ष 1975 से वर्ष 1981-82 तक नौका विहार के टेण्डर में कहां-कहां के किन-किन लोगों ने भाग लिया और टेण्डर किन-किन आधारों पर किसके पक्ष में स्वीकार किया गया ? कृपया वर्ष वार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) नौका विहार की दरें नगरपालिका द्वारा पूर्व में ही निर्धारित की जाती हैं अथवा ठेकेदार दरें निर्धारित करने में स्वतंत्र रहता है ?

उत्तर

(1) जी हां। आबू पर्वत पर नक्की झील में नौका विहार की व्यवस्था नगरपालिका द्वारा की जाती है।

(2) वर्ष 1975 से 1979 तक किसी भी पार्टी को नौका विहार का ठेका नहीं दिया गया। स्वयं नगरपालिका द्वारा यह व्यवस्था की जाती थी। वर्ष 1979 में टेण्डर आमन्त्रित किये गये। इनमें निम्नांकित 10 व्यक्तियों ने अपने टेण्डर प्रस्तुत किये :—

(1) श्री ए. एल. बाहरी, शांताक्रुज, बम्बई।

(2) श्री जितेन्द्र कुमार कापड़िया, मालवाड़ा, बम्बई।

(3) श्री कमलीज बेनीवाल, जयपुर।

(4) श्री बी. एल. कश्यप, पार्टनर, आबू इंटरप्राइजेज, आबू।

(5) श्री ए. के. पुरोहित, राइजिंग सन आबू।

(6) बी. वी. शाह, विजय बिला, आबू।

(7) श्री अब्दुल करीम गुलाम नबी द्वारा ट्यूरिष्ट बंगला, आबू।

(8) श्री नगरपालिका नाविक को-आपरेटिव सोसायटी, आबू पर्वत।

(9) श्री विमल कुमार खण्डेलवाल, आबू पर्वत।

(10) श्री एस. एल. पगार, बाल वाटिका, गांधीनगर, अहमदाबाद।

उपरोक्त में से केवल पांच व्यक्तियों को पालिका की शर्त के अनुसार वांछित अग्रिम राशि जमा कराने के नोटिस दिये गये। अन्तिम दिन केवल श्री बी. एल. कश्यप, पार्टनर, आबू इन्टरप्राइजेज ने निर्धारित राशि जमा कराई इसलिए मण्डल ने इनके पक्ष में टेण्डर की शर्तों के अनुसार टेण्डर स्वीकृत किया।

Page No 34

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(3) अपनी नौकाओं की नौका विहार की दरें निर्धारित करने के लिये ठेकेदार स्वयं स्वतन्त्र हैं। लेकिन आज तक वही दरें प्रचलित हैं जो नगरपालिका की नौका विहार की हैं।

सूखे तहारतों को फ्लश के तहारतों में बदलना

204. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जीवन बीमा निगम राज्य में सूखे तहारतों को फ्लश के तहारतों में परिवर्तित करने के लिये ऋण देने के लिए राजी हो गया है ?

(2) यदि हां, तो कितना ऋण दिया जायेगा तथा कौन-कौन से कस्बों में यह योजना लागू की जायेगी ?

उत्तर

(1व2) जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण का मामला अभी जीवन बीमा निगम के यहां विचाराधीन है। अभी निर्णय नहीं हुआ है।

नाथद्वारा में यात्रियों के आवास की व्यवस्था

205. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नाथद्वारा में आने वाले यात्रियों के ठहरने के लिये निजी भवनों की व होटलों की व्यवस्था है ? यदि हां, तो ऐसे भवनों व होटलों की सूची, किराये की दर एवं नगरपालिका द्वारा प्राप्त आय की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। ऐसे भवनों व होटलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट-क, ख, ग।

जिन-जिन भवनों एवं होटलों की दरें निर्धारित हैं, वह भी सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

परिशिष्ट—घ।

नगरपालिका को,

1. श्री कोठारी अतिथिशाला
2. श्री गंगा-जमुना
3. श्री कुन्दन होटल
4. श्री श्रीजी लाज

से प्रत्येक से सौ सौ रुपये सालाना आय अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने से होती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

गंगा शहर नगरपालिका में भू-खंडों की नीलामी

206. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री देवीसिंह भाटी)

(1) क्या यह सही है कि गंगाशहर नगरपालिका के प्रशासक ने 1980-81 में प्लाट्स की नीलामी की सूचना जारी की थी?

(2) क्या यह सही है कि जिन प्लाट्स को नीलाम करने की सूचना निकाली गयी उन्हीं का नियमन, 1971 से पूर्व के कब्जे मान कर, सरकारी दर पर किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है जिन प्लाट्स को नीलाम किया गया उनकी नीलामी सरकारी दर पर ही बताई गई है? सरकारी दर पर ही नीलाम कर देने का क्या कारण है?

(4) किन-किन व्यक्तियों को प्लाट्स की नीलामी सरकारी दर पर की गई? सूची सदन की मज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। नीलाम सरकारी दर पर नहीं किये गये।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य में छोटे होटलों का निर्माण

207. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में भारतीय पर्यटन विकास निगम अनेक स्थानों पर दो या तीन सितारा होटलों के निर्माण की संभावनाओं का पता लगा रहा है?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार से निगम ने कोई परामर्श किया है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने किन-किन स्थानों के नाम प्रस्तावित किये हैं? कृपया प्रस्तावित स्थानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

बीकानेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में चरागाह भूमि का आवंटन

208. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में चरागाह भूमि को भी आवंटित किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां किस-किस को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई? कृपया तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ऐसी आवंटित

(श्री देवीसिंह भाटी):

भूमि का आवंटन निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) भविष्य में उपनिवेशन क्षेत्र की चरागाह भूमि को आवंटित न किये जाने के बारे में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) साधारणत : चरागाह भूमि को अन्य कार्यों के लिए आवंटित नहीं किया जाता। बीकानेर जिले की 9 उपनिवेशन तहसीलों में से केवल एक उपनिवेशन तहसील बीकानेर में ही निम्न वारानी चरागाह भूमि का आवंटन किया गया है:—

नाम ग्राम	नाम आवंटिति	क्षेत्रफल	प्रयोजन
शरह नियानिया	श्री रमजान वल्द जहूरदीन,	10 बीधा	भट्टा हेतु
,, ,,	श्री इब्राहीम वल्द समदे खां,	10 बीघा	,, ,,
,, ,,	सेना (आर्मी)	5023'18 बीघा	फील्ड फार्यरिंग रेन्ज

(राज्यादेश दिनाक 24-3-81)

(2) जी नहीं। चरागाह भूमि का अन्य कार्यों के लिए आवंटन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रख कर नियमानुसार बहुत आवश्यक मामलों में ही किया जाता है। उपरोक्त 5023.18 बीघा चरागाह भूमि का आवंटन आर्मी को फील्ड फार्यरिंग रेन्ज के लिए ग्राम शहर नंथानिया में किया गया है। इस भूमि के आवंटन के पश्चात् भी 8226.02 बीघा शेष रही गोचर भूमि 9 ग्रामों के कुल 4100 मवेशियों के लिए, जो वहां चरते है, पर्याप्त है। शेष दो बार आवंटित की गई भूमि बहुत छोटी मात्रा है और वहां की स्थानीय आवश्यकता को समझते हुए की गई है।

(3) उपरोक्त उत्तर नं. 2 के संदर्भ में प्रश्न पैदा नहीं होता।

(राज्यादेश के किये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

विश्व खाद्य कार्यक्रम को संचालित करने वाली संस्था द्वारा राजस्थान नहर क्षेत्र में बसने वाले व्यक्तियों की सहायता

209. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को संचालित करने वाली संस्था खाद्य सहायता की नीतियों कार्यक्रमों वाली समिति ने राजस्थान नहर क्षेत्र में बसने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता देने की सहमति दी है ?

(2) यदि हां, तो यह सहायता किन-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किन कार्यक्रमों के लिये दी जायेगी? इसका क्या प्रारूप होगा तथा कितने रुपयों की सहायता दी जावेगी और सहायता कितने साल तक दी जावेगी तथा इस सहायता की क्या शर्तें हैं?

(3) इस संस्था ने सहायता के लिये जिस प्रारूप पर सहमति व्यक्त की है उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। वर्तमान में इस प्रकार के कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी सहायता दी जा रही है और किस रूप में?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु अनुबन्ध की कार्यवाही अभी विचाराधीन है।

(2) यह सहायता क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। यदि प्रस्तावित अनुबन्ध हो जाता है तो योजना के अनुसार प्रति नये आबाद होने वाले आवंटिती को 18 माह तक गेहूं, खाद्य तेल, दालें मुफ्त दी जा सकेंगी। इस सहायता कार्यक्रम की अवधि 5 साल की होगी। प्रस्तावित खाद्य सहायता की वस्तुओं की मूल्य राशि 11·8 करोड रुपये है।

(3) चूंकि अभी अनुबन्ध की कार्यवाही विचाराधीन है अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

मोडक (कोटा) का रेफरल चिकित्सालय

210. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमंडी): क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा जिले के मोडक का रेफरल चिकित्सालय कब तक बन कर तैयार हो जावेगा? क्या मोडक का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चेचट स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया?

उत्तर

मोडक के रेफरल चिकित्सालय का भवन अगले छः माह में बन कर पूर्ण होने की संभावना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकरण कर रेफरल चिकित्सालय बनाने पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सेवायें वही बनी रहती हैं। अतः मोडक प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र को स्थानान्तरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नाथद्वारा की डिस्पेन्सरीज का स्टाफ

211. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नाथद्वारा की विभिन्न डिस्पेन्सरीज में कर्मचारियों के पद रिक्त हैं?

(श्री सी. पी.जोशी)

(2) यदि हां, तो कौन-कौन से कब से रिक्त हैं एवं उन्हें कब तक भरा जाएगा ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केवल एक डिसपेन्सरी में पद रिक्त है।

(2) नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत दो डिस्पेन्सरियां हैं जिनमें से डिस्पेन्सरी भालों की मदार में एक पद मेल नर्स का अप्रेल, 1977 से रिक्त है। अन्य डिस्पेन्सरी लोसिंग पर स्वीकृत स्टाफ कार्यरत है। योग्य प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होते ही पद भर दिया जायेगा।

ग्राम उसरवास कवं मंचीद (नाथद्वारा) : में चिकित्सा सुविधा

212. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा); क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नाथद्वारा के गांव उसरवास एवं गांव मंचीद में जन सहयोग से औषधालय हेतु भवन निर्माण किया जा चुका है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार गांव उसरवास एवं गांव मंचीद में डिस्पेन्सरी खोलने अथवा अन्य कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर

धन्वन्तरि फार्मेसी, जयपुर

213. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री धन्वन्तरी फार्मेसी, जयपुर रजिस्टर्ड संस्था है। यदि हां, तो इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ और इसके कौन-कौन पदाधिकारी हैं। इस फार्मेसी के क्या उद्देश्य हैं ?

(2) क्या इस संस्था को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन संस्थाओं में स्वयं की रसायनशाला है तथा उनमें जो औषधियां निर्मित होती हैं उनका मूल्य अपनी स्वयं की संस्था के लिये लागत मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिये ?

(4) क्या यह भी सही है कि स्वयं की संस्था में औषधियां विक्रय में कोई कमीशन नहीं लिया जाता है ? यदि लिया जाता है, तो किस प्रतिशत से ?

(5) अगर कमीशन का प्रावधान नहीं है, तो ऐसा करने वाले अधिकारियों के

(श्री मेघराज तावड़)

खिलाफ क्या सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) धन्वन्तरि फार्मेसी का संचालन "धन्वन्तरि सेवा समिति" के अधीन है, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है एवं इसका पंजीयन नम्बर 15, 1948-49 है । रजिस्ट्रार, संस्थायें, राजस्थान जयपुर की सूचना के अनुसार वर्ष 1980-81 में धन्वन्तरि सेवा समिति के निम्न पदाधिकारी हैं :—

क. सं.	नाम पदाधिकारी	पद
1.	श्री गोपाललाल पुरोहित	सभापति
2.	श्री गोपालदत्त शर्मा	उप सभापति
3.	श्री चन्द्रभान टेमानी	मंत्री
4.	श्री मोहनलाल गोटेचा	संयुक्त मंत्री
5.	श्री मनमोहनलाल अग्र.	कोषाध्यक्ष

फार्मेसी के उद्देश्य विभाग की जानकारी में नहीं हैं ।

(2) धन्वन्तरि फार्मेसी को इस विभाग द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता। राजस्थान आयुर्वेद सहायता अनुदान नियम 1972 के अन्तर्गत धन्वन्तरि सेवा समिति द्वारा संचालित "धन्वन्तरि औषधालय, जौहरी बाजार, जयपुर को विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां ।

25 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है ।

(5) यदि किसी संस्था द्वारा लागत मूल्य से अधिक दर पर औषधियों का क्रय, अपनी ही सहयोगी संस्था (रसायनशाला) से बताया जाता है तो अनुदान देते समय विभाग लागत से अधिक बताये गये मूल के अन्तर को, अनुदान प्रयोजनार्थ अमान्य कर देता है और लागत मुल्य पर ही अनुदान राशि दी जाने का प्रावधान है। अत: किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(नियम के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

मेड़ता, नागौर तथा बाड़मेर में कच्चे कोयले के भण्डार

214. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि प्रदेश में मेड़ता, नागौर तथा बाड़मेर में कच्चे कोयले के भण्डार भरे हैं ? यदि हां, तो ये कोयला किस किस्म का है तथा किन-किन स्थानों पर प्राप्त हुआ है तथा कितनी मात्रा में ?

उत्तर

जी हां, नागौर में मेड़ता के पास हंसीबास तथा लाम्बा जट्टा आदि स्थानों पर तथा बाड़मेर जिले में कपूरड़ी तथा बौटिया के निकट भूरे कोयले (लिग्नाइट) के भण्डार मिले है। अब तक किये पूर्वेक्षण कार्य के आधार पर दोनों ही जिलों में प्रत्येक में लगभग 300 लाख टन कोयले के भण्डार अनुमानित किये गये हैं। दोनों जिलों में प्राप्त कोयले की किस्म लगभग समान है, जिसमें फिक्स्ड कार्बन 20 से 35% उड़नशील पदार्थ 35 से 40%, राख 15 से 25% नमी 8 से 15% व कैलोरिफिक वैल्यू लगभग 4000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है।

ग्राम रिवाली (सवाई माधोपुर) की सोप स्टोन की खानों की लीज

215. श्री कुन्जीलाल (बामनवास) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रिवाली तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर में सोप स्टोन की खान हैं? यदि हां, तो कितनी लीज पर, कितने क्षेत्र का कितने वर्ष की लीज का अनुबन्ध है?

(2) क्या विभाग द्वारा जांच की गई है कि लीज पर दिये गये क्षेत्र में ही कार्य हो रहा है या उससे अधिक क्षेत्र पर कार्य हो रहा है? यदि हां, तो अधिक क्षेत्र पर हो रहे कार्य को रोकने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) ग्राम रिवाली तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर में सोपस्टोन का केवल एक खान 690.66 हैक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक 9/5/73 से 20 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत है।

(2) विभाग द्वारा जांच करने पर पाया गया है कि खनन कार्य लीज पर स्वीकृत क्षेत्र में ही हो रहा है।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री रेवतराम चौधरी को 4 से 17 मार्च, 1982 तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थिति के लिये अनुमाति ...

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही के प्रारम्भ होने के पूर्व, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रेवतराम चौधरी, सदस्य विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण चार मार्च, 1982 से 17 मार्च, 1982 तक

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की बैठकों में अनुपस्थित होने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति से 4 मार्च, 1982 से 17 मार्च, 1982 तक सदन की बैठकों में उन्हें अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई
स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था
स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री मेघराज तावड़ व त्रिलोकसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर जिले में पटवार मण्डल भादवीगुडा के अकालग्रस्त आदि वासियों से जबरन वसूलियां, कुड़की व नीलामी व पेनल्टी वसूल करने के सम्बन्ध में,

(2) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य विधान सभा की ओर से पंचायत समिति श्री माधोपुर की ग्राम पंचायत मूंडरू के नव निर्वाचित सरपंच को गत 26 जनवरी को पंचायत भवन में मीटिंग न करने देने के सम्बन्ध में,

(3) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 12 जनवरी को टावर थाने के अन्तर्गत भंकारी उर्फ सन्तोष कुमावत को उसके पति व सास द्वारा जलाकर मार डालने की घटना के सम्बन्ध में,

(4) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 18 दिसम्बर को निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ में चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित मोबाइल सर्जिकल कैम्प में भर्ती एक मुस्लिम लड़की के साथ विभागीय कर्मचारियों द्वारा किये गये बलात्कार के विषय में,

(5) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति मूण्डवा व पंचायत समिति नागौर में पिवाई की स्वीकृतियां न होने के विषय में,

(6) श्री जीतमल जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से अलवर में थाना हाउस, जिसमें विद्यालय चलता है, उसका एक भाग जर्जरित हो गया है के सम्बन्ध में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(7) श्री रघुवीरसिंह कौशल व श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में अनेक जिलों में गेहूं व जौ की फसलों में गेरुी का प्रकोप व्याप्त होने के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में कल दिनांक 6 मार्च, 1982 को राज्य सरकार

(श्री अध्यक्ष)

की ओर से सदन में एक वक्तव्य दिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :—

(8) श्री अनंगकुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ शहर में राधेश्याम व बकानी थाने के अन्तर्गत ग्राम टवेर में एक वृद्धा की हत्या के सम्बन्ध में। इसमें एक से अधिक विषय समाविष्ट किये गये हैं।

(9) श्री महावीर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक महाविद्यालय के छात्रों के चुनाव के दौरान मार-पीट की घटना,

(10) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से मालवीया रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर में प्राध्यापकों द्वारा कालेज छोड़कर विदेश जाना।

(11) श्री नन्नलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भूपाल सागर जिला चितौड़गढ़ द्वारा लगाई गई चुंगी को सरकार द्वारा 30-6-80 को स्थागित कर देना। यह बहुत पुराना मामला है और कानूनी कार्यवाही से भी सम्बन्धित है।

(12) श्री कमलेन्द्रसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गणगौरी बाजार में शराब के ठेके पर पिकेटिंग व अनशन किये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधानसभा की ओर से ग्राम बालापुरा थाना भिनाय, तहसील केकड़ी में कुछ व्यक्तियों पर गत 23 फरवरी को किये गये हमले के सम्बन्ध में।

(14) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से मांगरोल कस्बे में नालियां के पानी से व्याप्त गंदगी।

(15) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से खान एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर के कर्मचारियों द्वारा पिछले कुछ दिनों से किया जा रहा आन्दोलन।

(16) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा कृषि भूमि पर बनाये गये मकानों को तोड़ दिये जाने के विषय में।

(17) श्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 2 मार्च को ग्राम नांगल जैसाबोरा, तहसील झोटवाड़ा में पुलिस की जीप से एक महिला को घायल कर देने के विषय में।

(18) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम सुखपुरा तहसील बेंगू चितौड़गढ़ में गत मास एक नाबालिग भील लड़की के साथ बलात्कार।

(श्री अध्यक्ष)

(19) **श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी**, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा स्थित इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा उपकरणों के निर्माण के लिये एक नया कारखाना राजस्थान से बाहर लगाने के विषय में। यह केन्द्र सरकार का विषय है।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) **श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह** : गत 25 फरवरी को ग्राम भोडकी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू में कुआ खोदते समय दो व्यक्तियों की मृत्यु। इस मामले में मुख्य मन्त्री से बात करूंगा।

(2) **श्रीमति उजला अरोड़ा** : राजस्थान स्टेट लाटरी के 81 वें ड्रा के विषय में राष्ट्रदूत में गलत तारीख छप जाने के विषय में। मुद्रण की त्रुटि से गलत तिथि प्रकाशित हुई थी।

(3) **श्री कैलाश मेघवाल** : मेड़ता सिटी में गत 31 जनवरी को मुख्य मंत्री जी के आगमन पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव आदि। सरकार ने सूचित किया है कि बिजली गुल हो जाने के कारण अव्यवस्था हो गई थी परन्तु कोई लाठी चार्ज या अप्रिय घटना नहीं घटी।

उक्त आधारों पर इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

अब मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूं, वे अपने अपने स्थगन प्रस्ताव पर दो दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अनंगकुमार जैन। झालावाड़ शहर में राधेश्याम व बकानी थाने के अन्तर्गत ग्राम टवेर में एक वृद्धा की हत्या के सम्बन्ध में।

अनेक माननीय सदस्य : नता मंत्री का स्वागत है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मेरा स्थगन प्रस्ताव 29 तारीख को दिया हुआ है, जानकारी नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में यदि सूचना लेना चाहें तो मुझसे अलग से मिलने की कृपा करें। मैं आपको इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है, उससे अवगत करा दूंगा।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापटन) : इस सदन के अंदर कानून व व्यवस्था के बारे में कई बार मामले उठाये जा रहे हैं रोजाना....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, शांत रहें, बातें नहीं।

श्री अनंगकुमार जैन : रोजाना कानून और व्यवस्था के मामले में कई सदस्यों

(श्री अनंगकुमार जैन)

द्वारा कई बार चर्चा उठाई जाती है लेकिन सरकार की तरफ से उस बारे में कोई आशाजनक उत्तर नहीं दिया जाता है। एक चीज गृह राज्य मन्त्री रोजाना कह देते है कि सरकार इस बारे में प्रयत्नशील है। यहां तक कि सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब से गृह राज्य मन्त्री ने विभाग संभाला है, तब से डाकुओं का कार्य क्षेत्र भरतपुर से उठकर पूरा राजस्थान हो गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने विषय पर आ जायें।

श्री अनंगकुमार जैन : विषय पर आ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि झालावाड़ जिले में और विशेष रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले एक माह के अन्दर लगातार एक पर एक घटनायें घटित होती जा रही हैं। एक व्यक्ति झालावाड़ शहर के मंगलपुरे में राधेश्याम और चंदगीराम को गंभीर चोटें पहुंचाई गई। राधेश्याम की 36 घंटे बाद मृत्यु हो गई। उस मामले में न पुलिस की ओर से तत्परता से कोई कार्यवाही की गई। और न राज्य सरकार की तरफ से कोई सहायता प्रदान की गई। दूसरी ओर, मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बकानी थाने के पास ग्राम टवेर में एक वृद्धा खेत पर जा रही थी, कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसके गले से हंसली और कान से बालियां छीन कर ले गये। 4 दिन बाद बड़ी मुश्किल से उसकी रिपोर्ट थाना बकानी पर दर्ज की गई। यहां गृह राज्य मन्त्री की ओर से रोजाना आश्वासन दिया जाता है, मुख्य मन्त्री ने भी यही आश्वासन दिया था कि हमने थानों को और पुलिस विभाग को खासतौर से ताकीद कर दी है कि रिपोर्ट दर्ज की जाय लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं यह उदाहरण सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूँ कि जिस वृद्धा महिला के साथ इस प्रकार का कांड हुआ उसकी रिपोर्ट 4 दिन तक दर्ज नहीं की गई। उसके कुछ दिन बाद उसी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बकानी गाँव से 10 मील दूर पीपलिया तालाब गांव के पास एक मांजी नामक व्यक्ति की हत्या की गई। सारे नाम मैंने लिख दिये हैं इसमें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने विषय पर आ जायें। सभी घटनाओं की चर्चा न करें।

श्री अनंगकुमार जैन : सारी घटनायें इसमें लिखी हैं।

श्री अध्यक्ष : एक समय में स्थगन प्रस्ताव का विषय एक घटना अथवा दुर्घटना हो सकती है, कई घटनायें लिखते हैं तो वह स्थगन प्रस्ताव की परिधि में नहीं आता है।

श्री अनंगकुमार जैन : एक महीने में डकेती भी पड गई, चोरी हो गई, बलात्कार

(श्री अनंगकुमार जैन)

भी हो गया और हत्या भी हो गई। सारे काम हो गये।

श्री अध्यक्ष : उसको अलग-अलग हम करते हैं।

श्री अनंगकुमार जैन : तो किस हिसाब से सदन के सामने निवेदन करें ?

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं माननीय सदस्य।

श्री अनंगकुमार जैन : तो पीपलिया गांव में एक मांजी नामक व्यक्ति की हत्या की गई। उस केस में आज तक पुलिस तफतीश नहीं कर पाई, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इस प्रकार मेरे विधानसभा क्षेत्र के अन्दर एक महीने के अन्दर लगातार इस प्रकार की घटनायें घटित हो रही हैं, हत्या कर दी गई, डकैती के मामले हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। पुलिस के पास वहां के लोग जाते हैं लेकिन 8-8 दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। वहां बमुश्किल दूसरे लोगों को ले जाते हैं। एस. पी. से मिला जाता है किसी प्रकार से कोशिश करके. रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, जब गंभीर घटनायें घटित हो जायें 8 दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाय तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस उसमें क्या कार्यवाही करना चाहती है। मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मन्त्री से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि जब पुलिस पर दोषारोपण किया जाता है तो वे जान-बूझ कर जवाब हमेशा ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार एक महीने में एक ही विधान सभा क्षेत्र में, एक ही तहसील में लगातार इस प्रकार की घटनायें घटित हो जायें तो जन जीवन में आक्रोश व्याप्त होता है। वहां के लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से विशेष रूप से निवेदन है कि झालावाड़ जिले में जो अशांति फैली हुई है इस प्रकार की घटनायें घटित होती जा रही हैं इस बारे में पुलिस को ताकीद करें, ताकीदी के साथ कोई व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : महावीर प्रसाद।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन .....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि किसी भी स्थगन प्रस्ताव पर एक से अधिक माननीय सदस्य यदि हस्ताक्षर करते हैं तो उनमें से एक माननीय सदस्य सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : टाइम तो उतना ही लगेगा।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : जिला तो एक ही है। केवल दो मिनट।

श्री महाराम चौधरी : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : राज्य में लगातार कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है । अध्यक्ष महोदय, यह जो झालावाड़ की घटना घटी है, मंगलपुरा घंटा घर चौक में एक होटल है वहां चाय को लेकर एक रहीम नामक गुंडा था, उस व्यक्ति ने राधेश्याम और उनके पुत्र चंदगी राम को चाकू से मार दिया । चाकू मारने से राधेश्याम को अधिक चोट आई····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह ग्राम टवेर में एक वृद्धा की हत्या करने के सम्बन्ध में है । यह जो स्थगन प्रस्ताव है ग्राम टवेर कौनसी तहसील में है ?

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : झालावाड़ का भी है ।

श्री अध्यक्ष : आपने जो अभी हमें स्थगन प्रस्ताव दिया है ग्राम टवेर के सम्बन्ध में है वही एक वृद्धा के हत्या के सम्बन्ध में हैं ।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर : 3-4 घटनायें हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया, केवल एक ही घटना, जो कुछ समय पहले हुई हो, को स्थगन प्रस्ताव का माध्यम बनाया जा सकता है । एक से अधिक विषय आप लेते हैं तो वह स्थगन प्रस्ताव की परिधि के बाहर चला जाता है । कृपया आप उस सम्बन्ध में कहना चाहें तो कहें । लॉ एण्ड आर्डर की पूरे राजस्थान में या किसी जिले में क्या स्थिति है उस बारे में विस्तृत चर्चा यहां नहीं कर सकते हैं । यदि इस घटना के बारे में कहना चाहें तो कहें ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : इसी घटना के बारे में ।

श्री अध्यक्ष : यह है जिला झालावाड़ में ग्राम टवेर के सम्बन्ध में । यह जिला झालावाड़ में ही है ना ।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर : जी हाँ, साहब ।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में पुलिस प्रशासन बिलकुल ही निष्क्रिय है । उस गुण्डे के खिलाफ कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य गुण्डे पर नहीं आयें गुण्डा कौन है कौन गुण्डा नहीं है । आप तो ग्राम टवेर के बारे में बात करें । ग्राम टवेर में वृद्धा की हत्या ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह चेतावनी देता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनायें आज रोजाना प्रदेश में हो रही हैं और आपकी सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों ही बिलकुल ही निष्क्रिय हैं, तो पुलिस प्रशासन को सक्रिय किया जाय । जो जनता को न्याय नहीं मिल

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

रहा है और सुरक्षा का यह बंटाधार हो रहा है उसकी ओर आपका ध्यान होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद। टोंक महाविद्यालय के छात्रों के चुनाव के दौरान मारपीट की घटना के सम्बन्ध में।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, दो तारीख को चार बजे एक राजेन्द्र चौधरी रामसिंह के मकान में सो रहा था तो रात्रि के दस बजे 10-15 गुण्डे आये और उन्होंने वहां आकर उस पर हमला बोल दिया। एन. सी सी. का जो स्टोर रूम है उसके ताले तोड़ कर फरसे और लाठियां, और सरिये निकाल कर उन्होंने उसको मारा और उसको आहत कर दिया। पुलिस में धारा 452, 147, और 307 के अन्तर्गत मुकदमा दायर हुआ लेकिन आज तक अपराधी पकड़े नहीं गये। इस प्रकार सारे प्रदेश की जितनी भी चर्चायें सदन में स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से हो रही हैं, जैसी कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने यहां पर चर्चा की है और कहा है कि पुलिस बिलकुल ही निष्क्रिय है, मुझे ऐसा लगता है कि असामाजिक तत्वों को भयंकर रूप से प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको राजनैतिक सरक्षण दिया जा रहा है। इससे प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। यदि यह स्थिति रही और इस घटना के बाद भी चौराहे पर खुले रूप से छात्रो में झगड़े हुए, यदि कोई कार्यवाही पुलिस नहीं करती है, राज्य सरकार किसी प्रकार का निर्देश नहीं देता है और सख्ती से ऐसे तत्वों को नहीं पकड़ा जाता है तो निश्चित रूप से यह आग पूरे प्रदेश में फैलेगी इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी अपराधी हैं, इस प्रकार की जो घटनायें इस प्रकार के कार्य करते हैं उनको तुरन्त गिरफतार किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा मालवीया रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर में प्राध्यापक द्वारा कालेज छोड़र विदेश जाना।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, मालवीया इन्जीनियरिंग कालेज राजस्थान में एक ही रीजनल कालेज है। यह बड़े ही दुख की बात है कि इस कालेज के प्रत्येक विभाग के प्रोफेसर इस कालेज को छोड़कर विदेश जा रहे हैं कोई कुवैत जा रहा है, कोई ईरान जा रहे हैं। सारे विभाग खाली हो गये है और पढ़ाई समाप्त हो रही है जिससे छात्रों में बड़ा असन्तोष फैला हुआ है सरकार को मालूम करना चाहिये कि आखिर इसका क्या कारण है। इस सम्बन्ध में जो एक कारण मेरे सामने आया है वह यह है कि प्रिन्सीपल रविन्द्र नाथ हैं उन्होंने सरकार को लिखित में यह ज्ञापन दिया था कि इनके पूर्व जो प्रिन्सीपल थे. श्री धर्मेन्द्रकुमार जैन, उन्होंने वहां पर बहुत भारी गबन किया है और उसकी जांच नहीं करायी जा रही है। वह

(श्री हरीश शर्मा)

जांच करायी जाय। सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। जांच नहीं करायी तो श्री रविन्द्रनाथ ने दुख के कारण त्याग पत्र दे दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार इस सरस्वती के मन्दिर को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना चाहती है? इसी प्रकार मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जमवारामगढ़ रोड पर एक अरेबियन देशों की मदद से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनायी जा रही है। काफी जमीन यहां पर खरीदी है और काफी बड़ी बिल्डिंग बनायी जा रही है वह काफी बन भी चुकी है। अगर इस प्रकार की यहां घटनायें हुई तो यहां पर हिन्दू मुसलमानों के दंगे होंगे अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ की तरह। अतः मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इसको न बनने दिया जाय और राजस्थान को विदेशों के चंगुल में फसने से बचाया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय, जो शिक्षा विभाग के हैं, को निवेदन करना चाहूंगा कि वह मालवीया इन्जीनियरिंग कालेज के प्राध्यापकों को बुलाकर उनसे इस सम्बन्ध में बात करें कि आखिर क्यों उनको परेशानी है विदेशों में क्यों जा रहे हैं, इसके कारण पूछे और इसके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा। भोपाल सागर जिला चितौड़गढ़ द्वारा लगाई गई चुंगी को सरकार द्वारा 30-7-80 को स्थागित कर देना।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के संरक्षण में किस प्रकार से राजस्थान में भ्रष्टाचार व्याप्त होता जा रहा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिला चितौड़गढ़ की ग्राम पंचायत भोपाल सागर के बारे में आपको निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतें अपने अपने क्षेत्र में चुंगी लगा सकती हैं, लगाने के लिये सक्षम हैं उनको राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। ग्राम पंचायत भोपाल सागर चितौड़गढ़ जिले के पंच और सरपंच सभी ने मिल करके दिनांक 5-5-80 को एक निर्णय लिया कि ग्राम भोपाल सागर के अन्दर जो मेवाड़ शुगर मिल है उसमें शक्कर का उत्पादन होता है और बाहर बिक्री के लिये भी जाती है इस पर टैक्स लगाना चाहिये उन्होंने टैक्स निर्धारित किया। भोपाल सागर के प्रशासन ने यह सोचा कि यदि यह टैक्स लग गया, और इस टैक्स को नहीं हटाया गया तो हम जो कालाबाजारी कर रहे हैं वह स्पष्ट हो जायेगी और हमको काफी आर्थिक हानि होगी। तो, अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या? इस प्रकार का षड़यन्त्र किया गया कि किसी भी प्रकार से राजस्थान सरकार के सामने अपील की जाय और जो ग्राम पंचायत द्वारा चुंगी टैक्स लगाया गया है उसको हटाया जाय। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है इस बात का कि ग्राम पंचायत भोपाल सागर के

(श्री नन्दलाल मीणा)

चार व्यक्तियों ने सामुदायिक विकास, पंचायत विभाग में अपील की। उनके नाम इस प्रकार है—श्री शंकरलाल श्री गणेशराम मगनराम, और माधवलाल। इन चार व्यक्तियों ने अपील की कि ग्राम पंचायत भोपाल सागर ने जो चुंगी टैक्स लगाया है उसको हटाया जाय। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस प्रकार एक एक हजार रुपया मेवाड़ शुगर मिल से इस बात के लिये लिया कि हम अपील करेंगे कि इस टैक्स को हटाया जाय। इसके साथ ही चित्तौड़गढ जिले के जो प्रमुख जन प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इस बात की कसर नहीं छोड़ी वह भी ग्राम पंचायत द्वारा लगाई चुंगी को हटवाने के लिये राज्य सरकार के पास जायेंगे और उनसे तालमेल बैठायेंगे तो, अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से षड़यन्त्र किया इसके बारे में थोड़ा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वहां पर बड़ा भारी घोटाला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को यह अपने ध्यान में रखना चाहिये कि नियमों में जो प्रावधान है आरोप लगाने के संबंध में।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : नहीं तो फिर आप क्या कर रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा :अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय 28 हजार रुपये गगानगर शुगर मिल, नहीं मेवाड़ शुगर मिल के खाते से दिनांक 19-7-80 को निकलवाये गये। चुंगी के टैक्स को हटाने के लिये जिन्होने अपीले की है राज्य सरकार के सामने, कुछ प्रभावी लोग जयपुर आयेंगे, उनके आने जाने पर जो पैसा लगेगा उस खर्चे के लिये पैसा उठाया गया। अध्यक्ष महोदय, उसकी फोटो स्टेट कापी आपको बताऊंगा उसमें लिखा है कि ××× हम चुंगी को हटायेगे और राज्य सरकार में अपील की व्यवस्था करेगे। मन्त्री जी से बात चीत करेगे उसके अध्यक्ष महोदय ××X इसके बाद में, अध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर मैं। इस तरह इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य आपने क्या अपने स्थगन प्रस्ताव में इन व्यक्तियो के नामों का जिक्र किया है ?

श्री नन्दलाल मीणा : जी हां, साहब। 28 हजार रुपये का लिखा है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका स्थगन प्रस्ताव पढ़ देता हूं :

ग्राम पंचायत भोपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् 1953 की धारा 65 (सी) के अन्तर्गत पंचायत क्षेत्र में लगाये गये चुंगी टैक्स को कुछ प्रभावी व्यक्तियों द्वारा दी

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नन्दलाल मीणा)

मेवाड़ शुगर मिल्स भोपालसागर से 18 हजार की राशि वसूल कर पंचायत द्वारा लगाये गये चुंगी टैक्स के विरुद्ध राजस्थान सरकार के सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग में अपील कर पंचायत टैक्स को 30-7-80 को आगामी आदेश तक स्थगित करवाया है।

इसमें किन्हीं लोगों का आपने हवाला नहीं दिया है........

श्री नन्दलाल मीणा : प्रभावी लोगों का हवाला दिया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अपमानजनक और दोषारोपण करने वाले इस तरह के मुद्दे मैं नहीं उठाने दूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं तो इतना ही कह देना चाहता हूं कि यह हुकूमत अपने आप में कहती है कि हम सामुदायिक विकास के माध्यम से पंचायतों को अधिकार देकर पंचायतों का विकास करना चाहते हैं और इधर राजस्थान सरकार में बैठे हुए लोग, जो कि भ्रष्ट मन्त्री है, उन लोगों से पैसा बटोर कर पंचायत के विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश करते है, अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ? मुझे विश्वास है, अध्यक्ष महोदय, आसन से इस प्रकार की व्यवस्था होगी कि जो भ्रष्टाचार राजस्थान में हो रहा है उस व्याप्त भ्रष्टाचार में कमी आये। आसन ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। मैं तो आसन से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार जहां कहते हैं कि हम ईमानदार हैं और राजस्थान में ओवरड्राफ्ट की स्थिति को कम करना चाहते हैं उधर प्रशासन में भ्रष्ट मन्त्री बैठे हुए हैं वह भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

श्री कमलेन्द्र सिंह । गणगौरी बाजार में शराब के ठेके पर पिकेटिंग के सम्बन्ध में।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) माननीय अध्यक्ष महोदय, गणगौरी बाजार ब्रह्मपुरी खुर्रे पर जो देशी शराब की दुकान लगायी गई है वहां पर 5 नवम्बर से लगातार पिकेटिंग चालू है। शराब की दुकान आबकारी नियमों मे घनी बस्ती, मन्दिर के पास, मेन रोड पर, गरीब या मजदूर बस्ती के पास नहीं लगानी चाहिये, उसके विपरीत यह दुकान लगाई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दुकान के सामने 5 तारीख से पिकेटिंग चालू है किन्तु 25 दिन के बाद 30 तारीख को 5 आदमियों की वहां गिरफ्तारी हुई। उसमें से जुगलकिशोर, श्री लक्ष्मण और छुट्टन लाल की तो जमानत हो गई है। उनके अलावा केवल मानक चन्द कागदी और श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा ने जमानत देने से इन्कार कर दिया है। सरकार के पास लिखकर भेजा है कि आज 3 महीने से वह अन्दर पड़े हैं किन्तु अभी तक उनके बारे में कोई निश्चय नहीं हुआ है। 107 और 151 की कार्यवाही उनके खिलाफ चल रही है।

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी सरकार से यह मांग है, दोनों ने यह निश्चय कर लिया है कि जब तक यह दुकान वहां से हटाई नहीं जायेगी तब तक वह जमानत नहीं देंगे और 11-3 से वह अनिश्चितकाल के लिए अनशन चालू करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्राहिबिशन उठा था उस वक्त माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था सबको कि जहां लोकल पापुलेशन का विरोध होगा उस जगह से दुकान हटाई जायेगी। इसी क्रम में, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिकेटिंग चालू हुआ था और चालू होने के बाद 30 नवम्बर को यह गिरफ्तारियां हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है। इसलिए सरकार से मांग है कि पहले मानकचन्द कागदी और लक्ष्मी नारायण वर्मा...........

श्री अध्यक्ष : आपने इसको प्राकृपित ठीक ढंग से नहीं किया।

श्री कमलेन्द्र सिंह : अनशन चालू नहीं करें उसके पहले इस पिकेटिंग को देखते हुए इस दुकान को हटाने के लिए कोई निर्णय देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

ग्राम बालापुरा थाना भिनाय तहसील केकड़ी के कुछ व्यक्तियों पर गत 23 फरवरी को किये गए हमले के सम्बन्ध में।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम बालापुरा थाना भिनाय तहसील केकड़ी जिला अजमेर के अन्तर्गत है। इस ग्राम में दो समुदायों के बीच आपस में रंजिश एक लम्बे समय से चल रही है। इसी प्रकार का एक मामला सन् 79 में एक पार्टी द्वारा दायर किया गया प्राणघातक हमले को लेकर। पुलिस ने उस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की अधिकारियों के पास वह परिवार कई बार पहुंचने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस पर कलेक्टोरेट अजमेर के पास 11-2-82 को भूख हड़ताल पर इस परिवार का एक मुखिया बैठा। भूख हड़ताल के बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हम समुचित रक्षा की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार के प्राणघातक हमले आये दिन होते रहते हैं। फसल को नुकसान पहुंचाने और कई प्रकार की यातनायें एक दो परिवार को वहां बराबर मिलती रहती हैं। सरकार के सब तरह से दरवाजे खटखटाने के बाद, जिलाधीश कार्यालय के पास भूख हड़ताल करने के बावजूद भी समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उस व्यक्ति ने अन्तिम रूप से कहा था कि यदि आप व्यवस्था नहीं करेंगे तो मुझे बहुत चुनौतियां दी जा रही हैं और मेरे परिवार को उजाड़ दिया जायेगा। इस पर 23 फरवरी को उस परिवार की एक विधवा बहिन और विधवा वृद्ध माता के ऊपर इन्हीं तत्वों ने प्राणघातक हमला किया। उनके भयंकर चोटें लगीं और जहां जहां से हाथ पैर टूट गये जिसकी फोटो मेरे पास है। वह इन अधिकारियों के पास एस. पी. के पास डी. एस. पी. के पास सब जगह बराबर जाते हैं।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हर जगह उनको दुतकार दी जाती है, कोई सुनाई नहीं होती है। वह परेशान होकर यहां पर भी कई दरख्वास्तें देकर गये मगर राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। जैसा उन्होंने मुझे बताया कि वह पार्टी बहुत पैसे वाली है। पुलिस को बिना पैसे दिये काम नहीं चल सकता। गरीब आदमी हूं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने उसी भावना को देखते हुए यह स्थगन प्रस्ताव प्रथम प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के जो गृह राज्य मंत्री जी हैं। वह बड़े एक्टिव और इन्टेलीजेन्ट हैं। इस परिवार के लोग अपने आपको असुरक्षित समझकर जीवन को खतरे में महसूस कर रहे हैं। यह जाट परिवार किसान है, न खेती बाड़ी कर सकता है और न गांव में रह सकता है। उनकी कोई नहीं सुन रहा है इस तरह की गम्भीर स्थिति है। इसलिये मैंने इस मामले को सदन में रखना उचित समझा फोटो स्टेट कापी और प्रार्थना पत्र भी मेरे पास उनके हैं वह मैं प्रस्तुत कर दूंगा। वह जिलाधीश और एस. पी. के पास कई बार जा चुका है। मै अपेक्षा करूगा इस संबंध में बात करके उस परिवार की रक्षा की व्यवस्था करें। अभी हाल ही में प्राण घातक हमला हुआ है। एक ही अस्पताल में मां और बेटी दोनों जिस अवस्था में हैं, वहां न इलाज का इन्तजाम है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : इस मामले को आप गम्भीरता सेलें। इसमें सामाजिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था की बात है। ऐसे गम्भीर मामले में आप तत्काल प्रभावशाली कार्यवाही करें ताकि राजस्थान की जनता को मालूम हो और पुलिस प्रशासन को भी मालूम हो कि विधान सभा में यदि प्रश्न आता है तो उसमें कोई कार्यवाही होती है। इस प्रकार का आप परिचय देंगे इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस घटनाके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये पुनः आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य, मांगरोल कस्बे में नालियों के पानी से व्याप्त गन्दगी के सम्बन्ध में।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांगरोल एक बहुत बड़ा कस्बा है ड्रेनेज विभाग खेतों का पानी बाहर निकालता है उसके द्वारा उस पानी को नगर के अन्दर डाल देने से गांव में दो नालियां डालने से पानी बिलकुल शहर में होकर निकलता है। इस पानी की वजह से गांव में गन्दगी फैली हुई है। गन्दगी का वहां साम्राज्य फैला हुआ है, वहां मच्छर बढ़ रहे हैं। लोग बाग इन्हीं नालों में अपना कूड़ा कचरा डालते हैं। इनकी बराबर सफाई नहीं होने से वहां पर गन्दगी और बीमारी फैलने की आशंका है। साथ ही फैला हुआ पानी होने से गांव के रास्ते भी अवरुद्ध होते हैं। इन दो ड्रेनेज में से एक तो नगरपालिका दफ्तर के पास जाकर नदी में गिरते है और दूसरा तहसील के पीछे से नदी में गिरते है।

(श्री हीरालाल आर्य)

इस कारण तीन-चार जगह से रास्ते अवरूद्ध हो गये हैं। एक सहारानाका गांव है जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं, दूसरा रेगर बस्ती के पास है, तीसरा तहसील के पीछे झोंपड़ियों का रास्ता अमरापुरा में जाने वाला बालाजी के पास और गूजरों के मोहल्लों का रास्ता बन्द हो गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा जो ड्रेनेज विभाग ने दो ड्रेनेज शहर में डाली है उनको पक्की करें ताकि सफाई की व्यवस्था हो सके साथ ही जो गन्दगी से रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं उनको ठीक किया जाय ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके। मैं आपकी माध्यम से इतनी ही बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

भू-गर्भ विभाग, उदयपुर के कर्मचारीयों द्वारा पिछले कुछ दिनों से किया जा रहा आन्दोलन।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय उदयपुर भारती माइनिंग विभाग का कर्मचारी संघ अपनी कुछ मांगों को लेकर लगभग डेढ़ साल से प्रत्यन कर रहा है कि उसकी छोटी छोटी मांगों को राज्य सरकार मान लें। उन्होंने अपना एक 33 सूत्री मांग पत्र पिछले वर्ष दिया और आन्दोलन भी किया। उसके आधार पर 16-7-81 के दिन मांग पत्र पर यूनियन के पदाधिकारी, सैक्रेटरी माइन्स श्री चन्द्र प्रकाश जी श्री वास्तव जी डाइरेक्टर, एडीशनल डाइरेक्टर और प्रेसीडेन्ट कर्मचारी संघ और उनके दो मेम्बरों के बीच में एक लिखित समझौता हुआ। अध्यक्ष महोदय, लिखित समझौते को जरा आप पढ़ेंगे तो आपको खुद को आचर्य होगा। हमने मिनिमम वेजेज 5रू. से बढ़ाकर 7रुपये कर दी। जनता पार्टी के टाइम पर इसकी घोषणा हो चुकी थी किन्तु दुर्भाग्य यह है कि माइन्सन विभाग में जो कार्यकर्ता हैं उनको आज भी मिनिमम वेजेज 5रू. के हिसाब से ही दिया जा रहा है। उनकी जो पहली डिमाण्ड है जिस डिमाण्ड पर सेकेट्री, माइन्स ने समझोता किया है वह रिटिन में है। मैं उसको पढ़कर सुना रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : अल्प अवधि चर्चा करने की व्यवस्था है। सदन में जो कुछ आप कहना चाहें कह दें, विस्तृत चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा। सरकार से उत्तर नहीं आयेगा। आप केवल दो मिनट में अपनी बात को कह सकते है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो माइन्स डाइरेक्टर हैं जब वे उदयपुर पधारे थे तो मैं भी उन लोगों के साथ जाकर मिला था। यह जो समझौता हुआ था इसकी कापी आपको भी दी थी लेकिन उसके पश्चात कार्यवाही नहीं हुई। जो उनको मिनिमम वेजेज मिलना चाहिये वह भी नहीं मिल रहा है। दूसरा आपको आश्चर्य होगा कि उनकी छोटी छोटी डिमाण्ड्स हैं जिनमे कि...

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रकार का फाइनेशियल इम्पलीकेशन नहीं है। वे मांगते है हैड क्वार्टर, अलग अलग स्थानों पर ड्रिलिंग करते हैं- हमारी सेवाओं की व्यवस्था हो, हमको पेमेन्ट समय पर हो। जो कुछ टी. ए., डी. ए. उन्हें मिलता है, वह समय पर मिले। ये कौनसी ऐसी मांगें हैं जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यह समझ में नहीं आता है, श्रीमन्। यही नहीं, जो कपड़ा पहनने को देते हैं वह गाउन टाइप का देते हैं, इससे हमको ड्रिलिंग में तकलीफ होती है इसके स्थान पर हमको पेन्ट, बुशर्ट दिया जाय जिससे हम ड्रिलिंग आसानी से कर सकें। उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जिसे स्वीकार करने में तकलीफ हो। 1973 में जहां खड्डे जंगलों में पड़े रहते हैं वहां 25) रु. एक्स्ट्रा बेनिफिट का मिलता है उसको 75) रु. करना स्वीकार किया था। कहा था कि हम मूव करेंगे लेकिन आज तक उसके बारे में कोई विचार नहीं हुआ।

श्रीमन्, यही नहीं खान सुधार कार्यक्रम चलता है उस खान सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कई पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वे रिक्त पद भरे जांय। उनके यहां जो वेकेन्सी है वह दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रान्सफर करके नहीं भरी जाय उनमें से ही लोगों को पदोन्नति दी जाय। उनकी मेरिट के आधार पर, उनका सर्विस का जो रिकार्ड है उसके आधार पर ही रखा जाय। इस प्रकार की एक सूची बनाई जाय। मैं पूछना चाहता हूं आखिर कौनसी चीज मांगी है जिसको नहीं दे सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है, जो घरणा और आन्दोलन चल रहा है उससे इस छोटी सी बात पर अशान्ति न हो, इसलिए मेरा निवेदन है इस पर कम से कम वे तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री बंसी लाल पटवा।

मकानों की तोड़ फोड़-भीलवाड़ा में।

श्री बंसीलाल पटवा : (भीलवाड़ा) माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा नगर में स्थित डा. राधा कृष्ण कालोनी में एग्रीकल्चर लैण्ड पर एक नहीं कई व्यक्तियों ने पिछले 2-4 सालों में काफी मकान बना लिये हैं। मकान तीन-चार वर्ष पूर्व बन चुके हैं। उन मकानों को पिछले सप्ताह ही नगर विकास न्यास ने बिना कोई नोटिस दिये तोड़ने की कार्यवाही की न कोई पंचनामा बनाया, न कोई और दीगर कार्यवाही की जब कि मकान तोड़ने से पहले ये कार्यवाहियां की जानी चाहिये थीं। मकान एग्रीकलचर लैंड पर बने हुए थे उन्होंने कोई एनक्रोचमेंट नहीं किया था। यदि एनक्रोचमेंट भी करें तो उनको भी 24 घण्टे का अल्प अवधि का एक. नोटिस दिया जाता है नियमानुसार, लेकिन उन मकान मालिकों को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। कोई भी सूचना नहीं दी गई और अकस्मात बड़ी तादाद में यू. आई टी. के लोग गये और जा करके मकानों को तोड़ा है। कई पूरे मकान गिरा दिये, कइयों को खण्डहर कर दिया....

श्री अध्यक्ष : जमीन स्वयं उन लोगों की थी क्या कृषि भूमि ?

श्री बंसीलाल पटवा : खरीदी थी, उन लोगों ने खरीदी थी और खरीद कर बनाये थे। राज्य सरकार ने पिछले सैशन में इस तरह की जमीन को नियमित करने के लिए तय किया था। उसकी कार्यवाही चल रही है और कइयों ने तो अलग से पैसे भी जमा करा दिये थे। ऐसी स्थिति होते हुए उन मकानों को तोड़ दिया। उससे वहां रोष फैला हुआ है। यह यू. आई. टी. के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। नियमन की कार्यवाही अलग से हो रही है उसमें इन्होंने पैसा भी जमा करा दिया। इस तरह की आज उनकी दयनीय स्थिति हो गई है जिससे इनमें आज रोष है। जो मकान तोड़े गये हैं उनमें अधिकांश कमजोर लोगों के हैं, गरीब तबके के आदमियों के हैं। पता नहीं किसी ने चांदी के जेवर बेचकर या किसी प्रकार का कर्जा करके छप्परनुमा कन्स्ट्रक्शन करके मकान बनाये थे। किन्तु इस तरह की एक स्थिति निर्मित कर दी। इसके साथ-साथ मान्यवर, आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं। पिछले दिनों असेम्बली में प्रश्न आया था और मुझे जवाब दिया था, 164 पंचनामें पुराने बनाए थे लेकिन आज दिन तक यू. आई. टी. ने उनमें से एक का भी चालान नहीं किया है, यह सूचना है। एक तरफ जो पुराने पंचनामें बने हुए हैं उनके चालान पेश नहीं किये जाते हैं दूसरी तरफ बिना किसी नोटिस के मकान तोड़ दिये जाते हैं। इस तरह की दयनीय स्थिति है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यू. आई. टी. करप्शन का अड्डा बनी हुई है, भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। जिन्होंने कुछ सेवा कर दी है, कुछ दिया है उनके मकान नहीं तोड़े जाते हैं और जो नहीं देते हैं उनके मकान तोड़ दिये जाते हैं। इससे सारे शहर के वातावरण को गन्दा किया जा रहा है। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है वैसे तो स्थगन प्रस्ताव का सरकार मे उत्तर आता लेकिन आपने इसे निरस्त किया है। फिर भी मेरा निवेदन है जो मकान तोड़े गये हैं उनके बारे में कार्यवाहीकी जाय। जब राज्य सरकार ने तय कर दिया है, रेगूलेराइज कर दिया जायेगा, तो मुआवजा यू. आई. टी. की तरफ से राज्य सरकार दिलवाये, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करता हूं, मैं इस पर सरकार से जानकारी करूंगा।

श्री बंसीलाल पटवा : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन। ग्राम नांगल जैसाबोरा, तहसील झोटवाड़ा में पुलिस की जीप से एक महिला को घायल कर देने के विषय में।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : पुलिस की जीप से नहीं, पुलिस मेन से।

(सुश्री पुष्पा जैन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 2-3-82 को दिन के करीब 12-1 बजे ग्राम नांगल जैसाबोरा तहसील झोटवाड़ा पंचायत समिति के पास एक गोठ के सिलसिले में कुछ लोग घूमने फिरने गये थे। उनके साथ जयपुर में तैनात एक पुलिस कांस्टेबिल भी कुछ रिश्तेदारी होने के नाते वहां पर गया था। वहां पर बच्चों को जीप में बैठाकर जब लापरवाही से इधर उधर घूम रहे थे तब वहां खड़ी स्त्रियों के बीच में मनफूली पत्नी श्री जगन्नाथ को उन्होंने जीप से बुरी तरह कुचल डाला। लिहाजा उस औरत की रीड की हड्डी टूट गई। रिपोर्ट दर्ज करवाने पर झोटवाड़ा पुलिस थाने में उक्त रामशरण पुत्र गोरधन के नाम से कोई रिपोर्ट नहीं ली। मजबूरन उसे उन लोगों द्वारा उस स्थिति के अन्दर अस्पताल में पहुंचना पड़ा। अस्पताल में भी उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। आज भी सरकार चाहे तो मालूम करा सकती है क्योंकि बेड छोड़कर उस स्थिति में उसको एक कम्बल तक भी नहीं दिया गया। यह बहुत खेद की बात है। 55 वर्ष की स्त्री की रीड़ की हड्डी टूट गई, उसका बदन बुरी तरह से जख्मी हो गया, उस स्त्री को अस्पताल से कम्बल तक नसीब नहीं हुआ। क्या सिर्फ पुलिस मेन के कहने पर कुछ पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया जाता है? डाक्टर पर इस बात का दबाव दिया जा रहा है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट खराब की जाय। झोटवाड़ा पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है। जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तो क्यों नहीं झोटवाड़ा पुलिस ने तत्काल दर्ज की? न तो रिपोर्ट दर्ज हुई, न जमानत हुई और न ही उसको गिरफ्तार किया? लिहाजा आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए ये कहना चाहूंगी कि यह संगीन मामला है। यद्यपि यह छोटा मामला हो सकता है लेकिन ऐसे छोटे छोटे मामलों में अगर आपने तरजीह देना शुरू किया तो मैं आपको आगाह करती हूं, कि भविष्य में इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। इस सारे केस में गांव में बहुत ही सेंटीमैन्ट्स जुड़ गये हैं लोगों में। लोग को यह लगने लगा है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे पुलिस कान्सटेबल को प्रोटेक्शन प्रदान करके

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

सुश्री पुष्पा जैन : गांव में दखलन्दाजी की जाती है, अपराध बढ़ाये जाते हैं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इसमें रुचि लेकर इस मामले की जानकारी प्राप्त करके पुलिस कान्स्टेबल के खिलाफ कार्यवाही करें। अगर वह वास्तव में दोषी है तो रिपोर्ट दर्ज करके तफतीश जारी की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल मेर (अज पूर्व) : चित्तौड़गढ़ के बारे में? इसमें तो मैं जरा आपके चैम्बर में निवेदन करूंगा, व्यवस्था पर पुनर्विचार के लिए।

श्री अध्यक्ष :- श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, कोटा स्थित इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड द्वारा उपकरणों के निर्माण के लिए एक नया कारखाना राजस्थान से बाहर लगाने के विषय में।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार का एक प्रमुख प्रतिष्ठान इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड पिछले दो दशकों से कोटा में स्थापित है जब से यह कोटा में काम कर रहा है तब से लगातार लाभ की स्थिति में यह कारखाना चल रहा है। ग्रोथ रेट भी भी इस कारखाने में 20 प्रतिशत है। आज तक राजस्थान में श्रमिकों की दृष्टि से सबसे अधिक यदि शान्ति का वातावरण रहा है तो इस कारखाने में रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि आपने मेरे इस स्थगन प्रस्ताव को इस नाते से रिजेक्ट कर दिया कि यह केन्द्रीय सरकार का संस्थान है किन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार यदि इन्टरवीन करे तो राज्य सरकार का और राजस्थान राज्य का बहुत बड़ा हित हो सकता है। आजकल एक नयी माइक्रो प्रोसेसर विधि से नये उपकरण स्थापित करने की एक प्रणाली विश्व भर के अनेक देशों में चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो थर्मल प्लान्ट्स लग रहे हैं, इन थर्मल प्लान्ट्स के लिए इस प्रकार के उपकरण बहुत आवश्यक हैं। उसी प्रकार जो सीमेंट के नये कारखाने लगते हैं उन कारखानों के लिए भी इस प्रकार के प्रोसेसर प्लांट्स बहुत अधिक आवश्यक हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इसी प्रकार कोटा चित्तौड़ रेलवे लाइन बन रही है इस पर लाइम स्टोर होने के कारण एक सीरीज इस प्रकार के कारखानों की लगेगी। उसी प्रकार कोटा का थर्मल प्लांट 110-110, 220 और 220-240 की यह जो योजना है। इन योजनाओं में इस प्रकार के उपकरणों की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। अभी सिंगरोली में आवश्यकता हुई तब इसी इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ने इस प्रकार के प्रोसेसर प्लान्ट के उपकरण विदेशों से आयात करके सिंगरोली में दिये हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वहां के प्रबन्धक, वहां का मैनेजमेन्ट करने वाले लोग जब इस इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड फैक्ट्री का विस्तार कर रहे हैं, नई फैक्ट्री लाना चाहते हैं तो राजस्थान के बाहर क्यों ले जाना चाहते हैं? केन्द्रीय उद्योग मन्त्रालय उनकी इस रिक्वेस्ट के ऊपर क्यों हां कर रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो अधिकारी हैं उनकी सदा से यह चाह रही है कि राजस्थान का अहित हो। आज से तीन साल पहले भी इसके केन्द्र को ये दिल्ली ले जाना चाहते थे तो तत्कालीन सरकार ने इन्टरवीन किया। तत्कालीन मुख्य मन्त्री और उस समय के मन्त्रिमण्डल ने इस प्रकार दबाव डाला ताकि मुख्य केन्द्र दिल्ली नहीं आये। एक दूसरी साजिश राजस्थान के साथ हो रही है। तर्क दिया जा रहा है कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश के, हमारे पास गुजरात के, हमारे पास उत्तर प्रदेश के अच्छे मंसूबे आये हैं, उन्होंने

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

रियायत देने की कोशिश की है। मैं राज्य सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश उस प्रकार की रियायतें देना स्वीकार कर सकते हैं तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर सकती ? उद्योग मन्त्री बैठे हैं वित्त मन्त्री महोदय बैठे हैं, आप इतना कर भार लगा रहे हैं, आप इन्टरवीन करिये ताकि नयां फैक्ट्री राजस्थान से नहीं चली जाय इससे बड़ा अहित होगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हितों का सवाल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन्टरवीन करिये, बीच में पड़िये, उनके प्रबन्धकों को बुलाइये, उनके मालिकों को बुलाइये, उनके साथ बैठकर बातचीत करिये कौनसी रियायतें चाहते हैं। आप स्वीकार कर रहे हैं कि यदि थर्मल पावर प्रोजेक्ट बन जायेगा

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : तो बिजली की कमी नहीं रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान की दृष्टि से, कोटा सम्भाग की दृष्टि से, विशेष करके युवकों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का क्योंकि यह साधन है इसलिए अच्छी स्थिति है फिर भी राजस्थान का मन्त्रिमण्डल सो रहा है। इसको अनावश्यक बात समझ रहा है आज तक इन्टरवीन नहीं कर रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय ये आवाज मुख्य मन्त्री महोदय तक पहुंचायें, कुछ अपने प्रभाव का उपयोग तो करें। वैसे नए उद्योग नहीं आयें, पुराने उद्योगों की जो एक्सटेंशन की शाखायें लगने वाली हैं यदि वह राजस्थान से इस तरह जाती रहीं तो क्या बनेगा। सबकी प्रतिक्रिया भयंकर आयी है। इस नाते से राजस्थान का हित करिये। राजस्थान के हितों के साथ खिलवाड़ मत करिये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, कृपया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यही मैं आपके माध्यम से और माननीय वित्त मन्त्री जी उद्योग मन्त्रीजी के माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी को सलाह देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : मुझे भी इस पर बोलने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर इजाजत नहीं दूंगा। श्रीमती उजला अरोड़ा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, यह चर्चा का विषय नहीं है। आप समय ले रहे हैं। आर्डर प्लीज। डॉक्टर उजला अरोड़ा, बजट पर

(श्री ग्रध्यक्ष)

(व्यवधान)

चर्चा हो रही है उस वक्त सब बात उठा लीजिए। लाटरी ड्रा के बारे में।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं उसी बारे में कह रही हूं। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, 26 तारीख के दैनिक राष्ट्रदूत में स्टेट लाटरी का विज्ञापन निकला। इस विज्ञापन को ग्रापने ने भी देखा होगा। एक तरह से देखा जाय तो विज्ञापन लोगों को ग्राकर्षित करने के लिए दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाटरी के टिकट खरीदें। ड्रा का टाइम 29 तारीख दिया है। 29-2-82 तो है ही नहीं कलैण्डर में, 28 तारीख को ही यह महीना समाप्त हो गया। इतना बड़ा विज्ञापन दिया। 29 तारीख को ड्रा होगा जबकि 29 तारीख कलैण्डर में ही नहीं है। इस वर्ष में ही नहीं है। इस तरह से विभाग इतनी बड़ी हंसी करता है। इस तरह की गलतियों का प्रमाण है। यह भी हमारे यहां ग्रपव्यय का उदाहरण है। माननीय वित्तमन्त्रीजी यहां बजट लेकर यहां ग्राये, कह रहे थे खर्च कम करेंगे, इनको सम्भालो। ग्राप ग्रांख बन्द करके काम करते हैं। कोई छोटी से छोटी मीटिंग में बोलने के लिए जाता है, कोई डेट देता है तो कलैण्डर हाथ में लेकर देखता है कि कलैण्डर में छुट्टी तो नहीं, कोई ग्रौर कारण तो नहीं। लेकिन इतना बड़ा विभाग स्टेट लाटरीज धोखे का धन्धा करता है। 29 तारीख को ड्रा निकालेंगे। ग्रब इसका एक भूल सुधार निकालेंगे, भूल हुई ग्रौर फिर निकालेंगे कि उस दिन का ड्रा निकालेंगे, कितना बड़ा ग्रपव्यय ग्रापने किया। एक ग्रखबार में किया, दूसरे में भी किया होगा, तीसरे में भी किया होगा। मैं तो एक ही देखती हूं। विज्ञापनों में इस ढंग से गलत प्रचार प्रसार किया जाता है, कितना ग्रपव्यय होता है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर इन्होंने दिया क्या? मैं जानकारी चाहती थी ग्रापने तो ग्रस्वीकार कर दिया पर इसका उत्तर क्या ग्राया है?

श्री ग्रध्यक्ष : उत्तर देखने के पश्चात् ग्रस्वीकार किया है।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : उत्तर में क्या लिख दिया इतना तो मुझे बता देते। गलती मानी कि नहीं? क्या यह कह दिया कि विस्मृत हो गया, गलत छप गया। ये सब ग्रपनी भूल इस तरह से छिपाना चाहते हैं, इतनी गलतियां करते हैं। मैं कहना चाहूंगी ग्रपने इन विभागों, जो ग्रकर्मण्य हैं, जो ग्राम लोगों का जनता का पैसा फूंक रहे हैं, पर ग्रंकुश कीजिए। वित्त मन्त्री महोदय, ये ग्रापका नाम डुबा रहे हैं ग्रौर ग्राप इनको इस तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं, गलत खर्चों के लिए। नीचे सर झुका रहे हैं, मान्यवर, ऊपर ग्रांख सीधी देखकर बात कीजिए।

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : इतना बड़ा इस बात का विज्ञापन। ग्ररे, कुछ तो शर्म करो।

श्री जगतारसिंह : हमें तो आपकी तरफ देखकर ही शर्म आती है।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये जुआं है, ये शराबखोरी हमारे बस की नहीं है। अभी गेम्बलिंग का बिल लाने वाले हैं आप कुछ तो शर्म करो।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा (पुष्कर) : लाटरी निकली कब है वह बात ही नहीं रही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

एक माननीय सदस्य : भाग्य की लाटरी है तुम जानों वे क्या जानें।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत 1 फरवरी 82 को राजस्थान के मुख्य मंत्री, श्री शिवचरण जी माथुर मेड़ता सिटी गए। जब से वे मुख्य मंत्री बने हैं मारे राजस्थान का बहुत तूफानी दौरा कर रहे हैं, यह खुशी की बात है कि एक मुख्य मंत्री सीधे जनता से सम्पर्क करे। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जनता अभावों में होती है, जनता की आवश्यकतायें पूरी नहीं होती है, जनता को अनेक कष्ट हैं तो यह जनता का अधिकार है कि जब उनका जन शासक उनके यहां जावे तो वह उनके पास जाकर अपनी बात कहें। एक फरवरी को साढ़े चार बजे मेड़ता सिटी पहुंचने वाले थे। मुख्य मंत्रीजी उस क्षेत्र के किसान, सारे क्षेत्र के किसान इकट्ठे हुए और ये किसान मांग लेकर पहुंचे थे कि बिजली समय पर नही मिलती। वह किसान मांग लेकर गए थे कि बीज समय पर नहीं मिल रहा। वह किसान मांग लेकर गए थे कि फर्टिलाइजर ठीक नहीं मिल रहा है। वह किसान यह मांग लेकर गए थे कि किसानों की समस्या को ठीक ढंग से हल नही किया जा रहा है। ये मांगें ले करके साढ़े चार बजे किसान अपना ज्ञापन मुख्य मंत्री को देने के लिए मेड़ता सिटी में आए और, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री विलम्ब से पहुंचे। छः या सात बजे के करीब वे मेड़ता सिटी पहुंचे। पहुंचते ही सीधे नगरपालिका भवन चले गए। वहां पर उन्होंने ज्ञापन देने आए किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को बुला लिया था। वहां तक तो ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन अन्दर किसानों के प्रतिनिधि अपने नेता चौधरी जी के नेतृत्व में, दिवाकर जी के नेतृत्व में मुख्य मंत्रीजी को अपनी समस्याओं के बारे में ज्ञापन दे रहे थे उस समय इस राजस्थान की पुलिस ने जब बिजली बन्द हो गई तो वहां जो किसान आए थे ज्ञापन देने के लिए उन पर अन्धाधुन्धा लाठी चार्ज किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि जो जवाब दिया है सरकार ने उसमें यह स्वीकार करने की भी हिम्मत नहीं है कि लाठी चार्ज किया। जवाब यह आया है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ जब कि

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री कैलाश मेघवाल)

मेड़ता सिटी में 13 व्यक्तियों के चोटें आई हैं और उन 13 व्यक्तियों का अस्पताल में डाक्टरी मुआयना होने के बाद उनकी चोटें प्रमाणित हुई हैं। ऐसी स्थिति में, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह लोकतांत्रिक परम्पराओं के प्रतिकूल है कि जो अपना ज्ञापन देने आयें, अपनी मांगें पेश करने आयें, अपने अभाव अभियोग सुनाने आयें, आप जाते ही इसीलिए हैं, आप शोर भी यही कर रहे है, मैंने अखबारों में देखा है, जितना पढा है, जो एडीटोरियल लिखवाए गए हैं माननीय शिवचरणजी माथुर द्वारा उसमें यह घोषणा की गई कि वे घर घर, गांव गांव जनता में जाकर उनका दुख दर्द सुन रहे है। एक तरफ तो यह बातें कही जाती हैं और दूसरी तरफ किसान जो कि पहले ही अपनी समस्याओं से पार नहीं पा रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़े किसान हैं जिनकी लॉबी है लेकिन सामान्य किसान, मजदूर आज असंगठित है, वह किसी भी तरह से अगर इकट्ठे होकर अपना मांग पत्र देने आते हैं तो उन पर लाठी चार्ज करना सरकार के लिए शर्म की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप सरकार को इस बात के लिए बाध्य करें कि या तो इन मंत्रियों से कह दें कि दौरा करना बन्द कर दें। जिस तरह की आवाज उठी है इस बजट की पृष्ठ भूमि में जैसा वातावरण सारे राजस्थान में निर्माण होगा उसमें अगर यह जन प्रतिनिधि गए तो उनको प्रदर्शनों का सामना भी करना पड़ेगा। जनता अपना ज्ञापन देने आयेगी उस समय आप लाठी चार्ज करोगे।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : एक तारीख को मुख्य मंत्री के साथ में मैं स्वयं था। शिष्ट मण्डल मुख्य मंत्रीजी से मिला है....

श्री कैलाश मेघवाल : बिजली बन्द होने पर लाठी चार्ज किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री से अन्दर कमरे में मिले हैं। उनसे कहा बाहर लोग खड़े हैं उनसे वहीं मिल लीजिए तो वहां मिलने के लिए उनके पास गए हैं। आप कौनसे लाठी चार्ज की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपको कह रहा हूं कि लाठी चार्ज हुआ है। जवाब जो दिया है वह यह है कि बिजली गुल हो जाने की वजह से अव्यवस्था हुई। आपकी सरकार ने यह स्वीकार किया है और यह लाठी चार्ज हुआ है। 13 व्यक्तियों के चोटें आई हैं इसलिए ...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा निवेदन है कि समझ से काम लेना पड़ेगा। सारा राजस्थान आज दुखी है, कष्ट में है। जब मंत्री लोग जाते हैं तो उनके सामने जन

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रतिनिधि पहुंचते है। उनके सामने पहुंचने का जनता का अधिकार है, उन पर लाठी चार्ज किया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला प्रतिवेदन।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी के बारे में....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव बहुत से आते रहते हैं। आपको कोई शंका हो तो आप कृपया मुझे चेम्बर में मिल लें।

श्री महाराम चौधरी : पानी की समस्या है....

(व्यवधान)

उस पर सरकार से जानकारी तो आती रहती है आप तो व्यवस्था ही करा दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है कि सरकार से जानकारी मंगाई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, एक मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

सदन पटल पर रखा गया पत्र

प्रतिवेदन

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1979-80 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्य) सदन की मेज पर रखता हूँ।

व्यवस्था का प्रश्न

बेरी वेतन आयोग के प्रतिवेदन व अकाल सम्बन्धी ज्ञापन के संक्षिप्त विवरण कि सदन पटल पर प्रस्तुति

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सदन में बजट के ऊपर चर्चा हो रही है। आपसे मैंने पहले भी निवेदन किया था कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट इस सदन की मेज पर रखी जावे और माननीय सदस्यों को उसका वितरण करवाया जावे। अभी तक सरकार की ओर से बेरी कमीशन की रिपोर्ट न तो मेज पर रखी गई है और न सदस्यों को उसका वितरण करवाया गया है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपने व्यवस्था भी दी थी और माननीय अकाल राहत मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि अकाल के सम्बन्ध में ज्ञापन तो सदन की मेज पर नहीं रखा जाएगा लेकिन उसका एक संक्षिप्त विवरण बना करके सदन की मेज पर रखा जाएगा। कई दिन प्रतीक्षा करते हो गए अभी तक उस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन नहीं मिला है।

श्री परसराम मदेरणा : (बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैंने तो ज्ञापन की थोडी प्रेसी करने की बात नही कही थी। आप ही कह रहे थे कि उस दिन मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही थी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे पता नही किसने कहा। आपने नहीं कहा ?

श्री परसराम मदेरणा : रिकार्ड देख लीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : नहीं एक दिन बात हुई थी उस वक्त सरकार की ओर से किसी ने यह बात कही थी। किस ने कही थी यह तो मुझे ठीक याद नहीं है लेकिन तय ऐसा हुआ था कि पूरा प्रतिवेदन तो नहीं रखा जा सकता लेकिन मुख्य मुख्य मुद्दे हैं, अकाल के सम्बन्ध में, माननीय सदस्यों को सरकार उपलब्ध करायेगी। इतनी बात थी।

श्री परसराम मदेरणा : वैसे तो, अध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष सरकार अपना प्रतिवेदन और रिपोर्ट सदन के माननीय सदस्यों को वितरित करती है, क्योंकि अकाल की कोई डिमाण्ड नहीं है, अकाल के ऊपर एक दिन बहस होने जा रही है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : बजट के ऊपर आम बहस हो रही है उसमें यदि माननीय सदस्य अकाल पर चर्चा करना चाहें तो मेरी समझ में नहीं आता कि अकाल राहत मंत्री क्यों छुपाना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं क्या छुपाना चाहता हूं। जब आप मुख्य मंत्रीजी थे तो आपने नई परिपाटी स्थापित की थी। मैं तो आपके पद चिह्नों पर चल रहा हूं। जो कुछ भी 25-30 सालों से हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे इस बात का तो गर्व है कि यह सरकार मुझ को आदर्श के रूप में मान कर चल रही है या मेरे पद चिह्नों पर चलने का प्रयत्न कर रही है। भगवान इनको सद्‌बुद्धि दे लेकिन मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस में जो आपने कमिटमेंट किया उसको तो पूरा करिये। हाउस में अपने संक्षिप्त विवरण रखने की बात कही थी उसको स्वीकार करिये। आपने कहा, मुख्य मंत्रीजी ने कहा, यह तो मुझ को भी याद नहीं है लेकिन कहा जरूर था। बेरी कमीशन के बारे में क्या कह रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : कौन सा बेरी कमीशन ? बेरी कमीशन दो हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बेरी कमीशन की बात नहीं हुई थी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बात नहीं हुई लेकिन मैं डिमाण्ड कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : बेरी कमीशन की दो रिपोर्ट्स हैं, कौन सी रिपोर्ट के सम्बन्ध में आप कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं दोनों के लिए निवेदन कर रहा हूं। एक तो लैंड ग्रेव रिपोर्ट है वह भी हाउस की मेज पर रखी जा सकती है। दूसरा पे कमीशन की रिपोर्ट के बारे में निवेदन है।

श्री परसराम मदेरणा : यह कमीशन जो कमीशन ग्राफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे बना है नियम, के अन्दर जो सम्बन्धित प्रावधान है उनकी आज में स्टडी करूंगा, उनमें अगर इस प्रकार का उल्लेख है कानून और अधिनियम के अन्तर्गत तो उसी के अनुसार सरकार कार्यवाही करेगी। इसमें विचार करने का प्रश्न भी है कि कब तक रखी जानी चाहिए। उसमें टाइम लिमिट है। जहां तक मैं समझता हूं टाइम लिमिट से पहले सरकार उस पर विचार कर सकती है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप तो बिल्कुल साइड ट्रेक कर गए। पे कमीशन का अपोइन्टमेंट कमीशन ग्राफ इन्क्वायरी एक्ट के मातहत नहीं हुआ है। मैं उस रिपोर्ट के बारे में जिक्र कर रहा हूं, उसकी मांग कर रहा हूं। पहले भी राणावत पे कमीशन की रिपोर्ट इस सदन की मेज पर रखी गई थी। उस पर चर्चा हुई, उसके बाद में सरकार ने अपना डिसीजन लिया था। मैं समझता हूं कि यह विवादास्पद विषय है। इसके ऊपर चर्चा के लिए अलग से समय रखा जाता तो और भी ठीक होता लेकिन उस रिपोर्ट पर माननीय सदस्य अपने विचार बना सकें, कुछ कह सकें इस लिये उस रिपोर्ट की कापी सदन की मेज पर रखवाई जानी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो बेरी कमीशन की रिपोर्ट आई है वह अभी तक सरकार के विचाराधीन है। जहां तक मैं अपनी स्मृति को ताजा कर रहा हूं राणावत पे कमीशन की जो भी रिकमन्डेशन्स रही हैं वह निर्णय लेने के बाद में, विचार होने के बाद में रखी गई है, पहले नहीं रखी होगी। क्योंकि बेरी कमीशन की रिपोर्ट राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। वह मसला पूरा का पूरा मंत्रिमंडल के सम्मुख विचाराधीन है। जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, तब तक उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर, माननीय नेता प्रतिपक्ष रखा नहीं जा सकता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : रखा नहीं जा सकता है, इस बात से तो मैं एग्री नहीं हूं। इस पर सदन में माननीय सदस्यों से राय ले सकते हैं। बाद में भी डिसीजन ले सकते हैं। बेरी पे कमीशन का फैसला हो गया वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कह दिया कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि आदि की कोई मांग नहीं करनी चाहिये। इसका अर्थ यह हुआ, आप तो कुछ देने वाले नहीं हो। आपने फैसला कर दिया। अब सदन के सदस्यों....

श्री चन्दनमल बैद : कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने बिना फैसले के ही लिख दिया ?

श्री चन्दनमल बैद : मैने क्या लिख आप इसको पढने की कोशिश कीजिये, दिया ? या बिना पढ़े ही बात करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं, मैं बिना पढ़े लिखे बाप का हूं, आप पढ़े-लिखे बाप के हैं। कोई अन्तर नहीं है। कोई ज्यादा तो अन्तर नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : अन्तर नहीं है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुद्दा यह है, उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखवाया जाय। सदन का पूरा सत्र निकल जायगा यह सरकार उस रिपोर्ट को सदन में नहीं रखना चाहती है। उस पर किसी प्रकार चर्चा हो, यह सरकार नहीं चाहती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, रिपोर्ट बाजार में बिक रही है, बाजार में कई लोगों के पास है। किस तरह से निकाल कर लाये, मुझे पता नहीं है। उनके पास तो चली गई और सदन से रिपोर्ट को छिपाया जा रहा है, यह उचित नहीं है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें मैं यह मानता हूं, बेरी कमीशन की रिपोर्ट कोई प्रिविलेज डाकूमेंट, सीक्रेट डाकूमेंट नहीं है। इस नाते से It is neither a privilege document on a secret document. मैंने सुना है, लगभग एक हजार पृष्ठों की रिपोर्ट है। बेरी कमीशन ने मुख्य सिफारिशों को अन्डर लाइन किया है, बहुत जोरों के साथ केवल अन्डर लाइन पोर्शन का एक नोट बनाकर दे दें तो बहुत कुछ फायदा होगा, मालूम पड़ जायगा। रिपोर्ट तो दीजिये ही, एक हजार पृष्ठों को पढना मैं तो असम्भव मानता हूं, इस दौरान में।

श्री भैरोंसिह शेखावत : असम्भव नहीं है।

श्री राजबहादुर : मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। ईश्वर करे आप भी ऐसे ही हों।

श्रीभैरोंसिह शेखावत : हम तो यह दुहाई करते हैं, ईश्वर करे आप भी जावन हों।

श्री राजबहादुर: आप बहुत गलत समझ रहे हैं। एक दिन क्या बूढ़े नहीं होंगे सब। मैं चाहता हूं मुझ से ज्यादा बूढ़े होकर संसार में यश कमा कर जायें।

श्री भैरोंसिह शेखावत :आर बुजुर्गों का आशीर्वाद है।

श्री राजबहादुर: मैं यह जानना चाहता हूं, क्या यह सम्भव नहीं है कि कम से कम अन्डर लाइन पोर्शन हैं, वह तो दे दें ? जो सारी रिपोर्ट है जब दी जायगी, तब दी जायगी, लेकिन अंडर लाइन पोर्शन दे दें। वह प्रिविलेज डाकूमेंट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, यह मालूम करा लें कि जैसी सूचना दी गई है, यह बाजार में उपलब्ध हो रही है या नहीं ? मालूम करा लीजिये तुरन्त पुष्टि नहीं करें।

Page No 66

(66)

श्री परसराम मदेरणा : बाजार में रिपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है, रिपोर्ट मिल रही है या बाजार में आ गई है तो भैरोंसिंह जी ने उसको देखा होगा। इससे पर्पज सोल्व हो जाता है।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे, सरकार ने कुछ टर्म्स आफ रेफरेंस बेरी कमीशन को दिये हैं। उस पर उसने अपना प्रतिवेदन दिया है। सरकार ने अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया है। जिस प्रेसी की आप बात कहते हैं, उसका छोटा प्रारूप रिकमण्डेशम के तौर पर उसमें समादिष्ट है। अगर हम दे भी देंगे यहां पर, तो जब तक उस पर निर्णय नहीं ले लेते है, किसी प्रकार की यहां पर बहस होना सार्थक नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या बात कर रहे हो ?

श्री परसराम मदेरणा : सार्थक कैसे होगा ? जब तक सरकार रिकमण्डेशन पर निर्णय नहीं लेती है, उस निर्णय की जानकारी सदन को नहीं देती है। सरकार के निर्णय लेने के बाद में निश्चित तौर पर रिपोर्ट को आप के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, सरकार ने जो निर्णय लिया है वह भी आप के सामने रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं दो चार रोज बाद में वक्तव्य दिलवाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की लाइब्रेरी ने उसको पर्चेज किया है। अब विवाद तो केवल पैसों का ही रहा। उस बात का तो नहीं रहा। सदन में पेश करें या नहीं करें मैं लाइब्रेरी में पढ़ सकता हूं, जाकर के। आपकी शान रहती, इज्जत रहती अगर हाउस की टेबल पर रखते, मैम्बर्स को सदन में डिस्ट्रीब्यूट करते।

श्री अध्यक्ष : यह बाजार में बिक रही है, आप मालूम कर लीजिये, उसके बाद स्थिति बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी नही थी कि प्राइस पब्लिकेशन है। आप उसको जाकर देख लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है।

मैं सदन की मेज पर रखवाना चाहता हूं। मैं हाउस की टेबल पर रखवाना चाहता हूं। प्राइस पब्लिकेशन का सवाल नहीं है।

आप सौ रुपये की चीज मैम्बर्स को देना नही चाहते हैं। आपको तो यही चाहिए कि विधान सभा के दो मैम्बर्स को किताब नहीं मिले।

श्री अध्यक्ष : इस पर मैंने, विपक्ष के नेता महोदय, व्यवस्था दे दी है।

(श्री अध्यक्ष)

दो तीन दिन में स्थिति का सब अध्ययन करके मैं सदन से निवेदन कर दूंगा।

आय व्ययक बजट····

श्री राजबहादुर : एक प्रश्न यह होता है। लाइब्रेरी में आ गयी किताब, रिपोर्ट। आपका कर्त्तव्य है कमीशन ने रिपोर्ट दी, है वह आपको हाउस में पेश करनी चाहिये। यह हो गया, हाउस के प्रिविलेज का सवाल आ गया। लाइब्रेरी में आने से पहले वह हाउस में आनी चाहिये थी। लाइब्रेरी में, बाजार में आने से पहले हाउस में आपको पेश करनी चाहिये थी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सरकार को कुछ पता नहीं है।

आय व्ययक 1982-83 पर सामान्य वाद विवाद

श्री अध्यक्ष : श्री भैरुसिंह गुर्जर।

(अनुपस्थित)

श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का 82-83 का बजट किसान, मजदूर और आम आदमी के खिलाफ का बजट है। इस बजट से किसानों पर सिंचाई व बिजली कर थोप कर किसानों के साथ अन्याय किया है। इस अन्याय का तो पहले से वित्त मन्त्री महोदय से आभास था। पहले से महसूस करते थे। वित्त मन्त्री जी से यही उम्मीद थी कि किसी पर भी कर नहीं लगायेंगे तो किसान पर तो लगायेंगे ही। किसान कहां रहता है, किस तरह से खेती करता है, और किस तरह से कादा कीचड़ में, सर्दी में, गर्मी में अपना पसीना लिलाड़ से ऐडी तक पहुंचाता है, यह बात वित्त मन्त्री जी को कतई मालूम नहीं है। इसलिये इन्होंने किसान पर बिजली कर और सिंचाई कर लगाकर किसान की कमर तोड़ दी है।

शहर के व्यापारी वर्ग जो एक लाख की आबादी से कम वाले शहर में हैं, को भवन कर में राहत देकर इन्होंने अपने वर्ग से संबन्धित व्यापारियों और अपनेXXX को तो यह राहत····

श्री अध्यक्ष : XXX शब्द कार्यवाही से हटाया जाय।

एक माननीय सदस्य : बजट में आ गया, माननीय अध्यक्ष महोदय,।

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो बजट में स्पष्ट शब्द है। अध्यक्ष महोदय, कोई दूसरा शब्द नहीं, बजट भाषण में है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : इनका आशय दूसरे शब्द से है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बजट में से निकाल दिया जाय

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अपने आप में चमचा असंसदीय नहीं जिस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है उसके अनुसार यह संसदीय या असंसदीय बनता है ।

श्री महाराम चौधरी : इनको जिन आदमियों को राहत देनी थी, उन लोगों को राहत देकर किसानों पर अन्याय करके अपने मन की निकाल ली । अध्यक्ष महोदय, आम आदमी जो खेती बाड़ी का धन्धा करता है, उसको मनोरंजन का कहा समय मिलता है ।

(1-19 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

पुष्प प्रदर्शनी, समारोह, कवि सम्मेलन, यह चीजें, किसानों को और आम आदमिओं को देखने का न तो समय मिलता है, न वह उसको देख सकता है । इन पर छूट देकर शहरी लोगों को राहत देने की कोशिश की है । अध्यक्ष महोदय, ओवर ड्राफ्ट खतम करने के लिए और तो कोई दूसरा मिला नहीं, किसानों को बलि का बकरा बनाकर ओवर ड्राफ्ट में कमी लाना चाहते हैं । राजस्थान के विकास के कार्य करने थे, तो वित्त मन्त्री जी, सुख सुविधा की शहरों के अन्दर काम आने वाली लकड़ी की चीजें हैं, उन पर कर लगाकर नौकरशाही पर अंकुश लगाकर ओवर ड्राफ्ट को कम किया जा सकता था । जिन चीजों से उत्पादन के अन्दर बढ़ोतरी होती है, जिससे देश के विकास में गति आती है, उन चीजों पर तो कर लगाया गया है और जो चीजें सुख-सुविधा के काम में आने वाली हैं, उन पर कर नहीं लगाकर बहुत ही अन्यथा किया है ।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य करने के लिये इस साल को उपलब्धियों का वर्ष कहा है, यह उपलब्धियां किसके लिये की हैं और किस के लिये काम आई हैं । जब हम गांवों में जाकर देखते हैं तो न तो लघु कृषकों को यह उपलब्धि मिली है, न सीमान्त काश्तकारों को यह उपलब्धि मिली है । सिर्फ उपलब्धि हुई है तो सचिवालय के कागजों में हुई हैं । अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकाल कर या भाषणों में तो सब चीजें इन्होंने कह दी है । वास्तव में जितने आदमियों को राहत—सुविधा मिलनी चाहिये थी वहां तक तो ये नहीं पहुंची हैं और बीच में ही खतम हो गई हैं यानि थोड़ा बहुत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्य शुरू किये गये थे और विकास के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिये योजनाए बनाई गई हैं किन्तु वे ग्रामीण कृषकों की अवहेलना करके बनाई गई थीं यानि गांवों से योजना न बन कर सेक्रेटेरिएट से योजना बन कर गई है । ऐसी योजनाएं न गांवों में व्यावहारिक हो सकती हैं, न गांव वालों को उनसे पूरी सुविधा मिल सकती है । सभापति

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया ।

(श्री महाराम चौधरी)

महोदय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिये शिक्षा-सुविधा, जल प्रदाय पशु पालन की सुविधा आदि की जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं की क्रियान्विति सुचारु रूप से नहीं हो रही है और जगह जगह पर इन सुविधाओं का मिसयूज हो रहा है। जैसे, किन गांवों में जो 7 साल के या 6 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा-सुविधा उपलब्ध होती हैं ? जो भी प्राइमरी या मिडिल स्कूल खोले गये है उन तक जो ढाणिओं में दूर-दूर रहने वाले आदमी है उनके बच्चे नहीं पहुंच सकते हैं, न दूर के स्कूलों में पहुंच सकते हैं न पढ़ाई हो सकती है। मिडिल और प्राइमरी स्कूल के मामले में ग्रामीण बच्चों की शुरू से ही अवहेलना हो रही है और अब भी यही उम्मीद की जाती है। जो भी सरकारी स्कूलों के मामले में लापरवाही बरती है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से बच्चे पढ़ने से महरूम रह जाते हैं मैं इस संबध में भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी शिक्षा के मामले में प्रावधान करने वाले हैं, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और मिडिल स्कूलों को प्रोत्साहन ज्यादा देवें ।

सभापति महोदय, जल प्रदाय योजनाओं की गांवों के अन्दर क्रियान्विति सरकार करने जा रही है और बजट में जो पैसा रखा है वह भी बहुत ही कम रखा है। जो भी जल प्रदाय योजनाएं बनाये वह स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए बनायें। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पानी पहुंचना चाहिये वहां पानी नहीं पहुंच रहा है जो योजनाएं जिस जगह पर बननी चाहिये उस स्थान पर न बनाने के कारण एक गांव में एक कुएं के अन्दर अगर योजना को लागू कर देते हैं तो जो दूर दूर ढाणियों में रहने वाले हैं जो 7 8 किलो मीटर दूर रहते हैं उन तक न तो पानी पहुंचा है और न लोगों को सुविधा उपलब्ध हुई है। इसलिये मैं सरकार से इस संबध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र की जल प्रदाय योजनाएं बनाई जायं उन योजनाओं को गांव वालों के साथ सलाह मशविरा करके बनावें तभी सुविधापूर्वक सक्सेसफुल हो सकती है। इस तरह की योजनाएं बनाई जायं।

सभापति महोदय, कृषि, बीज, खाद की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जो भी कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाये जा रहे हैं उनमें जो सीमान्त और लघु कृषकों को पिछले साल बीज, खाद का अनुदान देने की व्यवस्था थी उस व्यवस्था का न तो समय पर प्रचार हुआ, नही काश्तकारों को इस सम्बन्ध में मालूम हुआ और को न ही यह सुविधा काश्तकार लोगों को मिल सकी है। सरकार योजना बना देती है उसके लिये पैसा खर्च करने के लिये भी तैयार हो जाती है लेकिन अधिकारी लोग इस संबंध में कतई कार्यवाही नहीं करते हैं। जब बजट लेप्स होने के दिन आते हैं और उनको महसूस होता है कि नहीं खर्च किया जा रहा है तो फर्जी नाम-वाम लिख करके पैसों को युटिलाइज कर लिया जाता है और भयंकर भ्रष्टाचार होता है।

सभापति महोदय, गांवों में विकास करने

(श्री महाराम चौधरी)

के लिये, गांवों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये सहकारी समितियों का गठन किया गया है पिछले दो साल पहले सहकारी समितियों को सक्षम इकाई बनाने के लिये ग्रामीण सहकारी समितियों का विलीनिकरण किया गया किन्तु विलीनिकरण में कतई ध्यान में नहीं रखा कि एक सहकारी समिति को दूसरी में मिलाने से उसको सक्षम इकाई बनाने से उसका कार्य क्षेत्र कितने किलोमीटर हो जायेगा। उनकी दूरी एक दूसरे से इतनी दूर हो जाती है जिससे सहकारी सिद्धांत का हनन होता है। इस तरह से हमारे क्षेत्र में बहुत सी सहकारी समितियां ऐसी है कि आज विफल पड़ी हैं।

सभापति महोदय, विकास अभिकरण के जरिये जो कार्यक्रम चल रहे है-एकीकृत ग्रामीण योजना। यह एकीकृत ग्रामीण योजना नाम से अच्छी लगती है लेकिन गांव वालों को या सीमान्त लघु कृषकों को इसके फायदे की जानकारी नहीं होती है। जहां कहीं भी पिछले दो साल से लगातार पिछड़े को पहले के अन्तर्गत सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अनुसूचित जाति, लघु काश्तकारों की एप्लीकेशन इन्वाइट करके कुछ को गाय, बैल, छकड़ा, ऊंट वगैरह खरीदने के लिये पैसा दिया और उन्होंने खरीद भी लिया। उस के बाद भी बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जो पिछले साल भर से चक्कर काटते काटते हैरान हो गये हैं लेकिन उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। जहां कहीं भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सीमान्त और लघु काश्तकारों को सुविधा दी है उसके अन्दर भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। जिस जगह पर एक जिले में सौ सीमान्त, लघु काश्तकारों को सुविधा दी है उनमें से अगर पांच को भी जाकर पूछ लिया जाय कि भई, तुम्हारे को चार हजार मिले हैं उसमें से कितने रुपये खर्च करने पड़े हैं तो दावे से कह सकता हूं कि पांच सौ से हजार रुपये तक उन लोगों से रिश्वत ली गई है उसके बाद ही ऋण दिया गया है। जिन लोगों को ऋण और अनुदान उपलब्ध नहीं हुआ है वह इस लिए नहीं हुआ है क्योंकि उन्होने या तो पैसे देने के अन्दर आनाकानी की है या पैसे दिये नहीं हैं।

पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव करके पंचायती राज में एक कीर्तिमान स्थापित करके अपने आपको बहुत धन्यवाद के पात्र समझते हैं। यह तो सब कर दिया लेकिन अभी तक उनको दिया गया है? उनके द्वारा क्या कार्यक्रम चलाने की योजना है, यह स्पष्ट नहीं करने से प्रधान और प्रमुख चक्कर लगाते हुए घूम रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : बीस मिनट हो गये हैं आपको।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, जो यह अनुमानित बजट है इसके अन्दर

(श्री महाराम चौधरी)

जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। इस तरह देश का उत्पादन घटेगा और योजनाएं आपकी जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये बनाई जा रही है उनकी अवहेलना होगी।

अध्यक्ष महोदय, सरकार इन्डोर स्टेडियम एशियन खेल, कला, संस्कृति और बड़े बड़े उद्योगों की तरफ ध्यान रख कर उनका विकास करके फाइव स्टार होटल जैसे कामों पर खर्चा कर रही है वह खर्चा न करके ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं में खर्चा किया जाय। तो शायद ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। 80 प्रतिशत राजस्थान की जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहना चाहती है। समाप्त करने के पहले मेरा यह निवेदन है। कि इन ग्रामीण क्षेत्रों की जो योजनाएं हैं उनमें जो अनियमितताएं हो रही हैं वह एक तो प्रशासन द्वारा देरी करने से हो रही है, दूसरे जटिल कार्यप्रणाली और घूस की मांग, जो कर्मचारियों की आदत है, के कारण हो रही है, की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगावें। जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालने की मनोवृत्ति हैं, यदि इसको टाला जा सकता है तो थोड़ा बहुत काम ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है। नहीं तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदमियों को काम या नौकरी देने में प्राथमिकता नहीं दी जाकर इसी तरह से काम चलता रहा है। तो शहरी क्षेत्रों से रहने वाले हैं, जो अच्छे नम्बर लेकर आते हैं, वे सर्विस में चले जाते हैं। उनकी ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर काम करने की न तो कोई भावना होती है, न इच्छा ही होती है, और न ग्रामीण क्षेत्रों से उनका लगाव होता है।

सभापति महोदय, अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्राकृतिक प्रकोप और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को खेती के अन्दर, उत्पादन के अन्दर नुकसान होता है। उसके मुआवजे के लिए इस बजट के अन्दर सरकार को प्रावधान रखना चाहिये। उनको इसका मुआवजा दिया जाये यानि फसल में किसानों को जो हानि होती है उसके लिये सरकार को मुआवजा देना चाहिये। बिजली पूरे समय और बिना पैसे के दी जाये। जो टैक्स लग रहा है उसको भी सरकार ने दुगुना कर दिया है। मैं तो यह उम्मीद करता था कि किसान कुछ केबिनेट स्तर के मंत्री आये हैं, शायद वे किसानों की राहत के लिये कुछ काम करेंगे लेकिन यह तो किसानों का अहित करना शुरू कर दिया है।

राजस्थान में अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य नहीं खुलने से लोगों को बड़ी भयंकर परेशानी है।

सभापति महोदय, अन्त मैं यह निवेदन करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने सिर्फ अपने केबिनेट स्तर के मंत्रियों के साथ, किसानों के साथ में धोखा किया तो किया ही है और दूसरे अपने केबिनेट स्तर के मंत्रियों के साथ में किया है। इसलिये तो कहावत है।

XXX कहावत माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्रीसभापति : समाप्त कीजिये ।

श्री महाराम चौधरी: सभापति महोदय, इसलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं जिसमें किसानों और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालो की अवहेलना की गई है, किसानों के साथ धोखा किया गया है ।

श्री सभापति श्री भैरूंसिह गुर्जर ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, अभी वेरी आयोग के सम्बन्ध में में चर्चा हो रही थी । सरकार ने इसको कान्फिडेन्शल रखा हुआ है । जब तक सरकार इस पर निर्णय नहीं करेगी उस समय तक हाउस में पेश नहीं कर सकती है, इस प्रकार की बात कही गयी । मैंने सदन में निवेदन किया था कि राजस्थान विधान सभा की लाइब्रेरी ने इसको पर्चेज किया है । मैं सदन की जानकारी के लिये इस पे कमीशन की रिपोर्ट, जिसको सरकार सीक्रेट मान रही है, बहुत पवित्र डाक्यूमेन्ट मान कर चल रही है, सदन की मेज पर रखता हूं । सरकार इसको अपने निर्णय के साथ रखना चाहती है । इस सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये, और सरकार की जानकारी के लिये निवेदन है जिस रिपोर्ट को सरकार छिपा कर बैठी है, वह रिपोर्ट बाजार में बिक रही है । मैं सदन की मेज पर इसको रखता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा (ऊर्जा मंत्री) : सभापति महोदय, सरकार इसको छिपा कर नहीं बैठी है । आप रहने वाले कोनहै । क्या रख रहे हैं ? यहा डाक्यूमेन्ट है क्या ? आप कैसे रख रहे हैं ? जब लाइब्रेरी में है तो यह हरएक माननीय सदस्य लाइब्रेरी में जाकर देख ले । सरकार अब तक इस पर विचार नही किया है । अब यह व्यवस्था का प्रश्न और उठा कर खड़ा हो गया है कि लाइब्रेरी की चीज को लाकर रख दिया, पैसा चुकाया असेम्बली सेक्रेटेरियेट ने और विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने यहां लाकर के रख दी सदन के मेज पर, यह कहां तक उचित है । यह मेरी समझ में कोई क्रिमिनल पेनल कोड का आफेन्स बनता होगा । ...

श्री राजबहादुर : यह सचमुच में एक बहुत गंभीर प्रश्न उठाया गया है और इसमें प्रिविलेज हाउस का बिलकुल इन्वाल्व्ड है, वायलेटेड है । इन्वाल्व्ड भी और वायलेटेड भी । जब यह कहा गया कि हम ने कमीशन मुकर्रर किया है, टर्म्स आफ रेफरेन्स दी है, इस पर कमीशन ने इंक्वायरी कर के, जांच कर के अपनी रिपोर्ट दी है । उस रिपोर्ट को प्रिविलेज डाक्यूमेन्ट बताते हुए या मानते हुए, घोषित करते हुए इस बात पर गुरेज....

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : कोई प्रिविलेज डाक्यूमेट की बात नहीं कही है ।

श्री राजबहादुर : जब आप पेश नहीं

XXX शब्द व अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशनुसार अपलोपित की गई ।

(श्री राजबहादुर)

करते है तो यह प्रिविलेज डाक्यूमेंट हो माना जायेगा ।....

श्री परसराम मदेरणा : सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है । मामला केबिनेट के विचाराधीन है इसलिये मैंने यह कहा कि यह सार्थक नहीं होगा, अगर पहले ही इस पर कोई चर्चा हो । सरकार क्या निर्णय लेती है, निर्णय लेकर सदन को सूचित करती है उसके बाद ही इस पर विचार होना चाहिये ।....

श्री राजबहादुर : मैं विनती कर लू ं । मैं यह कहता हू ं हाउस के साथ यह मखौल नहीं तो क्या है । अगर प्रिविलेज डाक्यूमेंट नहीं तो मखौल है हाउस का । एक तरफ आपने कहा कि पेश नहीं कर सकते । हमने निर्णय नहीं लिया है और दूसरी तरफ कहते हैं यह लाइब्रेरी में है....

श्री चन्दनमल बैद : वह नहीं कहा । आप गलत बयानी मत करिये । यह नहीं कहा कि पेश नहीं कर सकते । यह नहीं कहा कि सीक्रेट डाक्यूमेन्ट है ।

श्री राजबहादुर : कम से कम कांशश तो रखें । Be logical and.

क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे ।

कभी नाराजगी जाहिर कर दी कभी खुशी जाहिर कर दी । फिर पेश करेंगे । अब लाइब्रेरी में आ गई । आप बिलकुल रांग फुट में चले गये हैं । सच्ची बात तो यह है, माफ कजिये you have been caught with your pens down.

श्री सभापति : इससे पूर्व में यह सवाल इस सदन में विपक्ष के माननीय नेता महोदय, ने रखा था । उस वक्त चैयर पर माननीय स्पीकर मौजूद थे । माननीय स्पीकर ने सारे वाद विवाद के बाद यह फर्माया था कि वह इन परिस्थितियों का तीन चार रोज में अध्ययन कर इस के मसले पर उचित निर्णय करेंगे । मैं समझता हू कि यह व्यवस्था हो जाने के बाद इस बात का प्रश्न नहीं रहता है कि यह लाइब्रेरी की किताब यहां सदन की मेज पर रखी जाये या इस पर कोई व्यवस्था दी जाये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, व्यवस्था तो मैं भी नहीं चाहता हू ं । इसके लिये तो व्यवस्था नहीं चाहता हू ं ।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो गलत काम किया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो सरकारी है वापस दे देंगे तो बहुत खुशी होगी वरना यह 161/-रुपये की किताब हाथ से निकल गई । सभापति महोदय, निवेदन करना यही है कि इस रिपोर्ट को हाउस में प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कई बार सदन में निवेदन किया था किन्तु सरकार का एक ही उत्तर है । मैं यह मानता हू ं कि सरकार ने यह कभी नही कहा कि यह प्रिविलेज डाक्यूमेन्ट है, लेकिन सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ने एक बात अवश्य कही है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। पहली बात तो यह कही है कि आफिसर लेवल पर हमने एक कमेटी बनायी है और उस कमेटी ने अभी 27 तारीख की रिपोर्ट दी है। उस आफिशियल लेवल कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। हम यह समझ रहे थे कि सरकार विचार करने के बाद ही इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखेगी लेकिन विचार का सवाल रहा नहीं। सरकार ने इसका पब्लिकेशन कर दिया है। प्राइस पब्लिकेशन यह हो गया है। परम्परा यह कहती है कि चाहे प्राइस पब्लिकेशन करें चाहे मैम्बर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, सदन के अन्दर इसकी प्रति आपको सब से पहले रखनी चाहिये। यह बहुत आवश्यक था। अब इसके लिये यह कहना कि हम ने चूंकि विचार नहीं किया, हम नहीं रख सकते। मैं ऐसा समझता हूं कि आपने विचार नहीं किया तो इसको प्राइस पब्लिकेशन नहीं करवा सकते। इस बात को आप स्वीकर करेंगे कि सब से पहले आपको हाउस की टेबल पर रखनी चाहिए और हाउस की टेबल पर रखने के बाद में बाजार में बिक्री के लिए इस किताब का पब्लिकेशन आपको करना चाहिये। वह तो आपने नहीं किया आप इसको छिपा रहे हैं। मेरा कहना यह है। राजस्थान विधान सभा की लाइब्रेरी ने इसको पर्चेज कर लिया है। आपको तो उस समय पता नहीं था कि यह लाइब्रेरी में पड़ी है।

श्री परसराम मदेरणा : यह नहीं कहा था कि लाइब्रेरी में पड़ी है। यह कहा था कि लायब्रेरी में है आप जाकर पढ़ लीजिए।

श्री राजबहादुर : आपको तो यह जानभी नहीं थी कि यह लायब्रेरी में पड़ी हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो यह भी नहीं पता नहीं था कि यह पब्लिश हो गयी है। कह दें कि पता था। या कह दें कि पता नहीं था। सभापति महोदय, एक तो जवाब दिलवायें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जवाब दे दूंगा, आप अपनी बात तो कह दें पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी नॉलेज में था क्या कि यह पब्लिश हो गई है या यह लायब्रेरी में आ गयी।

श्री परसराम मदेरणा : मैं खड़ा नहीं हो रहा हूं आप बोल जाइए पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नाराज मत होइये।

श्री चन्दनमल बैद : आप पर नाराज नहीं खुश हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे पर तो आप दोनों ही खुश हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का अपमान किया गया है। कोई चीज सदन से छुपायी जाती है, वैसे कहते हैं कि सदन सर्वोपरि है, अगर सर्वोपरि है तो इसके मुताबिक कार्यवाही

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

करनी चाहिए थी। इस किताब को सदन की मेज पर रख देते, कोई आपत्ति नहीं है 161 रुपये की किताब है, हर मैम्बर को नहीं दे पाते तो इतना ही कह देते कि यह पड़ी है देख लें जिसको देखनी है। पर्चेज करनी होती वह पर्चेज कर लेता। यह नहीं कर सके इसलिए मैं यह आपत्ति उठाता हूं कि जिस चीज को सदन की जानकारी में नहीं लाया जा रहा है, जिस रिपोर्ट को सीक्रेट मानकर चल रहे हैं, हाउस से छुपाया जा रहा है वह रिपोर्ट बाजार में बिक रही है। इससे ज्यादा अयोग्यता, प्रशासनिक अयोग्यता सरकार की और कोई नहीं हो सकती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह कापी रखी है वह वापस ले लूं लेकिन साथ ही सरकार की ओर से कापी सदन की मेज पर रखें।

श्री राजबहादुर : मेरी डिमान्ड बिलकुल दूसरी है और बड़ी पॉजिटिव है। बिलकुल साफ-साफ बात यह है कि सरकार ने रिपोर्ट सदन की मेज पर न रख कर इस हाउस के प्रिविलेज को ब्रीच किया है। मैं....

श्री चन्दनमल बैद : आप प्रिविलेज मोशन लायें इसके लिए।

श्री राजबहादुर : इस तरह ब्रीच ही नहीं किया है मखौल किया है। The least that I can expect from this Government, is an expression of regret and apology for the lapse that they have made.

श्री बृज सुन्दर शर्मा (मन्त्री, संसदीय कार्य) : सभापति महोदय, जहां तक इस सदन के विशेषाधिकारों का सम्बन्ध है इस सदन ने इस कमेटी को मुकर्रर नहीं किया है, सरकार द्वारा मुकर्रर किया गया है इसलिए आयोग ने रिपोर्ट सदन के सामने पेश नहीं की है। जो कमेटी सदन के द्वारा मुकर्रर की जाती है उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना जरूरी है।

(1.42 म.प.)

(श्री पूनमचन्द्र विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

गवर्नमेंट ने कमेटी मुकर्रर की, कमीशन मुकर्रर किया और उसकी जो रिपोर्ट आयी वह गवर्नमेंट के पास आयी इसलिए उसको छपाने में या उसका प्राइस पब्लिकेशन करने में आपत्ति नहीं है। सवाल यह आता है कि सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है इसलिए न तो सदन के पटल पर रखना उचित है और न ही जरूरी है। इसलिए मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में कि इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में।

श्री भैरोंसिह गुर्जर (खारची) : मेरा

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

नाम पुकार लिया था, सभापति महोदय ने।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैंने पहले व्यवस्था दी थी, फिर वापस विपक्ष के नेता महोदय और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठायी कि कोई विशेषाधिकार हनन का, सदन के अपमान का मामला हुआ है सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह कहा था कि इस कमीशन की रिपोर्ट पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है........

श्री राजबहादुर : मेरा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है। हाउस को मिस गाइड किया, यह था।

श्री अध्यक्ष : तो इन सब बातों को मैं देख लूंगा। जैसाकि मैंने पूर्व में निवेदन किया था, दो तीन दिन में सही स्थिति कानूनी और हमारे प्रक्रिया के जो नियम है उनकी और संवैधानिक स्थिति क्या है. इन सब प्रश्नों के ऊपर तीन चार दिन पश्चात् मैं अपना निर्णय दूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : किताब तो ले लूं।

श्री अध्यक्ष : अब तो आपने रख दी है यह तो हमारी सम्पत्ति हो गई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सम्पत्ति तो वह आपकी ही थी।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी ही सम्पत्ति थी, अध्यक्ष महोदय, अब तो इनसे पैसे वसूल करने चाहिए।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : विधि मन्त्रीजी ने कहा कि यह कमीशन सरकार ने बनाया है या सरकार ने अपाइन्ट किया है, सदन ने नहीं बनाया है। लेकिन सरकार को तो सदन बनाता है इसलिए सरकार भी तो सदन का ही भाग है। इस बात को क्या आप नहीं मानते हैं कि यह सरकार सदन का एक भाग है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

श्री परसराम मदेरणा : कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के अधीन जो कमीशन बनाये जाते हैं, तो कमीशन आफ दी इन्क्वायरी एक्ट के अन्दर तो इस बात का प्रावधान है कि....

एक माननीय सदस्य : वह इसके नीचे नहीं बनाया गया था।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए तो मैं पूछ रहा था कि बेरी कमीशन की कौन-सी रिपोर्ट के बारे में कह रहे थे? कमी-

(श्री परसराम मदेरणा)

शन ग्राफ इन्क्वायरी एक्ट के नीचे है उसकी या जो कमीशन ग्राफ इन्क्वायरी एक्ट के नीचे नहीं है उसकी रिपोर्ट के लिए आपने कहा कि प्रिविलेज डाकूमेंट माना है तो यह तो मैंने नहीं कहा है। यह कहा है कि सरकार इस पर बिचार कर रही है, निर्णय नहीं किया है। न तो यह कन्टेम्प्ट है और न इम्प्रोपराइटी। इम्प्रोपराइटी के सम्बन्ध में कहा कि इम्प्रोपराइटी है या कोई है तो यह इम्प्रोपराइटी है या नहीं, इसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था दें।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भैरू सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश को सुदृढ़ नेतृत्व दे रही हैं श्रीमती इन्दिरा गांधी और राजस्थान को स्थायी सरकार दे रहे हैं माननीय शिवचरण जी माथुर। उनकी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसे माननीय चन्दनमल जी बैद, वित्त मन्त्री ने पेश किया है उसके कुछ मुद्दों पर तो मैं चन्दनमल जी को धन्यवाद दे दूं, सर्वप्रथम तो उन्होंने जो चमचों पर टैक्स हटाया है उसके लिए मैं चन्दनमल जी को धन्यवाद दे दूं। उसके बाद दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन करने—लौटाने की जो सुविधा दी है, शीघ्र दस्तावेज लौटाने की जो सुविधा दी है उसके लिए धन्यवाद दे दूं। जनता के मनोरंजन के लिए सिनेमा घर खोलने व मनोरंजन कर के लिए 50 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की छूट दी है उसके लिए धन्यवाद दे दूं। कई ग्राइटम पर मनोरंजन कर माफ किया है, संगीत कार्यक्रम, नाटक, गीत और नृत्य, कठपुतली प्रदर्शन, कवि सम्मेलन और मुशायरे, खेलकूद और क्रीड़ायें, दंगल और कुश्तियां, पुष्प प्रदर्शन, कव्वाली आदि इन सब बातों का जो टैक्स फ्री किया है उसके लिए धन्यवाद दे दूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आम लोगों, मजदूरों, किसानों, छोटे तबके के कर्मचारियों को इस टैक्स फ्री से कोई लेना-देना नहीं है। अध्यक्ष महोदय इनको केवल टैक्स फ्री करना था और कुछ पर टैक्स बढ़ाना था तो आम जनता के काम में जो चीज आती है उनको टैक्स फ्री करना था, किसान के काम में जो चीजें आती हैं उन पर टैक्स कम करना था, छोटे लोगों के काम में जो चीजें आती हैं उनको टैक्स फ्री करना था। आपने सिनेमा का टैक्स फ्री कर दिया तो राजस्थान की जनता को तो रोटी नहीं मिलती है, सिनेमा देखने क्या जायेंगे, नाटक देखने क्या जायेंगे, दंगल देखने क्या जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : बहुत से लोग भूखे रहकर भी सिनेमा देखने जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरू सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करू कि राजस्थान के अन्दर अधिकांश जनता गांवों में रहती है। गांव के अनपढ़ लोग, खेतिहर मजदूर को सिनेमा देखना तो क्या, नाटक देखना तक नसीब

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

(व्यवधान)

नहीं होता है। शहरों के अन्दर जो थोड़े बहुत लोग रहते हैं वे सिनेमा देख लें, नाटक देख लें। उनके लिए उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है लेकिन उससे आम जनता को कोई राहत नहीं मिली है। ठीक है, आपको कुछ को टैक्स फ्री करना था और कुछ पर टैक्स लगाना था। जो एक लाख तक का आबादी के शहर हैं जिनके ऊपर भूमि एवं भवन कर लगता था उनको आपने माफ कर दिया है। अफसोस तो इस बात का है कि गांवों के अन्दर लोगों को कच्चे झोंपड़े नसीब नहीं होते है, घास-फूस की झोंपड़ी नसीब नहीं होती है। पैसे वाले जो हैं जिनके पास पैसा है वही पक्के मकान बना सकते हैं, जो पूंजीपति है वही बना सकते हैं, वही शहरों में रह सकते हैं। पूंजीपति ही पक्के मकान बनाकर आपको टैक्स दे सकता है। इन लोगों को आपने टैक्स फ्री कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, निहायत ही शर्म की बात यह है कि जो लोग बजट नहीं समझ सकते हैं, बजट कहते किसे हैं, बजट बनता कैसे है और किनके लिए बनता है, उस तबके के लोगों और किसानों को फायदा नहीं दिया है और पक्के मकानों पर टैक्स फ्री कर दिया है। बड़े उद्योगों के उत्पादन और ऐशो आराम की सामग्री को गरीब काम में नहीं लेता है। गरीबों का इसमें कहीं नाम नहीं है। सौंदर्य प्रसाधन, ऐशो आराम और दूसरी चीजें हैं आम आदमी का और मजदूरों का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। बड़े लोग, बड़े पूंजीपति, बड़े अधिकारियों के परिवारजन, मन्त्रियों के परिवारजन और जिनके पास पैसा है इन लोगों को उनकी जरूरत है। उन पर आपने टैक्स नहीं लगाया है और न ही उनका नाम लिया है। चन्दनमल जी से निवेदन करूंगा कि आप उन पर टैक्स लगाते। आज शराब की बोतल पर टैक्स लगाते। आप शराब की बोतल 15 रुपये में मिल रही है उस पर आप 100 रुपये बढ़ा देते हैं, 100 प्रतिशत टैक्स बढ़ा देते तो उससे गरीबों को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इस पर आपने एक पैसा भी नहीं बढ़ाया है। बढ़ाया है आपने ऐसी वस्तुओं पर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वोट लेकर आते हैं गांव वालों के। जो गांवों में ही निवास करते हैं, 80 प्रतिशत हमारी जनता गांवों में निवास करती है, वोट हमको उन्हीं किसानों से मिलता है। वे हमको इसलिए चुनकर भेजते हैं कि हम जायेंगे तो उनको कुछ राहत मिलेगी बिजली मिलेगी, टैक्स फ्री होंगे, लेकिन आपने तो सारे राजस्थान के अन्दर राजस्थान नहर चला दी है और इन बेचारों से पानी का टैक्स वसूल कर रहे हैं। आपने उसको 25 प्रतिशत बढ़ा दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो छोटे छोटे बांध हैं उनमें से जो छोटी छोटी नहर

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

निकालते हैं उनसे छोटे तबके के जो किसान हैं वे सिंचाई करते हैं उन पर आपने 25 प्रतिशत टैक्स लगा बढ़ा दिया है। जितना किसान कमाता है, उतना ही वह खा जाता है। कभी कुछ भी पैदा नहीं होता है तो बतायें कि वह कहां से 25 प्रतिशत टैक्स देगा। बड़े शर्म की बात है, फ्लेट रेट दुगुनी कर दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि किसान को बिजली नहीं दे सकते हैं, समय पर बिजली नहीं दे सकते हैं कभी चार कभी पांच और कभी छः घण्टे देते हैं। पहले बिजली समय पर दे दें फिर टैक्स की बात करें। उनकी फसल एक साल अच्छी हो जाय तो अगले साल टैक्स ले लें, वह राजी खुशी से टैक्स देंगे। लेकिन राजस्थान में तो चार साल से अकाल पड़ रहा है, राजस्थान के अन्दर लोगों को खेत में डालने के लिये अनाज नहीं मिल रहा है खाने की बात तो अलग है बोने के लिये नहीं मिल रहा है उस पर आपने टैक्स लगाया है। यह निहायत ही अफसोस की बात है कि जो किसान आपको वोट देता है उस पर आपने टैक्स लगाया है। गांव के अन्दरसे तो लोग हमकोXXX वापस निकाल देंगे, अगली बार वोट तो मिलना बहुत दूरकी बात है। अध्यक्ष महोदय, यह मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र की बात नहीं है। शायद माननीय वित्त मन्त्री जी तो ऐसे इलाके से आते हैं जहां न तो किसान हैं, न गरीब है, न मजदूर हैं। ऐसी जगह से वह वोट लेकर आते हैं इसलिए उन्होंने बजट बनाते वक्त इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा। वित्त मन्त्री जी, आप शहरों तक ही सीमित नहीं रहें, आप गांवों में भी जायं। गांवों में दौरे करें। उस क्षेत्र के विधायक को साथ लेकर जायं। आपतो गांव में जाते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। जहां कहीं जैन सम्मेलन होगा, साधु साध्वी पधारेंगे या आचार्य तुलसी का प्रवचन हो रहा होगा आप वहां पधारेंगे। आप गांव की जनता के बीच में जाइये तब पता चलेगा कि लोगों को कितना दुख है, कितनी तकलीफ है। अध्यक्ष महोदय, मैं और भी आरोप लगाना चाहता हूं। वित्त मन्त्री जी ने अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, इगो रखने के लिए कर्मचारियों के हितों को ठुकरा दिया है। केवल मात्र उपदेश दिये हैं उनको। मैं आप से निवेदन करूं कि पृष्ठ 23 पर पैरा संख्या 65 में कहा है कि राज्य कर्मचारी चाहें तो केवल अपनी कार्यक्षमता बढ़ाकर ही प्रदेश के बजट के घाटे को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। "राज्य की इस विषम वित्तीय स्थिति में राज्य सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि राज्य कर्मचारियों को एक सीमा से अधिक सुविधायें दे। आपने अब तक राज्य कर्मचारियों को क्या सुविधा दी है? सवाल इस बात का है कि 5 फरवरी को राज्य कर्मचारी महासंघ ने नोटिस दिया आम हड़ताल का। मुख्य मन्त्री जी ने उनको वार्ता के लिए बुलाया। 7 तारीख को वार्ता की और यह मुख्य मन्त्री जी के सचिव ने उनको पत्र

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

लिखा है। पत्र 4 फरवरी, 1982 का है। "आज आपके शिष्ट मण्डल द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की गयी वार्ता के सन्दर्भ में लेख है कि मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि जैसा आपके द्वारा चाहा गया था, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में दिनांक 7.2.82 को उनके दिल्ली व चण्डीगढ़ प्रवास के उपरान्त जयपुर में विचार विमर्श करना सहर्ष स्वीकार कर लिया है।" अध्यक्ष महोदय, मै आपको सूचित करूं कि 7 फरवरी को मुख्य मन्त्री जी से कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष और अन्य कर्मचारी संघों के अध्यक्ष ने बात की और मुख्य मन्त्रीजी की ओर से एक अधिकारी ने उनको यह पत्र दिया। पत्र क्रमांक 14 (7) कार्मिक (क-5) 82 जयपुर, दिनांक 4.2.82 के अन्दर यह स्पष्ट लिखा गया है कि वित्तीय स्थिति के अनुकूल सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी और राज्य सरकार का निर्णय इसी माह के अन्त तक हो जावेगा। अध्यक्ष महोदय, यह फरवरी की बात है। फरवरी चला गया अप्रेल आ गया। अध्यक्ष महोदय, कहां है उन कर्मचारियों की रोजी रोटी, वेतन सुविधायें? कर्मचारियों की मांगों पर क्यानिर्णय लिया, वित्त मन्त्री जी, आपने।

एक माननीय सदस्य : मार्च आ गया।

अप्रेल कहां हैं। अभी तो एक महीना बाकी पड़ा है XXX

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : कर्मचारियों को आपने खाली उपदेश दे दिये। कर्मचारियों की मांगें कोई बहुत बड़ी नहीं थीं। वित्त मन्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करूं, उन्होंने केवल कहा है कि वेतन आयोग की संशोधित रिपोर्ट लागू हो। न्यूनतम लाभ केवल 60 रुपया दिया जाय। सभी संवर्गों में 10 प्रतिशत पदों को क्रमोन्नत किया जाय। ग्रामीण एवं शहरी कर्मचारियों को मकान भत्ता। लीव ट्रेवल कन्सेशन लागू किया जाय। सचिवालय के कर्मचारियों को विशेष वेतन दिया जाय। आर. ए. एस. और आई. ए. एस. अधिकारी जो सचिवालय में काम करते हैं उनको जिस प्रकार की विशेष सुविधायें दी जाती हैं उसी प्रकार की सुविधायें सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों को भी दी जायं। केन्द्र के साथ महंगाई भत्ता की स्वीकृति। सभी कटौतियां वापस हों। दो सौ रुपया त्यौहार भत्ता। अनाज अग्रिम न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1000 रुपये। रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड। वर्दी धुलाई भत्ता। सेवानिवृत्ति पर अर्धवेतन अवकाश का नकद भुगतान हो। समस्त संगठनों की पूर्व स्वीकृत मांगों के आदेश जारी हों व विचाराधीन मांगों पर निर्णय लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म की बात है कि इन कर्मचारियों की एक भी मांग का उल्लेख इस बजट के अन्दर नहीं है। एक

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

भी पैसे का प्रावधान नहीं रखा है। जो इन्होंने लाभांश बताया उसमें से कुछ ही करोड़ रुपये कर्मचारियों को दे देते तो राजस्थान के चार लाख कर्मचारी इनको दुआयें देते और कर्मचारियों की आत्मायें इनको दुआयें देतीं। अध्यक्ष महोदय, वहां गरीब कर्मचारी हैं, जिनके बीवी बच्चे भूख से मरते हैं, जिन्हें कपड़ों की सुविधा नहीं मिलती और मकान नहीं मिलने के कारण जो कच्चे झोंपड़ों में रह रहे हैं। जैसे तैसे अपने दिन गुजार रहे हैं वहीं बड़े बड़े अधिकारी, मन्त्री लोग और विधायकों को अच्छे अच्छे फ्लैट आवण्टित किये गये हैं। क्या जरूरत थी इनको फ्लैट देने की? ये भी किराये का मकान लेकर रह सकते हैं। यह उन कर्मचारियों को देने थे जो इस राज्य सरकार की सेवा कर रहे हैं। आप उन कर्मचारियों से यह तो अपेक्षा करते हैं कि वे सहयोग दें ताकि इस बजट को सुचारू रूप से लागू किया जा सके लेकिन आप उनको दे क्या रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं जिस प्रकार बैंक और एल. आई. सी. के अन्दर तनख्वाह दी जाती है, जिस प्रकार वेतन-भत्ते दिये जाते हैं क्या अपनी सरकार उनको उसी प्रकार के भत्ते दे रही है। वेतन दे रही है? वित्त मन्त्री जी, आप जरा तो गौर करें कर्मचारियों की बात पर। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी महासंघ या किसी कर्मचारी से आपकी कहीं न कहीं कोई कहा सुनी जरूर हो गयी है इसलिए आपको नाराजगी हो गयी है। आपने कर्मचारियों का इसमें कहीं भी हित नहीं देखा है। मैं आपसे निवेदन करूं कि यह अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का पत्र है........

एक माननीय सदस्य : किसानों के लिए बोलो XXX कर्मचारियों के लिए क्या....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इन्होंने आपको एक पत्र लिखा है। मैं, वित्त मन्त्री जी, आपको पढ़कर सुना दूं। "आदरणीय चन्दन मल जी, आपने अपने महिला गुण व्यक्तित्व के उभार का प्रदर्शन कर एक तरफ चूड़ियों को कर मुक्त कर, और दूसरी तरफ राज्य कर्मचारियों के 20 लाख परिवारजनों की भावना के साथ खिलवाड़ का जो कायरता पूर्ण कारनामा किया है, अतः होली की पूर्व वेला में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, आपके अभिनन्दन स्वरूप चूड़ियों का उपहार सादर भेंट करता है।" क्योंकि आपने चूड़ियों पर से टैक्स हटा दिया। टैक्स क्यों हटाया? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि पाली और जोधपुर के अन्दर जो बड़े चूड़ी उद्योगपति हैं उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा करके मेरे खयाल से, माननीय मन्त्री महोदय तक पहुंचाया है। इस बात को मन्त्री महोदय स्पष्ट कर दें तो स्पष्टीकरण हो जायेगा। मैं ये चूड़ियां अभी माननीय वित्त मन्त्री को भेंट कर दूंगा जो संयुक्त राज्य कर्मचारी

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

महासंघ ने दी हैं ताकि इन चूड़ियों का काम भी अपने आप ....

श्रीमती उजला अरोड़ा : शुभ काम में देर क्यों। जल्दी पहनाओ।

एक माननीय सदस्य : यह तो आपके पहनने के लिए ही हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत हुआ था। स्कूल खोले गये थे, अस्पताल खोले गये थे लेकिन हमारे वित्त मन्त्री ने तो सिवाय टैक्स लगाने के विकास के काम की बात इस बजट के अन्दर नहीं रखी है। बजट के अन्दर न तो स्कूल खोलने का और न अस्पताल खोलने का उल्लेख किया है। बाद में इसकी जानकारी दे दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, बाद में तो बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव हो जाता है, पास हो जाता है। स्कूल नहीं खुलते हैं। गांवों में पब्लिक के लोग खुश होंगे ? टैक्स लगाने से खुश नहीं होंगे, अच्छे अच्छे भाषण देने से खुश नहीं होंगे, झंडी वाली कार में घूमकर निकल जाने से खुश नहीं होंगे ? गांव के लोग खुश होंगे जब उनके विकास के काम होंगे, पेट में रोटी मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्री जी अगर ध्यान दें और बजट के ऊपर हुए वाद विवाद का उत्तर दें तो इस बात को देख लें।

सरकारी अधिकारी और मन्त्रियों के लिए तो गाड़ियां उपलब्ध हैं, कार उपलब्ध है, उनके बच्चे, परिवारजन उसमें आ जा सकते हैं लेकिन आप एक डाक्टर को ले लीजिए। अगर कोई इमर्जेंसी केस है और वह मरीज को देखने जाना चाहता है तो चाहे कितना भी बड़ा डाक्टर क्यों न हो, चाहे सवाई मानसिंह अस्पताल का बड़े से बड़ा डाक्टर हो लेकिन उसको गाड़ी मुहैया कभी नहीं की जायेगी। उसको एम्बूलेंस के अन्दर आना पड़ेगा। चाहे उसके अन्दर मरीज आ जाय, चाहे डाक्टर आ जाय। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप अच्छे काम करते तो धन्यवाद देते। कर्मचारी खुश होते, मजदूर खुश होते। इस बार तो आप से एम. एल ए. भी खुश नहीं हैं और एम. एल. ए. ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर के मुख्य मन्त्रीजी से और प्रधान मन्त्री से यह मांग की है. इसके अन्दर कम से कम 100 विधायकों के हस्ताक्षर हो चुके हैं कि यह बजट किसान विरोधी प्रस्तुत किया गया है इसलिए इस बजट में किसी प्रकार संशोधन करके इसे पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, पॉलिसी सरकार बनाती है। सरकार पॉलिसी बना देती है लेकिन मन्त्री इस बात पर ध्यान दें कि इस पॉलिसी को पब्लिक तक पहुंचाया जाय। मुख्य मन्त्री को सलाम कर लेंगे मन्त्री लोग, मन्त्रियों को सलाम कर लेंगे हम लोग और हमको कर लेगी जनता लेकिन केवल सलाम से काम नहीं चलता है। जनता से हमको वोट चाहिए सलाम नहीं चाहिए। सरकार पालिसी बना देगी लेकिन कभी भी यथा रूप में डिलीवरी नहीं करती है। इस ओर

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

ध्यान देते और बड़े बड़े अधिकारी लोगों पर अंकुश लगाते और उनकी जो लॉबी बन रही है, उस लॉबी को तोड़ते तो सही काम होता लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। मन्त्री हो जाते हैं उसके बाद अधिकारी लोग सर सर कहना शुरू कर देते हैं। मन्त्री पद से हट जाते हैं तो अधिकारी को मन्त्री लोग सर सर कहना शुरू कर देते हैं। यही प्रवृत्ति चल रही है।

एक बात और, विशेषकर हमारे वित्त मन्त्री जी ने लघु उद्योगों पर 1 प्रतिशत टैक्स लगाया है रा-मैटीरियल पर। मैं आपसे निवेदन करूं कि इससे गरीब कर्मचारी का नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो गरीब, छोटे तबके के मजदूर हैं वे लघु उद्योगों में काम करते हैं। लघु उद्योग जो चलाते हैं उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। लघु उद्योगों में अधिकतर किसान होते हैं, जो अपना काम धन्धा छोटे छोटे उद्योगों में चलाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति तो राजस्थान में आपके उद्योग जरूर चलायेंगे लेकिन उसका आफिस खोल लेंगे दिल्ली में और यहां से सारा माल दिल्ली ले जायेंगे। वहां सेल्स टैक्स कम लगता है। इस प्रकार का उन पर टैक्स लगाते। आपने लघु उद्योगों पर टैक्स लगा दिया। जितना काम दिया उतना टैक्स देना पड़ेगा। लघु उद्योग बन्द हो जायेंगे इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा आप संशोधन करके ही इस बजट को पारित करवायें और आवश्यकता हो तो आप त्यागपत्र दे दें। दूसरे वित्त मन्त्रीजी आ जायेंगे और इस बजट को पारित करवा देंगे। धन्यवाद।

(लाल रंग की दो चूड़ियां श्री भैरूंसिंह गुर्जर ने चन्दनमल बैद, वित्त मन्त्री, को दीं)

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जेब में रख लीं पहनी नहीं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री हेमाराम चौधरी।

(व्यवधान)

यह जोधपुर की बनी हुई नहीं है। इन पर छूट नही दी गई है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह पाली की हैं।

एक माननीय सदस्य : यह जयपुर की बनी हुई हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कांच की चूड़ियां नहीं हैं। इन्होंने केवल प्लास्टिक की चूड़ियों पर छूट दी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य ! आपस में बात नहीं करें ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का बजट माननीय चन्दनमलजी ने प्रस्तुत किया। राजस्थान की जैसी हालत और परिस्थितियां हैं........

व्यवस्था का प्रश्न

मन्त्री को सदस्य द्वारा चूड़ियां भेंट

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह (गुढ़ा) : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने वित्त मन्त्रीजी को चूड़ियां भेंट की, यह इस प्रक्रिया में आता है क्या, कर सकते हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री भेरूंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, मैंने चूड़ियां भेंट नहीं की है, राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष ने चूड़ियां दीं और कहा कि हम लोगों को सुविधा देने के बनिस्पत चूड़ियों पर टैक्स हटाया है इसलिए यह चूड़ियों का तोहफा उपहार स्वरूप वित्त मन्त्रीजी को भेंट कर दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कौनसे नियमों का हनन हुआ है ?

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : अध्यक्ष महोदय, कौनसा नियम है, किस तरीके से, किसके बिहाफ पर यह दी गई है, इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि अपने जो प्रक्रिया के नियम हैं उसमें विवरण है कुछ कार्य करने के, कुछ नहीं करने के। यदि कोई नहीं किये जाने योग्य कार्य किया जाता है तो नियम विरुद्ध है। माननीय सदस्यों को बोलने की, इधर से उधर जाने की, बैठने की पूरी आजादी है ।

(व्यवधान)

सदन की जो गरिमा है, गरिमा को ठेस नहीं पहुंचे, ऐसा आचरण हमारे माननीय सदस्यों का सदन के अन्दर होना चाहिये ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट, आफ आर्डर। क्या इससे चन्दनमलजी को ठेस नहीं पहुंची ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरा एक निवेदन है........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कोई नियम बता दें। मेरा भी मार्ग-दर्शन हो जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : अगर कोई माननीय सदस्य कल किसी महिला सदस्य को चूड़ियां पेश कर देंगे तब फिर क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : वह अलग प्रश्न है।

(व्यवधान)

जो स्थिति हमारे समक्ष उत्पन्न होती है, हम उसी पर व्यवस्था देते हैं। यदि कोई माननीय सदस्य किसी महिला सदस्या को चूड़ियां पेश करेंगे तो उस स्थिति में देख लेंगे।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थिति हुई है, बड़ी गलत है, बड़ी गड़बड़ है। परिपाटी डल रही है तो कलXXX भी पेश कर सकते हैं। जिस तरह से चूड़ियां पेश की, ऐसा आम तौर से होता है। तो यह स्थिति सदन के लिए बहुत ही अपमानजनक होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव है, जहा तक इस तरह की बात है, हमारा आचरण और सदन में हमारा उठना-बैठना डिग्निफाइड हो। ऐसा हमारा प्रजेन्टेशन का तरीका होना चाहिये, इस ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, आपकी क्लियर रूलिंग होनी चाहिए कि इस प्रकार का प्रजेन्टेशन गलत है और नियम विरुद्ध है। यह किसी भी तरह के नियमों में नहीं आता। मैं आपसे विनती करूंगा कि यह डिसीजन बहुत गलत होगा, बहुत खराब होगा, किसी मैम्बर के माइण्ड में डाउट नहीं रहे कि चाहे जो चीज लाये बाहर से और पेश करदें। कोई भी चीज हो....

(व्यवधान)

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित किये गये।

श्री **दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : ज्यादा उत्तम रहेगा, चूड़ियां लौटा दी जायं।

(व्यवधान)

श्री **मांगीलाल आर्य** (जालौर) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने चूड़ियां भेंट की और वित्त मन्त्री महोदय ने सहर्ष स्वीकार की तो सदस्यों को क्या आपत्ति है, मेरी समझ में नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई इस पर, कृपया कार्यवाही प्रारम्भ करने दें।

श्री रामसिंह विश्नोई।

आय व्ययक पर वाद विवाद

श्री **रामसिंह विश्नोई** (लूणी): अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने राजस्थान का बजट बेबस हालात और परिस्थितियों में प्रस्तुत किया। राजस्थान ऐसी स्थिति से घिरा हुआ है कि एक तरफ अकाल की भयंकर स्थिति है और जयपुर के अन्दर भयंकर बाढ़ के कारण तबाही हुई है, दूसरी तरफ 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है, उसके बाद अगर कोई भी वित्त मन्त्री राजस्थान में होता तो इससे अच्छा बजट पेश नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि दूसरी तरह का कोई बजट पेश करता। अध्यक्ष महोदय, हमें आजादी के चालीस वर्ष बाद में ऐसा बजट देखने को और सुनने को मिल रहा है। हमारे वित्त मन्त्री जी बहुत ही अच्छे, सुलझे हुए विचारों के हैं, पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस के मंजे हुए नेता हैं, उनसे अपेक्षा थी और आशा लगाई थी राजस्थान की जनता ने कि हमारे यहां पर कुछ इस तरह का बजट में नया कार्यक्रम पेश किया जायेगा जिससे बाढ़ से, अकाल से जो भयंकर स्थिति इस प्रान्त में पैदा हुई है उससे हमारी जनता को राहत मिलेगी। लेकिन इस तरह का कोई नया कार्यक्रम, कोई नई बात हमारे वित्त मन्त्री जी ने पेश नहीं की।

(2-0 म. प.)

(श्री **अहमद बक्स सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन**)

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : स्पीकर साहब को शायद ध्यान नहीं रहा, डिप्टी स्पीकर साहब यहां बैठे हुए हैं।

श्री **रामसिंह विश्नोई** : वित्त मन्त्री जी, सबसे पहले 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है, राजस्थान की जनता के ऊपर जो एक तलवार लटका कर रखी है तो सबसे पहले आपको इसकी वजह बतानी चाहिए थी कि आपने डेढ़ सौ करोड़ से 340 करोड़ का किन कारणों से हमारे राजस्थान की जनता के ऊपर भार डाला? इतना

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

भार जो थोपा, इसके क्या कारण थे। 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट होने से पूर्व आपने राजस्थान की जनता के ऊपर जो भार थोपा है इसका समाधान क्या होगा? हमारी जो परिस्थितियां हैं उनमें आने वाले समय में हमारा प्रान्त कैसे चलेगा और हम इसका किस प्रकार से समाधान कर पायेंगे यह पूर्व में आपको सोचना चाहिए। हमारे माननीय सदस्यों को आपको आगाह करना चाहिए था लेकिन किसी भी तरह की जानकारी बजट से पूर्व हमारे को नहीं दी गई और न स्थिति स्पष्ट की। इसलिए, सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आक्षेप लगाता हूं वित्त मन्त्री जी के ऊपर कि 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट राजस्थान की जनता के उपर आपने बढ़ने दिया, उसको आपने रोका नहीं, आपने खर्च कम करने की कोशिश नहीं की, आपने रोक नहीं लगाई इसलिए आप स्वयं इसके दोषी हैं, राजस्थान की जनता, राजस्थान की विधान सभा का इससे लेना देना नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो राजस्थान के अन्दर उपक्रम व उद्योग चल रहे है बिजली बोर्ड आपके सामने हैं, कृषि उद्योग निगम आपके सामने है, राजस्थान पथ परिवहन निगम उद्योग आपका चल रहा है यह इतने वर्षों से घाटे में चल रहे है, लेकिन आज तक आपने कोई रास्ता व समाधान नहीं निकाला। आपका अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर अंकुश नहीं है, उन पर कंट्रोल नहीं है। आप उनसे काम नहीं ले सकते उसका भार किसानों के ऊपर, गरीब आदमियों के ऊपर आता है, उन्हें दण्ड भुगतना पड़ता है। यह उनके साथ अन्याय है, जिसे यह विधान सभा कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान पथ परिवहन निगम में हर साल 10-20 करोड़ रुपये का घाटा चलता है लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं की। आपने कुछ नहीं सोचा। यह निगम जो घाटे में चलता है इसको सही रास्ते पर लाने के लिये आपने कोई कदम नहीं उठाया। आपके अधिकारीगण हैं, वह करप्शन फैलाते हैं। एक प्राइवेट मालिक की बस होती है उसमें सिर्फ एक कण्डक्टर और एक ड्राइवर होता है वह उसे एक साल में एक लाख की आमदनी करा कर देते हैं, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक गाड़ी के ऊपर कम से कम सात-आठ कर्मचारी लगे हुए हैं। वह उस गाड़ी का कभी टायर बेचते हैं, कभी इंजन ले जाते हैं, कभी सीटे निकाल देते हैं। इस स्थिति के अन्दर हमारी दो हजार गाड़ियां हैं। उनमें से चोरी नहीं हुई, इसके लिये हम धन्यवाद देते हैं। अगर आपकी स्थिति यही रहेगी तो आपके यह अधिकारीगण और कर्मचारी उसे ले जाकर नीलाम कर सकते हैं। आपके उद्योग घाटे में चल रहे हैं। बिजली बोर्ड में सत्तर हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। आपके पास चार घण्टे से ज्यदा के लिये बिजली उपलब्ध नहीं है। तीस से बत्तीस पर्सेन्ट बिजली का लीकेज है, नियम के अन्दर जो चोरी करते है, उन पर आपका कंट्रोल नहीं है, उनका

(श्री रामसिंह विश्नोई)

कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं है। ऐसे संस्थान के अन्दर घाटा नहीं होगा तो क्या उत्पत्ति होगी। माननीय मंत्री जी, आप इसको सुधार सकते हैं। आप 31 साल से राजस्थान के अन्दर हैं, आप पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, आपने बड़े-बडे कार्य किये हैं। हम लोग आपसे यह उम्मीद नहीं करते थे कि हमारी चूंदड़ी सस्ती कर दोगे, चूड़ियां सस्ती कर दोगे स्टील सस्ता कर दोगे। यह तरीका है? आप हमारे साथ मखौल करते हैं। आप पहले तो बड़े-बड़े टैक्स लगाते हो, फिर माफ करते हो। नई उपलब्धियां आपने क्या बताई? आपको उपलब्धियों का कार्यक्रम देना चाहिये था। आप अधिकारियों के ऊपर एक साल के अन्दर लाखों-करोड़ों रुपया खर्च करते हो, उनको हटाना चाहिये। कितने अधिकारियों, कितने आई. ए.एस. अधिकारियों को आपने हटाया? आज सचिवालय के अन्दर हजारों आदमी हैं। चपरासियों से ज्यादा आई. ए. एस. भर्ती हैं। प्रत्येक अधिकारी के ऊपर 10-20 हजार मसीना का खर्चा आता है लेकिन आपका उन पर कंट्रोल नहीं है उनको कारों की जरूरत नहीं है, उनको बंगलों की जरूरत नहीं है, उनको टेलीफोन की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके ऊपर 20 हजार रुपया खर्च होता है। दूसरी तरफ हमारे माननीय सदस्य, कभी कुछ गलती कर देते हैं तो दुनिया भर के अखबारों में, हिन्दुस्तान के अखबारों में आता है कि इन्होंने, नेताओं ने ऐसा कर दिया। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है उनको क्या मिलता है? बदनामी मिलती है। वे अधिकारी आपकी चम्पी करते हैं। आपकी गुलामी करते हैं, लेकिन वे स्वयं का फायदा करते हैं, उन पर आप करोड़ों रुपये खर्च करने के सिवाय कुछ नहीं करते। आप उनको निकाल नहीं सकते। मैं पुरजोर शब्दों में आपको अर्ज करूंगा कि जो आपके निगम हैं, जो आपके संस्थान हैं जो घाटे में चल रहे हैं उन संस्थानों को आप इमीजियेट कंट्रोल में लीजिये। ये संस्थान घाटे में चलते हैं, पथ परिवहन निगम को आप नहीं चला सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा रास्ता निकाल कर सही रास्ते पर लाने के उपाय करें, अधिकारियों को नोटिस देना चाहिये और फायदे में करने हेतु कोई रास्ता निकालना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्रीजी ने अभी फ्लेट रेट बढ़ा दी है, हमें कोई नाराजगी नहीं। क्योंकि मैं भी एक किसान हूं, मैं उसका उपयोग करता हूं, मुझे उसके बारे में मालूम है। मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के जो संस्थान हैं जैसे बिजली बोर्ड है, अगर किसी किसान को वह चार घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं देता और वह भी बराबर नहीं देता तो आपको क्या अधिकार है कि आप उसकी रेट दुगुनी करें। यह गलत बात है, किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यह जो फ्लेट रेट बढ़ाये गये हैं, उसके बारे में जो कुछ कहा गया है यह बड़ा अन्याय है। राज-

(श्री रामसिंह विश्नोई)

स्थान आज ऐसे हालात और परिस्थितियों में है जहां भयंकर अकाल है, बाढ़ से किसानों की फसल नष्ट हुई है कुओं में पानी नहीं है, बिजली आप समय पर देते नहीं है, ऐसी हालत में आप फ्लेट रेट ज्यादा करें, यह उचित नहीं है। इसलिये मैं मांग करता हूं यह जो फ्लेट रेट बढ़ाये है उसको कम कीजिये। आपने जो इरिगेशन के बारे में नीति बनाई है, मुझे उसमें एतराज नहीं है। मैं चाहता हूं कृषि के ऊपर खर्च होता है। तो उससे कम से कम इतनी आमदनी सरकार को होनी चाहिये कि वह लाभ में नहीं रहे तो बराबर रहे। लेकिन यह स्थिति नहीं होती है। आप जब तक सहूलियतें नहीं देंगे, नहरें नहीं बनायेंगे, नाले नहीं बनायेंगे, खेती के लिये नई टेक्निक इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक सिंचाई नहीं कर सकते। हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। इसमें आप एट्रेक्शन पैदा कर सकते हैं। आप जो कर लगाते हैं उससे जनता में रोष बढ़ता है, जिसका भागीदार कांग्रेस (आई) पार्टी को बनाना पड़ता है। आप जो कुछ भी काम करते हैं उसका हमारी पार्टी के ऊपर हमारे माननीय सदस्यों के ऊपर, हमारे एरिया के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली की जो फ्लेट रेट है वह इन परिस्थितियों में उचित नहीं है। उसको वापस लेना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल की स्थिति है आपकी केबिनेट के जो मेम्बर हैं और लोग हैं मैंने उनसे निवेदन किया था, आज गांव के अन्दर किसान को बिजली की सुविधा नहीं है, उनका चारा-पानी उपलब्ध नहीं है, बांटा नहीं है। हमने मुख्य मन्त्रीजी को भी निवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र में जो कैटल फीड बनती है उसके अन्दर ग्वार व ज्वार होता है, अगर आप 50 प्रतिशत सब्सिडी उसे दें तो बहुत बड़ा कल्याण काश्तकारों का, पशुपालकों का होगा। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो राज्य के अन्दर गौ सेवा संघ की संस्था चलती है उसको तो सब्सिडी देते हैं, लेकिन जो डेयरी के माध्यम से लाखों का फायदा होता है, उसको नहीं दे सकते। आपके अधिकारी वहां घोटाला करते हैं। अगर आपने इसको वापस नहीं लिया तो हम भयंकर विरोध करेंगे। संस्था वाले जो फीड ब्लैक से बेचते हैं, व्यापारियों को, लोगों को वही फीड ऊंचे दाम पर मिलती है उनके द्वारा। यह जो संस्था है, अच्छी संस्था है लेकिन इसका कार्य ठीक नहीं है। आप मालूम करें और स्पष्ट करें कि किस आधार पर आप उनको फीड पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रहे हैं। उसको आपको बन्द करना चाहिये। डेयरी के माध्यम से जो गांव-गांव में समितियां बनी हैं उनके माध्यम से फीड की बिक्री होना चाहिए। पूरे राजस्थान में पशुओं की स्थिति बिगड़ रही है, आप जो चारा मंगवाते हैं उसको लाने में ही लाखों रुपया खर्चा होता है। हमारे यहां पर हजारों टन फीड बनता है, उसको आप क्यों नहीं बेचते। अगर वह आप किसानों को देंगे तो उनका बहुत बड़ा कल्याण होगा

(श्री रामसिंह विश्नोई)

और आपको बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिये मैं आपसे कहूंगा इसके ऊपर 50 प्रतिशत सब्सिडी देकर समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराने की घोषणा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं फेमिन, अकाल के बारे में कहूंगा। कल कई माननीय सदस्यों ने अलग-अलग तरीके से इस प्रश्न को उठाया। मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अन्दर और पश्चिमी राजस्थान के अन्दर भयंकर स्थिति पिछले दो-तीन सालों से है। जोधपुर डिवीजन के अन्दर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, पाली, सिरोही अजमेर इन जिलों के अन्दर भयंकर सूखे की स्थिति होने के बावजूद केवल 15-15 लाख रुपये खर्च किये हैं पिछले पांच-छः साल से वहां अकाल है लेकिन इस वर्ष आपने भीलवाड़ा के अन्दर 9 करोड़ रुपया खर्च किया। माननीय वित्त मन्त्रीजी, आप बहुत सक्षम क्लेवर और होशियार वित्त मन्त्री हैं। कोई मजाक है आपसे कोई काम करा ले? उसके बावजूद इतना बड़ा घोटाला करके एक ही जिले के अन्दर 9 करोड़ रु. खर्च करे और 50-60 हजार मजदूर वहां पर काम करें, यह आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया? फेमिन कार्यों की स्वीकृति जिला स्तर पर होनी ही चाहिए लेकिन आप लोग प्रस्ताव यहां मंगवा कर दूसरे जिलों की स्वीकृति रोक लेते हैं व चाहे जहां की स्वीकृति करके भेज देते हैं जो बहुत बड़ा जनता के साथ अन्याय है। आपने शह दी है और आपकी मिली-भगत है। आपने मुख्य मन्त्री को खुश करने के लिए किया है, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हम कोई मुख्य मन्त्री खिलाफ नहीं हैं लेकिन उनको बदनाम करने के लिए, उनको प्रलोभन देकर 20 तरह के काम खुद कराने के लिए आपने परमिशन दी है। यह आपको देखना चाहिए, यह कोई राम-सिंह का प्रश्न नहीं है, जोधपुर का प्रश्न नहीं है, जनता का प्रश्न है। जो किसान मजदूर हमारे प्रोग्राम के अन्दर आस्था रखते हैं, जो इन्दिरा गांधी के प्रोग्राम में आस्था रखते हैं उन लोगों के साथ आपने बहुत बड़ा फरेब किया है, धोखा किया है। जुलाई से अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च 9 महीने तक उन्होंने इन्तजार किया आपका। उन्होंने क्या गलती की है? आज वह अकाल से ग्रस्त हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं है, काम आप उनको दे नहीं सकते, आप उनको जिन्दा रहने के लिए काम नहीं दे सकते। आप पक्के काम करें इसमें क्या आपत्ति है? आप राजस्थान कैनाल को वहां पर ले आयें, आप बड़े-बड़े बांध बनायें। आप उनको फेसिलिटीज दीजिए। फेसिलिटीज आप मुहैया कर नहीं सकते, सड़कें बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। स्कूल खोलो उसके लिए पैसा नहीं है। सफाखाने खोलने

(श्री रामसिंह विश्नोई)

के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आप जनता को आदमियों को भूखा मरने के लिए बाध्य करते हो। बाध्य करते हो, मजबूर करते हो, यह ठीक नहीं है। आप सक्षम मन्त्री हैं, आप मन्त्री हैं, आप मुख्य मन्त्री हैं आप 8-10 आदमियों के ऊपर सारे राजस्थान का जिम्मा है। अगर हम कह दें कि जनता भूख से मर रही है या भूख से मरने की बात करें तो आप खड़े होकर कहेंगे कि कोई आदमी भूख से नहीं मरा। लेकिन कैसे नहीं मरा ? जुलाई के अन्दर अकाल था, जुलाई के अन्दर बरसात नहीं हुई, अगस्त के अन्दर नहीं हुई और काम रोजगार उन्हें दो नहीं तो फिर कौनसा जादू है जिससे वह जिंदा रह गया ? आप लोगों को देखना चाहिए। कोई मानवीय दृष्टिकोण भी होता है। आप इन्दिरा गांधी से मिले हैं, बड़े नेताजी से मिले हैं, आप भारत के फाइनेन्स कमिश्नर से मिले हैं और फाइनेन्स मिनिस्टर से मिले है। जिससे आप मिले हैं उससे कोई हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है काम से। हमें जनता से मतलब है। आपको अच्छे काम कराना चाहिए। अगर नहीं करा सकते हैं तो आप सक्षम वित्त मन्त्री नहीं हैं। आपने यहां पर सदस्यों को बताया था कि आप दिल्ली गये थे। दिल्ली जाना चाहिये, आपका जाना बेजा नहीं है लेकिन आपके जाने का फायदा क्या हुआ ? उसके बाद भी 340 करोड़ रु. का घाटा है। उसकी पूर्ति नहीं कर सके। उसके बावजूद काम नहीं खुलवा सके। दिल्ली टूर के बाद भी फेसिलिटीज मुहैया नहीं करा सके। दिल्ली जाने के बावजूद 4 घण्टे से ज्यादा बिजली मुहैया नहीं करा सके। चारे की व्यवस्था आपसे हो नहीं सकी। आखिर आप हमसे क्या चाहते हैं ? हम इतने बड़े बेवकूफ सदस्य हैं कि जो कुछ भी बजट पेश कर देंगे उसको हम मन्जूर कर देंगे ? हम भोले नहीं हैं। हम लोग समझते हैं, हमारी मजबूरी है और आपकी परिस्थितियां हैं लेकिन आप कुछ काम करें। आप 25 साल के तजुर्बे के वित्त मन्त्री हो इसलिए आपसे उम्मीद नहीं करते थे कि इस तरह का बजट आप यहां पेश कर देंगे। हम कतई यह स्वीकार नहीं करेंगे। आप जब भी जवाब दें, अगर फ्लेट रेट इरिगेशन की दर लगाई है और उद्योगों पर अधिक कर भार लगाया है उसे वापस लेने की घोषणा करें। जो भी नये कार्यक्रम हैं और घाटे में उपक्रम चल रहे हैं उनमें जो करप्ट अधिकारी हैं जिन्होंने करप्शन किया है जिन्होंने लाखों करोड़ों का घाटा पहुंचाया राज्य सरकार को और जनता को उनके खिलाफ अगर कोई कार्यवाही नहीं की, आपने इस तरह का आश्वासन नहीं दिया, आपने हमको विश्वास में नहीं लिया तो इस बजट को हम पास नहीं होने देंगे। हम आपको परामर्श देते हैं। इस तरह के बजट की 20-25 साल के तजुर्बे वाले वित्त मन्त्री से हम उम्मीद नहीं करते थे। आपने 14 करोड़ रु. की बचत का बजट प्रस्तुत कर दिया। आपने एक भी स्कूल हमको नहीं दिया, आपने सफाखाना हमको नहीं दिया। राजस्थान की जनता अकाल से ग्रसित है,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

पानी की समस्या है फिर भी काम आप खोलते नहीं, स्कूल आप दे नहीं सकते, सड़क आप बना नहीं सकते, बिजली 4 घण्टे से ज्यादा नहीं दे सकते और जनता को भूख से मरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप कहें कि भूख से मरने देंगे नहीं और एक बोरी अनाज की पंचायत में रख दी तो यह कौन सहन करेगा? वित्त मन्त्रीजी, हालात के अन्दर मैं मजबूर हूं, पार्टी की वजह से बंधा हुआ हूं इसलिए तो मैं समर्थन करता हूं बाकी जैसा आपने बजट पेश किया है बिलकुल इसके पक्ष में नहीं हूं। हमारे 138 माननीय सदस्य हैं उनमें से 130 इस बजट के खिलाफ हैं। इतना ही कह देना चाहता हूं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस तरह का बजट भविष्य में पेश नहीं करें। पार्टी के हित में जनता की प्रगति के लिए आप नया कार्यक्रम पेश करें। जो घाटे में उपक्रम चल रहे हैं उनको आप बन्द कर दें, बन्द नहीं कर सकते, तो ऐसे आई. ए. एस. आफिसर्स जिनकी वजह से घाटा हुआ है, उनको बर्खास्त कर दें, उनको नौकरी से हटा दें, उनकी गाड़ी छीन लें, उनके ऐशो आराम खत्म कर दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम राजस्थान की जनता, राजस्थान विधान सभा के सदस्य कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समझते हैं हमारी मजबूरी है इसलिए हम ये बातें सुनते हैं व इसका समर्थन करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, 3 मार्च को राज्य विधान सभा में बजट पेश किया गया। यह सारा बजट, पूरा बजट पढ़ने के बाद।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि एक खाना, पूर्ति का बजट है अनमनेपन से बनाया गया बजट है, विकास के प्रति इनडिफरेन्ट बजट है। घाटा पूर्ति को ही मुख्य लक्ष्य रख कर बजट बनाया गया है जिसमें न विकास के इन्डीकेशन्स हैं न टार्गेट्स हैं, न अलाटमेंट आफ मनी है, किसी चीज का इसमें हवाला नहीं मिलता। इस बजट भाषण के पैरा नं. 66 में यह इन्डीकेशन दिया है कि यदि केन्द्र से हमको इतना पैसा मिल गया तो स्कूल खोलेंगे, तो अस्पताल बना देंगे या अन्य इसी तरह के जनता की सुविधा के विकास कार्य कर देंगे। इसके अलावा कोई टार्गेट्स और सजेशन्स नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को देखने के बाद यह लगता है कि न कोई बजट की सैंक्टिटी है और न बजट की भावना है। न जनता को या विधान सभा के सदस्यों को इसके प्रति उत्कण्ठा है। इसका अनुमान आप पीछे के बैंचेज और विजिटर्स गैलरीज में खाली जगह है उसको देखकर लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा लगता है कि सारी व्यवस्था ही कोलेप्स हो रही है। लोगों को उत्कण्ठा इसलिए नहीं है कि सबको मालूम है कि यह फारगोन

(श्रीमती विद्या पाठक)

कन्क्लूजन्स हैं कि क्या होने वाला है किस तरह से सरकार चल रही है इसके प्रति अब उनको कोई आशंका नहीं है। इसलिये सरकार में कोई कान्फिडेंस नहीं है क्योंकि सरकार का कोई आर्थिक चिंतन ही नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का बजट पेश किया गया है उससे नहीं लगता है कि इस सबके इम्प्लीकेशन्स क्या हैं, क्या आर्थिक स्थिति है यह सरकार या तो इसको समझती नहीं या फिर समझना चाहती नहीं। मैं यह तो नहीं कहूंगी कि समझने की क्षमता नहीं है परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, जनता के हितों के प्रति कोई संवेदना भाव इसमें नहीं और न इसमें भविष्य का आर्थिक चिंतन या कल्पना है अन्यथा जो सरकार वंशानुगत राज चलाना चाहती है उसका इस तरह का एटाकिज्म का बजट है कि जो दिन निकल जाय वही उसका है। इस बजट को देखकर, मैं समझती हूं, माननीय सभी सदस्यों की भावना है है कि एटाकिज्म का बजट है, जो दिन निकल जायं, जितने दिन सरकार बनी रहे वही हमारे हैं उसके बाद क्या होता है उससे उनका कन्सर्न नहीं है। राज्यपाल का अभिभाषण हो या बजट स्पीच हो ऐसा लगता है कि सब कुछ इर्रेलेवेन्ट है। स्वीकारोक्ति माननीय वित्त मन्त्री ने की है। बहुत-से अपने पिटफाल्स, अपनी बहुत-सी कमियों की स्वीकारोक्ति की है। उसको पढ़ कर ऐसा लगता है कि वे उपदेश दे रहे हैं, स्वयं को उपदेश दे रहे हैं। प्रशासन को सुधारना चाहिये, स्वयं को यह उपदेश दे रहे हैं कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसके कुछ फिजिकल अचीवमेंट्स भी होने चाहिये। मैं पूछना चाहती हूं, मन्त्री महोदय, कि अगर आप स्वयं इतने प्रबुद्ध थे इन सारे कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये; तो आपको रोका किसने था ? यह उपदेश किसको दिये जाने की आवश्यकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय, बजट को देख कर ऐसा लगता है कि यह तो योजनाओं को चलाने वाला बजट नहीं है, विकास की तो बात छोड़िये एक कैरी आन वाला बजट भी नहीं है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगी। 1980-81 में 339 करोड़ का बजट था, 1981-82 में 350 करोड़ का जिसमें 17 करोड़ अग्रिम राशि भी शामिल थी, 1982-83 में यह 340 करोड़ का एक्चुअल बजट है और 19.22 करोड़ की अग्रिम राशि केन्द्र से यानी आयोजना आयोग से इनको मिली है। इसको अगर इन्फ्लेशन की रेट से कन्सीडर करें तो यह 260 करोड़ रुपया ही बैठता है, इससे ज्यादा नहीं बैठता है। संसाधनों के विषय में जो चर्चा की है माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कम से कम मैं तो आशान्वित नहीं हूं कि जो आप आशा लगाये बैठे हैं, उससे आप कुछ धन जुटा पायेंगे। इसके बाद फिर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके सारे कार्यक्रमों को लें चाहे वह मन्त्रीजी के भाषण हों, चाहे वह विधायकों के भाषण हों, एक ही सूत्र पकड़ रखा है वह है इन्दिरा गान्धी, संजय

(श्रीमती विद्या पाठक)

गान्धी, राजीव गान्धी की स्तुती-वन्दना से शुरु करते हैं और सारे 20 सूत्री कार्यक्रमों की आरती करते हुए इति श्री राजस्थान के टोटल विकास और राजस्थान के हितों की करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, 20 सूत्रों की भी जो इन्होंने क्रियान्विति की है, चुनाव कैसे हुए है, यह अनुभव आपको भी है। 20 सूत्री कार्यक्रम का जो दूसरा सूत्र है वह है शिक्षा का। शिक्षा के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, रोजाना विधान सभा में देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है कि जहां स्कूल हैं वहां विद्यार्थी नहीं हैं. जहां विद्यार्थी हैं वहां स्कूल नहीं हैं और यदि दोनों हैं वहां शिक्षा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की हालत तो यह है, हिन्दुस्तान की 17 स्टेटों में से 15 स्टेटों के जो आंकड़े शिक्षा के बारे में मंगाये और उनमें हमारे यहां साक्षरता के प्रतिशत को देखें तो पता चलेगा कि प्रतिशत क्या है। पूरी विधान सभा और पूरे राज्य को यह सुन कर खेद होगा कि 15 स्टेट के जो आंकड़े आये हैं उनमें राजस्थान की स्टेट सबसे नीचे साक्षरता में है। हमारा 15 वां नम्बर है। पैसा इतना खर्च होता है, 23 प्रतिशत बजट का इस पर खर्च होता है उस पर भी साक्षरता के यह आंकड़े हैं। फर्स्ट इन्डीकेशन तो यह स्पष्ट करता है कि हमारे यहां ज्यादा पैसा खर्च होता है, हायर एजूकेशन के लिये। बेरोजगारी और असंतोष इससे ज्यादा बढ़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्रास-रूट लेवल पर एजूकेशन पर खर्च होना चाहिये वह नहीं किया जा रहा है।

जहां तक वृक्षारोपण का सवाल है रुपया तो करोड़ों की संख्या में हम बजट में देखते हैं, हम रोज विधान सभा में सुनते हैं और रोजाना अखबारों में भी पढ़ते हैं मगर वृक्ष कितने हैं, इसकी कोई न जानकारी है और न कोई ब्यौरा सदन में रखा जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब सिस्टेमेटिकली जंगलों की कटाई वैध और अवैध रूप में हो रही है। ठेकेदारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

पिछड़े को पहले के विषय में कहना बेकार है। पिछड़े को पहले खतम करो यह इनका मोटो है, ऐसा प्रतीत होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट का प्लान आउट ले जो 80-81 में था वह 339 करोड़ रुपये था और 81-82 में 360 करोड़। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि 17 करोड़ की अग्रिम राशि इसमें शामिल है। वर्ष 82–83 में 359 करोड़ रुपये है इसमें 19.22 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि भी शामिल है। तो यह स्टेट का प्लान आउट ले है। उपाध्यक्ष महोदय, विकासशील देशों में धनराशि के आंकड़े विकास के बढ़ने

(श्रीमती विद्या पाठक)

चाहिये घटते नहीं हैं। प्लान में जो पैसा दिया जाता है वह बढ़ना चाहिये। मुख्य मन्त्रीजी वक्तव्य देते हैं कि दिल्ली से जो प्लान का पैसा मिला है उसमें कोई कटौती नहीं की गयी है। पर जब जवाब देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि यह कटौती क्यों हुई और घाटा क्यों हुआ ? दोनों का कोई कोरिलेशन ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, 82–83 के मैं कुछ बजट आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहूंगी। राजस्थान में राजस्व प्राप्तियां 82–83 में अनुमानित 870.27 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां 313.11 करोड़। यह प्राप्तियां आपकी अनुमानित हैं इसमें घाटा होगा 878 करोड़ रुपये का और इसके विपरीत व्यय होगा राजस्व में 878.52 पूंजीगत में 355.24 करोड़, कुल मिलाकर 1,233.76 करोड़ का अनुमान है। अनुमानित आय है 1183.43 करोड़। सो यदि नेट घाटा देखे तो 50.33 करोड़ रुपये है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह केवल घाटा ही नहीं है, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने बड़ी सफाई से हालांकि स्वीकारोक्ति तो भाषण में की है किन्तु यह बताने की कोशिश नहीं की कान्क्रीटली, कि यह 340 करोड़ का जो ओवर ड्राफ्ट है इसका क्या करेंगे ? 340 करोड़ का जो क्युमुलेटिव घाटा है टोटल मिलाकर उसका क्या करेंगे, इसके बारे में बजट मौन है। माननीय वित्त मन्त्रीजी भी मौन हैं। बात यह कह सकते हैं कि हम दिल्ली में जाकर मिन्नत करेंगे कि इसको लांग टर्म लोन के रूप में बदल दिया जाय। बात करेंगे कि इसको हम राइट आफ करा देंगे। परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति बहुत दयनीय और बहुत चिन्ताजनक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि 31-3-81 को राजस्थान पर कुल कर्जा 11 अरब 35 करोड़ रुपये का था जिसमें से 10 अरब 93 करोड़ रुपये गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का था। 12 प्रतिशत के हिसाब से 153 करोड़ का ब्याज हमें सालाना देना पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा इससे ज्यादा ही आता होगा। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि राज्य सरकार दिवालिया हो गयी है। राजस्थान की राज्य सरकार के बजट की जिस तरह की हालत है अगर पूरी जनता इस बात को जान ले या जानने की स्थिति में हो, इसके रिपरकशन्स को फील करे, समझने की कोशिश करे और हमारा सदन भी इसके इम्प्लीकेशन को समझता, देखता तो, उपाध्यक्ष महोदय, वह दिन दूर नहीं है जब किसी भी वक्त स्टेट में फाइनेन्शियल इमर्जेन्सी लगायी जा सकती है और गवर्नर रूल हो सकता है। यह ऐसी सरकार है जो कि राजस्थान की जनता के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने स्वीकारोक्तियां भी की हैं अपनी जो कमियां हैं, जो प्रशासनिक और आर्थिक कमियां हैं

Page No 96

(श्रीमती विद्या पाठक)

और जो ओवर ड्राफ्ट की बात पर लाचारी दिखाई गई है इसके लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि यदि सदन को कान्फिडेन्स में पहले लिया होता तो आधा रहता। विकास के सम्बन्ध में बजट के जो प्रिवियस एक्सपेरीयेन्सेज है उनको देख कर भविष्य के लिये आशान्वित होना मैं सोचती हूं कि दिन में स्वप्न देखने के बराबर ही होगा। वित्त मन्त्रीजी, इसकी कल्पना करनी चाहिये। बार बार केन्द्र से इनको आगाह किया जाता है बार बार केन्द्र से अल्टीमेटम दिया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट यदि हम देखें, विशेष तौर से आर्थिक खर्च और आर्थिक सेवाओं को यदि हम देखें और यदि हम पिछले दो वर्ष की तुलना करें तो आंकड़े तो भयानक लगते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक सेवाओं में कृषि, इण्डस्ट्री, ट्रान्सपोर्ट, इरिगेशन, सहकारिता की सेवाओं में जहां 81-82 में 195.52 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था वहां 82-83 में 118.14 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आर्थिक सेवाओं की स्थिति है जिनसे हमारे प्रदेश के विकास का इन्फ्रास्ट्रक्चर बनता है जिस पर हमारा डवलपमेन्ट बेस करता है। उपाध्यक्ष महोदय, 80-81 की तुलना में 81-82 में कृषि में 7.7 करोड़ रुपये अधिक रखा गया इस बार 4 5 करोड़ रुपये कम रखा गया। पिछले साल से कम रखा गया वह भी कृषि का। भूजल संरक्षण में 2.35 करोड़ रुपये पिछले वर्ष से कम रखा है। पशुपालन में पिछले वर्ष से 17 लाख रुपये की कमी की गई है। जहां तक जंगलों का सम्बन्ध है उसमें एक लाख रुपया पिछले वर्ष से अधिक रखा गया है ऐसा अनुमान है। सामुदायिक विकास की योजनायें समाज की सेवाओं के लिये बढ़नी चाहिये इसमें पिछले वर्ष भी 80-81 से 81-82 में 25 लाख रुपये कम रखा था, इस साल चार लाख रुपया और भी कम र दिया गया। ग्राम लघु उद्योग में पिछली साल जो पैसा रखा था उसके अनुमान में इस साल 12 लाख कम रखा है। सहकारिता के क्षेत्र में भी पूंजीगत खातों में बहुत भयंकर कमी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि पर्सेन्टेज इनकी देखें कि इस पर टोटल बजट का कितना खर्च सरकार करती रही है तो हमने 80-81 में आर्थिक सेवाओं पर 33.88 प्रतिशत और 81-82 में वह खर्चा घटाकर 26.15 प्रतिशत रखा। इस वर्ष 82-83 में 26 प्रतिशत ही रहेगा और शायद इससे भी कम होने की सम्भावना है। जहां तक बहु उद्देश्यीय परियोजनाओं का सवाल है दो करोड़ रुपये की इस वर्ष बजट में कमी आई है। परिवहन का सवाल जहां तक है उसमें तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष से 62 करोड़ रुपये की कमी रखी गई है। विकास और उत्पादन पर इसका सीधा फर्क पड़े यह बिलकुल लाजिमी है। माननीय उपाध्यक्षजी, बार बार केन्द्र के मन्त्री, केन्द्र सरकार व आर्थिक विचारक इस बात के लिये आगाह करते है कि

(श्रीमती विद्या पाठक)

फिजिकल यूटिलाइजेशन पैसों का तो हो रहा है, मनी टार्गेट्स तो कम्पलीट किये जा रहे हैं पर उसका फिजीकल अचीवमेंट और फिजीकल आउटपुट क्या है उसका लाभ जनता को क्या है, वह पक्ष बिलकुल मानीटरिंग नहीं किया जा रहे हैं। इसी वजह से आज यह स्थिति हो रही है कि हर चीज में हमको घाटे का मुंह देखना पड़ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोशल सर्विसेज किसी भी वेलफेयर गवर्नमेन्ट के लिये बहुत जरूरी हैं उनमें भी हम देखते हैं कि निरन्तर कमी आती जा रही है। लोक स्वास्थ्य, सफाई और जलदाय में पूंजीगत व्यय में 9 करोड़ रुपये की कमी पिछले वर्ष से अधिक आई है। सहकारिता में 3.6 करोड़ की कमी, चिकित्सा में 6 लाख की कमी और इसी तरह राजस्व खर्चे में शिक्षा में पिछले वर्ष से 10 करोड़ की कमी, आवास में 1 करोड़ की कमी व सोशल वेलफेयर में 7.5 करोड़ की कमी, सामाजिक सुरक्षा में 40 लाख की कमी है। सोशल सर्विसेज मद में खर्चा होने का पर्सेन्टेज कैसे निकला। सन् 1981-82 में 43.61 करोड़ सोशल सर्विसेज स्कीम, जो कि सामाजिक सेवायें कहलाती हैं, के हैड में में खर्च किया गया था। 1982-83 में यह डिक्लाइन होकर 40.66 पर्सेन्ट रह गया। जहां तक विकास का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति बड़ी भयंकर रूप से डेप्लोरेबल है। प्लान में में प्रति वर्ष 5 पर्सेन्ट विकास गति होती रहनी चाहिए, हर वर्ष ऐसा एक मापदण्ड मानकर चलते हैं। विकास डवलपमेंट के लिए एक्सपेण्डीचर अधिक होना चाहिए और नान-डवलपमेंटल हैड्स में एक्सपेन्डीचर घटता जाना चाहिए या स्टेटिक रहना चाहिए। यह जरूरी है, पर यदि हम आंकड़े देखें तो डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर पिछले वर्ष 1981-82 में 9 अरब 68 करोड़ रुपये था और 1982-83 में यह घटकर 8 अरब 44 करोड़ रुपया रह गया है यानी 1.24 अरब रुपये की कमी और वह भी डवलपमेंटल एक्टीविटीज के अंदर परन्तु इसके विपरीत, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नान-डवलपमेंटल एक्टीविटीज में 1981-82 में 2 अरब 23 करोड़ रुपये और 1982-83 में 3 अरब 7 करोड़ रुपया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 अरब 23 करोड़ रुपया और 3 अरब 7 करोड़ का माइनस करके निकले 84 करोड़ रुपये। कल्पना करिये कि जब कि कोई डवलपमेंट ही नहीं हुआ, नयी स्कीम कोई नहीं चली है, कोई योजनाओं से लाभ नहीं मिला है स्टेट को उसके बाद भी नान-डवलपमेंट में इतना खर्चा बढ़ाया जा रहा है। उसमें मंत्रियों का खर्चा भी है। मंत्री जी ने आज ही विधान सभा में प्रश्न का उत्तर देते समय इसी विषय के आंकड़े बताये हैं। पिछले 10 महीनों में 2 लाख 20 हजार से अधिक रुपया तो केवल हमारे मंत्रियों के यात्रा भत्ता पर खर्चा हुआ है। इसके अतिरिक्त पावर्स आदि हैं। दूसरे अलाउन्सेज-हैं उनको मिलाकर देखिये। उन सब बड़े-बड़े आंकड़ों में 10 पर्सेन्ट तो सिर्फ हमारे वित्त मंत्रीजी का खर्चा आया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति बहुत ही डेप्लोरेबल है। खर्चा तो डवलप-

(श्रीमती विद्या पाठक)

मेंट के लिए अधिक होना चाहिए पर नान-डवलपमेंट पर खर्चा किस दर से बढ़ रहा है इसके लिए कुछ आंकड़े देना चाहूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1978-79 में यानी जनता पार्टी की सरकार में यह टोटल नान-डवलपमेन्ट खर्च बजट का 28.29 पर्सेन्ट था ; 1981-82 में 30.23 पर्सेन्ट रहा टोटल बजट का नान-डवलपमेंट में, यानी एस्टेब्लिशमेन्ट में और इसी तरह के अन्य प्रबन्ध खर्चों में। 1982-83 में वह पर्सेन्टेज 32.86 करोड़ रह गया यानी 1978-79 में जो 28.29 पर्सेन्ट बजट का था, 1982-83 में वह 32.89 पर्सेन्ट हो गया। इस एस्टेब्लिशमेंट का बेनिफिट क्या मिल रहा है? जितना एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है उसके प्रपोर्शन में योजनाओं और जनता को लाभ देने की योजनाओं पर कितना खर्चा है, इसका तो बजट विवरण में आंकड़ा ही नहीं है।

जहां तक कर्मचारियों की संख्या का सवाल है, 1978-79 में 3 लाख 7 हजार थी वह 1981-82 में 3 लाख 64 हजार हो गयी....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा टाइम देने का कष्ट करें। मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगी।

1982-83 में इन कर्मचारियों की संख्या, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 3 लाख 67 हजार हो जायेगी। इसके प्रपोर्शन में बेनिफिट सरकार को क्या है? और जनता को क्या है? बराबर हम आंकड़े देखते हैं और बार-बार प्लानिंग कमीशन इनको अल्टीमेटम देता है कि अपनी आर्थिक स्थिति सुधारिये। जहां तक लेबर क्लास का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1979-80 में 1 लाख 77 हजार मैन डेज का लॉस हुआ था और 1980-81 में 2 लाख 68 हजार का उसके अनुपात में इस वर्ष 1981-82 में सिर्फ स्ट्राइक से ही, लाक आउट या ले आफ से नहीं, 6 लाख मैन डेज का लॉस हुआ। तो यह जब लेबर दिवस लॉस का हाल है, यह जब हमारी फाइनेन्शियल स्थिति का हाल है तो हम प्रोडक्शन की कल्पना कहां करेंगे। यह एक विचारणीय विषय है। निश्चित रूप से इन कार्यकलापों का प्रभाव प्रोडक्शन पर पड़ेगा ही, इसको मंत्री जी भी नहीं रोक सकते और उनकी सरकार भी नहीं रोक सकती।

1981-82 में उत्पादन घटा जिसके सबूत में तो हमारा बजट इतना डाउन आया है। यह किसान विरोधी बजट, छोटे उद्योगों का विरोधी बजट और उत्पादन विरोधी बजट है। 20 में से 14 अण्डर-टेकिंग्स, सब नुकसान में चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बार-बार इनको अल्टीमेटम देती

(श्रीमती विद्या पाठक)

हैं, उनके एग्जीक्यूटिव्स को अल्टीमेटम देती हैं। बहुत चिन्तित हैं। हमारे आर्थिक ढांचे में से इनमें जितना मनी इनपुट स्टेट का है उसके मुकाबले में आउटपुट से बेनिफिट नहीं है और विकास के कार्यों में लगने की क्षमता न बना सके तो यह स्वाभाविक है कि आर्थिक ढांचा चरमरायेगा ही।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 81-82 में इंडस्ट्रियल लॉस 1800 करोड़ रुपया जहां देश का हुआ, 56 करोड़ रुपये के इंडस्ट्रियल लासेस हुए हैं राज्य में। इसी तरह पावर सप्लाई में क्राइसेस, डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्सेज के कारण अनुत्पादकता बढ़ी है और बढ़ रही है। इस तरह की छोटी छोटी इण्डस्ट्रीज पर टैक्स लगाया गया है इससे उत्पादकता घटेगी ही। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आसपास के एडजोईंग स्टेट में रॉ मैटीरियल पर जो टैक्स लगाया जा रहा है वह टैक्स का नहीं है नेचरली उनका मार्केट उन प्रदेशों में कम होगा। आपने बिजली पर टैक्स लगाया और फिर भी बिजली देंगे नहीं उनको। इसी तरह से नान अवेलेबिलिटी तो है ही उसके ऊपर टैक्स अलग है, तो इससे निश्चित रूप से उत्पादन घटेगा। वाटर सप्लाई और पावर की पोजीशन के बारे में कहने की जरूरत नहीं है. रोज इसकी सदन में चर्चा हो रही है। सीमेन्ट की पोजीशन वैसे ही बहुत खराब है। एक बार स्टेटमेंट श्री एन. डी. तिवाड़ी का यह आता है कि सीमेंट का रिकार्ड उत्पादन हुआ है इस वर्ष, यह केन्द्रीय मन्त्री कहते हैं लेकिन आज राज्य में सीमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है और दिल्ली में भी सीमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यह उत्पादनकारी जो चीजें हैं इनको तो हम बरबाद करते जा रहे हैं और उत्पादन वर्ष में हम उत्पादन बढ़ाने की एक कल्पना कर रहे हैं, इन दोनों चीजों की कहां काम्पीटेबिलिटी है।

उसके अलावा जनसंख्या जिस तरह से बढ़ी है, देश का और प्रदेश का भविष्य क्या होने वाला है इसको सोच कर भय होता है। प्रशासन द्वारा कार्य प्रणाली का एक ही उदाहरण देना चाहूंगी। 80-81 में 141 करोड़ रुपये का प्रावधान गरीबों को ऋण देने के लिए रखा हुआ था। 1981-82 में सहकारिता विभाग द्वारा किसानों और पिछड़े वर्ग के लोगों को एग्रीकल्चर लोन के लिए 141 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था 31-1-82 तक यानी 10 महीने में इसमें से केवल 35 करोड़ 12 लाख रुपया ही यूटिलाइज हुआ, अब ¾ मनी दो महीने में ही यूटिलाइज कर देंगे। तो किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में फाइनेन्सेज कैसे सुधरेंगे और उसके बाद गरीबों को राहत कैसे मिलेगी, जिसके लिए यह बैठे हैं। यह राज्य प्रशासन पर गंभीर आरोप है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लिट्रेसी के आंकड़े मैंने अभी बताये। 23 पर्सेन्ट आफ दी बजट खर्च करके आज हम देश के 17

(श्रीमती विद्या पाठक)

राज्यों में से 15 वें स्थान पर हैं । 16 और 17 वें, 2 स्टेट के आंकड़े अवेलेबल नहीं नहीं हैं । यानी सबसे बाटम पर है । इसलिए, माननीय वित्त मन्त्री जी, आप शिक्षा मन्त्री भी हैं इन आंकड़ों को देखकर सोचिये कि ग्रास रूट लेवल पर नीचे गांवों में स्कूली एजूकेशन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । पॉलिटिकल दृष्टिकोण को त्याग करके देश के हित में और बच्चों के भविष्य को देखकर शिक्षा की नीति सोचिये ।

जहां तक पावर कन्जम्प्शन का सवाल है 1980-81 में कृषि के सैक्टर में टोटल पावर प्रोडक्शन का 34 31 पर्सेन्ट 1981-82 में उसको घटाकर 25·46 पर्सेन्ट कर दिया । उद्योगों में 1980-81 में यह कुल पावर उत्पादन की 44.20 पर्सेन्ट और 1981-82 में 53.55 पर्सेंट बिजली उद्योगों को दी गयी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग में भी कोई बहुत हैप्पी सिचुएशन नहीं है क्योंकि यह बिजली भी कोई लघु उद्योगों को मिली हो, यह जरूरी नहीं है और वास्तविकता में भी यह है ही नहीं । 23 दिन के बाद कल शाम को लघु उद्योगों को बिजली देना शुरू किया गया है । उनके अलावा छोटे उद्योगों को यदि बिजली नहीं दी जाती है परन्तु बिजली की चोरी खूब होती है । बिजली के आफिसेज जरूर खुशबू से महक रहे हैं । इसी तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर उद्योग पर बिजली की कटौती नहीं हो सकती, हिन्दुस्तान कापर पर नहीं हो सकती पर छोटे उद्योगों के लिए बिजली की कटौती की ही जायेगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नीति यदि प्रशासन तन्त्र की रहती है तो भविष्य की कल्पना और भविष्य की आशा को, माननीय वित्त मन्त्री जी, आप निश्चित रूप से छोड़ दीजिये । आपने किसानों पर बिजली और दूसरे सिचाई के टैक्स लगाये हैं । मुझे कहना है, माननीय वित्त मन्त्री जी, आपने अपने सहयोगियों व पड़ोसी मन्त्रियों का तो खयाल किया होता । माननीय सिचाई मन्त्री जी माननीय कृषि मन्त्री जी दोनों किसानों के नेता हैं, आपने सबसे पहले उन पर ही प्रहार किया है । इतने विधायक हैं उनमें हम सब अधिकांशतः कृषि क्षेत्रों से आते हैं । किसानों व लघु उद्योगों से हमारी सबकी सहानुभूति है, पूरा सहयोग है । यह किसान विरोधी बजट बनाकर आपने हम सबकी पोजीशन फाल्स कर दी । रूरल क्षेत्रों में जाने लायक न छोड़ा । हो सकता है आपकी भी स्थिति हमारे समान ही रहे, आप भी रूरल क्षेत्रों में न जा सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह सरकारी मशीनरी का किस तरह मिस यूज हो रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं है । बेरोजगारी के आंकड़े बड़े भयानक हैं । 31 दिसम्बर तक 1,91,8?0 बेरोजगार थे । एक प्रश्न का यह जवाब सदन में आया है । इतने भारी संख्या में लोग रजिस्टर्ड हैं

(श्रीमती विद्या पाठक)

एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में। उनमें ग्रेजुएट्स हैं 48,668 और इससे भी ज्यादा हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स पांच हजार के करीब हैं। यह बेरोजगारी की स्थिति है।

जहां तक रुपये की कीमत का प्रश्न है, यह तो डिक्लाइन पर निश्चित रूप से है, इसको आप और हम सब लोग जानते हैं। ऐसा लगता है कि टोटल बजट को पीसेज में देखा गया है। बजट बनाते वक्त कन्सोलिडेटेड या कि इन्टेग्रेटेड इस तरह का कोई प्लान या योजना दिमाग में रखी हो, ऐसा नहीं लगता है। जैसा जिस विभाग ने जो विवरण, रिक्वीजिशन दे दिया उसका कम्पायलेशन कर लिया। इसलिये कहीं कोरिलेशन किसी भी विभाग में हो, ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है, स्टेट के डिपार्टमेंट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और रिक्वीजिशन भेजी हुई है एकत्रित करके रूड़ फार्म में रख दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न है, आपने उनका तो बण्टाधार कर दिया। रिटायरमेंट आयु 55 से 58 की उम्मीद लगाये हुए थे कि अवधि बढ़ जायेगी रिटायरमेंट एज की, वे उम्मीद लगा रहे थे कि वेरी कमीशन का कुछ इम्पेक्ट होगा, आप कुछ सोचेंगे उस पर और शान्तिपूर्वक व सहानुभूतिपूर्वक विचार करके डिस्पेरिटी और अनोमोलीज को खतम करने की कोशिश करेंगे किन्तु आपने कुछ भी उनके लिये नहीं किया। आज के दिन वे बहुत दुखी हैं और ओपनली कमेन्ट करते हैं।

जहां तक किसान का प्रश्न है, आपने किसान को तो इस बजट में वैसे ही मार दिया। किसान को वैसे ही बिजली अवेलेबल नहीं है। उसके ऊपर मीटर्ड बिजली पर ड्यूटी, मीटर्ड रेट पर भी ड्यूटी बिजली की लगा दी। जहां तक प्रश्न है फ्लेट रेट का, उसको दुगुना कर दिया, उस पर भी पांच प्रतिशत ड्यूटी और सिंचाई पर 25 प्रतिशत ले लेंगे। इससे अगर आपने 6 करोड़ बचा भी लिया तो प्रोडक्शन लासेज किसको व कितना होगा, आपने सोचा? क्योंकि न आप खाद दे रहे हैं और न बीज दे पा रहे हैं, पानी की स्थिति वैसे ही खराब है, इन्टर-स्टेट से अपना पानी नहीं ला पा रहे हैं। यह सब का काम्बीनेशन कर क्या होगा, क्या सूरत राजस्थान की अगले वर्ष मिलेगी, यह एक बड़ी भयानक कल्पना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बजट में उद्योगों का जहां तक सवाल है मैंने जैसा कहा, बजट उद्योग विरोधी है, किसान विरोधी है। जहां तक बड़े उद्योगों का प्रश्न है, उन उद्योगों को तो आपने टच नहीं किया क्योंकि वे आपके अपलुएंट क्लास से आते हैं, आपके कान्टेक्ट्स में रहते हैं, लेकिन छोटे उद्योगों को तो आपने बिलकुल ही बरबाद कर दिया। कच्चे माल, जिस पर

(श्रीमती विद्या पाठक)

पांच साल तक कोई टैक्स नहीं लगता था, पर आपने बिक्री कर एक प्रतिशत बढ़ा दिया। आप बिजली वैसे ही नहीं दे रहे हैं। राजस्थान में रा-मैट्रीरियल मिलता नहीं है, बाहर से वे लोग मंगवाते हैं, बाहर की स्टेट्स में यह टैक्स है नहीं फिर कौनसे मार्केट में उनका प्रोडक्शन जायगा? आप सोचें उसका प्राफिट स्टेट को कितना मिलेगा? माननीय वित्त मंत्रीजी, टोटल पर्सपेक्टिव में आपने इसको देखा ही नहीं है। इसी तरह उद्योगों पर बिजली की आपने रेट्स आलरेडी पिछले एक साल में बढ़ा दी हैं वह भी बहुत ज्यादा हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपा कर जल्दी खतम करें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 3-4 मिनट में खतम कर दूंगी।

इसी तरह जो बिजली की रेट्स बढ़ाई है, औद्योगिक क्लाइमेट है उससे किशनगढ़ का चाहे पावर लूम हो, चाहे जयपुर के अन्य उद्योग हों, राजस्थान के अन्य उद्योग हों वैसे ही सब लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि उसको आप बिजली व अन्य आवश्यक सुविधा नहीं दे पा रहे हो। बिजली दे नहीं रहे है टैक्सेज और बढ़ा देंगे। एडजोइनिंग स्टेट्स में प्रोडक्शन सस्ता मिलेगा, फिर आपके यहां की चीजें खरीदेगा कौन और फिर आपकी इण्डस्ट्रीज रहेंगी क्यों? यह एक बहुत बड़े विचार की बात है। माननीय वित्त मंत्रीजी, इस पर आप पुनर्विचार करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि लघु उद्योगों पर जो टैक्सेज बढ़ाये हैं बिजली पर भी और रॉ-मैटीरियल पर भी उनको तो आप कम हो कम विध-ड्रा करने का कष्ट करें।

जहां तक कुटीर उद्योग का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि यह बजट काफी रीजनेलिज्म के प्रभाव में आकर बनाया गया है। जोधपुर की स्टील यूनिट्स है, माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष आग्रह हो सकता है, उनका विशेष अनुग्रह हो सकता है उन पर, ठीक है, जोधपुर में स्टील बर्तन बनाना चाहते हैं, राज्य में जहां कहीं भी डवलपमेंट हो अच्छा ही है लेकिन बेलेन्स्ड हो तो और भी अच्छा है। मगर इसके साथ ही रेशमी चुंदड़ी पर टैक्स रिडक्शन किया, टैक्स एक्जेम्पशन किया, माननीय वित्त मंत्री जी, छपाई तो बगरू और सांगानेर की भी बुरी नहीं है। बाड़मेर की भी बुरी नहीं है। अच्छा होता उसको भी आपने कन्सीडर किया होता तो महिलायें ज्यादा प्रसन्न होतीं। इसी तरह रेडीमेड गारमेंट्स पर टैक्स लगाकर आपने बहुत सी महिलाओं को बेरोजगार कर दिया फिर उनके वोटों की अपेक्षा आप कैसे करेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घाटे की

(श्रीमतीविद्या पाठक)

पूर्ति की कोशिश की गई है, मात्र कल्पना की गई है। आपके पहले वाले वित्त मंत्री महोदय भी घाटे की पूर्ति की कल्पना करते रहे हैं कि किस तरह पूरा करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे नहीं कर पाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीन मिनट न बजायें तो मैं पूरा कर दूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : You have taken more than half an hour.

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, I will finish within three minutes.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सेज बढ़ा कर संसाधन जुटाने की बात करते हैं केन्द्र से लताड़ जो पड़ती है आपके पहले वाले मंत्रियों ने भी कल्पना की थी, राजस्थान नहर में जमीन बेचेंगे, नीलाम करेंगे कर नहीं पाये, पॉलिटिकल इश्यू आ गया। यह भी कहा था कि स्टेट में दूसरी जगह भी जमीनें नीलाम करेंगे लेकिन वह तो आपने गिफ्ट कर दीं हाउसिंग सोसाइटीज को, और रेगुलेराइज कर दीं, आप संसाधन नहीं बढ़ा पाये। मुझे पूरी कल्पना है कि टैक्सेज और बजट पैटर्न में आपकी भी संसाधन बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ तो कर आपको कम करने ही पड़ेंगे, कुछ आपके एम. एल. एज. कम करवा लेंगे, कुछ पर आपका ह्यूमन कन्सीडरेशन होगा। स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज या रेडिमेड गारमेंट्स पर कुछ महिलाओं का कन्सीडरेशन करके शायद आप कम कर देंगे। फिर ये कर यों डेफिसिट को पूरा करने की क्षमता नहीं रखते हैं। डेफिसिट आप पूरा नहीं कर सकते हैं, जरूरी है इसके लिये पॉलिटिकल विल। क्योंकि पॉलिटिकल दल तो है आप की सरकार में लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केपीटलिस्ट बजट है। हमारी राज्य की आय का 55 प्रतिशत किसान से आता है, 15 प्रतिशत उद्योगों से आता है। सबसे ज्यादा हिट आपने इस प्रतिशत को ही किया है उसके बाद आप राज्य के आर्थिक सुधार की कल्पना करते हैं। मुझे पूरी शंका है पिकनिक सेट्स या एम्यूनियेशन पर जो आपने बढ़ाया है वे आपकी रेवेन्यू पर आने वाले नहीं हैं। वीडियो खरीदने वाले कितने से लोग हैं कितना सा पैसा आप उनसे ले पायेंगे। इसी तरह टी. वी. सेट्स खरीदने वाले कितने से हैं? ये आपकी रेवेन्यू पर आ जाय यह बिलकुल डाउटफुल है। आपने चमचों को एक्सक्लूड किया है टैक्सेज से यह तो अपनी अपनी बात है, क्योंकि केन्द्र से प्रदेशों तक यही सिस्टम चल रहा है। इसमें हमको कोई विशेष समस्या नहीं है परन्तु फिर भी दूसरी आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कम किया जाता तो अच्छा होता। एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मैथड से आप बजट

(श्रीमती विद्या पाठक)

को 65 पर्सेण्ट से ऊपर बढ़ा चुके है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह पावर पर आप बार-बार बढ़ा चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में आमदनी और संसाधन, उत्पादन के विचार तो छोड़ देने चाहिये। उत्पादन तो इससे गिरेगा, घटेगा रि-पेंइग केपेसिटी घटेगी, रिकवरीज घटेंगी और इसके अलावा जो जनरल बहबूदी अपने प्रदेश की है वह भी निश्चित रूप से घटेगी। स्टेट जो दिवालिया हो गई है, उस पर सचमुच आज विचार करने की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं के विषय में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर बड़ा कन्सीडरेशन किया है। कांग्रेस सरकार जब से आई है, इनके पूर्व वालों ने जो बजट पेश किया उन्होंने सिन्दूर, बिन्दी, और मेंहदी, इन पर टैक्स खतम किया। अगले वर्ष वे और मेहरबान हुए थे और चक्की पर टैक्स खतम किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी सौफियाना ख्वाइश के हैं। इन्होंने चूड़ी और चूंदड़ी पर टैक्स खतम किया। इससे महिलायें सचमुच आभारी होंगी लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बहुत दूर की बात सोचते हैं, इन्होंने पहले ही कल्पना इस बात की कर ली कि इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चूड़ी और चूंदड़ी की आवश्यकता ही नहीं पड़नी है, क्योंकि उनके आदमी तो बेरोजगारी, मंहगाई और भुखमरी में मारे जायेंगे या पुलिस एनकाउन्टर में मारे जायेंगे इसलिये वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी चूड़ी और चूंदड़ी की।

इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं औरतें जो हैं वे इन्स्टीट्यूशनल करप्शन और इन्स्टीट्यूशनल रेप की शिकार हो रही हैं। हवाई जहाज में हो, ट्रेन में हो चाहे थाने में हो, इसलिये चूड़ी चूंदड़ी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस तरह की जो टोटल व्यवस्था है उसमें टैक्स एक्जेम्पशन होगा या नहीं, उसके मायने नहीं है। इस बजट को इनफ्लेशन रेट, केन्द्रीय बजट और आने वाले दुर्भाग्यपूर्ण आई.एल.एफ. लोन, जिसके लिये जो अन्डरस्टेण्डिंग हुई है केन्द्र की उस परिप्रेक्ष में देखना पड़ेगा। पोजीशन बहुत खराब है। माननीय वित्त मंत्री जी, इसके लिये आपको बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। Thank you.

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानाराम।

(अनुपस्थित)

श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष

(श्री अमीन खां)

महोदय, राजस्थान में सन् 1982–83 का बजट 3 मार्च, 82 को माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने सदन में पेश किया जिसकी मैं विद्वानों की तरह आंकड़ों के आधार पर आलोचना और सपोर्ट तो नहीं कर सकता मगर इतना कह सकता हूं कि फिलहाल राजस्थान के जो हालात हैं, राजस्थान में अकाल और खर्चों के हालात हैं उनको देखते हुए हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात इसमें रखी है जिसके लिए मैं तो वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। रेगिस्तान के इलाकों में इन्सान पशु से अलग रह ही नहीं सकता, पशु इन्सान का भाई समझो, चाहे उसका परिवार समझो पशुओं के पीने के लिए पानी की कोई योजना आज तक भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा नहीं बनी थी। इसको लेकर वहां के लोगों में भारी असन्तोष था। इस बजट में डजर्ट में पशुओं के पीने के पानी के लिये स्कीम ली जा रही है। भारत सरकार से भी इसमें मदद ली जा रही है और भारत सरकार ने इसकी सहमति दी है। इससे ज्यादा मेरे लिये तो कोई खुशी का विषय नहीं है।

इसके साथ मैं, वित्त मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा सभी सदस्यों का मानना है कि देश की असली पैदाइश, जिस पर देश जिंदा है, किसान करता है। इसलिये किसान के ऊपर जो टैक्स लगाया है। उसको आप वापस लेने का विचार जरूर करें।

साथ में मैं छोटा सा आदमी होते हुए बड़े आदमी से तीन चीजों की बड़ी उम्मीद करूंगा। मुझे उम्मीद है आप इस पर गौर करेंगे और अपने मन्त्रिमण्डल में निर्णय लेंगे। राजस्थान कैनाल के मन्त्रीजी ने बाडमेर की तरफ पशुओं के पीने के पानी और इन्सानों के पीने के पानी के लिए लिफ्ट योजनाओं का, कहते हैं नक्शा तैयार किया है। वहां के पशुपालकों के लिए चरागाह के लिए सुधार कार्यक्रम रखा है और जमीन नीलाम का सिस्टम किसानों के लिए नहीं रखा है तो हमारे हित में है। अगर उस कैनाल क्षेत्र में आप काश्तकार को नहीं देंगे और जमीन नीलाम कर देंगे तो पंजाब और दिल्ली के बड़े बड़े करोड़पति बाड़मेर और जैसलमेर के गरीबों के मालिक बन जायेंगे और बाड़मेर और जैसलमेर के रेगिस्तान के जो गरीब पशुपालक अभी इज्जत और आजादी से रहना पसन्द करते हैं और खुश हैं वे एक तरह से गुलाम रह करके मजदूर रह जायेंगे। इस पर आप गम्भीरता से विचार करें। मामला वहां के लोगों के हक का है वहां के लोग पशु बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये लिफ्ट कैनाल पशुओं के लिए अवश्य होनी चाहिए। मन्त्रीजी ने जो योजना पेश की है मैं उसको सपोर्ट करता हूं और आप उसको मंजूर करें।

नम्बर दो, आपको जिस तरह से घाटा

(श्री अमीन खां)

सहने को मजबूर किया है और आपको बदनामी का सामना करना पड़ा है, वह सबसे ज्यादा तो रोडवेज के कारण है। कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहता हूं यह गुण्डों का अड्डा है जिस पर कोई किस्म की लगाम नहीं है। एक करोड़पति सेठ करोड़ों का साधन लगा कर भी लखपति नहीं बन सकता लेकिन एक-एक कण्डक्टर और ड्राइवर की 10-10 गाड़ियां चल रही हैं। उनके घर पर सेन्ट की सुगन्ध आती है जो करोड़पतियों के घर से भी नहीं आती है। मेहरबानी करके आप इस रोडवेज के अड्डे को खतम करें, इसके राष्ट्रीयकरण को आप त्याग कर दें तो देश के हित में होगा। इसको नीलाम करके प्राइवेट ठेकेदारों को दे दें। ठेकेदारों को रूट का नीलाम करके परमिट देकर पैसा हासिल कर लें। सरकार को इससे बहुत आमदनी हो सकती है। मैं जानता हूं कि रोडवेज के कई कर्मचारी और अधिकारी हैं वे बेरोजगार हो सकते हैं उनके लिए आप व्यवस्था करो इन्हीं लोगों को लोन पर बसें सुपुर्द कर दो। नहीं तो फिलहाल रोडवेज का जो ढांचा है उससे दो चीजें हर इन्सान के सामने ऐसी आती हैं, जिनसे हर इन्सान नीचे देखकर चलता है वे यह हैं कोई भी औरत और आदमी इस रोडवेज के अन्दर घुस नहीं सकता। वह उनके घर आ जाता है जिस पर कोई कन्ट्रोल नहीं है इस महकमे का। नम्बर दो-जिस तरह हम रोडवेज का किराया रोजाना बढ़ाते जा रहे हैं, वह आपकी और तमाम सरकारी अधिकारियों की एक तौहीन है और इससे ज्यादा कमजोरी और नाकाबलियत कोई नहीं है। रोडवेज के महकमे को अब आप तत्काल शुरू करें। रोडवेज का राष्ट्रीयकरण बन्द करके प्राइवेट ठेकेदारों को दो ताकि यह स्टेट को और देश को घाटा नहीं दे। ठेकेदार से अगर कोई गलती होती है तो कोई भी शक्तिशाली आदमी तीसरे दिन उसके रूट का परमिट कैन्सिल करा सकता है। यह तो कई बार मैंने देखा है, रोडवेज के कर्मचारी पिस्तौल लिए हुए अगर कोई अफसर भी चैक करता है तो उसको मारने तक उतारू हो जाते हैं। इस महकमे को मेरे ख्याल से माननीय सदस्य चाहे इधर बैठने वाले हों या इधर बैठने वाले हों कोई भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। भ्रष्ट महकमा है जो स्टेट को दिवालिया करने वाला है, इसको आप बेधड़क बन्द कर दो। नम्बर तीसरा, मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारे इलाके में आपने पीने के पानी के लिये जिस तरह से पशुओं के लिए प्रावधान किया है इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तहेदिल से धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं खुद पशुपालक हूं और मेरा गुजारा पशुओं पर होता है। वहां के 95 प्रतिशत लोग पशु-पालक हैं। आप पशुओं के पीने के पानी के लिए और प्रावधान ज्यादा करें। अकाल की जो मुसीबत है, वित्त मन्त्री जी, मैं तो खुद मजदूर रहा हुआ हूं, और मेट रहा हुआ हूं मुझे तजुर्बा मस्टर रोलों के सिस्टम का है यह तो एक तरह से राजनैतिक अकाल है, इसको बिल्कुल बन्द कर दो ताकि कोई

(श्री अमीन खां)

शिकायत नहीं हो। अगर सहमति नहीं हो सकती है तो लोग आलोचना करेंगे, हड़ताल करेंगे, आन्दोलन करेंगे। आप जल्दी जिला प्रशासन को ताकीद करो, गांव गांव में आदमी तय करो, गांव में जिस तरह से लोग परेशानी में रह रहे हैं। जहां काम नहीं खोले हैं काश्तकार लोगों की हालत नाजुक है और भूखे मरने के लायक हैं उनको रोजगार आपको पूरा देना पड़ेगा। फिलहाल जो अकाल राहत कार्यक्रम की प्रक्रिया है उससे लोगों को आप आश्वासन देने की हालत में नहीं हैं। एडवाइजरी कमेटी डिस्ट्रिक्ट की है उसकी मीटिंग कलेक्टर बुलाता है, मीटिंग में प्रस्ताव पास होता है, इसके बाद रिलीफ डिपार्टमेन्ट में आता है। रिलीफ डिपार्टमेन्ट पी0 डब्ल्यू0 डी0 में एग्जामिन कराता है और एग्जामिनेशन के बाद फाइनेन्स में जाता है। फाइनेन्स में जाकर गैर-योजना योजना या पैसा के कारण से यह कोई भरोसा नहीं है कि मंजूर होगा या नहीं होगा। हालत जो पैसों की है, हो सकता है नाजुक है। आप तय कर दीजिए कि हम बाड़मेर जिले में 50 हजार मजदूरों को रोजगार देंगे, 51 हजार को नहीं देंगे। वहां के कलेक्टर को पावर दें कि इस काम में इनको इतना पैसा देंगे और इतना पैसा खर्च करेंगे। वहां एडवाइजरी कमेटी में तय करके और दूसरे दिन काम शुरू हो जाना चाहिए। अगर नहीं शुरू करता है अधिकारी तो वह गुनहगार है। आपने सैंक्शन भी दी है 4 जनवरी, 1982 को, वे वर्क अभी तक शुरू नहीं हो सके है। क्या लोगों का फायदा है? पैसों की खराब हालत है तो आप मेहरबानी करके उसका इलाज करो। सभी लोग कहते हैं कि वित्त मन्त्री तो महाजन हैं, सेठ है, इसलिए होने ही नहीं देना चाहते। तो आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं। आप सीलिंग तय कर दो कि फलां डिस्ट्रिक्ट में इतने बेरोजगार आदमी मानते हैं, फलां में इतने बेरोजगार आदमी मानते हैं इसलिए हम इतना पैसा दे देंगे इस महीने में। अगर ज्यादा खर्च करेगा तो कलेक्टर जिम्मेदार होगा। कलेक्टर अपने आप जिम्मेदारी संभाल लेगा और जन प्रतिनिधियों की एडवाइजरी कमेटी से राय ले करके कि मजदूर लगा देगा। उस तरह से कलेक्टर के लिये सीलिंग तय कर दो। फिलहाल की प्रक्रिया से मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूं। इससे तुरन्त लोगों को बचा नहीं सकते। इससे अच्छा यही है कि आप निर्णय ले लो, हम फैमिन में कोई मस्टर रोल नहीं रखेंगे तो भी बहुत अच्छा है। लोग कोई गुजरात जायेंगे कोई मध्य प्रदेश जायेंगे, कोई पंजाब जायेंगे। वैसे कहते हैं कि भूख से फलां आदमी मर गया या, मर जायेगा इसको तो मैं नहीं मानता। भूख से नहीं मरेंगे। दुनियां में कई साधन हैं, गाड़ियां हैं, आना जाना है। जान पहचान वाले हैं, आदमी पचासों मील दूसरे गांव में जाकर रह जाएगा लेकिन भूख से नहीं मरेगा। मगर इस बात से सन्तोष नहीं कर सकते कि

(श्री अमीन खां)

हमारे भ्रष्टाचार के कारण कि भूख से नहीं मर सकते, आप यह वायदा नहीं कर सकते। उससे तो अच्छा है कि यह मस्टर रोल जो मजाक बनाने का राजनैतिक सिस्टम बना हुआ है, बन्द कर दो तो मैं तो खुश हूं। सारे राजस्थान में मेरा एरिया ऐसा है जो फैमिन से इफेक्टेड सबसे ज्यादा है। चाहे आप गवर्नमेंट में चीफ सैक्रेट्री से पूछ लें, चाहे कलैक्टर बाड़मेर से पूछ लें, चाहे रिलीफ कमिश्नर से पूछ लें, मैं मेरी तरफ से नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि इस सिस्टम से तो अच्छा है कि इसको बन्द कर दिया जावे तो भी लोगों को जा करके कह सकते हैं कि भाई इस तरह से काम नहीं चलेगा, अपनी अपनी जिम्मेवारी से पेट भरो। खुदा ने इन्सान को पैदा किया है, बचने के लिए अकल दी है और कमाने के लिए, घूमने के लिए भी। हमारी तृप्ति नहीं होती है परन्तु फिलहाल की प्रक्रिया के अनुसार हम गांवों में जाते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है। इसलिए, वित्त मंत्री महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप इस मसले पर भी तत्काल निर्णय लेंगे। आज के हालात के अनुसार जो आपने बजट पेश किया है उसकी मैं ताईद करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम इनके बाद है।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 82-83 के बजट का समर्थन करते हुए अपनी तरफ से कुछ अपने इलाके की, कुछ राजस्थान की समस्याओं पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय मन्त्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, बहुत सी राजस्थान सरकार की मजबूरियां हो सकती हैं क्योंकि तीन-चार साल से बराबर अकाल पड़ रहा है और ऐसी स्थितियां हैं लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे मद थे जिनको जरा सोच समझ कर विवेक से तथा ध्यान से देखते तो इस तरह का बजट पेश नहीं करते। वास्तव में किसान विरोधी अगर इसको कहा जाय तो कोई बुराई की बात नहीं होगी। किसान को चार घण्टे बिजली देकर फ्लैट रेट डबल कर दी, यह बिलकुल अनुचित बात है और न्यायसंगत बात नहीं है। इसके ऊपर आपने पूरी तरह से विचार नहीं किया, ऐसा प्रतीत होता है। इसके साथ-साथ इरिगेशन पर 25 पर्सेन्ट जो आपने रेट बढ़ायी है यह बिलकुल अन्यायपूर्ण बात है। इस तरफ तो हमारे सब नेतागण

(श्री राधेश्याम)

और हम सब लोग, जो चुन कर आते हैं, चाहे वह दिल्ली की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो और चाहे और किसी की सरकार हो यही कहते हैं कि अस्सी प्रतिशत लोग, अस्सी पर्सेन्ट जनता गांवों में निवास करती है। गांवों में निवास करने वालों के लिए हम सब लोगों को बड़े-बड़े भाषण देते हैं कि अब जो बजट आयेगा वह तो किसानों की बेहतरी के लिए आयेगा किसानों की बेहतरी के लिए हम बहुत सी बातें कह जाते हैं लेकिन जब बजट पेश होता है तो किसान के लिए क्या होता है कि पहले से मामले चल रहे हैं, उन पर भी 25 पर्सेन्ट इरिगेशन रेट और बढ़ा दी और डबल फ्लेट रेट हमने कर दी बिजली की। बिजली हमारे पास नहीं है, पानी हमारे पास नहीं है यह बड़े दुख की बात है। हो सकता है जिन परिस्थितियों में माननीय मन्त्री महोदय ने यह बजट रखा है यह तो वह जान सकते हैं क्योंकि पार्टी मीटिंग में इस तरह की बात नहीं आई। लेकिन माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा, खास कर गंगानगर जिला ज्यादा इफेक्टेड है। क्योंकि 25 प्रतिशत जो आपने इरिगेशन पर रेट बढ़ाई है उसका असर वैसे सारे राजस्थान पर है लेकिन गंगानगर जिले पर अधिक है। अबसे दो तीन साल पहले भी रेट बढ़ चुकी है। उस वक्त हालत ऐसी थी, जनता सरकार ने इरिगेशन पर रेट बढ़ाई थी और रेट बढ़ते ही सरकार चली गई। मैं आपको एक तरह का निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की कोई बात न हो जाय कि कल को हमें भी इस तरह की बात का सामना करना पड़े। मैं आपसे, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं, मैं आपसे आशा करता हूं कि इसमें आप लाजिमी सुधार करेंगे। इरिगेशन की रेट है यह गंगानगर जिले में बीस लाख जनता के ऊपर बड़ा भारी कुठाराघात है। हमारी गंग कैनाल आज से पचास साल पूर्व की बनी हुई है, महाराजा गंगासिंहजी की देन है। विधान सभा में इस तरह की बात अपनी तरह से, अपनी जनता की तरफ से भिन्न-भिन्न तरीकों से निवेदन की है, पिछली बार हमारी ही सरकार ने गंग कैनाल के लिए, इसकी लिंक चैनल के लिए कुछ पैसा भी बजट में रखा था लेकिन आज की सरकार ने हमारे इस बजट में एक भी पैसा नहीं रखा है। गंग कैनाल ऐ ी कैनाल है जिससे कम से कम आठ लाख एकड़ भूमि सिंचित होती है। आठ लाख एकड़ गंग कैनाल से, आठ लाख एकड़ भाखड़ा से और साढ़े सात लाख एकड़ राजस्थान कैनाल से गंगानगर जिले की भूमि सिंचित होती है जिससे दस सौ करोड़ रुपये की हर वर्ष फसल हम वहां से उठाते हैं। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि हो सकता है कि हमारा काले रंग का बच्चा हो, अगर आप इस उम्मीद में हैं कि पेट में होने वाला बच्चा बहुत गोरे कलर का होगा, ऐसी सम्भावना रख कर आप चलते हैं तो क्या काले रंग के बच्चे को गिराओगे? पचास साल से बनी हुई कैनाल आपको उत्पादन दे रही है, जब मेरे ख्याल में राजस्थान में कोई कैनाल योजना नहीं थी, इसकी तरफ आपने बिलकुल ध्यान नहीं दिया जबकि पिछले बजट सैशन में इस हाउस को आश्वासन दिलाया

(श्री राधेश्याम)

गया था। आज से पांच साल पूर्व इस कैनाल के कम से कम मेरे खयाल में बीस क्विन्टल तो इसके नक्शे बन गये। कई बार इसकी योजनायें बन गई और कई बोरियां भरी पड़ी हैं नक्शे की। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है जबकि इसकी इतनी जीर्ण हलात है, यह इतनी टूटी फूटी पड़ी है कि हमें कम से कम सात सौ क्यूसेक डेली पानी का नुकसान होता है। अगर वह सात सौ क्यूसेक पानी हमें मिल जाय तो गंग कैनाल से कम से कम दो लाख एकड़ भूमि और सिंचित हो सकती है जिससे सारे राजस्थान की जनता को लाभ मिल सकता है। इसकी तरफ आपने बिलकुल ध्यान नहीं दिया। बार-बार हमारे 11 विधायक, हमारे एम. पीज ने कहा है।

अभी पंचायतों के चुनाव करवाये, यह कीर्तिमान है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। प्रधानों और प्रमुख के साथ ही साथ म्यूनिसीपैलिटीज के चुनाव करा कर आपने बीस संकल्पों में से पहला संकल्प पूरा किया है, सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। सारी जनता इस बात से बड़ी खुश है लेकिन इसके साथ-साथ हमारे इलाके की बीस लाख जनता हमसे कुछ आशायें लगाये बैठी हैं। कम से कम उसने दस प्रधानों, एक प्रमुख और सरपंच हमारे चुने। 15 नगरपालिकाओं के चुनाव हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिसमें दस नगर-पालिकाएं हमारी झोली में डाली हैं। जहां से 11 विधायक कांग्रेस (आई) के हों, वहां की जनता के साथ इस तरह का अन्याय कहां तक उचित है? मैं आपसे, हाउस में बैठे हुए सभी मेरे साथियों से निवेदन करूंगा कि जब गंगानगर की जनता कन्धे से कन्धा मिला कर हर समय दुख सुख में आपके साथ है। जब 1962 में इण्डोचाईना से जंग हुई और हमारे राष्ट्र के प्रधान मन्त्री ने आह्वान किया उस वक्त गंगानगर हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया डिस्ट्रिक्ट था। इसलिए बढ़िया कह रहा हूं, वैसे तो हमारा राजस्थान ही महान है लेकिन गंगानगर की जनता ने तीन नेताओं को सोने से तोला। उस गंगानगर जिले के लिए आपने कभी क्या सोचा? क्या आपने कोई इण्डस्ट्री दी? क्या आपने नहर की तरफ कभी सोचा? उन गरीब किसानों की तरफ सोचा? जब भी हम अपनी फरियाद लेकर आपके पास आते हैं तो आपकी एक ही बात होती है कि हमारे राजस्थान कैनाल पर बहुत कुछ लगा दिया है। राजस्थान कैनाल पर आपने लगाया उसके लिए तो मै आपका आभारी हूं, राजस्थान की जनता आभारी है लेकिन इसके साथ-साथ राजस्थान कैनाल पर पैसा जो खर्च किया है, उसके साथ-साथ और भी योजनाएं हैं। हमारे यहां चिकित्सालय है जिसकी हालत मेरे खयाल में बूचड़खाने से बदतर है। नाम तो ए-क्लास हास्पीटल लेकिन न तो वहां पर पूरे डाक्टर हैं, न वहां पूरा प्रबन्ध है। वह ऐसी जगह पर हास्पीटल है जो महाराजा गंगासिंह के टाइम का बना हुआ था। हमारी गवर्नमेंट ने इसका कोई

(श्री राधेश्याम)

विकास नहीं किया । गंगानगर की जनता ने एक ट्रस्ट बना कर, हास्पिटल के लिए पच्चीस लाख रुपया पब्लिक से चन्दा इकट्ठा करके हमने हास्पिटल के लिए स्थान खरीद लिया, जगह खरीद ली लेकिन जब तक एक करोड़ रुपया नहीं हो लोगों के पास तब तक वह हास्पिटल बनने वाला नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप लोग तो बड़े मालदार हैं, बना लो ।

श्री राधेश्याम : यही उपाध्यक्ष महोदय, बहुत भ्रम है । गंगानगर की जनता का भाग्य ऐसा है कि हम पाकिस्तान के आठ किलोमीटर बोर्डर पर बस रहे हैं । पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो हमारे नवजवान किसान, हमारे इस प्रदेश के किसान बोर्डर पर आपके लिए लड़ते हैं, और गोलियों की बौछारों में इस भारत माता की रक्षा करते हैं । किसान वहां पर पैदा करते हैं वह सारे राजस्थान की जनता के लिए पैदा करते हैं न कि केवल गंगानगर जिले के लिए पैदा करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि आपने हुकुम किया, आप सभी लोग मिल कर गंगानगर के लोगों को एक ही बात कह देते हैं कि आप तो बहुत धनी हैं । आपकी बड़ी कृपा है, आपकी जुबान भगवान मुबारक करे, ऐसा ही हो । हम अपना दुख रो रहे हैं, 20 लाख जनता की पुकार रो रहे हैं । आप उसको गौर से सुनें । इस बात को टालने की कोशिश मत कीजिए, यह कह कर कि गंगानगर के लोग बहुत धनी हैं ।

मैं प्रार्थना करता हूं राजस्थान में राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर हक है तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का है । हमने कई बार प्रार्थना की, हमारी बात को सुना नहीं गया । वहां जिप्सम पैदा होता है, वहां से जिप्सम पास होता है । हमने खाद की फैक्ट्री की मांग की । भारत सरकार ने तीन खाद की फैक्ट्री राजस्थान को दी हैं । राजस्थान सरकार ने गंगानगर के लिए कभी बात नहीं सोची ।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करता हूं, बड़े दुख की बात है, पिछले साल और कई साल पहले सारा राजस्थान हमारा बिजली से जुड़ा हुआ था, एक हमारे गंगानगर जिले को छोड़ कर । 132 केवी. की लाइन थी उसमें हम हिस्सेदार नहीं थे ? देना तो सबसे ज्यादा गंगानगर दें । कोई काम कराना हो, तो उसके लिए कह देते हैं गंगानगर बहुत धनी है, यह तो खुद ही चन्दा कर लें, बना लें । यह तो बड़े दुख की बात है । हमारा इस सरकार में जैसे कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई शेयर नहीं है । मैं यह निवेदन करता हूं, भाई रामसिंहजी ने एक बहुत ही ऐसी बात कही, 6 करोड़, पता नहीं 9 करोड़ बताया, अकाल राहत कार्यों में भीलवाडा में 9 करोड़ रुपया खर्च किया गया । मैं पूछना

(श्री राधेश्याम)

चाहता हूं क्या गंगानगर का का कोई शेयर नहीं था ? उसमें 50 लाख जनसंख्या है।

इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। गंग केनाल की जैसी हालत है अगर उस पर विचार नहीं किया गया, तो जिस गंगानगर जिले के लिये आप कहते हो, यह बड़ा खुशहाल जिला है, हमारे माननीय चन्दन मल जी वैद, वित्त मन्त्री जी वहां जाते हैं तो भाषणों में स्टेज पर कहते हैं, मैं बीकानेर डिवीजन का और इस गंगानगर का मन्त्री हूं, यह तो हमने मान लिया कि आप गंगानगर के मन्त्री हैं लेकिन आपने गंगानगर के लिये क्या किया है, वह तो बजट में इस हाउस के सामने है और सारी गंगानगर की जनता इसको देख रही है।

मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, इस तरह का जो बजट मजबूरी में रखा है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप विवेक से और थोड़ा चिन्तन करते, तो आपको रास्ता जरूर मिलता। चूंकि आप ऐसे वर्ग से आते हैं, जिस वर्ग को बुद्धिजीवी का आम जनता ने खिताब दिया है और हाउस में मेरे साथियों ने भी इस प्रकार की बात कही है, उसकी मैं पुष्टि करता हूं। आपने यह नहीं सोचा रोडवेज का हाथी हमारे मत्थे पड़ा हुआ है, यह 8 करोड़ और 12 करोड़ का लॉस देता है। क्यों नहीं 50 पर्सेन्ट प्राइवेट चला कर कम्पीटिशन करायें ? एक तरफ अनुबन्ध पर बस लेते हैं, 1.60 रुपया किलोमीटर पर दूसरी तरफ तीन रुपया और कुछ पैसे चार्ज करते हो। 1 रुपया 60 पैसे वाले कैसे चलाते हैं ? आपकी रोडवेज क्यों घाटे में जाती है ? इस तरह की बातों का आपने ध्यान क्यों नहीं रखा ?

आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इतना बड़ा बोर्ड है। बिजली तो पूरी मिलती नहीं है और पैसे लोगों से एडवान्स भरवा लिये जाते हैं। लोग अपने कार्यों के लिये पीछे फिरते रहते हैं। मैं मिसाल दूं गंगानगर की। चूंकि मुझे गंगानगर की ही बात मालूम है इसलिये मैं हाउस में निवेदन करना चाहूंगा। म्यूनिसिपल कौंसिल का तीन लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जमा है। उनके वर्क्स के लिये पैसा पहले जमा करवा लिया गया, लेकिन वर्क्स पूरे नहीं हुए। छः लाख रुपया नगर विकास न्यास का जमा है। बार-बार हमने उनसे निवेदन किया। वह कहते हैं, हमारे पास मेटिरियल नहीं है। कभी कहते हैं, लाइन खींचने के लिये नहीं, कभी कहते हैं, जी, हमारे पास अब क्या पड़ा है। अब माल आने वाला है, जब आपकी पूर्ति हो जायेगी। खास कर हरिजन मौहल्लों के लिये, पिछड़े वर्ग के लिये, पिछड़े क्षेत्र के लिये योजना है उसमें पिछड़े को लाभ तब ही पहुंच सकेगा जब सुख सुविधा जैसी हमें प्राप्त होती है, वैसी सुख सुविधा उनको देने का ध्यान रखेंगे।

(श्री राधेश्याम)

मुझे यह लग रहा है, बड़ी मुश्किल से तो 25 साल के बाद श्रीमान् कैलाश जी ने यह सीट खाली की है. अब बड़ी मुश्किल से कांग्रेस (आई) वालों का नम्बर आया. इस तरह का बजट रहा और इस तरह की भावनाएं रहीं कि गंगानगर जिले को क्या जरूरत है, वह बहुत धनी लोग है, मेरे खयाल से मेरे को अपना इकलौता हाउस का समझते हैं, इसलिये आप मदद नहीं करना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तो वहां खुद विराज चुके हैं, अध्यक्ष महोदय भी वहां जा चुके हैं, सारी गरीबों की, भूमिहीन लोगों की समस्याएं इन्होंने देखी है, सुनी है और वहां सब लोग यह कह कर आते हैं आप चिन्ता नहीं करें, आपके नुमाइन्दे बहुत काबिल हैं, आपके लिये बहुत कुछ कर रहे हैं और यहां आप यह कह कर टाल देते हैं, जैसा हमारा सरकार में कुछ सीर ही नहीं है। जब देना हो सबसे ज्यादा, सबसे पहले गंगानगर जिला। जब लेने की बात आये तो तीस साल पहले, 35 साल पहले बनी सरकार हमारी कांग्रेस सरकार या जनता सरकार, जिसमें प्रोफेसर केदार जी होम मिनिस्टर हमारे रहे, गंगानगर जिले को कुछ नहीं मिला। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख का विषय है। मैं लोगों से नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, आप ऐसा सिस्टम बनायें कि हर जिले को उसका शेयर मिले। ताकि जहां कहीं अकाल की समस्या है उसका समाधान हो। हमारे यहां फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन भगवान का ऐसा प्रकोप हुआ, ओलावृष्टि इतनी हुई कि सारी की सारी तमाम नष्ट हो गई। मैं निवेदन कर रहा हूं, इस तरह की योजनाएं और बजट प्रस्तुत हो कि 26 के 26 डिस्ट्रिक्ट्स पर पूरी तरह से नजर रखें। कौन सी योजना कहां देनी है, किस तरह की उस इलाके की जनता क्या चाहती है, इस तरह का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। खास तौर से हमें यह बात कह कर टाल दिया जाता है, इसके लिये मैं बार बार इसलिये बोल रहा हूं, बड़े दुख का विषय है, गंगानगर नक्शे में सबसे उपर है लेकिन विकास में सबसे नीचे है। आज तक बता दो कोई इण्डस्ट्री गंगानगर में लगायी हो। अकाल में राजस्थान सरकार ने आज तक गंग कैनाल, एक गंग-कैनाल है.......

(व्यवधान)

भाई साहब, नहीं, मैं पाली के लिये नहीं कहूंगा। मैं सारे राजस्थान के लिये कह रहा हूं।

श्री माधवसिंह दीवान : हम लोग बदलने को तैयार हैं। गंगानगर वाले पाली में आ जाओ, पाली वाले गंगानगर चले जायें।

श्री राधेश्याम : नहीं, मालिक, मैं यह निवेदन कर रहा हूं पाली डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर- यह सब

(श्री राधेश्याम)

राजस्थान के हिस्से हैं, सब एक राजस्थान है। मैं निवेदन कर रहा हूं, पाली में काम होना चाहिये। लेकिन गंगानगर की उपेक्षा क्यों हो ? गंगानगर वालों ने आपका किया क्या है ? आप बताइये, एक भी कोई मेडिकल कालेज खोला गया, इंजीनियरिंग कालेज खोला गया, कोई डिप्लोमा शुरू कर दिया ? वहां के लोग मारे मारे एक कोने में रहते हैं। आप यह सोचें, जो गंगानगर जिला आप लोगों के सुख दुःख में हर वक्त तैयार रहता है, आपको कुछ न कुछ उसके लिये सोचना चाहिये।

मैं नम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा, हमारे माननीय मन्त्री महोदय से, उपाध्यक्ष जी, आपकी मार्फत, जो बजट में बिजली पर फ्लैट रेट डबल की है, इसको सोच विचार कर वापस लेना चाहिये। साथ ही इरिगेशन पर 25 प्रतिशत बढ़ाया है, यह तो इतना भारी गंगानगर जिले के साथ अन्याय है, इतना घोर अन्याय है, जिसका मैं आपके सामने वर्णन नहीं कर सकता हूं। यहां सोच समझ कर जब तक बजट पर मन्त्री महोदय बोलेंगे नहीं, हम गंगानगर जायेंगे कैसे ? हम जायेंगे तो हमारे लिये क्या चीज मिलेगी। जो पब्लिक के लिये अच्छा काम करते हैं, आम जनता के लिये अच्छा काम करते हैं, उनको फूलों की मालायें पहनाई जाती हैं, इस तरह का कार्य करते हैं तो हमारे लिये तो XXX तैयार है। अगर आप हमें XXX पहनाना चाहते हैं, अगर आपका मन बन गया है तो कोई बात नहीं। हम तो आपको सम्भाल सकते हैं, आप हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े नेता हैं, 25-30 सालों से आप राजस्थान की अग्रिम राजनीति में हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, हमारे हकों पर, गंगानगर जिले के हकों पर 20 लाख जनता का जो हक है उस पर आप बराबर सोचिये। इस तरह का हमारे साथ भेदभाव हुआ है वह नहीं हो। राजस्थान समूचा आपने देखा है, इसके साथ साथ गंगानगर का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिये।

पिछली विधान सभा में पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर ने यह घोषणा की, बड़े दुख की बात है, गंगानगर निवासी, एक लाख की जनता ,एक एक बून्द के लिये तरसी। बराबर तीन साल से मैं कई बार प्रार्थना कर चुका हूं। पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर ने घोषणा कर दी कि एक करोड़ रुपया हमने आपके लिये कर दिया। आपको डेट फिक्स करनी है। वाटर वर्क्स जो म्युनिसिपिल कौंसिल चलाती है राजस्थान में दो ही जिलों में, एक तो ब्यावर है और दूसरा गंगानगर है, इनको म्युनिसिपल कौंसिल चलाती है, गंगानगर में म्युनिसिपल कौंसिल के पास इस तरह के कोई साधन नहीं हैं जिससे वाटर वर्क्स फिट कर सके। मैंने कई बार

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री राधेश्याम)

निवेदन किया, उस निवेदन को स्वीकार करके विधान सभा में घोषणा हुई, यह कह दिया गया कि एक करोड़ रुपया रख दिया गया है, उसके बाद फाइनेन्स मिनिस्टर यहां विराजमान हैं, उनके सामने पेश हुआ तो बड़े दुःख की बात है कि एक तरफ तो आप गांवों को पानी पिलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप सारी जगह........

श्री चन्दन मल बैद : आप जो बात कह रहे हैं यह सही नहीं है।

श्री राधेश्याम : मैं कोई भी गलत बात इस हाउस में नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई गलत बात कह कर आप पर थोपूं। जो आपकी फाइलें हैं, आप देख लीजिये और बनवारीलाल जी यहां मौजूद होंगे, जो हमारे मिनिस्टर थे, उनसे आप पूछ लीजिये इसी वक्त। बिल्कुल रिटन में लैटर है, मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। मैं पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर से बार बार मिला हूं, चीफ इंजीनियर और चीफ मिनिस्टर से भी कई बार निवेदन किया है। मेरे पास आदेश हैं कि यह डेट्स फिक्स कर ली हैं। अमुक डेट्स को मीटिंग करके वाटर-वर्क्स पी. एच. ई. डी. हैण्ड ओवर कर लेगी। जब कि डेट तय करने का सवाल था आज तक डेट तय नहीं की गई। मैं माननीय मन्त्री महोदय के ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहता। हो सकता है आपकी निगाह में यह बात नहीं आई हो।

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं वह सही नहीं है। बनवारीलाल जी पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर थे तब मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था।

श्री राधेश्याम : मैं यह निवेदन नहीं कर रहा था। शायद आपको गलतफहमी हो गई। जिस सीट पर आप बैठे हैं, मैं आज बात कर रहा हूं, उस वक्त की सरकार ने, उस वक्त जो सरकार हमारी थी, किसी और की नहीं थी........

(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : तो आपको यह कहना चाहिये। आप तो कह रहे हैं कि आज जो मन्त्री हैं उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। माफ कीजिये इस बात को आपको नहीं कहना चाहिये था। आपका कहना गलत था।

श्री राधेश्याम : मैं निवेदन करूं फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है न कि चन्दन मल जी बैद ने कहा है। मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं। आपके नाम की बात नहीं कर रहा हूं। फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी उस वक्त होंगे। यह मैं नहीं कह सकता। हो सकता है दुबारा आपके पास भी फाइल कई बार आई हो, आपने विचार नहीं किया।

(श्री राधेश्याम)

उस हास्पिटल, गंगानगर हास्पिटल के लिये क्या आप गंगानगर की जनता के सामने खड़े होकर, जनता के सामने प्रोमिस करके नहीं आये थे पिछली सरकार में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इसका जवाब दें? हालांकि इस प्रकार की बात उचित नहीं लगती। क्या आपने प्रोमिस नहीं किया था कि यह वाकई बूचड़खाना है और बस हास्पिटल को आदर्श हास्पिटल बनाइये क्योंकि यह पंजाब, हरियाणा के साथ लगता है। कि हमारे फिरोजपुर में या बीकानेर या जयपुर में चिकित्सालय है, 22 लाख जनता को कम से कम अच्छे चिकित्सालय की सुविधाएं मिले। आप शिक्षा मंत्री थे इस बात से डिनाई नहीं करेंगे, मैंने आपसे प्रार्थना की थी ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप किसी व्यक्तिगत मामले के प्रश्न पर मत जाइये, आप बजट पर बोलिये, जो बजट के मुतल्लिक हो।

श्री राधेश्याम : मैं व्यक्तिगत बात कोई नहीं कर रहा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से, इस सरकार से अपना निवेदन कर रहा हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। माननीय मंत्री तो बुजुर्ग हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। यह चाहे हमें कुछ भी नहीं समझें, कुछ भी न दें हमें यह सौतेला बेटा समझें, हमारे लिये यह अपनी लाइन में कुछ न रखें लेकिन फिर भी हम लोग इनका सम्मान करते रहेंगे क्योंकि हम पार्टी के लक्ष्यों को जानते हैं और हम श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों पर विश्वास करते हैं। बचपन में जब मेरी उम्र 15 साल की थी जब से मैंने किस किस तरह के कार्य किये हैं, वह कभी टाइम होगा तो मैं आप सामने कहूंगा लेकिन इसके साथ साथ मैं एक मिनट का समय और चाहूंगा उसके बाद समाप्त कर दूंगा।

मैं मंत्री महोदय से फिर यह निवेदन करूंगा कि आप पर हमें पूरा विश्वास है। गंगानगर के 11 विधायक हैं, क्योंकि आप बीकानेर डिवीजन से आते हैं, गंगानगर की जनता पूछती है. 11 एम. एल. ए. कांग्रेस के ले लिये तो हमने क्या गुनाह कर दिया। कोई भी कार्य हो तो उसके लिये यह कह दिया जाता है कि आप तो यहां चन्दा कर लीजिये और उससे कार्य करा लीजिये। गंगानगर की जनता ने इस लिये हमें चुना था कि गंगानगर के 11 के 11 विधायकों में से कोई आदमी सरकार में बैठ कर उनकी बात को बार-बार कह सकेगा। यह गिला मुझे नहीं है कि हम लोग सरकार में नहीं हैं। यह तो बात हमारी पार्टी की है। हम संतुष्ट हैं और बिल्कुल हम कांग्रेस के लोयल भक्त हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों में विश्वास रखते हैं लेकिन जिस तरह का अन्याय हमारे गंगानगर जिले के साथ हो रहा है उसके लिये बार बार निवेदन करूंगा। यह हमारा हक है और इस हक को मांगना कोई बुराई नहीं है। पार्टी

(श्री राधेश्याम)

में मांग सकते हैं, विधान सभा में मांग सकते हैं। क्योंकि जिस जनता ने हमें प्यार, आदर, सम्मान से चुना है उसको हम क्या कहेंगे आकर ? उन्होंने हमारे हाथ में पूंजी दी, हमने सारी पूंजी आपके हवाले कर दी। इसलिये मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें, एक तो हमारे टैक्स, बिजली और फ्लैट रेट डबल लगायी है और इरिगेशन पर 25 प्र0श0 लगाया है। मै इसी आशा और विश्वास के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं, कि आप इसको बिल्कुल वापस कर लेंगे। हाउस की भी यह मर्जी है। मै पुनः निवेदन कर रहा हूं कि खास कर गंगानगर जिला पिस जायेगा अगर नही सोचेंगे। अपने खुद के बच्चे को गोदी से इस तरह फेंक देंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप इतमिनान रखिये गोदी के बच्चे को कोई नहीं फेंका जायेगा।

श्री मोहन मोदी।

श्री मोदीलाल मोदी (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने राजस्थान का 82-83 का बजट पेश किया।

(व्यवधान)

हाउस में रिकार्ड होता है और उस रिकार्ड को मंत्री महोदय, भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है....

(व्यवधान)

वोट आपको नहीं मिले। और किसी को मिले या नहीं मिले।

उस बजट पर वाद विवाद हो रहा है। किसी भी सरकार का बजट पेश होता है उसमें 12 महीने में सरकार द्वारा क्या उन्नति की जायेगी, 12 महीने में राज्य का क्या नक्शा होगा वह बजट में पेश किया जाता है लेकिन जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है ...

(3.38. म.प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

वह बड़ी चतुराई का बजट पेश कियाहै। बजट में उन्होंने आखिर में ऐसी लाइने लिखी है जिनमे अपनी चतुराई का नमूना दे दिया। शिक्षा के क्षेत्र में नये विद्यालय, चिकित्सालय के क्षेत्र में नई डिस्पेन्सरी और इन योजनाओं के कार्य के लिये खर्च की घोषणा जल्दी ही की जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं, आपने जो बजट पेश किया है उसमें आप उन लोगों को बताना चाह रहे है कि राजस्थान में विकास के कार्य करेंगे, फिर क्या आवश्यकता थी यह कहने की इसके अन्दर कि हम इन खर्चों की घोषणा बाद में करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि वित्त मंत्री जी इस वर्ष राजस्थान में न कोई स्कूल खोलना चाहते

(श्री मोहनलाल मोदी)

है, न कोई चिकित्सालय खोलना चाहते हैं और न कोई औषधालय खोलना चाहते है। वह हम को यहां हाउस में क्लिअर कह देते, यह कह देते कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ओवर ड्राफ्ट है इसलिये हम इस मद में कोई पैसा खर्च करना नहीं चाहते। लेकिन इस तरह की चतुराई से उन्होंने सदन को गुमराह लिया है, यह मैं कहना चाहता हूं।

आपने 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट का जिक्र किया है उसके लिये आपने राजस्थान में कुछ टैक्स लगाने की बात कही है। टैक्सों के बारे में निवेदन कर रहा हूं कि जिस सरकार की नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ती है वह सरकार अच्छा लाभ दे सकती है। अच्छा कार्य कर सकती है लेकिन हमारी सरकार के लिये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि नान-टैक्स रेवेन्यू जिससे देश की उन्नति होती है, प्रान्त की उन्नति होती है, घट रही है। राजस्थान में 80-81 में नान टैक्स रेवेन्यू थी 348.10 करोड़, 81-82 में घट कर 332.62 करोड़ रह गई और अब 82-83 में 307.48 करोड़ रह गई है। यह राजस्थान की क्या उन्नति करेंगे। किस तरह से उन्नति करेंगे ? नान टैक्स रेवेन्यू उन्नति का साधन है वह आपकी प्रति वर्ष घटती जा रही है और टैक्स प्रति वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। 80-81 में टैक्स की आमदनी 403.75 करोड़ थी, 81-82 में 491.96 करोड़ हो गई और अब 82-82 में 562.79 करोड़ कर रहे हैं। यानि आपका सब से बड़ा काम है, वह उल्टा चल रहा है। आप थोड़ासा ध्यान दें नान टैक्स रेवेन्यू की ओर, पहली बात तो यह है कि यह घटनी नहीं चाहिये, 1980-81 की जो रेवेन्यू है, क्या कारण हो गये, आज उसमें 40-42 करोड़ की कमी हो गई ? होना तो यह चाहिए था कि 348 के बजाय 400 से ऊपर जानी चाहिए थी, तो आज आपको टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी आपने टैक्स लगाये हैं। मैं आपको निवेदन करूं, आपने जिस तरह से टैक्स लगाये हैं। राजस्थान की स्थिति नहीं है कि आपके लगाये हुए टैक्स राजस्थान की जनता बर्दाश्त कर सके। मैं नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि आप ने सब से बड़ा टार्गेट विद्युत को बनाया है। यह मैं समझता हूं कि आपने विद्युत को टैक्स बढ़ाने का टार्गेट बनाया है। यह गलत किया है। मैं आप से कहना चाहूंगा कि जनता सरकार आपस की फूट के कारण गई और आप लोग अगर इस तरह से टैक्स बढ़ायेंगे, इस तरह राजस्थान की जनता से आप असहयोग करेंगे, इस तरह से उनको नुकसान पहुंचायेंगे, तो आप समझ लीजिये, नतीजा क्या हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आपने विद्युत के अन्दर फ्लेट रेट डबल कर दी। सभापति महोदय, जिस वक्त यह फ्लेट रेट लगाई गई थी, उस वक्त यह क्यों लगाई गई थी। मैं समझता हूं शायद मंत्री महोदय के ध्यान में नहीं है। फ्लेट रेट इसलिये लगाई गई थी कि राजस्थान के काश्तकारों को बिजली की यूनिट पर पैसा नहीं देना पड़े,

(श्री मोहनलाल मोदी)

फ्लेट रेट कम होगी और काश्तकार 24 आवर्स बिजली का उपयोग करके राजस्थान की पैदावार को बढ़ायेगा। यह फ्लेट रेट इसलिये की गई थी। फ्लेट रेट इसलिये नहीं की गई थी कि आपकी आमदनी का साधन हो। इसलिये की गई थी कि काश्तकारों का पैसा नहीं लगेगा, कम लगेगा, 24 घन्टे पानी से ज्यादा खेती करेंगे, ज्यादा पैदावार बढ़ेगी। आज आपकी बिजली की स्थिति यह है कि चार घन्टे भी नहीं दे सकते है। दो घन्टे बिजली देते हैं। दो घन्टे के अन्दर दस-दस मिनिट बिजली चली जाती है। आप फ्लेट रेट ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। आप कहां ले जाना चाहते हो राजस्थान को? मैं आपको नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों पर बिजली की जो फ्लेट रेट दुगुनी की है उसको आप तुरन्त वापस लें, यह मेरा निवेदन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पैदावार किस प्रकार बढ़ाना चाहते हैं? आप किसानों को एक घन्टा, डेढ़ घन्टा बिजली देते हैं। एक बात पिछले दिनों हाउस में कही थी, आप उनको बिजली नहीं देकर भी बिल बराबर दे रहे हैं। सिंचाई मंत्री जी ने जवाब दिया था 135 घंटे किसी काश्तकार को बिजली नहीं मिले तो हम फ्लेट रेट की कमी की बात कन्सीडर करेंगे। मैं सिंचाई मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि 135 घंटे तो क्या, आप यूनिट के हिसाब से लगा रहे हैं। इस तरह से बात कह दें कि हम फ्लेट रेट में किसी प्रकार की कमी का कन्सीडरेशन नहीं करेंगे। 135 घन्टे का प्रावधान है। इसका मतलब यह आपकी मंशा बन रही है, चार, साढ़े चार घन्टे बिजली दें। मैं आप से निवेदन करना चाह रहा हूं, फ्लेट रेट इसलिये लगाई गई थी कि 24 आवर्स बिजली काश्तकार को मिलती रहे। अगर आप उनसे ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं, रेट बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम यह विश्वास दीजिये कि काश्तकार को 24 आवर्स बिजली मिलेगी, तो आप इस रेट को बढ़ाने के अधिकारी हैं। वरना आप कतई आपने दिमाग से निकाल दीजिये कि राजस्थान का किसान, काश्तकार बढ़ी हुई फ्लेट रेट देगा। इसके नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इसके साथ-साथ कि उद्योग-धन्धों को भी आपने नहीं छोड़ा है। आखिर आप क्या चाहते हैं? इस राजस्थान की क्या आप पैदावार घटाना चाहते हैं? इसकी पैदावार कम होगी। उद्योग धन्धों में भी माल की पैदावार नहीं होगी। आप इसकी भी रेट बढ़ा रहे है। एक तरफ आपने इनको 100 पर्सेन्ट कटौती कर दी, विद्युत मंत्री जी हन्ड्रेड पर्सेन्ट कटौती की और दूसरी तरफ आपने मिनीमम चार्जेज के बिल भेज दिये। कम से कम कहीं तो भगवान को याद किया होता। जिस आदमी को एक यूनिट भी बिजली नहीं दी उसको एक महीने का पूरा का पूरा मिनीमम चार्जेज का बिल दे रहे हैं। आखिर यह क्या तरीका है। क्या मंशा है सरकार की? अगर आपको ओवर ड्राफ्ट है, तो ओवर ड्राफ्ट

(श्री मोहनलाल मोदी)

आपने क्यों किया ? आपको राज संभलाया उस वक्त 59 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट था। आज 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है। अगर ओवर ड्राफ्ट किया है तो इस गरीब जनता को नीचे पैंदे बिठाने के लिये ओवर ड्राफ्ट किया है। क्यों किया ओवर ड्राफ्ट ? अगर किया है तो आप चुकाने की हिम्मत करिये। कोई बिजनेसमैन कर्जा करता है, फैक्ट्री चलाता है तो उसको चुकाने की हिम्मत करता है। आप देखिये, आपके राजस्थान की क्या स्थिति है। आपको ब्याज कितना लगता है। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूं, मैंने इसमें देखा है. 79 करोड़ 1980-82 में ब्याज देते थे और इसके बाद 1981-82 में 112.22 हो गया और अब 1982–83 में 126 करोड़ 65 लाख साल का ब्याज होगा। सरकार ब्याज देती है तो वह इतना टैक्स लगायेगी। आपको टेक्स लगाने की आवश्यकता न पड़े। आप ध्यान दीजिये। मैं कहता हूं कि राजस्थान का भला होगा और राजस्थान की उन्नति होगी।

आपने वर्तमान में स्टाम्प ड्यूटी को भी बढ़ा दिया। स्टाम्प ड्यूटी के अन्दर, सभापति महोदय, बहुत-सी बातें इन्होंने कहीं हैं कि स्टाम्प ड्यूटी बाजार रेट पर, बाजार मूल्य पर लगाने का प्रस्ताव रखा है। सभापति महोदय, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा है। तहसील के अन्दर रजिस्ट्रेशन हो, जिसकी रजिस्टरी की जाती है, रजिस्ट्री कराने का जो मामला है, वह एक तरह से भ्रष्टाचार का, पैसा इकट्ठा करने का जरिया है। इससे क्या होता है, जितने कलेक्टर आते हैं, सभापति महोदय, जितने आफिसर आते हैं, उन सब का खर्चा इस रजिस्ट्रेशन के पैसे जो इकट्ठे होते हैं उसमें से किया जाता है। कलेक्टर अगर सब डिवीजन में आयेगा, उसका हर इन्तजाम इस रजिस्टरी के पैसे से किया जायेगा। आप उनको कितनी छूट दे रहे हो कि वह बाजार दर पर मुकर्रर करे। इसका मतलब यह होगा, उनको पैसा मिलेगा, बाजार रेट कम हो जायेगी, नहीं मिलेगा। तो आप उनको ऐसा हथियार दे रहे हैं कि रजिस्टरी कराने वाले को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। एक तरफ यह राहत दे रहे हैं कि जो रजिस्टरी करावे उसको उसी वक्त कापी मिल जाये। फोटो स्टेट कापी दे दें, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी तरफ यह कह रहे हैं उनको बाजार दर से रजिस्टरी करानी पड़ेगी आखिर वह बाजार दर कौन मुकर्रर करेगा ? किस तरह से बाजार दर होगी ? अधिकारी के ऊपर होगा। बाजार दर जो सही समझे, जो उस में लिखी गई है उसको सही माने तो रजिस्टरी कर दे। नहीं तो उसका सही तरीका, उसका मापदण्ड आप जानते हैं। रजिस्टरी में किस तरह से सही और गलत का मापदण्ड होता है। यह भ्रष्टाचार को खुले रूप में इन्होंने व्यवस्था कर दी। इन हैड क्वार्टर्स पर जितना चाहे वह पैसा इकट्ठा करें। मैं आपको निवेदन करूं, आज तहसीलों के अन्दर रजिस्टरी का फण्ड जमा होता है और जितने अधिकारी वहां पर

(श्री मोहनलाल मोदी)

आते हैं उन सब का खर्चा रजिस्टरी के पैसे से होता है। इसलिये मैं आपसे नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपने किया है, उसको आप वापस लें ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।

आप घाटे का बजट पेश करते हैं। वैसे हर सरकार आदी हो गई है घाटे का बजट पेश करने की लेकिन जो बजट पेश करते हैं जैसे 1981-82 का बजट पेश किया उसमें 42.11 करोड़ का घाटा दिखाया गया। आज हमारे इस बजट में यह कहा गया है कि यह 184.74 करोड़ का घाटा होने का अनुमान है। 142.63 करोड़ रुपये का घाटा इस वर्ष के बजट में अधिक होगा। इसका मतलब यह है कि आप जो बजट बनाते हैं, आपके सरकारी अधिकारी पिछले वर्ष का बजट देख कर उसकी बिल्कुल कापी कर देते हैं। आप भी कष्ट नहीं करते हैं। हमको कहां टेक्स लगाना चाहिए, किस से टैक्स हटाना चाहिये, यह आप नहीं देखते हैं। यह इसी का नतीजा है। आप समझते हैं कि 50 करोड़ का घाटा होगा और वह आगे जाकर 150 करोड़ पर पहुंचता है। बजट एक ऐसी चीज है। एक व्यापारी एक साल का, वर्ष भर का हिसाब करता है कि उनको कौनसी चीज खरीदनी पड़ेगी और कोन सी वेचनी पड़ेगी, यह हिसाब करता है। आपने उठाकर अधिकारियों के हाथों में दे दिया है कि आप अपने हिसाब से बजट बना दो। आप उसकी स्टडी नहीं करते हैं। बाद में उसका नतीजा यह होता है कि 142 करोड़ का घाटा अधिक हो जाता है। यह बड़े शर्म की बात है। उस घाटे की पूर्ति करने के लिये किस तरह की बात करते हैं। 1981-82 के घाटे की पूर्ति के लिये, बजट भाषण में कहा गया था कि हम कृषि भूमि को आबादी की भूमि में बदलकर पैसा लायेंगे और कुछ केन्द्रीय सरकार के करों में सम्भावित वृद्धि से पैसा अधिक हमको मिलेगा। सभापति महोदय, न तो भूमि ही बिक पायी और न ही कृषि भूमि की आबादी में परिवर्तित कर पाये, आज हमारी हालत और भी अधिक खराब हो गयी है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करने जा रहा हूं कि कुछ टैक्सों में छूट दी। सभापति महोदय, आज एक बहुत बड़ी बात सदन में हुयी वह यह हुयी कि वित्त मंत्री जी को हाउस में आज एक सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य द्वारा चूड़ियां भेंट कर दी गयी माननीय सदस्यों ने कहा उधर बैठने वालों ने कि चूड़ी पर टैक्स माफ कर दिया इसमें मैं आपको बहुत बड़े राज की बात बतलाने जा रहा हूं कि चूड़ियों पर टैक्स क्यों माफ कर दिया गया है। पिछले सैशन में बजट भाषण पर उपाध्यक्ष महोदय की तरफ से यह मांग की गयी थी कि चूड़ियों पर टैक्स माफ किया जाय। उस मांग को पूरा करने के लिये ही हमारे वित्त मंत्री जी ने यह टैक्स माफ किया है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : किसने मांग की थी ?

श्री मोहनलाल मोदी : हमारे माननीय उपाध्यक्ष ने। पिछले बजट सेशन में यह डिमान्ड की थी कि चूड़ियों पर टैक्स माफ होना चाहिए। उसके हिसाब से ही हमारे वित्त मन्त्री जी ने इसको आज कार्यरूप में परिणित किया है। मैं यह मानकर चलता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको आप उधर ले जावें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं मानकर चलता हूं यह। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि यह छूट देने की बात मैं समझता हूं एक बहुत बड़े मजाक की सी बात है। पिछली सरकार ने मेंहदी और सिन्दूर पर माफ किया था और पिछली सरकार ने ही हाथ की चक्की पर टैक्स माफ कर दिया था। अबकी बार चूड़ियों पर माफ कर दिया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस चीज से आम पब्लिक को राहत नहीं मिले उसको माफ करने से क्या फायदा है। यह कहें कि चूड़ियों पर टैक्स माफ कर दिया तो जो कोई भी इसको पढ़ेगा तुरन्त उसको इस पर हंसी आयेगी और कुछ नहीं आयेगी। इसको तो मैं हंसी की, मजाक की बात मानकर चलता हूं। इससे आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलेगी। 10 रुपये के सिले हुए कपड़े पर भी आपने टैक्स लगा दिया है। इस पर कुछ तो टैक्स में माफी थी। 10 रुपये वाले कपड़ों पर भी आपने टैक्स की दरों को बढ़ा दिया है। आप इस बात को भी बर्दाश्त नहीं कर पाये, आपने यह नहीं सोचा कि इससे आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा। इतनी कम कीमत के कपड़े कौन पहनता है। बिना सोचे टैक्स लगा दिया। अगर आपको कोई टैक्स लगाना ही था तो आप उस पर लगाते जिससे कि आपको अच्छी इन्कम होती, ज्यादा पैसा मिलता। गरीब आदमी पर भी जिसका असर न हो उस पर लगाते तो व्यवहारिक बात हो सकती थी।

एक तरफ तो आपने टैक्स लगा दिया दूसरी तरफ राजस्थान में किस तरह की हालत है। अकाल पड़ा हुआ है, भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, उसके अन्दर आपने राहत कार्य की परमिशन दे रखी है। मन्त्री महोदय हाउस में कहते हैं कि लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है, इतने काम चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सीकर जिले की बात। मेरे यहां की बात आपसे निवेदन करूं कि एक भी अकाल राहत का काम नहीं चल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीम का थाना में अकाल राहत के नाम पर एक भी काम नहीं चल रहा है जबकि पूरा का पूरा सीकर अकालग्रस्त घोषित किया हुआ है। मैं इसका कारण बताना चाहता हूं

(श्री मोहनलाल मोदी)

आपने एक नया आदेश जारी कर दिया है। कि जो काम अधूरे पड़े है उन अधूरे कामों को पहले पूरा किया जाय, अकाल राहत के जरिये से उन अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा किया जाय। पिछले सरपंचों ने जो काम किया है उसके अन्दर उनको ज्यादा धनराशि दी गयी है। वहां पर पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ है तो अगला सरपंच काम करना नहीं चाहता है जब तक कि एस्टीमेट नहीं हो जाय, जब तक यह एस्टीमेट से से पता नहीं चल जाये कि उसमें वास्तविक रूप से 20 हजार के बजाय 10 हजार का ही काम हुआ है तब तक अधूरा काम पूरा नहीं होगा. अकाल राहत के नाम पर एक भी काम चालू नहीं होगा, इसलिये नहीं हो सकता है कि आपने पुराने अधूरे काम करने का निश्चय किया है। इसलिए यह गलत निश्चय है इसको आपको बदलना पड़ेगा।

सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करने की है। मैं अपने क्षेत्र की बात करू, वैसे तो सारे राजस्थान में पीने के पानी की कमी है, आपने हैंड पम्प की बात कही कि हैंड पम्प लगा दिये हैं। लोगों के लिये पीने के पानी की इस प्रकार व्यवस्था की गयी है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हू कि हैंड पम्प से तो गांव में झगड़े कर दिये गये हैं, हैंड पम्प उन लोगों के यहां पर जाकर लगे है। जिन लोगों ने कुछ दिया है। अपने घर के सामने लोगों ने लगा लिये हैं। दूसरे लोग पानी भरने जाते हैं तो उनसे झगड़ा करते हैं। एक तो समस्या है कि वे ठीक जगह पर नहीं लगाये हैं और दूसरी यह है कि पता नहीं क्या डिफेक्ट है कि आधे से ज्यादा हैंड पम्प खराब हैं। और जो खराब है उनको तुरन्त बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनको तुरन्त सुधारने की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा मैं निवेदन करू कि अकाल की वजह से कई जगह कुओं का पानी सूख गया है। मैंने मंत्री महोदय से भी, संबन्धित मंत्री महोदय से भी निवेदन किया, कलेक्टर को भी कहा कि जिन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर व्यवस्था करायें, बोरिंग मशीन का प्रबन्ध करायें जिससे कि वहां के काश्तकारों के कुओं में बोरिंग करवाया जा सके। बोरिंग से पानी की समस्या को निपटाया जा सकता है। लेकिन आपके पास बोरिंग मशीन नहीं है। अगर है तो ऐसी जगह पर क्रियाशील है, जहां पर काम कर रही है वह या ता म ा महोदय का क्षेत्र है या दूसरा क्षेत्र। मैं निवेदन कर रहा हू कि जिन जगहों पर पानी की कमी है जहां के लोगों की वहां पर शिकायत है वहां बोरिंग मशीन भिजवायें और कुओं में बोरिंग करवायें ताकि इन्सान जिंदा रह सके और वहां के लोगों को पीने का पानी मिल सके। अगर आपके पास नहीं है तो आप मशीन मंगवाये और ...

श्री परसराम मदेरणा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : आपने वैसे अन्दाजा

(श्री परसराम मदेरणा)

लगा लिया कि मंत्री महोदय के निर्वाचन क्षेत्र में काम कर रही हैं। मैं पी.एच.ई. डी. मंत्री हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र, में एक भी मशीन काम नहीं कर रही है।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं यह कह रहा हूं कि अगर आपके पास मशीन हैं, वे कहीं तो काम कर रही होंगी। जब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काम नहीं कर रही हैं तो मैं तो यह अंदाजा ही लगाऊंगा कि वह मंत्री के क्षेत्र में काम कर रही होंगी।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान काफी लम्बा चौड़ा है। फेज प्रोग्राम हाथ में लिया जा रहा है। इसी प्रकार की 15 हजार गांवों में समस्या है इसलिए सब जगह मशीनें नहीं भेज सकते हैं। जहां तक अन्डर ग्राउन्ड बोर्ड की बात है तो वह तो व्यक्तिगत रूप से मशीनें देता है। वह तो कामर्शियल डिपाटमेंट है। वह तो कहीं भी जा सकती है।

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्री महोदय, आप अपने ऊपर ले गये। मैंने जैसा निवेदन किया, झुन्झुनू के मंत्री महोदय, के यहां पर बोरिंग मशीन है। वह मौजूद है और वह चल रही है। अब आप कहिए।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि दो नयी मशीन अरणावट गांव, जो शीशराम जी ओला का गांव है, में काम कर रही हैं और उनके फार्म पर काम है। यह मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : वह सरकारी कुओं की नहीं करती है। वह तो व्यक्तिगत तौर पर कोई भी ले सकता है। वह तो एक कामर्शियल डिपाडमेंट है।

श्री मोहनलाल मोदी : काश्तकारों के कुओं का पानी सूख गया है उनमें पानी नहीं आया तो वे काश्त में पानी कहां से देंगे? इस बात के लिये मैंने काफी पत्र लिखें है और कलेक्टर को भी जब भी मीटिंग हुयी है निवेदन किया है। बोरिंग मशीन दे राज्य सरकार....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : 20 मिनट हो गये हैं आपको।

श्री मोहनलाल मोदी : पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : आपकी पार्टी का सारा समय समाप्त हो जायेगा।

श्री मोहनलाल मोदी : पीने के पानी की समस्या का निवेदन किया, ऐसे गांव हैं जहां पर बिलकुल पीने का पानी नहीं है। तीन चार मील तक पीने का पानी नहीं है।

(श्री मोहनलाल मोदी)

सभापति महोदय, हम लोग हरियाणा बोर्डर पर हैं....

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : 13-14 मील तक पानी नहीं हैं। हमें 13-14 मील से पानी लाना पड़ता है।

श्री मोहनलाल मोदी : हरियाणा बोर्डर पर बिजली है, गांवों तक सड़क है हम लोग यह देखते हैं तो हमको दिल दिल में बहुत बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे पड़ोसी-प्रदेश के हर एक गांव में सड़क है, कोई गांव ऐसा नहीं जो सड़क से जुड़ा न हो, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली न हो और हम बिलकुल उसके बोर्डर के साथ हैं, हमारे यहां न सड़क है, न बिजली है, पीने के पानी का अभाव है। इस सारी बातों में इस राजस्थान की स्थिति को आप सुधारिये। सुधारने का तरीका एक ही है कि नान टैक्स रेवेन्यू को आप बढ़ाइये। सरकार जितने यहां उद्योग चलाती है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसका कारण यह है कि यह पिछले बार भी इसी गांव में थे और इस बार भी इसी क्षेत्र से हैं। आप चले जाइये वहां से।...

श्री मोहनलाल मोदी : मैं बीच में चला गया था, आपकी पार्टी के विधायक आ गये थे।

श्री सभापति : बीच-बीच में नहीं बोले। आय-व्ययक पर चर्चा करें।

श्री मोहनलाल मोदी : आदत है इनकी। यह नहीं जा सकती है। इनकी सबसे बड़ी आदत है बीच-बीच में बोलने की। यह आदत इनकी जा नहीं सकती है।

सड़कों का अभाव है उसको पूरा करना चाहिए।

मैं आपसे अन्त में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समितियों को आपने मीटिंग बुला कर बहुत बड़ी पावर्स देने की बात की है लेकिन आज पंचायत समितियों की स्थिति बहुत खराब है। कहीं अध्यापक नहीं हैं। जहां एक ओर अध्यापक नहीं हैं वहीं दूसरी तरफ बी. एड. और एस. टी. सी. ट्रेण्ड लड़के फिरते हैं। 1979 के बी. एड के लड़के आज तक बैठे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार इन प्रधानों को पावर्स दीजिए कि जहां पर जगह हो वहां पर इन लोगों को 3-3, 6-6 महीने लगा कर अभाव पूरा करें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में सारे राजस्थान से विचित्र बात है। सभापति महोदय, 46 गांव ग्रामदान के है। उनमें आज यह स्थिति है कि न वहां सड़कें हैं, न बिजली है। वहां और किसी तरह के आवागमन के साधन भी नहीं हैं। आज इस प्रजातन्त्र में उन लोगों को मानवीय अधिकार नहीं हैं, यदि वहां के 100 प्रतिशत आदमी भी चाहें कि हम इस ग्रामदान को छोड़ दें तो हट नहीं

(श्री मोहनलाल मोदी)

सकते है। आपके कानून में अड़चन है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक प्रावधान रखिए, ग्रामदान एक्ट के अन्तर्गत कि उस गांव के 60 प्रतिशत आदमी अगर ग्राम दान से हटना चाहें तो पंचायत में शामिल हो सकें। यह मेरा आप से निवेदन है। मैं अधिक समय नहीं लेकर मन्त्री महोदय को यह फिर निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान की उन्नति के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ायें। मैं इन शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : सभापति महोदय, मैं विरोध में नहीं बोलूंगा। चमचों पर वित्त मन्त्रीजी ने टैक्स माफ किया है इसलिए उनकीXXX करूंगा।

सभापति महोदय, विरोधी पक्ष कभी का कहता चला आ रहा है कि यह बजट किसान विरोधी रखा है। आपके सामने बार-बार यह कहते हैं कि सिंचाई की दरें बढ़ा दीं, बिजली की दरें बढ़ा दीं। 79-80 में जो आदित्येन्द्रजी ने बजट रखा था उस समय आपने बिलकुल यह बात कही थी कि सिंचाई की दरें बहुत जरूरी है बढ़ाना, बिजली की दरें बहुत जरूरी हैं बढ़ाना। आपने ड्योढ़ा बढ़ाया था हमने तो केवल 25 प्रतिशत ही बढ़ाया है।

एक माननीय सदस्य : उसका फल तो इनको मिल गया।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री माधवसिंह दीवान : वे कह रहे हैं अत: यह आवश्यक है कि सिंचाई की दरों में वृद्धि की जाय। प्रस्ताव है कि वर्तमान दरों में 50 प्रतिशत वृद्धि की जाये।

श्री ललितकिशोर चतर्वेदी : वापस ले ली थी।

श्री माधवसिंह दीवान : वापस ली या नहीं ली।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच-बीच में नहीं टोकें। सुनिये आप।

श्री माधवसिंह दीवान : आपने विद्युत शुल्क भी उसी तरह से बढ़ाया....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले थोड़ी उधर की करेंगे ताकि संरक्षण हो जाय....

श्री माधवसिंह दीवान : मैं तो वित्त मन्त्री को बधाई दूंगा, हिम्मत की दाद दूंगा कि उन्होंने यह जानते हुए भी कि

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

(श्री माधवसिंह दीवान)

इस बात का विरोध होगा, सभी सदस्य विरोध करेंगे, हिम्मत करके कम से कम जो आज राजस्थान की खस्ता हालत हो गयी है इकोनोमिकली, इम्प्रूव करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, एक वर्ग था उस पर टैक्स लगाये। समझ नहीं आता कि आज करीब साढ़े आठ लाख कुएं हैं उनमें से 2 लाख पर बिजली लगी हुई है और बाकी 6 लाख पर बिजली लगी नहीं। बाकी जो बैलों से पानी चलाते हैं, इंजन लगा कर चलाते हैं उनको अगर बिजली लगाने से फायदा है अगर उसके उपर टैक्स बढ़ा दिया गया है तो क्या गलती कर दी? टैक्स तो लगाना ही है, बजट बढ़ाना ही है, विकास करना ही है। इन्होंने अगर एक पैसा बढ़ाया है तो उसके बारे में कहूंगा कि सही बढ़ाया है। मुश्किल बात तो यह है कि इधर हम बिजली मांग रहे हैं उधर हम रेट बढ़ने नही देते। बिजली घर बनाने के लिए पैसा कहां से आयेगा, नई बिजली लाइन डालने के लिए पैसा कहां से आयेगा? इसलिए इन्होंने जो यह काम किया है, बिजली पर रेट बढ़ायी है वह कतई गलत नहीं है। राजस्थान का अगर विकास करना चाहते है, विरोध पक्ष भी यही चाहता है तो इस तरह की रेट बढ़ानी पड़ेगी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपने विपक्ष की बात सुनी तो अब पक्ष की बात सुनने का साहस रखिए। आर्डर प्लीज।

श्री माधवसिंह दीवान : कुल कोटे में सिर्फ 20 प्रतिशत आदमी की फ्लेट रेट है। सिंचाई मंत्री, भूतपूर्व यहां बैठे हुए हैं, बहुत से गांवों, जहां हर माह मीटर चार्जेज 300 रुपये आता था, में इस फ्लेट रेट से आज 60 रुपये महीना आ रहा है। एक आदमी 250 रुपये का हर महीने बिजली बोर्ड को घाटा देता रहे तो बिजली बोर्ड चलेगा कहां से। अगर उन्होंने फ्लेट रेट बढ़ायी है तो उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है। इसी प्रकार।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री माधवसिंह दीवान : इसी प्रकार जितनी सिंचाई होती है राजस्थान में, उसका सिर्फ 15 प्रतिशत एरिया कैनाल से सिंचित होता है। नहर से सिंचाई केवल 8 रुपये बीघा की रेट से होती है। अगर 8 को 10 कर दिया तो कौनसा अन्याय कर दिया? बड़ी भारी बात कह रहे हैं। हम लोग जो कुएं मे सींचते है, बैलों से सींचते हैं 50-50 रुपये एक बीघा सिंचाई के आते हैं। सर्टेन पाकिट को फायदा देने के लिए क्या राजस्थान के सारे इलाके को नुकसान दिया जाये? आप बजट किसान विरोधी कहने लग गये। 15 प्रतिशत इरिगेटेड एरिया के अन्दर टैक्स बढ़ गये तो बजट किसान विरोधी हो गया। आपको तो विरोध करने का शौक है। आप लोगों को जनता ने राज सौंपा था, सरकार चलाने का अनुभव भी है, आप जिम्मेदारी से काम करें, आप कम से कम विरोध तो हिसाब से करिये। आपने खुद ने टैक्स बढ़ाये।

Page No 128

(128)

(श्री माधवसिंह दीवान)

चूंकि आप विरोध पक्ष में हो, विरोध करना जरूरी है। आप विरोध करते रहो, भगवान करे आप परमानेन्टली विरोध पक्ष में बैठे रहो।

श्री सभापति : चेयर को सम्बोधित करिये।

श्री माधवसिंह दीवान : सभापति महोदय, किसी को क्रिटीसाइज करना बहुत आसान है कि यह बढ़ा दिया, वह बढ़ा दिया। दूसरी तरफ प्लान का साइज पिछले साल जितना ही रह गया तो इसका इलाज बताओ। प्लान का साइज बढ़ाना हो तो क्या किया जाय? किसी के पास तरीका नहीं है, केवल किसी को क्रिटीसाइज करना है। अगर बीमार है तो उसके लिए कड़वी दवा खानी पड़ेगी, तभी उसका इलाज होगा। पीपरमेंट की गोली खाने से कोई इलाज किसी बीमारी का होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, सबसे बड़ी बीमारी जो आज है तो वह यह कि जनतन्त्र के अन्दर पिछले 30 वर्षों से हमने इस तन्त्र को इतना बड़ा बना दिया है कि आज हमारे हालात ऐसे हो गये हैं, सरकारी अफसर, क्लर्क्स, बाबू, चपरासी इतने बढ़ गये हैं कि सारी की सारी तनख्वाह आज हमको चुकानी पड़ती है। हम लोग जब गांवों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अकाल राहत कार्य खुलवायें। हम कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर ओवर ड्राफ्ट है, काम नहीं खुल सकते हैं। जनता जाग गयी है वह पूछती है कि फिर सरकारी आफिसरों की तनख्वाह कैसे चुकती है।

अगर सरकारी आफिसरों की तनख्वाह चुकती है तो अकाल राहत कार्य क्यों नहीं खुल सकते? मुश्किल सबसे बड़ी यह है कि सरकारी आफिसर जो इतना हावी है कि जरूरी है उनके ऊपर किसी प्रकार से कण्ट्रोल किया जाय। आज हमारे वित्त मन्त्रीजी ने कहा, छटनी करनी होगी। कितनी छंटनी करेंगे? एक को निकालेंगे तो हड़ताल कर देंगे, परमानेंट सब हो गये हैं, छंटनी करना आसान नहीं है। इसके सम्बन्ध में मैं आपको राय देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि ट्रांसफर हो करने नहीं और इसलिए दूसरा कारण मिलने का बनता नहीं तो इसके लिए मेरा सुझाव सिर्फ यही है कि राजस्थान के अन्दर खास करके ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि अगर रिटायरमेंट की ऐज घटा करके 45 साल कर दें तो ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी कि सारा मामला कण्ट्रोल में आ जायेगा। आप कह सकते हैं कि 45 साल से क्या होगा तो, सभापति महोदय....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : तो, सभापति महोदय, मुझे यही कहना है कि आज जब हम 55 साल में आदमी को रिटायर करते हैं तो उसकी फिजीकल तो हालत यह होती है कि उसी नौकरी पर अगर रहे तो दस साल और काम कर सकता है और शायद और अच्छा काम कर सकता है पर मेण्टली उसकी हालत यह हो जाती है वह नया काम करने के लिए कतई उपयुक्त नहीं होता । उसके पास सिर्फ एक ही धन्धा रहता है इन्दिरा गांधी अच्छी कि मोरारजी अच्छे मोरारजी अच्छे कि चरणसिंहजी अच्छे । उसकी सारी जो ट्रेनिंग है एक्सपीरियेन्स है जो सर्विस के दौरान गेन किया वह सारा का सारा वेस्ट चला जाता है यानि जो सारा पैसा बचाता है वह सिर्फ एक ही काम आता है कि उस पैसे से वह शहर में अपना मकान बनाये । उसी में अपना टाइम निकाल देता है । आज जो सारे बड़े एक्सपीरियेन्स्ड आफिसर हैं, बेस्ट आफ क्रीम इन्टेलिजेन्सिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा रहा है उसको हम बेस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं उस आदमी को हम 45 साल में रिटायर कर देते हैं तो उसके लिए यह लाजिमी हो जायगा कि कोई न कोई नया धन्धा लगाये चाहे इण्डस्ट्री लगाये, चाहे ठेकेदारी करे, चाहे पानी की दुकान लगाये कोई न कोई काम करेगा । हर साल ऐसा करने से हजारों आदमी जो वेल पेड हैं वह राजस्थान की इकानोमिक प्रोग्रेस में मदद देने के लिए आगे आयेंगे । सबसे बड़ी बात यह होगी कि नये आदमियों को नौकरी मिलने के चान्सेज बढ़ जायेंगे उसके साथ ही साथ जिस आदमी को 55 साल में रिटायर कर रहे हैं उस आदमी को 45 साल की उम्र में अगर भेजोगे तो 55 साल की उम्र तक क्या जिस तरह से हमारे राजनीतिज्ञ लोग 70 साल की उम्र तक रिटायर नहीं होते उसी तरह से वह भी नहीं होंगे और 70-75 साल तक काम कर सकेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री माधवसिंह दीवान : तो, सभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा हूं अगर इन लोगों को 45 साल में रिटायर कर दिया जायगा तो ।

एक माननीय सदस्य : इनकी उम्र दस साल घट जायेगी ।

श्री माधवसिंह दीवान : इनकी उम्र सिर्फ 10 साल घटेगी नहीं इनकी उम्र 25 साल बढ़ जायेगी । ये 70 साल तक काम करते रहेंगे और राजस्थान के विकास में बहुत भारी योगदान देंगे । इस स्कीम को इम्पलीमेंट करने के लिए जितना भी, इन्हें पैसा मिले चाहे पी. एफ. में हो, प्रोविडण्ड फण्ड में हो, चाहे जो भी पैसा हो जो रिटायरमेंट पर चुकाते हैं उससे दस गुना बीस गुना पैसा सरकार कम ब्याज के ऊपर उनको ऋण के रूप उपलब्ध करा दे । उनको ऋण मिलेगा तो उम्मीद है कि वह

(श्री माधवसिंह दीवान)

कोई न कोई काम करने के लिए उपयोगी होंगे। उनके अट्रेक्शन के लिए यह भी किया जा सकता है, क्योंकि 45 साल की उम्र में सारी की सारी सोशल लायबिलिटी उनके ऊपर आती है इसलिए रिटायर कर दिया जाय और दो साल तक तनख्वाह ऐसी की ऐसी कायम रखी जाय ताकि दो साल तक उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं आये और दो साल के अन्दर-अन्दर वह कोई न कोई उपयोगी धन्धा लोन लेकर चालू कर सकें। मैं तो सोचता हूं अगर आफिसरों को हमने कण्ट्रोल नहीं किया तो जिस तरह की हालत इन लोगों की इन्होंने की है बहुत जल्दी हमारी कर देंगे। ज्यादा नहीं कह कर मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

मेरे साथी सोचते हैं कि अगर इमीजिएटली यह नहीं कर सकते तो सरकारी आफिसरों की परमानेन्ट सर्विस कर रखी है उसको तो टेम्प्रेरी कर दें ताकि जिस तरह हम लोग घर भेजे जा सकते हैं उनको भी घर भेजा जा सके। सभापति महोदय, ज्यादा समय नहीं लेकर जो कर प्रस्ताव वित्त मन्त्री जी ने लगाये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं।

श्री सभापति : श्री अमराराम चौधरी

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सम्माननीय सभापति महोदय, जिन परिस्थितियों में यह बजट माननीय वित्त मन्त्रीजी ने पेश किया है मैं इसका समर्थन करता हूं। पिछले चार सालों से हमारे राजस्थान के अन्दर भयंकर अकाल है। हम हर तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुदरत, प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है। प्रकृति के साथ नहीं देने से आज जो हमारा बजट पेश हुआ इसमें टैक्स ज्यादा लगाये गये हैं क्योंकि कोई और जरिया नहीं था। लेकिन जो काश्तकारों पर कर लगाये गये हैं उसके लिए मैं विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि बिजली फ्लेट रेट में जो डबल बढ़ोतरी की, अगर आप 24 घण्टे बिजली देते हैं तो हम डबल फ्लेट रेट देने के लिये तैयार हैं। मीटर रेन्ट पर आप पैसा बढ़ायें वह भी हम देने को तैयार हैं। आप 24 घण्टे काश्तकारों को बिजली दें, इस बात का आज आश्वासन दें जब तो जो टैक्स बढ़ाया वह ठीक है वरना बिजली नहीं दे रहे हैं, सिर्फ चार घण्टे बिजली दे रहे हैं और जो आखिरी किनारे पर गांव हैं उनको चार घण्टे घोषणा करते हैं उसके बजाय दो घण्टे मिलती है। उसके बावजूद काश्तकारों से जो वसूली कर रहे हैं उसी पर आपने टैक्स लगाया है, कर बढ़ाया इस पर फिर से विचार कर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब आप अपना उत्तर दें, तो इसमें जरूर संशोधन करें।

आज आपने जो योजना बनाई और जो आपने टैक्स बढ़ाये हैं, जिन जिन पर

(श्री अमराराम चौधरी)

जो है, जैसे स्टील के उद्योग पर टैक्स कम किया, आपने सिनेमा घरों पर कम किया इससे तो अमीर आदमी और अमीर बनेंगे और गरीब और गरीब होते जायेंगे। आपका यह जो बजट है इससे अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वह और गहरी होती जायगी। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज गांवों के अन्दर या बड़े कस्बों के अन्दर कोई भी सिनेमा घर लगायेगा तो वही लगायेगा जिसके पास लाख रुपये होंगे, गरीब कोई सिनेमा नहीं लगायेगा। लाख या करोड़ रुपया जिसके पास होगा वह सिनेमा या इण्डस्ट्री लगायेगा तो फायदा किसको हुआ? उस व्यक्ति को जिसके पास पैसा था। आपने भूमि भवन कर लगाया, ठीक किया लेकिन आपने इसमें जनसंख्या का आधार रखा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरा सुझाव है, इसमें आप संशोधन करें, कारण यह कि सो मकान एक गाव में 5-10 लाख के बने उनको छूट दे रहे हैं और जो एक हजार गांव हैं 5000 गांव हैं जहां झोंपड़े बने हुए हैं, 10000 गांव हैं उनमें झोंपड़े हैं उनके लिये कह रहा हूं। आपने लागू जहां कर दिया वहां तो इम्प्लीमेन्ट होगा ही नहीं तो बाजार की कीमत से वहां प्राइस तय करनी पड़ेगी। इसलिए मकानों की राशि जनसंख्या के आधार पर की उसको वापस लेकर मकान की कीमत के आधार पर करनी पड़ेगी। जिस मकान पर मारबल लगा हुआ है उसकी पांच लाख की कीमत है, मैं नहीं कह रहा हूं, दो लाख कर दीजिये, बेनिफिट देना चाहते हैं तो लेकिन कीमत तय करनी पड़ेगी, उसी के आधार पर कर दें।

दूसरा शिक्षा के बारे में निवेदन है, आप स्कूल खोलते हैं तो यहां 200 विधायक हैं, सबको तो बराबर स्कूल नहीं दे सकते और इससे विकास भी नहीं होगा। जहां स्कूल नहीं हैं, जहां मकान नहीं हैं स्कूलों के लिये, आप कहेंगे कि जो विधायक हैं, उन सबको स्कूल देने हैं, स्कूल बनाने हैं। पंचायत समिति को आप बराबर पैसा दे रहे हैं, हमें पैसा दे रहे हैं ठीक है, लेकिन जो स्कूल झोंपड़े में हैं, जहां पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते हैं उनको आप पैसा दीजिये। आपने जो पिछले साल स्कूल खोले, मिडिल स्कूल खोले इनको विधायकों को दे दें तो बराबर का हिसाब नहीं बैठेगा। आप स्वयं जाकर सर्वे करवायें कि कहां स्कूल नहीं हैं।

आज पश्चिमी राजस्थान पिछड़ा हुआ है। हम तीस साल से कह रहे हैं राजस्थान पिछड़ा हुआ है। अखबारों में आता है, विदेशों में आता है, कई रोड बनाई गयीं पिछले पच्चीस सालों में। जहां कंकरीट पड़ी हुई थी, डामर होना बाकी था, लेकिन आपने उसको प्राथमिकता नहीं दी कि वह आपके प्लान में नहीं है। प्लान बनाने में भी आपको संशोधन करना पड़ेगा। जो सन् 1947 से पहले रोड बनी थीं आज भी वहां कंकरीट पड़ी हुई है, वह 25 साल से

(श्री अमराराम चौधरी)

पड़ी हुई हैं और काम में नहीं लाई गयीं। कंकरीट वहां से गायब हो रही है। आज राजस्थान का इतना घाटा है, इतना ओवर ड्राफ्ट बढ़ा है इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि आपका जो स्टाफ है वह आपको सही रिपोर्ट नहीं देता और इसी से यह घाटा हुआ है। एक रोड मेरे क्षेत्र में बन रही है पचपदरा से खेड तक बनो। वहां सब जगह कंकरीट हो गयी। दो-दो दफा उस पर रोलर चला दिया गया, लेकिन उसके बाद उसकी केयर नहीं हुई। उस पर कभी डामर नहीं पड़ी क्यों कि वह प्लान में नहीं है। ऐसी 10 रोड हैं जहां मैटल टूटी हुई है उनको कोई काम में नहीं लाया जा रहा है और आज वहां दूसरी रोड की सैंक्शन दी जा रही है। आप नई पाइप लाइन लगा रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो 15 साल में पाइप लाइन लगाई उसका क्या हुआ, कितने इंजीनियर्स वहां टूर पर गये, कितने हेल्पर गये, कितना खर्चा हुआ है? 15 साल के अन्दर जिन गांवों के अन्दर आपने मकान बना दिये हैं, हौद बना दिये हैं, उसमें एक बार भी पानी नहीं दिया है। आपको इन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिये।

जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है कई बार मैं निवेदन कर चुका हूं कि हमारे क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां 3 करोड़ रुपये की आज बिक्री होती है। वहां एक छोटे से पुल के लिये कई बार निवेदन किया। मुख्य मन्त्री जी ने भी आदेश दिया था कि इसका निर्माण किया जाये। इस आशय का मुझे पत्र भी मिला था जिसमें कहा गया था कि माह नवम्बर-दिसम्बर में पुल का निर्माण हो जायेगा। लेकिन उसके बाद में जवाब आया कि धनाभाव के कारण यह पूरा नहीं हो सकता। जो क्षेत्र सरकार को 3 करोड़ की आमदनी कराता है वहां पर यह कार्य नहीं हुआ। आपको इसको बनवाना पड़ेगा। दो महीने तक बरसात के मौसम में वहां रास्ता बन्द हो जाता है। आप नावों में बैठकर दूसरे गांवों में जाते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं लेकिन पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी के ऊपर आप पुल नहीं बना रहे हैं। आपको इसको बजट में रखना चाहिये। माननीय वित्त मन्त्री जी, आप नाकोड़ा जाते हैं, आपको मालूम है... ....

श्री चन्दन मल बैद : मैं कभी नहीं गया।

(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : आप पधारिये। उस नदी पर पुल के अभाव में हजारों यात्रि रात को वहां पर रुक जाते हैं और इससे सरकार की आय रुक जाती है।

(श्री अमराराम चौधरी)

बालोतरा के अन्दर 1500 लड़के हैं जो हायर सैकण्डरी में पढ़ रहे हैं। कई वर्षों से जासौल में मैंने कालेज खोलने के लिये निवेदन किया, वहां कालेज नहीं है किन्तु आपने इस बजट के अन्दर कालेज का कोई प्रावधान नहीं रखा। मैं आशा करूंगा कि शिक्षा के बारे में जो आपने अलग से प्रावधान रखा है उसमें से कालेज के लिये प्रावधान करेंगे। इसका आप ध्यान रखेंगे, यह मेरा निवेदन है।

आज जिस प्रकार से अधिकारियों को आपने मुकर्रर किया है एस. डी. एम. को नियुक्त किया है, एडीशनल कलेक्टर लगा दिया, क्या आवश्यकता है उसको लगाने की। पहले एस डी. एम. था, उसी को सारे अधिकार दिये थे वह सारा काम देखता था। रेवेन्यू का काम भी वह देखता था, रेवेन्यू के काम देखने के बाद भी उसका काम अच्छा था। आज रेवेन्यू के बाद आप अलग काम के लिये लगाइये कितना टी. ए. और डी. ए. आयेगा। ए. डी. एम की अलग से पोस्ट क्रियेट करते हैं, उसका अलग से खर्चा होता है। इसके अलावा जो भूमि कर के बारे में यहां कहा। हम गांव के अन्दर रहते हैं तो शहर में पहले भूमि कर लागू था उसमें हमारा खर्चा होता था। आपने एस. डी. एम. का क्या किया? आपने उसकी जगह दूसरा लगाया, लेकिन काम का औसत वही है जो पहले था। वह एस. डी. एम. रैंक का है जो आपके क्षेत्र में पैसा वसूल करके देता था, तो कोई आवश्यकता नहीं दूसरा ए. डी. एम. लगाने की। यह जो फिजूल खर्च होता है इस पर रोक लगनी चाहिए तभी राजस्थान का विकास होगा।

मैं पुनः आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि काश्तकारों पर जो टैक्स लगाया है उस पर विचार करके आप उसको कम कीजिये जब तक कि बिजली 24 घण्टे नहीं दी जाये।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : इनसे पहले मेरा नाम है।

श्री सभापति : श्री रतनाराम।

श्री रतनाराम चौधरी : सभापति जी, आज बजट पर चर्चा होने जा रही है। मैं भी इस बजट का स्वागत करता हूं। वैसे इस में जो टैक्स लगाये गये हैं उनको मैं वापस लेने के लिये अनुरोध करता हूं। इस वर्ष भयंकर अकाल की स्थिति है, किसानों को 2-3 घण्टे के सिवाय बिजली नहीं मिली और वह भी कड़ाके की सर्दी में, पौष महीने की सर्दी में रात को मिली।

(श्री रतनाराम चौधरी)

ऐसी हालत में किसान को जो उपज मिलने वाली थी, बिजली के अभाव के कारण उसकी फसल का नुकसान हुआ और इस वर्ष कुदरत का भी कोप किसान पर हुआ। ऐसी हालत में जो फ्लैट रेट बढ़ाई गई है इसके लिये मैं किसानों की भावना को, छोटे-छोटे किसानों की भावना को इस सदन में माननीय वित्त मन्त्री जी को बता देना चाहता हूं कि इसको आप वापस ले लें और जो पहले वाली फ्लैट रेट हैं उनको वहीं तक सीमित रखें।

दूसरा जालौर जिला है। राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है उसमें बहुत सी नदियों में 12 महीने पानी बहता है। आज तक कोई बांध बनाकर उनको रोक दिया होता तो उस एरिया के किसानों के लिये बहुत लाभदायक सिद्ध होता। जैतरपुरा नदी पर डैम बनाने का कई वर्ष से मामला चलता रहा है परंतु जैतरपुरा नदी पर अभी तक डैम नहीं बना। जैतरपुरा नदी का पानी गुजरात में फालतू जा रहा है और किसान अपनी कच्ची नाली, कच्ची नहर निकाल कर अपने खेतों में बहुत मेहनत करके सिचाई करता है। जब रबी की फसल बोने का समय आता है उससे दो तीन महीने पहले नहर निकालने में समय वेस्ट होता है और छोटी छोटी नहर निकालकर अपने खेतों को पानी देकर सिचाई करते हैं। इस सरकार द्वारा 5 साल से सर्वे का काम चल रहा है लेकिन अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। इस लिये मैं सिंचाई मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस जैतरपुरा नदी पर डैम बनाने की उचित कार्यवाही करने की कार्यवाही करावे।

जैतरपुरा नदी 12 महीने बहने वाली नदी है। आज से करीब 10 साल पहले नवाब लोहारू जब पी० डबल्यू० डी० मंत्री थे उस समय पुल निर्माण का शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास किया हुआ पत्थर गढ़ा हुआ है, 12 साल होने आये हैं परन्तु जैतरपुरा नदी पर आज दिन तक वह पुल नहीं बना। जैतरपुरा नदी ऐसी है जो दोनों जिलों को जोड़ने वाली नदी है, माउंट आबू, सिरोही जालौर और बाड़मेर जाने वाले यात्री बसेज और किसानों को उपज जो गुजरात जाती है, उसके लिये वह एक मात्र रास्ता है। जैतरपुरा नदी पर कच्ची सड़क होने के कारण किसान अपनी फसल को गुजरात में ले जाने में असमर्थ रहते हैं और बरसात के समय तो कई बार दो दो महीने रास्ता बिल्कुल बन्द हो जाता है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस बजट में जैतरपुरा नदी पर पुल का निर्माण करने के लिये प्रावधान रखवायें व पैसे का इंतजाम करवायें ताकि जनता की कठिनाई दूर हो सके।

तीसरे मैंने इस बजट में देखा, हर जिले में 10-10 15-15 सड़कें इस बजट में ली हैं परन्तु जालौर ही एक ऐसा जिला

(श्री रतनाराम चौधरी)

है जिसमें एक भी सड़क स्वीकृत मुझे नहीं दिखी। मालवाड़ा से जसवंतपुरा सड़क करीब 10-12 साल पहले बनी उस पर मैटल भी बिछाया गया। कही मैटल बिछाया गया, थोड़ा बहुत 2-4 किलोमीटर पर ग्रेवल है। मैटल जो 10 साल पहले बिछाया गया वह बिल्कुल बिखर गया। वापस बनाने के लिये सारकारने जो पहले खर्चा किया उतना ही खर्चा वापस करना पड़ेगा। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो सड़क बनवायें उस पर मैटल बिछ जाता है तो थोड़ा डामर भी बिछाया जाय ताकि सरकार को दुबारा खर्चा नहीं करना पड़े और जो फैमिन में गत वर्ष सड़कें बनी हैं, इसी वर्ष अकाल राहत के अन्तर्गत उन पर सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर काम चालू करवाया जाय। फैमिन के बजट पर आज फैमिन कमेटी जिला लेवल पर बनी हुई हैं उन फैमिन कमेटी को अधिकार होना चाहिये। कौनसी सड़कें जरूरी हैं कौनसी जरूरी नहीं हैं, यह तय करने का फैमिन कमेटी को अधिकार दे दिये जायं ताकि वे अपने जिलों में जिसे उपयुक्त समझें उसका प्राथमिकता के आधार पर काम करायें यह बजट जिला लेवल पर अलाट कर दिया जाय और फैमिन कमेटी को अधिकार दिया जाय ताकि हम जो प्रस्ताव रखते हैं सड़क या बांध का वह वहीं हम पास करके उसी समय दूसरे दिन काम चालू करवा सकें।

अब जैसे मेरे पूर्ववक्ताओं ने भी फर्माया और बजट को संतुलित करने के लिये सुझाव दिये हैं। मेरा सुझाव यह है कि रोडवेज की बसें हैं ये करोड़ों रुपये के घाटे में हर साल चलती हैं, एक प्राइवेट बस मालिक चलाता है उसको हर साल लाखों रुपया कमाकर देती हैं। इसका क्या कारण है? इसको किसी ने गंभीरता से सोचा। प्राइवेट बसें सरकारी बसों से गई गुजरी होती हैं परंतु वे बसें लाखों रुपये हर साल मालिक को कमा कर देती हैं और रोडवेज की हर साल 5-10 करोड़ का घाटा देती हैं, इसका क्या कारण है? इस में चोरियां होती हैं, टिकट की चोरियां, टायरों की चोरियां, पार्ट्स की चोरियां होती हैं। इस तरह की चोरियां अगर नहीं रोकी गई तो कब तक सरकार घाटे का सौदा करती रहेगी? अगर आपसे कन्ट्रोल नहीं होता है तो ये रूट्स नीलामी पर दिये जायं, प्राइवेट बसें चलाने वालों को दिये जायं, आपको करोडों का बजट मिलेगा, राजस्व मिलेगा। आप नीलामी पर देकर तजुर्बा कीजिये।

हर वर्ष आपको लाखों करोड़ों रुपये की ठेके से आय होगी। देशी शराब के ठेके की जैसे नीलामी होती है इसी तरह से अंग्रेजी शराब की नीलामी नहीं होती हैं, ठेके नहीं होते हैं। वह भी नीलाम होने चाहिये। अभी यह शुरू किया है। पहले नहीं था, प्रावधान नहीं था।

टैक्स अगर ऐसी चीजों पर लगायें, जैसे दारू है देश को डुबोने वाली और बेकार वस्तु है उस पर ज्यादा टैक्स लगायें, वह किसी को नहीं अखरेगा। पीने वाला ज्याद

(श्री रतनाराम चौधरी)

महंगी होती तो भी अपने आप पियेगा। इसलिये खुशी से लगायें दारू पर टैक्स। बाकी किसान को प्रभावित करने वाली जैसे बिजली की दर फ्लेट रेट है, ट्रैक्टर ट्राली है, ऐसी चीजों पर टैक्स मत लगावें। ट्रैक्टर पर अलग टैक्स, ट्राली पर अलग टैक्स। ट्राली क्या है ? एक बैलगाडी में जैसे बैल होते हैं, गाड़ी होती है उसी तरह से ट्रैक्टर के पीछे की ट्राली है, ट्रैक्टर गाड़ी कहिये। किसान के खेत में बोयी हुई फसलको साटे तक लाने और खेत में ले जाने का काम ट्राली करती हैं। बाकी किसान के कोई काम में नहीं आती है। इसलिये ट्राली और ट्रैक्टर पर एक ही टैक्स लगावें, अलग अलग टैक्स मत लगायें।

आप देखिये वन विभाग हर सड़क पर पेड़ लगाता है। राजस्थान का तीन करोड़ का पेड़ लगाने का लक्ष्य है, ठीक है. कागजों में लक्ष्य पूरा हो गया परतु वास्तविक क्या लक्ष्य है। आप देखिये, कितने पेड़ जीवित हैं ? जो खड्डे पेड़ हैं उनमें किसी पशुपालक का पशु जरूर गिरकर मरेगा परन्तु एक भी पेड़ लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 100 में से 10-5 का मैं नहीं कह सकता लगे हुये मिल जायं, बाकी मुझे खड्डे खड्डे ही नजर आ रहे हैं। उन पर अनाप शनाप खर्चा हो रहा है। उनमें वन विभाग वाले क्या लगाते हैं ? एक गुजराती खेजड़ली जहरीली बाखण। उनको लगाने के लिये तार की जरूरत नहीं है, वह अपने आप तैयार हो जाता है। जहरीले बीज को कहीं डाल दो, अपने आप तैयार हो जाता है, कांटे की जरूरत नहीं है। सड़कों पर पेड़ लगाये जाते हैं उन पर खर्च होता है। इसलिये खर्च पर नियंत्रण किया जाय और अच्छे पेड़ लगाये जायं। गुजराती बावल जहरीली बावल मत लगायें। यदि पशुपालक के पशु के पैर में कांटा चुभ जाता है तो वह पशु को खोड़ा कर देता है। इस लिये अच्छे पेड़ लगायें ताकि उसकी पत्ती भी काम आये, फल भी काम आये, लकड़ी की भी कीमत हो। ऐसे पेड़ लगाने चाहिये।

हमारे क्षेत्र में एक बरेठा गांव है उसमें दो तीन साल पहले बांध का निर्माण हुआ। हमने कई बार सिंचाई डिपार्टमेंट को लिखा परन्तु किसानों को उनका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उसके नीचे जो जमीन आई है बरेठा गांव की जो जमीन डूब में आई है या बांध के नीचे जमीन आ गई है उसका अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। उनको मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करिये।

(4.30. म.प.)

श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन।

पूर्व वक्ताओं ने कहा व्यापारियों को इस बजट में राहत दी गई है और किसानों पर टैक्स लगाया गया है। यह बात बिल्कुल सही है। आज फैक्ट्री में किसी उप करण का अगर उत्पादन होता है जैसे मान लीजिये

(श्री रतनाराम चौधरी)

ट्रैक्टर है। पहले ट्रैक्टर की कीमत क्या थी 14 हजार या 19 हजार लेकिन आज उसकी कीमत क्या है। आज उस ट्रैक्टर की कीमत 80 हजार रुपया हो गई है। आप जीप को लें, 18 हजार और 19 हजार रुपये में जो जीप आती थी वह जीप अब एल लाख रुपये की हो गयी है। महिन्द्रा की जीप एक लाख रुपये की है। उसमें कितना मैटिरियल लगा, कितना सामान लगा, कितनी चदरें लगीं इसका हिसाब करके देखें। फैक्ट्री का मालिक स्वयं अपना हिसाब लगा कर उसकी कीमत आंकता है। लेकिन आज हमारे किसान की हालत क्या है? वह तो भगवान के भरोसे ही अपनी फसल की कीमत आंकता है। फसल की कीमत जो बाजार में होती है, उस वक्त भाव होते हैं किसान को उसी भाव में बेचनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, जो लोन किसान को मिलना है अपने बेरे में बिजली लगाने या बेरा खुदाने के लिये, पम्प लगाने के लिये वह लोन जिसने ले रखा है अगर आप सच पूछो तो सही मायने में लोन चुका नहीं सकता, कुर्की द्वारा वसूली की जाती है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार फैक्ट्री में जो माल बनता है उसकी कीमत आंकी जाती है उसी तरह किसान की उपज का भी आप सन्तुलन बनावें, किसान को उसकी उपज की सही कीमत उस तरह से मिले, आप को यह देखना होगा और उसकी तुलना उनसे करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसका तो मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं लेकिन जो फ्लेट रेट आपने किसानों पर बिजली की लगायी है, बढ़ोतरी की है उसको आप वापस लें यह अनुरोध मैं करता हूं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : आज नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप बोल लीजिये। मैं आपको बोलने का पूरा समय दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने लिख कर दे दिया है वापस।

श्री रामसिंह विश्नोई : सदन का समय तक।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

(व्यवधान)

अब उनका नाम ले लिया है। सदन का समय बढ़ा कि नहीं। खैर बाद में देख लेंगे।

138

(श्री अध्यक्ष)
(श्रीमती उजला अरोड़ा)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, तीन तारीख को माननीय वित्त मन्त्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया और अपना बजट भाषण दिया। अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने बजट पेश किया वह समाजवादी पार्टी या समाजवादी सरकार का बजट तो मुझे नहीं लगता है, वह तो समाज विरोधी बजट लगता है। मान्यवर, चाहे मेहतर हों, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो कृषक हो चाहे कर्मचारी हो सभी वर्ग के विपरीत बजट पेश किया गया है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं कि पिछले मार्च माह में जब पहाड़िया जी ने यहां पर बजट प्रस्तुत किया था तो सभी लोगों ने चर्चा की थी कि शराबबन्दी खोल दो। शराबबन्दी खोल दी गई। डूब लिये शराब में फिर भी कुछ नतीजा नहीं निकला। फिर भी घाटे का बजट लेकर आये हो, ओवर ड्राफ्ट का बजट लेकर आये हो। घाटे का बजट और ओवर ड्राफ्ट का बजट लाकर आपने हिन्दुस्तान में कीर्तिमान स्थापित किया है। ओवर ड्राफ्ट और घाटे के बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि इनकी पूर्ति आप किस प्रकार करोगे? ओवर ड्राफ्ट को कैसे आप चुकायेंगे? घाटे की पूर्ति आप कैसे करेंगे, यह आपने नहीं बताया बजट में। इस बजट में केवल मात्र भूमिका है और भूमिका से ही सारा बण्टाधार हुआ है। मान्यवर, यह 24 पेज की बजट की किताब है इसके 66 नम्बर के बिन्दु में यह कहा गया है कि योजना आयोग से परामर्श करके राजस्थान नहर, माही परियोजना, कोटा थरमल पावर स्टेज II पलाना तथा अन्य स्थानों पर लिगनाइट पर आधारित विद्युत संसाधन, शिक्षा के क्षेत्र में नये विद्यालय पॉलीटेक्निक तथा नये विषय, चिकित्सा के क्षेत्र में नई डिस्पेन्सरी, एडपोस्ट तथा आयुर्वेद औषधालय, ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें, ग्रामीण विद्युतीकरण अन्य इसी प्रकार की योजनाओं के ऊपर योजना आयोग से पूछ कर निर्णय लिया जायेगा। तो, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि आप बजट प्रस्तुत करने के पहले पूछ कर क्यों नहीं आये? और अब कब बतायेंगे आप योजना आयोग से पूछ कर? आप भाषण देने आये थे तो पूछ कर क्यों नहीं आये थे? यह सब बातें बजट भाषण में दी हुई नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप पूछ कर बतायेंगे? यह मेरी समझ में नहीं आता है किस तरह इन्होंने यह किया है? इन्होंने 24 पृष्ठ पर भूमिका बान्धी है, मान्यवर, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है। एक ओर तो यह भी कहा गया इनके भाषण में कि गांवों को शहर से सड़कों से जोड़ा जायेगा। पर सड़कें है कहां बजट में कुछ भी नहीं।

अध्यक्ष महोदय, 20 सूत्री संकल्प प्रस्तुत करने की बात है मुझे वह पुस्तक नहीं मिली और हमारी लाइब्रेरी में भी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वह पुस्तक नहीं मिली है। अगर मिलती तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती, उसका कितना सुन्दर कवर है, कितनी बढ़िया वह पुस्तक दिखायी देती है। अध्यक्ष महोदय, जो 20 सूत्री संकल्प है उनमें एक चुनाव का भी है। उसको ताक में रख दिया। चुनाव करा दिया तो भी, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, चुनाव कराये तो इसलिये कराये कि अगर बजट के पारित कराने के बाद कराते तो यह पिट कर आते। कुछ भी तो नहीं है इस बजट में, न खेती के लिये बिजली है, न खेतों में बिजली है। कितने खेतों में बिजली देने की बात कही? कुछ भी तो नहीं कहा मन्यवर, सारी योजना को पोटली बांध कर एक तरफ रख दिया गया है और ऐसा प्रभाव डालने की कोशिश की गयी है कि हम यहां पर मंत्र मुग्ध होकर बैठ जायं, इनकी स्पीच की तारीफ करें और यह कहें यह बजट बहुत बढ़िया है मान्यवर अध्यक्ष महोदय, विद्युत उत्पादन की कोई इसमें योजना कहीं नहीं है, खेतों में बिजली नहीं है किन्तु टैक्स 25 प्रतिशत लगाया है। सिंचाई की दरों में भी बढ़ोतरी की है। आज स्थिति यह है कि किसानों को न समय पर खाद मिलती है न टाइम पर बिजली मिलती है, न डीजल मिलता है और न समय पर बीज ही मिलता है। बीज के घोटाले के बारे में पिछले दो सत्रों से चर्चा हो रही है। कृषि महोदया ने स्वयं स्वीकार किया कि वह इसको कन्ट्रोल करने में अक्षम हैं, वह खुद कह चुकी हैं। किस तरह का बजट लेकर आये हैं, किसान को बिजली नहीं, खाद नहीं, बीज नहीं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी कि कृषि की अर्थ व्यवस्था है वह भारतीय अर्थ व्यवस्था का मेरू दण्ड है मान्यवर अध्यक्ष महोदय, समाजवादी सरकार का यह नमूना है। सन् 77 में एक बुकलैट में श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने ग्रामीण विकास में आयाम के बारे में बहुत कुछ लिखा था कि हमने खेती में इतनी बढ़ोतरी की है किन्तु आज पुस्तक में यह देखने को मिला है कि खेती के अन्दर भयंकर गिरावट आयी है। हमारे समाज के जो मानदण्ड हैं उनको तोड़ने का इन्होंने ठेका ले लिया है।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, बजट के कुछ मुद्दों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। इन्होंने जैसे, अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक अवनति करने का तो शायद ठेका ले रखा है। आज उद्योगों को बिजली नहीं, लघु उद्योग और माध्यम उद्योगों पर आपने टैक्स लगाया। मैं पूछना चाहती हूं कि यह किस प्रकार की व्यवस्था लेकर आप आये हैं। उनको बिजली समय पर देते नहीं हैं और जैसा कि मुझे मालूम हुआ, टैक्स के लिये उन्हें 69 किताबें रखनी पड़ती हैं तब कहीं जाकर वह अपना काम शुरू कर सकते हैं। मान्यवर, यहां ऐसी व्यवस्था है कि कोई सिस्टम नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि आप जाकर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करें। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि आपने बजट में अगर राहत दी है तो

Page No 140

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

केवल जोधपुर में स्टील की जो फैक्ट्री हैं उन पर आपने टैक्स हटाया है। आपने चुनड़ी पर टैक्स हटाया है। चूड़ियों पर टैक्स हटाया है। बाकी सारे प्रदेश मे टैक्स लगाया है। राहत इन्होंने कैसे दी, पता नहीं। इनकी जेबे गरम हो गयीं इसलिये किया क्या? सिर्फ एक ही बात का बजट में इंगित किया है अन्य उद्योगों की तरफ तो इनकी निगाह ही नहीं गई। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी कि औद्योगिक क्षेत्र हमारा जो जयपुर का है वह बहुत ही बड़ा क्षेत्र है वहां पर पीने के पानी की सुविधा भी नहीं है, वहां कोई योजना नहीं है, बिजली देने की योजना नहीं है। इसके बाबजूद उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं। यह जो टैक्स है, अध्यक्ष महोदय, चार जगह पर वसूल किया जाता है। जब कच्चा माल आता है तो चुंगी लगती है, औद्योगि क्षेत्र में माल जाता है तो टैक्स लगता है, माल बन कर तैयार होता है और बाहर जाता है तो टैक्स लगता है और इसके बाद में सैल्स टैक्स लगता है। इस प्रकार की व्यवस्था है कि चार जगह टैक्स लगता है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, यह किस तरह की व्यवस्था है? क्या यह सही व्यवस्था है? वित्त मन्त्रीजी, जो कि शिक्षा मन्त्रीजी भी हैं, मैं समझती हूं कि इन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। जो घर में औरतें काम करती हैं, छोटा छोटा काम करती हैं, गृह उद्योग की तरह से काम करती हैं वह 10 रुपये का कपड़ा खरीदें, यह भी इनको बरदाश्त नहीं हुआ। जो सिला हुआ कपड़ा 10 रुपये का होगा उस पर भी टैक्स वसूल करेंगे। बड़े बड़े टैक्स माफ कर देंगे लेकिन चुनड़ी के जो बीच में एक धारी लगती है, मान्यवर, आपको ध्यान होगा कि जो खादी की ओढ़निया बनती हैं उसके बीच मे सिलाई की जाती है, मैंने बात की है उन्होंने कहा कि उस पर भी मन्त्री महोदय ने टैक्स लगाया है। जो 12 आने की सिलाई देते हैं मजदूरनियों को यह टैक्स उससे भी काटा जायेगा। मैं कहना चाहूंगी कि वित्त मन्त्रीजी सोच लें, समझ लें, उन्हें पब्लिक के बीच में भी आना है। इस तरह के जो कर लगाया है और जो बजट इस तरह का लाया गया है यह उचित नहीं है।

मान्यवार, रोजगार के साधन देने के लिए इन्होंने कोई सम्भावनाओं पर प्रकाश नहीं डाला है। कितने लोग बेरोजगार हैं? मे आंकड़ों में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पूर्व वक्ता कह चुके हैं, मैं कहूं तो मेरा टाइम कट जायेगा। जो लोग पढ़े-लिखे हैं, बेपढे लिखे हैं वे और पोस्ट ग्रेजुएट तक धक्के खाते फिरते हैं उनके लिए कोई योजना नहीं है। बल्कि जो वर्तमान मे कर्मचारी हैं, डरपोक इतने हैं कि विधान सभा में आते ही कमजोरी का नमूना इन्होंने दिखाया है और आवश्यक सेवा अनुरक्षण विधेयक लेकर आये हैं कि कोई मांग करे या कोई हड़ताल करना चाहे तो यह पुलिस के डंडे से उसको दबा देंगे। इनमें मोरल तो कुछ है ही नहीं। मैं कहना चाहूंगी कि किस तरह से यह यहां

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पर बजट लेकर आये हैं। कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अगर देने की बात कहीं थी तो सरकार ने ही कही थी। मुख्य मंत्री जी ने कुछ दिनों पहले भी उनसे कहा था, निश्चित रूप से कहा था कि जो देय है वह निश्चित रूप से दिया जायेगा। किन्तु बैकडोर एन्ट्री करके और यहां घुसकर, उनके हितों पर कुठाराघात करके यहां पर आये हैं। मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वह अपने में थोड़ा सा सुधार करें।

मान्यवर, न मूल्यों में गिरावट आई है और न क्षेत्रीय विकास हो रहा है। जो राजस्व कमाने वाले महकमे हैं वह कमा-कर नहीं दे रहे हैं यह कैसा शासन है, समझ में नहीं आता कि रेवेन्यू कमाने वाले महकमे टार्गेट्स पूरे नहीं करते। गये साल की जो पुस्तिका है, जो टार्गेट्स इन्होंने फिक्स किये थे कि इतना उनसे हम कमायेंगे। उनको इन्हें घाटे में रखा है चाहे वह रोडवेज हो, चाहे वह सेल्स टैक्स हो, चाहे वह टेनरी हो, चाहे वह गंगानगर शुगर मिल हो। मैं कहना चाहूंगी कि किस तरह का आपका प्रशासन है और किस तरह की आपकी थिंकिंग है जो यहां पर आप लेकर आये हैं।

मान्यवर, अकाल के लिए केवल चार जगह काम चला रखे हैं। सारे प्रदेश में अकाल पड़ा लेकिन कुछ लोगों को खुश करने के लिए काम चलाये हैं। अगर सारे प्रान्त में काम चलाये होते तो लोगों को रोजगार मिलता। हमारे लोग इस प्रदेश को छोड़-छोड़ कर बाहर नहीं गये होते। बीवी और बच्चे परेशान हैं। एक समय वह था जब जनता पार्टी के राज्य में काम के बदले अनाज योजना में लोगों, जिनके घरों में कभी एक दाना नहीं दीखता था, ने बोरियां खरीदीं

श्री चन्दनमल बैद : खा गए।

श्रीमती उजला अरोड़ा :....और आज आपके यहां अकाल का काम नहीं खोले जाने से लोग प्रदेश छोड़-छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि इस व्यवस्था में सुधार कीजिए....

श्री यदुनाथसिंह : गरीबों के पेट में गया।

श्री चन्दनमल बैद : XXX खा गये, आप लोग।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप चाहते हैं कि लोगों को शराब पिला-पिलाकर उनकी भूख को भुला दें, उनके दुःख को भुला दें।....

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित किया गया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय 2 घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाये।

अनेक माननीय सदस्य : 3 घंटे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो घंटे बहुत है।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

आय व्ययक पर सामान्य वादविवाद

श्रीमती उजला अरोड़ा :...मान्यवर, मैं बात कह रही थी कि लोगों को मदहोश बनाने की पूरी कार्यवाही राजस्थान गवर्नमेंट ने की है शराबबंदी हटाकर शराब के पैसे का का क्या किया? मैं पूछना चाहूंगी, माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर में बतायें कि जो शराब की आय थी, जो पाप की कमाई थी आपकी उसका क्या किया? गयी बार वितमंत्रीजी ने कहा था कि विकास के कामों मेंगति आयेगी, घाटा नहीं रहेगा। इस शराब की आय से हम गांव-गांव मे विकास करेंगे। मान्यवर, घाटा क्यों हुआ? विकास क्यों नहीं हुआ? शराब बेचकर क्या किया, यह मुझे बतायें।

अगर आपको कुछ लाभ नहीं है तो फिर, मान्यवर, जाति से जैन हैं मैं कहना चाहूंगी कि शराब खोरी पाप है। आप यह कह दें कि ओवरड्राफ्ट होगा तो घाटा और उठा लेंगे लेकिन शराब बंद करके रहेंगे।

मैं कहना चाहूंगी कि पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने जो बीस संकल्प दिये हैं उसमें पेयजल व्यवस्था करने के बारे में बात की थी। पानी आवश्यक है जीवन के लिए। मैं समझती हूं कि रेलगाड़ियों से, बैलगाड़ियों से पानी पहुंच रहा है लेकिन जो पानी हमारे पास आसमान से आता है जिसका शुल्क नहीं लगता उसको रखने की कोई योजना आपको नहीं सूझती। बरसात का पानी है उसके लिये अगर बांध बनाया जाये, जगह-जगह छोटे-छोटे तालाब और योजनायें बनायें और उसकी बांधें तो आज पानी के लिए त्राहि-त्राहि नहीं हो।

मान्यवर, मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि योजना आयोग के पास जब वह जायें तो यह बात लेकर जायें कि जो हमारी छोटी-छोटी योजनायें हैं उनकी कैसे पूर्ति होगी। जो बड़ी योजनायें हैं उनमें कटौती मत कीजिए। गंगानगर वाले ठीक कह रहे थे कि गंगानगर हमारे प्रदेश को फीड

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कर सकता है इतना धान उत्पादन कर सकता है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, समाप्त कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं अभी दो एक बात कह कर मेरी बात समाप्त कर दूंगी।

मैं कहना चाह रही थी कि जो हमारी गंगनहर, राजस्थान कैनाल है और जो दूसरी जल प्रदाय योजनायें हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए और ज्यादा पैसा लाकर बिना कटौती किये समय रहते उनको पूरा कीजिए वरना वह और महंगी हो जायेंगी और आदमी पानी-पानी के लिए तरसेगा।

मान्यवर, विद्युत उत्पादन के लिए टार्गेट्स दिये थे कि इतने समय में शुरू कर देंगे, वह पूरे नहीं किये। उनको पूरा कीजिए। बिजली से ही उत्पादन है, बिजली से ही श्रम है और बिजली से ही अनेकों विकास की गतियां हैं। मैं कहना चाहूंगी की इस क्षेत्र में आपकी अक्षमता, अकर्मण्यता ठीक नहीं लगती। लोगों को सताइये मत।

मैं और समय नहीं लूंगी। अंत में कहना चाहूंगी, वित्त मंत्री महोदय, आपने जो टैक्स लगाये हैं सिंचाई की दरों में वृद्धि करके यह वापस ले और फ्लेट रेट जो थोपी है बिजली की, आप बिजली नहीं देते हैं इसलिए इसको वापस लें।

मुझे यहां जयपुर की कुछ बहिनों, जो संगठन चलाती हैं, में कहा कि हमें भूखो मारने की व्यवस्था तो वित्त मंत्री ने कर दी। केवल चूड़ियां पहन कर और चुनरी पहनकर हमारा संसार नहीं चल सकता। यह चूड़ियां और ओढ़नी उन्होंने भिजवाई थी। उन्होंने कहा था, घूंघट में मुंह छिपाकर बैठ जाओ, तो इसको ओढ़कर तुम भी मुंह छिपा कर घूमों। यहां से बाहर निकलकर क्षेत्र में काम करो....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या भाषण समाप्त हुआ। वस्तुओं का आदान प्रदान सदन में नहीं होता, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा :....प्लास्टिक की चूड़ियां हैं यह मैं वित्त मंत्री जी को भेंट करती हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपकी कान्सटीट्यूएंसी में दे देना किसी महिला को, अच्छा रहेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह वित्त मंत्री जी के लिए हैं खास तौर से,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, इस तरह से वस्तुओं का आदान, प्रदान करना

(श्री अध्यक्ष)

करना वर्जित है। नहीं होगा, माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री चुतुर्भज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, कोई कारण नहीं है कि यह न लें। मैं मंत्री महोदय को देकर आती हूं।

श्री अध्यक्ष : काफी कीमती चीज है। अपने पास रखिये। माननीय सदस्या, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। शान्त रहें, माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्या, इसकी इजाजत नहीं मिलेगी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य घूंघट भी लिवाना है। घूंघट भी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री **चतुर्भुज** (टोडारायसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट आपके द्वारा पेश किया गया है उसका समर्थन करते हुए आपको मेरे हिसाब से कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि भविष्य में राजस्थान के ऊपर कभी ओवर ड्राफ्ट का अन्त भी होगा और कभी राजस्थान अपनी वित्त स्थिति के अनुसार कार्यक्रम बनाने की स्थिति में आयेगा। अध्यक्ष महोदय, यह अलफाज ओवर ड्राफ्ट, इसके कारण कोई बजट बनकर आता है, उसका भार किसान पर जाता है और किसान के घर और गरीब परिवार पर जाता है तो वह कितना बोझ झेलेगा, यह इस सरकार को भी सोचना जरूरी है। किसान कृषि पर जिन्दा रहने वाला वर्ग है इसलिये सरकार को इतना तो सोचना ही होगा कि आज कृषि पर कितना खर्चा होता है और कितनी मेहनत होती है। आज 8-10 रुपया में तो मजदूर नहीं मिल सकता। आप जानते हैं किसान को बैल कितने में मिलता है ? बीज और माल के साथ कुदरत की मेहरबानी हो गई तो पौने

(श्री चतुर्भुज)

तीन सौ रुपये क्विन्टल से ज्यादा उसको नहीं मिलता है, इससे आगे वह नहीं बढ़ सकता है। अगर आप मिट्टी मंगाते हो, नदी से रेत मंगाते हो तो 500 रुपये में ट्रक छूटता है। मिट्टी की आज यह रेट है और उसकी रेट से किसान की पैदावार की तुलना नहीं की जा सकती है, उससे किसान की पूर्ति नहीं हो सकती है। यह तो सरकार को सोचना ही होगा। उस पर आप कितना भार पटकोगे, उसने आज तक उत्तर भी नहीं दिया। ऐसा न हो कि वह गूदड़ा फेंक कर जाता रहे रोष करके। सरकार को इस बदनामी से बचना चाहिये। क्या आप इन्दिरा गांधी को बदनाम करना चाहते हो? आज आपको और हमको वोट नहीं मिले हैं। उसके नाम पर वोट मिले हैं। हम उन्हीं के नाम से आज यहां बैठे हैं। इसलिये हमारी सरकार को विचार करना चाहिये और हमारी नेता को बदनाम नहीं होने देना चाहिये। किसान, मजदूर की आवाज है हमको हमारा काम करना चाहिये। जितना काम हो, जितना कर सकें उतना जरूर करना चाहिये लेकिन हमारी नेता को बदनाम नहीं करना चाहिये। ऐसा काम करना चाहिये जिससे किसान और मजदूर असन्तुष्ट नहीं हों। हम यह सुझाव देना चाहते हैं। यह सुझाव हमारे दिमाग से हमको सही दीखता है।

अगर आप चाहें तो इस जयपुर के बाजार से 50 हजार से ज्यादा की रोजाना आमदनी कर सकते हैं। सैल्स टैक्स में चोरी होती है रोजाना, सैल्स टैक्स में चोरी होती है का ओवर ड्राफ्ट एक साल में बराबर हो सकता है, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। आपकी मशीनरी ठीक होनी चाहिए। प्रशासन आपके पास मौजूद है। इन्सपैक्टर आये दिन अपनी उगाही करने जाता है न कि सैल्स टैक्स की। वह अपनी खुद की फीस लेने जाता है। हम देखते हैं, बाजार में रोजाना इतना गबन होता है कि उससे सरकार के खजाने में घाटा होता है। अगर सरकार को सही तरीके से आमदनी होती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक साल में ओवर ड्राफ्ट खतम हो जायेगा। इसके लिए कण्ट्रोल जरूरी है।

दूसरा सुझाव है मेरा आपके द्वारा नारा था वन था सीलिंग का, सीलिंग का सवाल था। हम क्यों नहीं भ्रष्टाचार का अन्त करने के लिए, नम्बर दो का धन्धा बन्द करने के लिए एक परिवार की मूल सम्पत्ति पर सीलिंग लागू करते हैं? चाहे 50 हजार, 50 लाख ही कर दिया जाय और चाहे एक करोड़ ही कर दिया जाय। उसके आगे कितनी भी सम्पत्ति हो, किसी भी जाति की सम्पत्ति क्यों न हो—वह सरकार की क्यों न हो? अरे भाई, उनके मन में सन्तो रहे। बढ़ने वाला तो बढ़ता

(श्री चतुर्भुज)

जा रहा है उस पर कोई कण्ट्रोल नहीं है। ईमानदार घटता जा रहा है और बेईमान बढ़ता जा रहा है। यह भी सरकार को सोचना होगा। सरकार हमारी है। हमारी निगाह में क्या हो रहा है उसकी सुनवाई सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा। फिर आजादी किसे कहते हैं? प्रजातन्त्र को कैसे जिन्दा रखोगे? प्रजातन्त्र की छाप हम कैसे मानेंगे और जनता कैसे मानेगी? आज मैं आपको बताऊं, इरिगेशन में एक करोड़ का टैक्स रिकवरी करने के लिए भेजा तो एक लाख नहीं ला सकता है। दरख्वास्त देते हैं तो विभाग जांच नहीं करता है। सही जांच करे तो टेलीफोन आ जाता है। क्या जांच करेंगे। कहीं भी टैक्स सही नहीं लग रहा है। जितनी धन राशि देते हो उससे कुछ भी काम होता दिखाई नहीं देता है।

पहले का मन्त्रि मण्डल था उसने अपने क्षेत्र में काम किया, अभी जो है वह अपने क्षेत्र में काम करता है और जो नया आयेगा वह भी अपने-अपने क्षेत्र में काम करेगा, फिर कोई और आयेगा वह भी अपने क्षेत्र में ही काम करेगा। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक के क्षेत्र में लाख रुपये लगा दिये, दूसरे क्षेत्र में कुछ भी नहीं लगाये। यह नहीं हो कि एक डिस्ट्रिक्ट में 10 लाख लगा दिये और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं लगा। सभी इन्दिरा गांधी के नाम पर जीत कर आए हैं। यह गलत बात है, वोट मिले हैं इन्दिरा गांधी को इसलिए जनता किसी को बख्श ने वाली नहीं है। 14 तारीख को हमको कहा था कि यह परियोजना हाथ में लेंगे और मालपुरा डिवीजन में कालेज की घोषणा करेंगे। इस बजट में कहीं नहीं है। पूरा मन्त्रिमण्डल था उन्होंने घोषणा की थी। अब मैं क्या झूठ कह रहा हूं या मन्त्रि-मण्डल झूठा है। इस बजट में दोनों ही बातें नहीं हैं।

मैं यह सोचता हूं टौंक जिले में जितना रोड का पैसा दे रहे हो हम हर साल यह देखते हैं कि रोडी कुट रही है लेकिन सड़क पर एक गज भी दिखाई नहीं दे रही है। अब वह राशि कहां जा रही है? जयपुर में लगती है या कलकत्ते में जाकर लगती है, करोड़ों रुपया जा रहा है जिसको कोई देखने वाला भी नहीं है, इन्क्वायरी करने वाला नहीं है। उस पैसे का सही उपयोग नहीं हो रहा है इसलिए हमने तो कहना भी छोड़ दिया। हम कह कर बेवकूफ बनते हैं। वह हमको कहते हैं क्यों कहते हो, तो उससे तो न कहें वह ही ठीक है। अव्वल तो पहले मंजूरी देते नहीं हैं और देते हैं तो उसका काम नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं, सामान्य रूप से दो रुपये कम देते हैं, 75 को तो दें, 50 को तो दें लेकिन यह भी नहीं है। मुश्किल तो सबकी होती है।

मालपुरा में पूरा मन्त्रिमण्डल गया था

(श्री चतुर्भुज)

न्यौतो तो एक न दियो छो और गयो सारो मन्त्रिमण्डल। जो घोषणा कालेज की मालपुरा सब डिवीजन में की थी वह आज तक पूरी नहीं हुई। यह 20 वर्षों से चल रही है लेकिन इस बजट में तो दोनों ही बातें नहीं हैं। अभी घोषणा कर रहे थे कि मालपुरा सब डिवीजन में कालेज देंगे। विश्व बैंक परियोजना को हम हाथ में लेंगे, पर इस बजट में तो दोनों नहीं हैं। इसके अलावा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं टोडारायसिंह ऐसा क्षेत्र है, टोंक जिला भी, आपके शायद 26 जिलों में हमारे मालपुरा में विद्युतीकरण हो गया जब बनवारी जी मन्त्री बने, दिग्विजय सिंह जी मन्त्री बने तो उनके यहां विद्युतीकरण हो गया। अब हम रह गये। टोडारायसिंह, क्षेत्र जो मन्त्री बनने लायक भी नहीं हैं और शायद हम बने भी नहीं तो विद्युतीकरण कब होगा? एक ऐसी तहसील रही है टोडारायसिंह वहां से एक अकेला किसान आता हूं तो वहां के लिए विद्युतीकरण नहीं, सब जगह विद्युतीकरण हो गया। सबसे ज्यादा पानी हमारा क्षेत्र अजमेर नसीराबाद, केकड़ी को दे रहा है और ब्यावर की बात और कह रहा है, टोडारायसिंह में एक ही कुआं 20 हजार की आबादी को शहर में पानी दे रहा है। 4 जगह नहीं 2 जगह ही पानी की इतनी व्यवस्था है कि बिजली देने की आवाज भी किसान की नहीं आवे कि हमको भी सरकार बिजली देवे। एम. पी. कांग्रेस का जिता दें, सदा कांग्रेस का एम. एल. ए. जिता दें, वह जनता की हाथा-जोड़ी करते रहें आखिरकार हम भी कमजोर पड़ेंगे। इसलिए चाहते हैं कि कांग्रेस आगे नहीं आनी चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं बताऊं सबसे ज्यादा आज टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र में, सारे राजस्थान में 2 निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी हालत नहीं होगी 8 गांवों को बिजली है। आप अंकित कर लीजिये। टोडारायसिंह के केवल 8 गांवों में बिजली है और बाकी सपाटवार। सम्पूर्ण राजस्थान में ऐसी हालत है। सबसे ज्यादा पानी अजमेर, नसीराबाद, केकड़ी, ब्यावर को दे रहा है हमारा क्षेत्र। एक सिपारूसिंह का कुआं है जिसमें अपार पानी है जिसको काम में नहीं ले रही है सरकार, उसकी हालत मैं आपके सामने रखूं कि नगोड़ी के अन्दर 45 कुएं लगा रखे हैं ट्यूबवैल अजमेर का वहां दो सो फीट पानी नीचे चला गया, वहां की जनता और मवेशी पानी के बिना तड़प रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के लिए क्या करेंगे? 8 लाख को पानी दे रहे हैं तो 4 हजार को एक ट्यूबवैल खोद दीजिए जनता तो बच जाय। दूसरे, वहां पानी कम पड़ गया। अभी एक सांपला पंचायत में 15 ट्यूब वैल और लगा दिये। वहां के 2-3 गांव और बर्बाद हो गये और कुएं सूख गये, उनकी हालत गम्भीर हो गयी। तो मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं यह बुरी दशा हो रही है इसलिए अजमेर और नसीराबाद को पानी दो, लेकिन जो क्षेत्र

(श्री चतुर्भुज)

पानी दे रहा है उसको भी तो बचाओ। उसको भी तो आपको अधिकार है बचाने का, उसकी पालना करना भी तो आपका धर्म और कर्त्तव्य है। इसलिए कि 8 लाख आदमियों को पानी दे रहे हैं और आप 4-5 हजार को पानी नहीं दे रहे हैं और उनको बर्बाद करना चाहते हो। न उनको मुआवजा दिया और न कुआं। वे बर्बाद हो गये। उनको दो पैसा दिया, कम से कम 2 ट्यूब वैल का पैसा तो दे दिया जाय। यह निवेदन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार एक पंचायत को दूसरी पंचायत से सड़क से जोड़ने की बात कहती है। हमारे टोडारायसिंह से देवली सड़क नहीं है, जिसमें 28 लाख तो परमिट का हमारी रोडवेज का खर्च हो गया, रास्ते का 28 लाख का हो चुका और एक तहसील से दूसरी तहसील को जोड़ा है। आप पंचायत पर आ रहे हो, कम से कम हमारी आठ हजार की आबादी का नासरदा गांव है और मादड़ा से नासरदा तक की रोड कम से कम 13 किलोमीटर है जिसे देवली तहसील से जोड़ दिया तो ही मान लिया कि राजस्थान की सब पंचायतों को जोड़ दिया। तो मैं यह बात कहूंगा कि वहां की जनता भी आपका प्रभाव मानेगी। यही कहते हुए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आपकी आय पर कन्ट्रोल नहीं करके धनी लोगों के धन का उपयोग नहीं करोगे तब तक ओवर ड्राफ्ट बढ़ता ही जायगा और एक दिन आपकी इस पार्टी का अन्त हो जायगा, जनता आपसे दूर हो जायगी। मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो आपकी मर्जी की बात है।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कमला भाई।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1982-83 का बजट तारीख 3-82 को माननीय वित्त मन्त्री महोदय जी ने सदन में प्रस्तुत किया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बजट जो पेश किया है इसमें महत्व की बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी के अन्दर रहते हुए मुझे धन्यवाद तो देना जरूरी है मगर राजस्थान के अन्दर जो किसान अन्न पैदा करने वाला है, उस किसान के पीछे आपका उद्योगपति, आपका करोड़पति, आपके बड़े बड़े अधिकारी सर्विस में, सारे किसान के बलबूते पर हैं। या तो जय जवान या जय किसान। सब की रक्षा करने वाला जवान है और सब को अन्न देने वाला किसान है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह बात सही है, आपने सैल्स टैक्स लगा दिया, आपने अन्य टैक्स लगा दिये। मगर जो उद्योगपति या व्यापारी है, जब नमक लेने के लिए जायगा किसान तो वह सैल्स टैक्स लेगा। आज किसान कपड़ा लेने के लिए जाय, नमक ही नहीं, बात यह है हल्दी है, तम्बाकू भी मैं बता दूं आपको, तम्बाकू

(श्री कमला भाई मीणा)

पर नहीं है-कपड़े पर तो है। हर चीज पर, किसान जब व्यापारी के पास जाता है, वह पर्सेन्ट निकाल कर देता है, उसका मुनाफा निकाल कर उसको देता है तो यह वजन किसान के ऊपर जाता है। फिर किसान के ऊपर, जो किसान बड़ी कड़ी मेहनत से खून और पसीना एक कर देता है रात और दिन खेतों में डोलता फिरता है, इरिगेशन में एक प्रतिशत दर थी, आज उसको 25 प्रतिशत लगा दिया गया है। जो किसान बिजली का फ्लैट रेट पर मिनिमम तीन हार्स पावर के लिए 30 रुपये देता था उसको दुगुना कर दिया गया है। बहुत सारे मेरे क्षेत्र में किसान कहते हैं कि आपने जो मिनिमम चार्जेज लगाये हैं उसको माफ करवा दिया जाय। कारण कि माघ के महीने में बाई चांस अकाल पड़ जाता है तो उस समय बिजली अपने आप जल जाती है वरना बन्द रहती है। तो जब बन्द रहती है तब भी किसान को पैसा जमा कराना पड़ता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदयजी, आपसे मेरा निवेदन है और मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदयजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू कि जितना इन किसानों पर इरिगेशन का और यह बिजली का जो कर लगाया गया है उस कर को संशोधित कर दिया जावे। आज मैंने यह देखा कि सिनेमाघर बनाये जायेंगे, अतः फिल्में बनाई जायेंगी। तो, माननीय अध्यक्ष महोदयजी, आज गांवों में 65 प्रतिशत लोग रहते हैं वे लोग क्या सिनेमा देखेंगे ? उन XXX को तो उनकी भेड़ बकरियों, गायों और खेती से फुरसत नहीं है और उन लोगों पर, किसानों पर यह कर लगाया जाता है यह कहां तक वाजिब है ? सबको जिन्दा रखने वाले किसान हैं, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि जय जवान, जय किसान। खेत के अन्दर लड़ रहा है किसान और सीमा पर लड़ रहा है जवान। इन दोनों की कोई पूछ नहीं है। आज सारी दुनियां इन दोनों के पीछे जिन्दा है।

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, बड़े दुःख की बात है कि आज यह करते हैं। मैं तो इस पक्ष में हूं, आर. ए एस. और आई. ए. एस. आफिसर को गाड़ियां मिलती हैं, बंगला मिलता है उन गाड़ियों में बैठ करके वहां से सीधे आफिस जाते हैं और वापस उसी गाड़ी में बैठ कर उन सरकारी बंगलों में आ जाते हैं। यह बिलकुल नाजायज खर्चा है। यह क्या करते हैं ? सिर्फ सिगनेचर करते हैं, लिखने वाले XXX फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं और उनको क्या मिलता है ? जो दौड़ते फिरते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है और जो बंगलों में बिराजते हैं, उनको तो आज अच्छा वेतन मिलता है, अच्छा भत्ता मिलता है, यह क्यों ?

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री महाराम चौधरी : और रिश्वत भी मिलती है।

श्री कमला भाई मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदयजी, आज इस देश की हालत सुधारनी है, गरीबी को दूर करना है। आज एक उद्योगपति अपना धन्धा बढ़ा रहा है पैसे में पैसा बढ़ता जाता है। आज एक सेठ है, करोड़पति है, वह कल सोचेगा कि दो करोड़ और करूंगा। आप सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करें कि इतने हजार या इतने लाख के ऊपर कोई सम्पत्ति करेगा तो वह गवर्नमेंट जब्त करेगी। यह कानून लागू करना पड़ेगा नहीं तो ये पूंजीपति बढ़ते जायेंगे और जो गरीब हैं वे खड्डे में जाते जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदयजी, ऐसा कानून नहीं बनाया जायगा तब तक आप यह सोचेंगे कि गरीब ऊपर आयेगा, गरीबी से बरसों भी ऊपर आने वाला नहीं है। क्योंकि पैसे में पैसा बढ़ता है, वे तो बढ़ते ही जायेंगे और गरीब का कोई सहारा नहीं है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र से चुन कर आया हूं, जो उदयपुर जिला है, वह बिलकुल बैकवर्ड, आदिवासी क्षेत्र है। आज वहां के आदिवासियों के रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है। आज आप हमारे उदयपुर जिले में खैरबाड़ा के भोमड कोटड़ा, डूंगरपुर, उस तरफ जाकर देखें, पहाड़ियां हैं। एक आदिवासी का उस पहाड़ी पर मकान है तो एक आदिवासी का एक किलोमीटर दूर पहाड़ी पर मकान है। उन लोगों के लिए कोई यातायात का साधन नहीं है। उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। आप उनको देख कर ताज्जुब करेंगे ये लोग कैसे जिन्दा हैं। सड़कों का अभाव, सिंचाई का अभाव, अस्पतालों का अभाव, स्कूल का अभाव, बिजली का अभाव और जमीन का भी अभाव है। तो अन्दाजा लगा लीजिए कि वे लोग कैसे जिन्दा रहते हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह सरकार का कहना है कि पिछड़े को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। पहले हमारे भाई सहाब ने कहा कि जिस जगह पानी की कमी है उस क्षेत्र में पानी की पूर्ति की जावे। जिस जगह सड़कों का अभाव है उस जगह सड़को की पूर्ति की जावे। जिस जगह स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं उस जगह स्वास्थ्य केन्द्र की पूर्ति की जावे। जिस जगह शिक्षा का अभाव है उस जगह शिक्षा की पूर्ति की जावे। तो यह किया जाएगा और इसके लिए बराबर राजस्थान सरकार को सर्वे करवाना होगा। सर्वे किया जावे कि वास्तव में पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है? उसको पहले प्राथमिकता दी जावे। माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले माननीय सदस्य ने कहा कि आप इन क्षेत्रों का सर्वे करवाइये कि वास्तव में पिछड़े हुए कौन से एरिया हैं, वास्तविक गरीब कौन हैं जिनको दिन में एक टाइम भी भोजन नहीं मिलता, ऐसा क्षेत्र कौनसा है, तो उसी क्षेत्र को पहले प्राथमिकता दी

(श्री कमला भाई मीणा)

जावे। मैं मानता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री महोदयजी ने जो बजट पेश किया है यह बात सही है कि हाउस के अन्दर इस बजट के विषय पर गर्मागर्मी चल रही है। मैं जानता हूं कि गांवों में अगर कोई काम करवाना है, गांवों के अन्दर एक चबूतरा भी बनाना है तो गांव के लोग श्रमदान नहीं करेंगे तो वह नहीं बन सकता है। वैसे टैक्स लगाये हैं, टैक्स लगायें यह बात तो सही है मगर पैसा किस मद में खर्च किया जाएगा, पिछड़े को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है और जो सम्पन्न हैं उनको कितनी प्राथमिकता दी जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, माननीय वित्त मन्त्री महोदयजी ने तारीख 3 को 82-83 का जो बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली और इरिगेशन का जो किसानों पर कर लगाया गया है उसमें संशोधन किया जावे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपलाल।

श्री रूपलाल परमार (खैरवाड़ा) : माननीय स्पीकर साहब, 3 मार्च को राजस्थान का जो बजट माननीय वित्त मन्त्रीजी ने पेश किया है उसका हम समर्थन करते हैं। आपसे हमारी यह एक अर्ज है कि आज देश की हालत कैसी हालत है वह आपके सामने है, हमारे सामने है। राजस्थान का किसान, राजस्थान का मजदूर आज देश का कर्णधार अन्नदाता है। इस मजदूर के लिए, किसान के लिए आपने बहुत बड़ा योग दिया है, प्रेम दिया है, स्नेह दिया है इसको कायम आपको रखना है तो किसानों के ऊपर कर लगा कर, शुल्क नहीं लगना चाहिए। किसान पर टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए? किसान अपनी मेहनत से, परेशानी से जो धन कमाता है वह खुद नहीं खा सकता है, बच्चा नहीं खा सकता है, वह देश को देता है। उसके लिए टैक्स! बड़ा जुल्म हो रहा है। यह तो न्याय नहीं हो रहा है। इस टैक्स को तो नहीं लगाना चाहिए। हमारी यह अर्ज है कि किसानों के ऊपर अगर टैक्स लगा तो देश बहुत ही पीछे जाएगा, देश की खराब हालत होगी, कांग्रेस पार्टी की भी खराब हालत होगी और हमारी भी खराब हालत होगी। आज हम जायेंगे क्षेत्र में, क्षेत्र में लोग जो गरीब हैं वे हमको कहते हैं कि हमको बिजली समय पर नहीं मिलती है। तालाब का पानी समय पर नहीं मिलता है और इधर टैक्स बढ़ जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी? यह सही बात है जो आपकी सेवा में अर्ज कर दी और आप स्वयं जानते हैं, राजस्थान में सबसे गरीब इलाका है वह उदयपुर जिला है। उदयपुर में सबसे गरीब तहसील है तो वह खैरवाड़ा तहसील है।

(श्री रूपलाल परमार)

मैं खेरवाड़ा तहसील का प्रतिनिधि हूं और संकट में और दुःख में आपसे अर्ज कर रहा हूं। खेरवाड़ा तहसील में गए साल 124 गांव अकाल में थे तो उस तारीख में चार पांच हजार मजदूर काम करते थे। आज खेरवाड़ा तहसील में 121 गांव अकाल में हैं, चार सौ मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। वहां के लोग, वहां के भूखे आदमी हमारी क्या हालत करते होंगे, हमारी क्या वकत होगी। वहां हम खड़े नहीं रह सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनका जवाब हम क्या देंगे। मैं आपसे अर्ज करूं, समय समय पर हम भारी मात्रा में दुखी होते हैं तभी बोलते हैं। आप जानते हैं सदन में बैठने वाले विरोधी नेता पूंजीवाद लाना चाहते हैं, कारों में बैठने वाले हैं, जीपों में बैठने वाले हैं और सब के लिये दस बातें झूठी बनाते हैं। उन्होंने भाषण दिया, किसानों को स्नेह देना चाहिये, प्रेम देना चाहिये। किसानों को प्रेम और स्नेह दिया नहीं आपने तो आपको मिल गया है। अब क्या कहते हो ? जाप करना चाहिये आपको। किसानों और मजदूरों को स्नेह किसने दिया है, इन्दिरा गांधी ने दिया है। प्रेम और स्नेह देते हो, तो स्नेह किसको कहते हो ? आज कहने और करने में बहुत अन्तर है। आप कहते क्या हो और गरीबों के प्रति करते क्या हो, वह तो गरीब ही जान सकता है। आज देश का गरीब, राजस्थान का गरीब अंग्रेजों के वक्त में भी दुखी था और आज भी दुखी है। आज हमारी सरकार, हमारे देश के नेता क्या कहते हैं ? किसानों को आगे बढ़ाओ, मजदूरों को आगे बढ़ाओ समाजवाद लाओ। समाजवाद नहीं आ रहा है, पूंजीवाद आ रहा है।

एक माननीय सदस्य : कौन ला रहा है ?

श्री रूपलाल परमार : लाने वाले विरोधी दल के नेता हैं।

(व्यवधान)

कौन लाये हैं, यह शोषण करता कौन है ? जमाखोर करता है, काला-बाजारी करने वाले हैं, नौकरशाही करने वाले है, वह शोषण करते हैं। अब किसान क्या करे XXX। किसान अपनी मेहनत से पसीने से कमाता है, जिसका भाग्य ही तय नहीं कर सकता है। भाग्य कौन तय करता है, पंखों के नीचे बैठने वाला सेठ, आप जैसे लोग। किसानों के ऊपर आप टैक्स लगाते हो। वह स्वीकार करें, यह टैक्स नहीं तो दूसरा टैक्स, सब ठीक है।

(व्यवधान)

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्ति रखें।

श्री रूपलाल परमार : यह जनता पार्टी के लोगों ने खतम किया था, यह तो कभी गरीब का भला चाहते ही नहीं हैं, किसानों का भी भला नहीं चाहते हैं, ना मजदूरों का भला चाहते हैं। यह शोषण करना चाहते हैं। यह गाड़ियों में बैठना चाहते हैं, हवाई जहाज में बैठना चाहते हैं, पं ों के नीचे बैठना चाहते हैं, ऐशो आराम में रहना चाहते हैं। आपकी औरतों के कपड़े दूसरों के हाथों उतारना चाहते हैं। आप घूम फिर सकते हो। आज देश की सेवा कौन कर सकता है? गाड़ी में बैठने वाला कर सकता है? देश की सेवा गिट्टी चलाने वाला कर सकता है, हल चलाने वाला कर सकता है और वही तो वहां जाकर के देश के लिये जवान बनता है। वह देश की सेवा करता है। सेवा किसको कहते हो? हम सेवा करते हैं, यों। नाटक रचाते हैं, नाटक रचाकर गरीबों का शोषण करना चाहते हो? कब तक करोगे? यह इस तरह का करना उचित नहीं है। इसलिये मैं आपसे अर्ज करूंगा, किसानों के ऊपर, लघु कृषक के ऊपर आपने जो टैक्स लगाया है उसको माफ कर दिया जाय नहीं तो हम विरोध करेंगे। दूसरे टैक्स लगाये हैं उन सब का हम आपका समर्थन करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने देश के लिये जो आगे बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया है, उसको पीछे मत धकेलिये। आपका पौधा रोपा हुआ मजबूत बना है, अच्छा बना है। उसकी गहरी छाया होगी उसके नीचे आप बैठेंगे, हम बैठेंगे और बैठने वाले, ऐशो आराम से रहेंगे। इन शब्दों के साथ में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। एक बात और कहना चाहूंगा। किसानों पर कभी भी टैक्स नहीं लगना चाहिये। किसान जो कमाता है, वह राष्ट्र के लिये देता है। वह खुद मेहनत का अन्न नहीं खा सकता है, उसके बच्चे नहीं खा सकते हैं। देश के किसान की कमाई देश खाता है। इसलिये उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मेरा कहना समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल : माननीय अध्यक्ष जी, आ जो बजट म्हारे मंत्री जी, 82-83 रो आ विधान सभा के मायने पेश करायो है, मैं म्हारी ओर से ईको स्वागत करूं हूं। एक ही बात है, ई देश के बारा में किसान री समस्या है, वह भी आपके सामने नी हा निवेदन कर दयूं। आज या बिजली रो जो बढायो है चारज, ऊ रो म्हारा किसाना रे ऊपर, काश्तकारां रे ऊपर सीधो भार पड़यो है। ई वास्ते, म्हारो यो ही निवेदन है, लगातार तीन साल हो गया काल पड़ता, तीन साल में किसान रो आधो जीव तो निकल गियो है, और आधो कोई है, इणं मत काढ़ो। वित्त मंत्री जी, म्हारो

(श्री देवीलाल)

तो आपने एक या ही निवेदन है, जो सिचाई के ऊपरा, आप सिंचाई को 25 प्रतिशत बढ़ायो है, आ तो यो भी किसान रे ऊपरा सीधो भार पड़्यो है । इणे भी आप किसाना रे ऊपरा भार ने मती बढ़ाओ । या है के बिजली लगातार 24 घंटा मां चार घंटा मिले है, तो भी ई बिजली री पूर्ति म्हारे ना हो री है । दूसरी बात है के ना तो कूंडा में पानी है, चार घंटा जो बिजली आवे है एक घंटा ही चाले है, तीन घंटा तो बिजली आई नहीं, जिका कूंडा सूख्या पड़्या है । तो भी हमारे बिजली के ऊपरां जो भी डेली की चारज है, सो भी बरावर दे रिया हैं, फेर इणे बढ़ायो है तो म्हारे ऊपर बड़ो भारी व्हे है । ई वास्ते म्हारो निवेदन है, बिजली रो कर, आप है जो मती बढ़ाओ । दूसरो निवेदन या है, सिचाई के ऊपरा भी जो भी पिलाई रो 20 प्रतिशत बढ़ायो है, सीधो काश्तकारों रे ऊपरा भार बढ़्यो है । पिलाई भी या है, चाहे छोटो बांध हो, चाहे मोटो बांध हो, बरसात बरसे तो तालाब में पानी भरे है । एक पिलाई नहीं देवे है तो म्हारी या पिलाई पूर्ण कर लेवे है, एक पानी मिले तो भी और या मान ल्यो, काश्तकारां री फसल लगातार चार पानी मिले है, चार पिलाई मिले तो म्हारी फसल पाके । दो पिलाई मिल जावे । दो पिलाई नहीं मिले तो म्हारी फसल सूख जावे है । ई वास्ते, पिलाई रो बढ़ायो, चार काश्तकारां रे ऊपरां बड़ो भारी पड़े है । अध्यक्ष जी, या भी निवेदन है जो पिलाई रो बढ़ायो है, उणे समाप्त करो, काश्तकारां रे ऊपरां या बड़ो भारी पड़े है । काश्तकारां री समस्या है, जो भी आपरे नीकां काश्तकारां रो बड़ी नू बड़ी समस्या रखी है, बिजली रो पानी रो, सारा घर-बर है, खेती करबा वालां, किसियां भी आदमी हैं, खेती माले निर्भर है । कसी भी जात रो हो बिजली और पानी पर निर्भर रहवे है । आकाश्मवान है बिजली रा भी म्हारे ऊपरां एतराज हो रियो है । चार साल हो गिया, काल पड़्यो है. अठीने भी थोड़ो घणो पानी मिले है जीका ऊपर कर बढ़ायो है या ना बढ़ाओ । म्हारी स्थिति दिनोंदिन डांवाडोल हो री है. म्हारी स्थिति गिरती जावे है । ई बास्ते, मंत्री जी म्हारो या ही निवेदन है आप किसानां पर बिजली को चारज बढ़ाणे है, उणे समाप्त करादयो । दूसरी समस्या किसाना री है । एक बात या ही निवेदन है जो किसान खेती बावे है, फसल खड़ी है, और खड़ी फसल के मायने खड़्या रहर म्हारी फसल भेड देवे, ऊकी सुनवाई पंचायत में जावे तो ऊ के मायने गुवाई मांगे है । जो गुवाई देवे है, वांके साथ रे आदमी मारपीट करे हैं, जो देवे, खड़ी फसल ने भेवे है । वा किसान, वां का छोरा छोरी बांकि लुगाई, औरतां, सब बारे मेर मेल कर रोवे है जी की सुनाई नहीं होवे । गुबाई उठे है तो गुवाई के साथ मारपीट करे है । चाहे तो उणे सागिड में जार कूटे है, चाहे शाम ने जार घर में कूटे है । तो गुवाई तो देवे एक, तो वां का आका घर का ने कूटे है । तो फेर गुवाई ना मिले ।

(श्री देवीलाल)

ई वास्ते जो खड़ी फसल भेडे है, जिको योजना जरूर ही आपके द्वारा करायी जावे। या निवेदन है, ऊं फसल ने भेड़े ऊं को कूच करा पंचायता में जावां तो कम से कम चार साल की पांच साल की लगातार पेशिया पड़ती रहवे है, ई वास्ते जो पंचायत में मुकदमा चाले हैं, तो हमारी या निवेदन है कि 6 महीनां के मायने फैसलो हो जानो चाहिये।

दूसरा निवेदन यह है अध्यक्ष महोदय, जो फसल की कीमत आंकते हैं जिनका 10 बीघा खेत उजड़ जाता है उनकी 500-700 रुपये की कीमत आंकी जाती है फिर उसके लिये पंचायत कहती है कि दावा करो। सिविल जज के यहां दावा करते हैं फिर वहां गवाही ले जानी पड़ती है। पहले तीन साल तक तो पंचायत में पड़ा रहता है और दावा फिर करते हैं सिविल जज के यहां तो लगातार किसी के पांच साल, किसी के छः साल से हजारों मुकदमे हमारे क्षेत्र के सिविल जज के यहां बकाया पड़े हैं और फैसला नहीं हो रहा है। गवाहों को 2 3 बार ले जाते है। उनका बयान नहीं लिया जाता, हाकिम नहीं मिलते, मिलते हैं तो आगे पेशी दे देते है, बयान नहीं लेते हैं। और वह आदमी वापस आते है। कोई दो साल से फिर रहे हैं, कोई तीन साल से फिर रहे हैं और फिरते फिरते इतने दुखी हो जाते हैं। किसान तो सीधा ही जाकर खड़ा हो जाता है सब कुछ वकील लोग करते है। तो ऐसी बात है, अध्यक्ष महोदय, कीमत आंकने के लिये जो जाते हैं, उजाड़ करने वाला तो जाता नहीं है और जो उसके भाई है, चाहे बाप हो और पांच गांव के लोग मिल कर कीमत आंकते हैं। 500-700 की कीमत आंकते हैं और फिर उसका दावा करते हैं तो आखिर में कचहरी में वकील खड़ा होकर कहता है कि उजाड़ने वाले तो दूसरे हैं तो दावा इस पर क्यों किया। पहली अर्ज तो यही है कि चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, घर का ही आंकने वाला जावे तो जो भी मामला अदालत में खारिज हो जाता है जो व्यक्ति उजाड़ने वाला है उस पर भी कीमत आंकनी चाहिये। उजाड़ने वाला तो जाता ही नहीं है कभी उसका भाई, कभी उसका बाप जाता है और हमारे मुकदमे ऐसे ही कम से कम 500-700 के हैं और हजार, ग्यारह सौ रुपये पेशी पर लग गये फिर भी मुकदमे खारिज हो जाते हैं। इसलिये जो घर का आदमी है, जो मुकदमे का रज्जू है, तो मुकदमा खारिज नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हम तो काश्तकार आदमी हैं और आप स्वयं जानते हैं, कि सरकार का कोई भी लोन लेते हैं, कोई भी कर्जा लेते हैं, किसी भी जाति का हो उसकी जमानत दे देते हैं। उसके लिये भी कुर्की आती है, उससे भी वसूली करते हैं तो उसके घर के बाप, भाई मुकदमा दर्ज करते है।

दूसरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, आज मैं आप लोगो को, उन महापुरुषों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम में वृक्षारोपण नीति ली। आज वृक्षारोपण नीति है तो आपके आदेश से

(श्री देवीलाल)

हम काश्तकार भी जो खेती बोते है, भाड़े पर बोते है, खुद की है तो हम वृक्षों को खड़ा करते हैं। दूसरा निवेदन है कि कोई कोई वृक्ष है उसको लगातार दो साल तक घड़ा घड़ा पानी डाल कर पालना पड़ता है उसके चारों ओर बाड़ करनी पड़ती है और लोग उन्हीं वृक्षों को काट कर ले जाते हैं। उसके लिये पंचायतों में जाते हैं कि हमारे वृक्ष काट कर ले गये। कम से कम 100 वृक्ष काट लेते हैं तब तक मालूम नहीं पड़ता। हम खेत में तो नहीं बैठे रहते। काश्तकार आदमी हैं, सग्रह काम रहते हैं और वे काट कर ले जाते हैं। सौ में से बीस का मालूम पड़ता है। पंचायत में जाकर कहते हैं कि वृक्ष अमुक आदमी काट कर ले गया और दरख्त उसके पास पड़े हैं तो कहते हैं कि जाओ थाने में। थाने में जाते हैं तो चाहे थानेदार साहब हों, चाहे दीवान साहब हों, कहते हैं कि सौ रुपये दो तो मुकदमा दर्ज करें। सौ रुपये दें, वृक्ष की कीमत 20-30 रुपये की ही थी तो वहां तो यही कहते हैं कि घर से रुपया लाता हूं। उसके बाद बहुत से आदमी तो वापस जाते ही नहीं और कोई आदमी हिम्मत करके स्त्री के गहने गिरवी रख कर सौ रुपये ले जाता है तो बाद में वे मुकदमा दर्ज करते हैं और कहते हैं कि दो दिन बाद आ रहा हूं तुम जाओ। दो दिन बाद वे आते हैं तब तक काटने वाले को निगाह हो जाती है कि यह थाने में गया था तो वृक्षों को गायब कर देते हैं। जब थानेदार साहब आकर पूछते है कि बोलो कहा है वृक्ष, तो कहते हैं कि कल तक तो अमुक आदमी के बाड़े में पड़ा था। तो थानेदार साहब कहते हैं, कि झूठी इत्तला पर 182 धारा लगेगी। फिर वह तंग करते हैं। फिर उसको बुला कर सौ दो सौ रुपये लेकर छोड़ देते है। यह दरख्तों की हालत है। फिर भी कोई जोर करके, हिम्मत करके मुकदमा आगे ले जाता है, थाने में चालान दे देते हैं और वहाँ वकील खड़ा होता है, वहां भी 4-5 पेशी पड़ते पड़ते कोई पेशी चूक जाती है तो खारिज हो जाता है या बयानों में वकील नही आता तो फिर खारिज कर देते हैं। यह दरख्तो की बात है। इस कानून में संशोधन होना चाहिये। जो खड़ी फसल के अन्दर काश्तकार खेत में खड़ा रह कर उजाड़ता है तो हमारा यही निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, धन तो काश्तकार का खेत ही है। जैसे डकेती है घर में मारपीट करके सामान ले जाते हैं तो हमारे लिये तो वही स्थिति है कि फसल को खड़े रह कर उजाड़ते हैं और हमें पीटते हैं तो जो डकेती के लिये मुकदमा लगता है वही मुकदमा इसमें भी, जो काश्तकार की खड़ी फसल को उजाड़ कर उसे कूटते है, लगना चाहिये। मेरा मंत्री जी से यही निवेदन है, कानून में संशोधन करके जो खड़ी फसल को उजाड़ते हैं तो डकेत जो घर में घुस कर मार-पीट कर सामान ले जाते है, वही कानून इस पर भी लगना चाहिये।

दूसरा निवेदन यह है कि खड़े वृक्ष को काटते हैं उसकी कीमत आंकी जाती है। तो फसल की भी अर्ज कर दूं कि फसल को जो आंकते हैं मान लें 500)रु. का सामान चार बीघा में है तो चार बीघा में 500)रु. ही

(श्री देवीलाल)

आंकते हैं हम भी उसमें शामिल रहते है तो फिर कूंत वही धारते हैं, सरकारी कोई भी दो बीघा नाजायज खेती करते हैं तो तावान कहां धारते हैं ? इसलिये हमारी भी फसल कम से कम पांच गुणी तो आंकी जानी चाहिये तभी उजाड़ने वाले मानेंगे और पूरे दरख्त की कीमत आंकें पहले दरख्त तो छोटा होता है उसके 25)रु. आंकते हैं लेकिन जब दरख्त मोटा हो जाय तो उसी हिसाब से उसकी कीमत आंकी जानी चाहिये 5-6 गुणा तभी दरख्त काटने वाले रुकेंगे।

दूसरी अर्ज यह है कि दरख्त काटने वाले पर 5-6 गुणा मुआवजे का सीधा कानून बनावें ताकि दावा नहीं करना पड़े और सीधी ही उससे वसूल हो जाय, दावा करते हैं तो पांच सौ तो यों हो खर्च हो जाते हैं और 25-30 रुपये की कीमत आंकी जाती है तो यह महंगा पड़ता है। इसलिये दरख्तों की रक्षा तभी होगी जब कि पूरी पांच गुणा आंकी जाय जो उसी दिन मालिक को मिल जाय और जुर्माना व दण्ड अलग। मंत्री जी हमारा यही निवदन है कि यह कानून बदल कर बनावें क्योंकि जैसे किसी भी आदमी की हत्या करें या दरख्त की हत्या करें, मैं यह सही कहता हूं दरख्तों को बच्चा-बच्चों की तरह हम पालते हैं। दरख्तों की माया ऐसी है जहां दरख्त हैं वहां सब कुछ है। आज दरख्तों के पत्तों से हजारों जीव ऊंट, बकरी, लरड़ी, छाली पलते हैं। आज जहां लगातार चार साल से अकाल पड़ रहा है वहां दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर ढांढा गायां, भैस्या लरड़ीं, छाल्यां को पाल कर हम टाइम निकाल रहे हैं। दरख्त ही वहां आड़े आते हैं। दूसरी तरफ दरख्तों के फल-फूल आते हैं, दरख्तों से हजारों बीमारियां मिटती हैं, दरख्तों के पत्ते दवाई के काम आते हैं और किसी भी किस्म की बीमारी गहरे दरख्तों की हवा से ही मिट जाती है। दरख्तों के फलों से हजारों जानवर पशु-पक्षी जिन्दा रहते हैं इसलिये दरख्तों की पूरी रक्षा होनी चाहिये और जो कानून मनुष्य का कत्ल करने पर लगाते हैं वही कानून दरख्तों के लिये भी लगना चाहिये। यही मेरा निवेदन है। दरख्तों की माया, आज वेद-शास्त्र में आप स्वयं मानते हैं कि दरख्तों के फल खा-खा कर 12 वर्ष तक मनुष्य जिन्दा रह गये....

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, सामन्तों की लाबी हल्ला मचा रही है—

श्री देवीलाल : दरख्त परमार्थ के कारण शरीर धारण करते हैं। कहा भी गया है—

तरुवर, सरवर, संतजन
और चौथा बरसे मेह
परमारथ रे कारणे
चारों धारी देह ॥

इसलिये मेरे दो दुःख मिटा दें, ऐक तो

(श्री देवीलाल)

खेत उजाड़ने का और दूसरा दरख्त काटने का और एक बिजली का।

मेरी दूसरी अर्ज यह है कि मेरी तहसील में लगातार 33 साल से शिडयूल्ड कास्ट्स की सीट चली आ रही है। श्रीमती इन्दिरा जी का कहना है और उनके घोषणा पत्र में भी कहा गया है कि पिछड़े को पहले। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि पिछड़े को पहले तो मेरी सारी तहसील पिछड़ी है। इसके अन्दर आज स्थिति ऐसी है कि पीने को पानी नहीं है। घास नहीं है। मैं निवेदन करूं कि आज की स्थिति के मायने हमारी तहसील में 50 रुपया क्विन्टल घास बिक रही है। मैं निवेदन करूं कि लगातार चार साल हो गये मक्का का बीज नहीं उगा। चाहे बीज मूंगफली का हो, ज्वार, मक्का का हो कितना ही महंगा बीज लावें, हम चाहते हैं कि एक का दो होवे, इतना महगा बीज लाते हैं उसके अन्दर भी काश्त नहीं होती है। हम चुकाएंगे। हमारी तहसील के अन्दर आज की स्थिति में, हमारे भाई साहब कह रहे थे कि भीलवाड़ा में काफी भारी काम हो रहा है, मैं कहता हूं हमारी तहसील की जानकारी ले लें, 40 पंचायते हैं जिनमें से 7 पंचायतों में काम चल रहा है। बाकी की स्थिति यह है कि जो सरपंच है वे दूसरे गांव में रात बिताते हैं। गांव जाने से कतराते हैं। यों के यों बैठे हजारों आदमी पीछे फिर रहे हैं। हैं। तालाब में पानी का छांटा नहीं। सीधे कुओं में पानी नहीं है। कहीं पर हेण्ड पम्प लगाये हैं। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि मेरी तहसील के अन्दर पानी की, घास की जरूर-जरूर व्यवस्था करवाइये।

दो शफाखाने की बात है। एक मूंदड़ा और छोटी पुलिया। यहां पर शफाखाने 10-12 साल पहले से जब कांग्रेस का राज था, बने बनाये हुए हैं। वहां पर दो वैद्य, कम्पाउण्डर तो भेज दो ताकि लोगों को दवाई मिल जाय। कम से कम 7-8 कोस दूर जाना पड़ता है। एक तो मूंदड़ा और छोटी पुलिया-यह दोनों पंचायतें हैं। इनके अन्दर शफाखाने बने बनाये हैं। चाहे आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर भेज दो, चाहे डाक्टर भेज दो तो वहां पर दवाई की व्यवस्था हो जाय।

दूसरी बात यह कि अब निर्माण के काम अनाप शनाप चल रहे हैं। मेरी तहसील में काम बिलकुल नहीं चल रहे हैं। लोग भूखे मर रहे हैं। स्थिति डांवाडोल है। मैं आज अठे हूं। परसों की रात इस सीट पर बैठा था, रात के दो बजे तक नींद नहीं आई। हमारे खेतों की कैसी स्थिति हो रही है। लोग भूखे मर रहे हैं। चार वर्ष हो गये। एक साल के अकाल में भी मुसीबत होती है। आज स्थिति डांवाडोल है। पंचायतों के चुनाव में सब दौड़े थे। चाहे मिनिस्टर हो, चाहे दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों सब दौड़े, पंचायत के चुनाव में आये। चुनाव हो

(श्री देवीलाल)

गये। आपके यहां पर काम खोले जायेंगे। सब जगह व्यवस्था हो जायगी। आज हमारे गांवों में काम की कमी हो रही है। काम खुलने चाहिये।

स्कूल तो एक दो मिल जायेंगे और स्कूल न खुले तो भूखे नहीं मरने वाले हैं। भुखा मर रहा है काम नहीं मिलने से। यह निराधार स्थिति हो रही है। मैं आपको निवेदन करूं, मेरी तहसील शिड्यूल्ड कास्ट्स की है, पिछले को पहले, श्रीमती इन्दिरा गांधी के घोषणा पत्र मे भी है। काम नहीं खोले तो उनकी बात में कमी आयेगी। इस वास्ते मन्त्रीजी से निवेदन है कि आप मेरी तहसील में काम खोलें। मैं काश्तकार हूं खेती करने वाला हूं आप हमारी सुन लीजिए, लड़ूंगा नहीं। लड़ेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे।

इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय आधे घण्टे के लिये और बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री जीतमल जैन। बोलने का समय 15 मिनट।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : अध्यक्ष महोदय 1982-83 के बजट पर आज चर्चा चल रही है। मैंने वित्त मन्त्रीजी के भाषण का शुरू से लेकर अन्त तक कई बार पारायण किया। इस बात का प्रयास किया कि इसमें से वह कार्यक्रम, योजनाएं देखूं जिनके माध्यम से वे इस प्रदेश की प्रगति करना चाहते हैं और पिछड़े को आगे लाने के लिये कार्यक्रम दिया है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि या मेरी बुद्धि के परे की बात हैं यों भी कह सकता हूं, लाख प्रयत्न करने के बाद भी मैं इसके अन्दर इन कार्यक्रमों को नहीं देख पाया जिसको बहुत बडा नारा दिया जा रहा है कि हम प्रदेश के अन्दर पिछड़े को पहले लाना चाहते हैं। इसकी कहीं भी मुझे झलक नजर नहीं आई। मेरी मान्यता है है कि इस बजट के कारण जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं -वे और पीछे जायेंगे। अधिक विषमता, गरीब और अमीर का भेद और अधिक बढ़ने वाला है। इसके कारण गरीब पीछे जायेगा, यह मेरी मान्यता है। यह वास्तव में समाजवादी बजट न होकर एक पूंजीवादी बजट है। जैसा सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस बात को अपने भाषण के अन्दर कहा है यह किसान

(श्री जीतमल जैन)

विरोधी है और गरीब विरोधी बजट है। ऐसे में जब सारी स्थिति पर विचार करता हूं तो मुझे अनुभव होता है कि यह कांग्रेस की परम्परा रही है, बात समाजवाद की करो और कार्यक्रम ऐसे अपनाओ जिससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिले। बात गरीब की करो लेकिन कार्यक्रम ऐसे बनाओ जिससे गरीब और पिछड़ता जाय। क्या यह नयी बात है? पिछले आजादी के 34 वर्षों के अन्दर, कुल दो ढाई साल के काल को छोड़कर इस सारे देश की आर्थिक स्थिति क्या बनी है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। बात पिछले 34-35 वर्षों से समाजवाद की होती रही है लेकिन आप आश्चर्य करेंगे इस सारे देश के अन्दर 1972 के अन्दर 1971 के अन्दर जब इन्दिरा गांधी ने गरीबी मिटाने का नारा लेकर इस देश का शासन सूत्र अपने हाथ में संभाला था। उस समय इस देश के जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने थे टाटा, बिड़ला, मफतलाल, जे के. सिंघानिया, 1972 में उनकी जो पूंजी थी वह थी 7 अरब एक करोड़ चार लाख लेकिन 1977 के अन्दर जिस समय इन्दिरा शासन की देश में समाप्ति हो गई उस समय उनकी पूंजी 30 अरब 7 करोड़ 87 लाख हो गई। इस तरह कुल 66 प्रतिशत पूंजी बढ़ी। यह सारी स्थिति है। इस देश की जो आर्थिक नीति पिछले 34 वर्षों में चली है उससे आप क्या अनुमान कर सकते हैं इस बात का यह एक उदाहरण है। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि एक संगठन ने अपने एक सर्वेक्षण के अन्दर इस बात को कहा है 1972 से लेकर 1977 तक आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी दी है कि इस अवधि में कुल उत्पादन, कृषि उत्पादकों का मूल्य 49.8 प्रतिशत कम होकर 38.6 प्रतिशत रह गया। इस अवधि में कृषकों की प्रति व्यक्ति औसत आय 40 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत आ गई। किसानों की प्रति व्यक्ति आय इस अवधि में 623 रुपये बढ़कर केवल 691 रुपये हुई है। जबकि नगर वासियों की आय इस अवधि में 1466 रुपये से बढ कर 2561 रुपये प्रति व्यक्ति हो गयी है, किसानों की क्रय शक्ति का भी इस अवधि में काफी ह्रास हुआ है। वस्तुओं के थोक मूल्यों में 228 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। किसानों की हिमायती बनने वाली सरकार और यह कहने वाली सरकार कि हम किसानों के बहुत बड़े हिमायती हैं, हमारी नीतियां किसानों के हितों, के लिये बनती है जैसा कि मैंने आपको बताया इन वर्षों के अन्दर किसान अधिक गरीब बना है उसकी क्रय शक्ति कम हुयी है, आमदनी कम हुयी है। उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हमारी नीतियां समाजवादी हैं. पूंजीवादी नहीं हैं। मैंने आपसे निवेदन किया, मुझे आश्चर्य हुआ हमारे मुख्य मन्त्री जी केवल बात तो समाजवाद की करते हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि ये समाजवादी बिल्कुल नहीं है, ये पूंजीवादी हैं इस देश की गति को अवरुद्ध करने वाले हैं। जो पिछड़े को आगे लाने की बात है तो इससे पिछड़ा और पिछड़ जायेगा। वास्तव में बात यह है कि-कांग्रेस

(श्री जीतमल जैन)

वाले नहीं चाहते हैं कि इस देश का किसान, इस प्रदेश का गरीब ऊपर उठे। अगर किसी दिन इस देश का गरीब शिक्षित हो गया, उसकी आमदनी बढ़ गयी, उसका आर्थिक स्तर बढ गया तो ये जानते हैं कि गरीब आदमी अगर गरीबी से ऊपर उठ जायेगा तो फिर वह सोचने लग जायेगा और यह भी सोचने लग जायगा कि हमें शासन किसके हाथ में देना चाहिए। फिर हमको उन गरीबों से वोट मिलने वाले नहीं, यह बात बिलकुल स्पष्ट है।

मैंने पिछले चार वर्षों में इस विधान सभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त किया है और मैंने चार पांच बजट भाषण सुने हैं। मैंने हर वित्त मंत्री का भाषण देखा है। हर वित्त मंत्री, अध्यक्ष महोदय, इस बात के साथ आते हैं कि आने वाले वर्षों में प्रदेश के अन्दर कहां-कहां किस प्रकार की विकास योजनायें वे लाने वाले हैं, उससे किस प्रकार की उन्नति कहां पर होने वाली है। प्रदेश में किस प्रकार के उद्योग लगाने वाले हैं, किस प्रकार से आमदनी को बढ़ाया जा रहा है और जो जनता के हितों की चीजें, हैं, डिस्पेंसरी है, स्कूल है उन सब के लिये क्या-क्या करने वाले हैं। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने इस भाषण को आखिरी दम तक पढ़ा लेकिन इस सारे बजट भाषण के अन्दर कहीं पर भी उन्होंने इस वर्ष के अन्दर कितने अस्पताल खोलने वाले हैं, कितने स्कूल खोलने वाले हैं, किस प्रकार से और क्या करने वाले हैं, क्या नये उद्योग स्थापित करने वाले हैं इस बात की चिन्ता नहीं की है। आखिर के अन्दर केवल एक बात कहकर समाप्त की है, "अतः योजना आयोग से परामर्श करके राजस्थान नहर, माही परियोजना, कोटा थर्मल पावर स्टेज, पलाना तथा अन्य स्थानों पर लिगनाइट पर आधारित विद्युत योजनाएं, पंचायती राज संस्थाएं तथा नगरपालिकाओं के लिये संसाधन, शिक्षा के क्षेत्र में नये विद्यालय, पोलीटेक्निक तथा नये विषय, चिकित्सा के क्षेत्र में नयी डिस्पेंसरी, एडपोस्ट तथा आयुर्वेदिक औषधालय, ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा अन्य इसी प्रकार की योजनाओं के कार्यों के लिये खर्च की घोषणा जल्दी से जल्दी की जायगी।"

मुझे लगा है कि हमारे वित्त मन्त्रीजी जो कि अणु व्रत आन्दोलन के अध्यक्ष हैं, जो कि नैतिकता की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके मन के अन्दर पाप है उनका नाता नैतिकता से नहीं है अगर उनमें नैतिकता की बात होती तो इस प्रदेश के लोगों को बता देते कि आने वाले वर्षों में किस प्रकार काम करने वाले हैं या कर पायेंगे। लेकिन विकास के कार्यों की कोई चर्चा नहीं की है। बात यह है कि हमारे वित्त मन्त्रीजी पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक हैं।

शिक्षा की बात लें। आज इस देश और

(श्री जीतमल जैन)

प्रदेश के अन्दर क्या हालत है ? आज सुबह चर्चा चल रही थी कि हमारे प्रदेश की शिक्षा जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं, 15 उनमें सबसे आखिर में हैं अर्थात हम शिक्षा की दृष्टि से सबसे पिछड़े हुए हैं, अन्त में खड़े हैं। लेकिन उस दृष्टि से कि गांवों के अन्दर हमारे लोगों को प्राथमिक विद्यालय खोल कर अधिक शिक्षित करें उसकी तैयारी नहीं दिखाई है। क्योंकि वित्त मन्त्रीजी जानते हैं कि प्रदेश की गरीब जनता अगर शिक्षित हो गयी, उसको इस बात का आभास हो गया और वह अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हो गयी तो फिर उसका जो वोट कांग्रेस की झोली में आता है वह वोट उसको नहीं मिलेगा। इसलिए वित्त मन्त्रीजी ने इसकी चर्चा नहीं की है। अगर स्कूल नहीं खोलेंगे तो क्या होगा? वही पढ़ सकेगा जो धनी है, केवल पूंजीवादी ही पढ़ सकेगा, जो पैसे वाले हैं जो सम्पन्न व्यक्ति हैं वे ही पढ़ सकेंगे और उनके लिए भी सरकारी स्कूल नहीं हमारे पब्लिक स्कूल हैं। जो पांच-पांच सौ और हजार-हजार रुपया खर्च करके शिक्षा प्राप्त करते हैं वे कर सकें, उनका गरीब जनता के साथ कोई लगाव नहीं है। देश अस्सी की प्रतिशत जनता गांवों में रहती है लेकिन उनके बारे में सोचना इन्होंने आवश्यक नहीं समझा।

इसी प्रकार से अस्पताल की बात है। उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की है कि गांव के अन्दर कितनी डिस्पेंसरीज खोलने वाले हैं, कितनी एडपोस्ट खोलने वाले हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि जो लोग शहरों में रहते हैं, बड़े-बड़े नर्सिंग होम में जाकर अपना इलाज करवायें। उनको इस प्रदेश की गरीब जनता के साथ कोई लगाव नहीं है कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से गांवों में रहने वाले व्यक्ति कई बार चाहे चिकित्सा नहीं मिलने के कारण मर ही जायं जीवन से वंचित हो सकते हैं उनकी कोई चिन्ता इनको नहीं है।

हमारे यहां पर बहुत ज्यादा पशु हैं और पशुपालन का बहुत बड़ा महत्व है लेकिन पशुधन को बचाने के लिए जरूरी है उनको ठीक समय पर डाक्टर मिल सके, ठीक समय पर उचित दवा मिल सके। लेकिन पशुधन, जो कि हमारे किसान का बहुत बड़ा सम्बल है, लिए पशु चिकित्सालय खोलने की कोई चर्चा नहीं की है।

इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वित्त मन्त्री जी एक का आउट पुट है, दृष्टिकोण है जो कि पूंजीवादी दृष्टिकोण है, आम आदमी के साथ गरीब जनता से, किसानों से, गरीब से उनका कोई वास्ता नहीं है।

इसके साथ-साथ उद्योगों के स्थान पर कितनी प्रगति की है। पिछली सरकार के दो वर्षों के समय से मांग चल रही है इस प्रदेश के अन्दर गैस पर आधारित दो कारखाने लगाने के बारे में। पहाड़ियाजी आये थे इस प्रदेश का शासन चलाने के लिए और

(श्री जीतमल जैन)

कहा था कि मुझे काम करना है, मैं प्रदेश का विकास करने के लिए आया हूं तो उनके समय में तो वह कारखाने दो से घट कर एक रह गया था और माथुर साहब की सरकार ने तो आज तक उसकी बात भी नहीं की। इस बात की कोई चर्चा ही नहीं की है और मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि इन दो वर्षों के अन्दर केन्द्रीय पूंजी के एक पैसे का नियोजन इस प्रदेश के अन्दर नहीं हुआ है फिर कैसे कहते हैं आपकी हमने बहुत उपलब्धि की है। किस बात की उपलब्धि की है। एक पैसे का भी केन्द्रीय पूंजी का नियोजन तो हुआ नहीं है, कोई कारखाना नहीं लगेगा तो आप रोजगार किस आधार पर देंगे किससे देंगे? दूसरी ओर धरती पर पहले ही भार ज्यादा है लोगों की जैसे-जैसे सख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है कृषि का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, कृषि पर भार बढ़ता जा रहा है और अगर कारखाने नहीं लगेंगे तो फिर रोजगार नहीं दे पायेंगे। इस दृष्टि से भी आपने कुछ नहीं किया है।

इसके साथ वित्त मन्त्रीजी ने यह जो भाषण दिया है उसमें एक बात और कही है। जो किसी प्रकार की चर्चा करना चाहते हैं, उन्होंने स्वयं कुछ स्वीकार किया है कि 340 करोड़ के ओवर ड्राफ्ट के कुछ कारण हैं उन्होंने जो कारण दिये हैं एक–गैर योजना मद के खर्चों पर पर्याप्त अंकुश का न होना, दो योजना खर्च में बढ़ोतरी, तीन—ओवर ड्राफ्ट का ब्याज।

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आखिर प्रदेश की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? इसको आपने दिवालिया बना दिया है। आज प्रदेश आर्थिक संकट के कगार पर खड़ा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है इस प्रकार खर्च किस प्रकार बढ़ा है, गैर योजना व्यय में बढ़ोतरी किस कारण से हुई है। इस विधान सभा में सीकर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहा है, आपने स्वयं ने, दिनांक 30/6/81 तक राज्य सरकार पर कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं था। और 30/6/81 के बाद से आज चार मार्च, 82 तक आपने इन 8 महीनों के अन्दर 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट कर दिया है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मेरा, अध्यक्ष महोदय, यह कहना है कि इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वह स्वयं वित्त मन्त्रीजी दोषी हैं, उन्होंने इस प्रदेश की गरीब जनता के ऊपर 340 करोड़ का भार लाद दिया है और गैर योजना मद में पैसा बढ़ा दिया है। उस पर नियन्त्रण नहीं लगाया है यह किसकी जिम्मेदारी थी और दूसरा कौन जिम्मेदार था इसके लिए? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे कार्पोरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उनके जितने खर्चे हैं। वह सब अनुत्पादक खर्चे हैं मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा कि राजस्थान फाइनेंशियल सोसाइटी के अध्यक्ष का पिछले दिनों का केवल

(श्री जीतमल जैन)

पैट्रोल का खर्च 43 हजार 131 रुपये का है। केवल पैट्रोल पर इतना खर्च हो रहा है। इसी प्रकार के 60 अध्यक्ष हैं। इसकी कभी आपने कल्पना की और आपने इसको रोकने का प्रयास किया ? यू. आई. टी. के चेयरमैन, जो यहां सदन के विधायक होने का सम्मान रखते हैं उन सबकी गाड़ियां सड़कों पर घूमती हैं आपने इसको रोका ? आप खर्चे को रोकने की बात करते हैं। मेरे खयाल से आचार्यों और साधु सन्तों के साथ रह कर आपको भी उपदेश देने की आदत हो गयी है। आप राज्य कर्मचारियों को उपदेश देना चाहते हैं। उनको अपनी अधिक मांगें नहीं करनी चाहिए हमारे राज्यों में इतनी क्षमता नहीं है। आज सवेरे सवेरे सदन के अन्दर चर्चा हो रही थी सारे मन्त्रिमण्डल में सबसे ज्यादा खर्चा किसने किया है। आपने सारे खर्चे का 10 प्रतिशत खर्चा किया है, इस राजस्थान के वित्त मन्त्री ने किया है। उसके बाद आप कहते हैं। अगर आप उन कर्मचारियों को उपदेश देना चाहते हैं तो उसकी शुरूआत अपने आपसे करते उसके बाद आप दूसरों को उपदेश देने के अधिकारी हैं लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि साधु सन्तों के सान्निध्य में रहकर आपको केवल उपदेश देने की याद रह गयी आचरण की आपको आवश्यकता नहीं क्योंकि उपदेश सदा दूसरों के लिए होते हैं अपने लिए नहीं। आप इस आधार पर इस प्रदेश का विकास करना चाहते हो ? आपने एक जगह कहा है कि इन सब खर्चों को वहन करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने पड़ेंगे। अगर पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाये तो किसकी जिम्मेदारी है। आप पिछले एक साल से प्रदेश के वित्त मन्त्री हैं अगर आप संसाधन नहीं जुटा पाये तो इसके लिए क्या है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू का कितना किया। जब जनता पार्टी का राज था जिसे आप लोग पानी पी पीकर कोस रहे हैं उस जनता पार्टी के राज में नॉन-टैक्स रेवेन्यू 30663·13 लाख रुपये थी और 1982-83 में यह थी 30747·65 लाख रुपये। आपने इस सारी स्थिति के लिए कहा नॉन-टैक्स रेवेन्यू कम हुआ, क्यों कम हुआ ? कोई भी प्रदेश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू के साधन नहीं जुटा ले। आप टैक्स के माध्यम से टैक्स करके गरीब जनता पर भार डालना चाहते हो। आपके सार्वजनिक संस्थान हैं, उनमें क्यों नुकसान है ? क्या कभी आपने इस विषय में विचार किया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? नुकसान वह करते हैं और उसका भार भुगतना पड़ता है इस प्रदेश की गरीब जनता को। कौन इसके लिए जिम्मेदार है ? आपने किसी अधिकारी पर जिम्मेदारी डाली कि अगर किसी संस्थान में घाटा होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसी को वहन करनी पड़ेगी। वह आप नहीं कर पाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री जीतमल जैन)
अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज जो इस प्रदेश पर आर्थिक संकट है उसके लिए अगर कोई अपराधी है तो राजस्थान प्रदेश का वित्त मन्त्री अपराधी है। भाषणों से काम नहीं चलेगा। आप भाषण, उपदेश अपनों को छोड़ कर दूसरों को देने की आदत छोड़िए। क्या आप चाहते हैं जिस तरह और माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये कि आपके इस बजट से किसान पर भार पड़ेगा, गरीब आदमी पर भार बढ़ेगा, उत्पादन रुकेगा, खेतों का उत्पादन रुकेगा, कारखानों का उत्पादन रुकेगा? आपने करों में कमी की है तो किन में की है। नाटकों पर, कला प्रदर्शन पर। आपकी कला गीत, नृत्य और कठपुतली प्रदर्शन में बड़ी रुचि है। गांव के अन्दर जो रहते हैं उनको क्या मतलब है इन सबसे। आप लोगों को क्योंXXX बनाना चाहते हो, मेरी समझ में नहीं आता।

एक माननीय सदस्य : गरीब के पास जमीन कहां है। न तो सिंचित जमीन है न बिजली है। यह सब तो अमीरों पर है।

श्री जीतमल जैन : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इस प्रकार से अमीर और गरीब की खाई को बढ़ा रहे हैं। यह बजट पिछड़े को और पिछड़ा बनाने वाला है, आप पिछड़े को भी बिलकुल समाप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार के बजट का मैं घोर विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री चन्दनमल बैद : कुछ भेंट नहीं करेंगे आप।

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस दल की ओर से, भगवान दास डोसी।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कहा, जीतमलजी, भेंट नहीं करेंगे आप।

श्री यदुनाथ सिंह : इसमें भी कमाना चाहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : कमा रहा हूं। घटा रहा हूं क्या।

श्री यदुनाथ सिंह : सब सरकारी खजाने में जमा करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्थगित तो करिये लेकिन इस नोट के साथ कि....

श्री अध्यक्ष : बोल लीजिए। वैसे मैंने पूछा है। कोई है ही नहीं बोलने वाला।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज हाउस की कार्यवाही चल रही है उस समय आपका कोई बोलने वाला नहीं है बोलने वाला उपस्थित रहता है सदन में। वह हाउस में बैठा रहता है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष की तरफ से कोई तैयार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके दल का बहुत समय हो गया है और दलों को.... फिर स्थगित की जाय।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही दिनांक 6 मार्च, 1982 के प्रातः 11 00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय 6.16 बजे शनिवार, दिनांक 6 मार्च, 1982 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 251 का विवरण

(1) अरावली स्वचालित वाहन लि. (ए.एस.वी.) के समस्त दायित्व कर्त्तव्य एवं सभी अनिवार्यताएं केलविनेटर के. को निर्धारित तिथि से कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 394 के प्रावधानों के अन्तर्गत हस्तान्तरित हो जायेंगे। तथा केलविनेटर कम्पनी ऐसे दायित्व. कर्त्तव्य एवं अनिवार्यताओं को परिपूर्ण करेगी जैसा कि एकीकरण की योजना में प्रावधान है।

(2) अरावली स्वचालित वाहन लि0, के अंशधारियों (शेयर होल्डर्स) को उनके 10/—(दस रुपये) के प्रत्येक अंश के एवज में निम्न तरीके से भुगतान होगा (1) एकीकरण की योजना के अनुसार ए. एस. वी. के वर्तमान अंश धारियों (शेयर होल्डर्स) के 10/- रु. के हिस्सों (इक्विटी) को केलवीनेटर कं. 0.50 रु. की दर से 40 अंश लेकर उनके स्थाना पर केलविनेटर कं. का एक अंश जारी कर देगी अरावली स्व-वाहन लि0 के 10 रु. के शेष 9-50 रुपये 1 7 85 से 10 बराबर वार्षिक किश्तों में भुगतान किया जायेगा। यह भुगतान केलबीनेटर कं. द्वारा किया जायेगा।

(3) केलविनेटर कम्पनी ए.एस.वी. को समस्त कर्मचारियों को बिना उनकी सेवा में व्यवधान के उनको अपनी सेवा में ले लेगी। इनकी सेवा शर्तें समान तथा अधिक लाभकारी होगी।

(4) समस्त वित्तीय संस्थाओं एवं रीको के द्वारा दिये गये ऋणों पर 30-6-80 तक देय ब्याज को माफ किया जायेगा।

(5) केलविनेटर कं. वित्तीय संस्थाओं तथा रीको को दिये गये ऋण के मूल राशि का भुगतान 1.7.85 से 14 समान अर्द्धवार्षिक किश्तों में भुगतान करेगी।

(6) रीको द्वारा ए.एम.वी. को 1.7.80 से दिये गये अग्रिमों का भुगतान केलवीनेटर कं. एक मुश्त रूप से 12.5 प्रतिशत ब्याज की दर से एकीकरण की कार्यवाहियों के पूर्ण होने पर तुरन्त करेगी।

(7) केलविनेटर कं, वित्तीय संस्थाओं को ए.एस.वी. को दिये गये ऋण पर निम्नप्रकार से ब्याज का भुगतान करेगी।

(I) वर्ष जुलाई, 1980 से जून, 1981 तक का ब्याज बिना ब्याज के कोषित (फण्डेड) कर लिया जायेगा तथा दो अर्द्ध वार्षिक किश्तों

में वर्ष जुलाई, 1990 से जून 1991 के दौरन पुर्नभुगतान योग्य होगा।

(II) वर्ष, जुलाई 1981 से जून 1982 तक का व्याज बिना व्याज के कोषित किया जायेगा एवं इसका भुगतान एक मुश्त रूप से जुलाई माह, 1989 में भुगतान किया जायेगा।

(III) वर्ष जुलाई, 1982 से जुलाई, 1985 का व्याज साधारण व्याज की निर्धारित दर से कोषित किया जायेगा एवं इसका भुगतान 10 अर्द्धवार्षिक किश्तों में जुलाई, 1985 से शुरू होगा। उपयुक्त व्याज घटते शेष (Reducing balance) के आधार पर जुलाई, 1985 से अर्द्धवार्षिक किश्तों के रूप में शुरू होगा।

(IV) चालू व्याज का भुगतान जुलाई, 1985 के अर्द्धवार्षिक किश्तों से रूप में शुरू होगा।

(8) वित्तीय संस्थाओं। बैंको के सुरक्षित बकाया एवं रीको के असुरक्षित बकाया राशि का केलविनेटर कं. द्वारा अनुपातिक रूप (Proreta basis) से पुर्नभुगतान होगा।

(9) यदि ए.एस.वी. लि. को पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु प्रदत्त 15 लाख रु. का केन्द्र सरकार का रोकड अनुदान, एकीकरण अथवा अन्य कारणों से वापस लिया गया तो इसके लिए राजस्थान सरकार एवं रीको उत्तरदायी होगें।

(10) राजस्थान सरकार द्वारा इस स्कूटर इकाई को 5 वर्षों क लिए 1.4.82 से वे सभी सुविधाएं दी जायेगी जो एक नई औद्योगिक इकाई को प्राप्त होती है।

(11) अंतरिम अवधि के दौरान किये गये सभी खर्चे पूंजीगत एवं राजस्व मदों में केलविनेटर द्वारा किये जायेगें।

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 255 की सूची

डिस्पेन्सरी

क्र. सं.	डिस्पेन्सरी का नाम
1.	घाटा
2.	घरसैनी चक

उपकेन्द्र

क्र. सं.	उपकेन्द्र का नाम	पंचायत समिति
1.	सुमदरवाली	नगर
2.	पालीका	,,
3.	बटपुरा	,,
4.	बूडली	,,
5.	तेहरालोरदा	सेवर
6.	अच्छागांव	,,
7.	सलेमपुर	वेर
8.	भेसाना	वेर
9.	पाई	कामा
10.	नोनेरा	,,
11.	गोरता	,,
12.	गुलपाड़ा	कुम्हेर
13.	भटावली	,,
14.	अवार	,,
15.	पिगोरा	नदबई
16.	गांगरवाली	,,

क्र. सं.	उपकेन्द्र का नाम	पंचायत समिति
17.	सिंहावली	रूपवास
18.	दन्तोली	डीग
19.	समोगर	बयाना
20.	कैनथारी	धोलपुर
21.	काकोली	धोलपुर
22.	कोराली	,,
23.	दुबेरा	,,
24.	बसईदंग	बाडी
25.	रुनोरा	,,
26.	सहेरी	,,
27.	रुधेरा	,,
28.	रबीकापुर	बसेडी
29.	रतनपुरा	,,
30.	बोरेली	,,
31.	दुबेपुरा	,,
32.	बरैह	राजाखेड़ा
33.	गोपालपुर	,,
34.	बजाना	,,

———

Page No 171

(171)

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 257 की सूची

सूची "क"

चित्तोड़गढ़ जिले में लगने वाले सीमेन्ट उद्योग का विवरण

क. सं.	नाम पार्टी	स्थान	उत्पादन क्षमता (लाख टनों में)
1.	श्री सी० पी० कनोई	शम्भुपुरा (चित्तोड़गढ़)	4.30
2.	मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लि०	,,	7.20 6.00 (विस्तार के फलस्वरूप)
3.	मैसर्स जैनिथ स्टील पाइप्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०	पारसोली (चित्तोड़गढ़)	5.00
4.	श्री राव हरिसिंह	,,	66,000
5.	मैसर्स श्रीराम सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज	निम्बाहेड़ा (चित्तोड़गढ़)	3,000

परिशिष्ट—4

तारांकित प्रश्न संख्या 97 का विवरण

गत वर्ष (जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक) में प्रत्येक मंत्री द्वारा की गयी यात्राओं का विवरण (प्राप्त बिलों के आधार पर

क्रमांक	नाम	यात्राओं की संख्या				
		कार द्वारा	रेल द्वारा	वायुयान द्वारा	मिश्रित साधन द्वारा	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री शिवचरण माथुर	20	1	7	10	38
2.	श्री परसराम मदेरणा	8	—	2	3	13
3.	श्री चन्दनमल बैद	22	6	21	4	53
4.	श्री बृजसुन्दर शर्मा	20	—	1	2	23
5.	श्रीमती कमला	116	5	4	—	125
6.	श्री छोगालाल कंवरिया	34	—	—	—	34
7.	श्री जयकृष्ण शर्मा	33	—	1	1	35
8.	श्री प्रद्युमन सिंह	39	—	3	—	42

क्रमांक	नाम	यात्राओं की संख्या				
		कार द्वारा	रेल द्वारा	वायुयान द्वारा	मिश्रित साधनों द्वारा	योग
1	2	3	4	4	6	7
9.	श्री श्रीराम गोटेवाला	39	—	1	2	42
10.	श्री दिनेश डांगी	33	1	—	—	34
11.	श्री घासीराम यादव	62	1	3	1	67
12.	श्री रामपाल उपाध्याय	16	—	—	—	16
13.	श्री चेतराम मीणा	33	2	—	—	35
14.	श्री गोविन्दसिंह	32	—	1	1	34
15.	श्री नरेन्द्र सिंह भाटी	—	—	—	—	—
16.	श्री शीशराम श्रोला	54	—	2	—	56
17.	श्री बुलाकीदास कल्ला	24	—	1	3	28
18.	श्री गोविन्द सिंह श्रामलिया	14	—	1	5	20
19.	श्रीमती कमला भील	12	2	1	2	17
20.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया	15	5	12	1	33
21.	श्री हनुमान प्रभाकर	27	—	1	—	28
22.	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता	41	2	2	—	45
23.	श्री हीरालाल देवपुरा	22	3	10	2	37
24.	श्री हरसहाय मीणा	31	—	4	1	36
25.	श्री दुलाराम	19	—	—	—	19

क्रमांक	नाम	यात्राओं की संख्या				
		कार द्वारा	रेल द्वारा	वायुयान द्वारा	मिश्रित साधनों द्वारा	योग
1	2	3	4	5	6	7
26.	श्री बनवारी लाल	13	1	—	—	14
27.	श्री नानालाल	17	—	—	—	17
28.	श्री रामकिशन	31	1	—	—	32
29.	श्री ईश्वर लाल सैनी	35	—	—	—	35
30.	श्री मांगीलाल आर्य	26	—	2	—	28
31.	श्रीमती भगवती देवी	55		—	—	55
32.	श्री अब्दुल रहमान चौधरी	32	2	5	—	39
	योग—	975	32	85	38	1130

गत वर्ष (1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक) में प्रत्येक मंत्री पर होने वाले यात्रा-भत्ता व्यय (दैनिक भत्ता व यात्रा) का विवरण (प्राप्त बिलों के आधार पर)

क्रमांक	नाम	दैनिक भत्ता	यात्रा भत्ता	योग राशि
1.	श्री शिवचरण माथुर	4335.00	3133.34	7468.34
2.	,, परसराम मदरेणा	2396.00	535.20	2932.20
3.	,, चन्दनमल बैद	5673.75	14637.22	20310.97
4.	,, बृजसुन्दर शर्मा	4233.00	2057.60	6290.60
5.	,, श्रीमती कमला	9036.75	2338.64	11376.39
6.	,, छोगालाल कंवरिया	3034.00	99.24	3133.24
7.	,, जयकृष्ण शर्मा	3979.00	2827.00	6806.00
8.	,, प्रद्युमनसिंह	5329.50	1922.15	7251.65
9.	,, श्रीराम गोटेवाला	2728.50	4578.20	7306.70
10.	,, दिनेश डांगी	4692.00	196.04	4888.04
11.	,, घासीराम यादव	7267.50	1707.33	8974.83
12.	,, रामपाल उपाध्याय	7293.00	513.96	7806.96
13.	,, चेतराम मीणा	4513.50	15.16	4528.66
14.	,, गोविन्दसिंह	4591.00	1438.00	6029.00
15.	,, नरेन्द्रसिंह भाटी	—	—	—
16.	,, शीशराम ओला	10415.24	805.60	11120.84
17.	,, बुलाकीदास कल्ला	4347.75	3381.21	7728.96
18.	,, गोविन्द मामलिया	4032.50	3844.00	7876.50
19.	,, श्रीमती कमला भील	4335.00	3622.20	7957.20
20.	,, जगन्नाथ पहाड़िया	3315.00	7136.65	10451.65
21.	,, हनुमान प्रभाकर	3646.50	1831.20	5477.70
22.	,, बद्रीप्रसाद गुप्ता	4080.00	2185.73	6265.73

1	2	3	4	5
23.	,, हीरालाल देवपुरा	3227.75	7531.21	10758.96
24.	,, हरसहाय मीणा	3601.90	2142.78	5763.78
25.	,, दुलाराम	2856.00	—	2856.00
26.	,, बनवारी लाल	2779.50	101.50	2881.00
27.	,, नानालाल	3034.50	—	3034.50
28.	,, रामकिशन	4029.00	66.75	4095.75
29.	,, ईश्वरलाल सैनी	5014.50	50.50	5065.00
30.	,, मांगीलाल आर्य	7515.25	1431.00	8946.25
31.	,, श्रीमती भगवती देवी	6122.00	—	6122.00
32.	,, अब्दुल रहमान चौधरी	5100.00	3787.78	8887.78
	योग—	1,46,575.99	73,917.19	2,20,493.18

परिशिष्ट—5

तारांकित प्रश्न संख्या 103 की सूची

सूची "क"

नगर विकास न्यास
नोन स्कीम क्षेत्रफल में सड़कें

क्रम संख्या	सड़कों का नाम
1.	कमला कोलोनी में सड़के।
2.	आयुर्वेदिक कॉलेज से औद्योगिक क्षेत्र में सड़क,
3.	सादुल कालोनी में सड़के।
4.	गुरुद्वारा से गंगशहर में सड़क।
5.	जेलवैल से गंगशहर की सड़क।
6.	गुजरान कब्रस्तान से बंगाली नेताजी टेम्पल की सड़क।
7.	रानी बाजार गंगगेट ब्रह्मचारी आश्रम की सड़क।
8.	गजनेर रोड से आर0 एस0 ई0 बी0 के बीच सड़क।
9.	फब्बूबारी कच्ची बस्ती के बाहर सड़क।
10.	बंगला नम्बर 10 कच्ची बस्ती के पीछे की सड़क।
11.	टी0 एन0 सकसेना की ओर पंचमुखी हनुमानजी के मन्दिर की सड़क।
12.	सुभाषपुरा कच्ची बस्ती की सड़क।
13.	धोलामारु ट्यूरिस्ट बंगले के पीछे की सड़क।
14.	कजनार रोड से जीवन खां के घर पर बाजार की सड़क।
15.	गंगशहर नायक कच्ची बस्ती की सड़क।
16.	सादुल गुंज कच्ची बस्ती की सड़क।
17.	नायक गजनेर रोड की सड़क।
18.	मेघवाल एवं मलियान जसुरगेट कच्ची बस्ती की सड़क।
19.	रापुरा कच्ची बस्ती की सड़क।
20.	सर्वोदय कच्ची बस्ती।
21.	जस्सोलाई मेघवाल कच्ची बस्ती की सड़क।
22.	हरिजन बस्ती बेरीगुवाड की सड़क।
23.	छोटी गुवाड की सड़क।
24.	नत्थूसर गेट की सड़क।
25.	बारी किसान से फब्बूबारी की सड़क।
26.	मोहल्ला हिन्दू चिप्पन वार्ड नं. 35 की सड़क।

27. रेलवे क्रोसिंग होस्पीटल रोड से डाक (बंगला पी० डबलू० डी०) रेस्ट हाऊस के पीछे की सड़क ।

28. गंगाशहर रोड से वेदासरबारी श्रौर जैलवाल से स्टेशन ।

29. मोहल्ला भगवान चौखाटी रेलवे क्रोसिंग सड़क ।

30. गंगागेट हरिजन बस्ती सड़क ।

31. मोहल्ला हल्लाल खोरन सड़क ।

32. मोहल्ला कोली भगतन रोड ।

33. मोहल्ला हनुमान हत्था रोड ।

34. मोहल्ला पंजाब ग्रीन रोड़ ।

35. मोहल्ला भुटान रोड ।

36. मोहल्ला भट्टान रोड ।

37. मोहल्ला जीन्ना रोड से बारी कश्यान से ऐरिया मचाइन रोड ।

38. राजस्थान बूलन मील की पश्चिमी की सड़क ।

39. मोहल्ला नाथुसर मेघवालान श्रौर मलैन रोड ।

40. परानी बिनानी रोड ।

41. श्रमरसिंह पुरा रोड़ ।

स्कीम ऐरिया के सड़क की सूची

1. जयनारायण व्यास नगर रोड ।

2. नागेविजी स्कीम रोड ।

3. जवाहर नगर स्कीम रोड ।

4. सादुल गंज स्कीम रोड ।

5. नगेनचीजी से नेशनल हाईवे नं. ॥ सड़क ।

6. इन्द्र नगर स्कीम रोड ।

सूची—"ख"

सड़के सार्वजनिक निर्माण विभाग

बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति और उसके खर्चे का विवरण

क्र. सं	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	खर्च की गई राशि
1.	बीकानेर रेलवे स्टेशन से गोगागेट तक सड़क की मरम्मत।	1.50 लाख	0.85 लाख
2.	जसूसर गेट से सीतला गेट तक सड़क की मरम्मत।	3.00 ,,	1.57 ,,
3.	पब्लिक पार्क की सड़क	1·50 ,,	1.50 ,,
4.	कोटगेट से लक्ष्मीनाथजी का मंदिर वाया प्रकाश चित्र की सड़क की मरम्मत।	10·00 ,,	5·05 ,,
5.	जसूसरगेट से लक्ष्मीनाथजी का मंदिर तक सड़क की मरम्मत।	8·00 ,,	3·23 ,,
6.	रेलवे स्टेशन से के. ई. एम. रोड तक सड़क की मरम्मत।	5·00 ,,	3·10 ,,
7.	प्रणचा बाई अस्पताल से लक्ष्मीनाथ मंदिर तक की सड़क की मरम्मत।	4·00 ,,	3·50 ,,
8.	बीकानेर से कमसर तक सड़क की मरम्मत।	0·05 ,,	कार्य प्रगति
9.	गिनानों में सड़क की मरम्मत।	1·90 लाख	,, ,,
10.	बीकानेर से सुजानदेसर	0·30 लाख	,, ,,
		35.25 लाख	

सूची "ग"

सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवन
बीकानेर बाढ़ राहत क्षेत्र हेतु अन्य कार्यों के अन्तर्गत
सरकारी भवन पर प्रस्तावित व्यय का विवरण पत्र

क्र. सं.	क्षतिग्रस्त भवनों के नाम	आवंटित राशि	व्यय की गई राशि
1.	डूंगर महाविद्यालय में बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवन का मरम्मत कार्य।	1,75,000/-	6,000/-
2.	डूंगर महाविद्यालय छात्रावास		8,470/-
3.	पोलोटिक्निक महाविद्यालय भवन		14,000/-
4.	सादुल पब्लिक स्कूल		5,000/-
5.	सामान्य प्रशासन भवन		35,000/-
6.	चिकित्सा विभाग के भवन		15,000/-
7.	पब्लिक पार्क		4,000/-
8.	केन्द्रीय कारागृह भवन		22,000/-
9.	पुलिस लाईन		11,000/-
10.	जिलाधीश कार्यालय		2,750/-
		कुल	1,23,220/-

सूची-घ

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

माह जनवरी, 1982 तक बाढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त हुई पाइप लाइनों पम्प सेट्स एवं सम्पत्ति के मरम्मत कार्य के प्रस्तावित एवं खर्चे का विवरण (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तावित राशि	खर्चे
1.	गंगा गार्डन पर क्षतिग्रस्त पंपिंग सेट बदलने हेतु।	20,288/-	20,288/-
2.	बीकानेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों की मरम्मत का कार्य।	1,09,000/-	1,12,811/-
3.	सूर सागर पर स्थित क्षतिग्रस्त पम्प हाऊस का मरम्मत एवं निर्माण कार्य।	90,000/-	कार्य प्रगति पर है।
4.	नथूसर स्थित क्षतिग्रस्त सी. डब्ल्यू. आर. की मरम्मत का कार्य।	27,000/-	,, ,, ,, ,,
5.	नथूसर स्थित क्षतिग्रस्त उच्च जलाशय के मरम्मत का कार्य।	80,000/-	,, ,, ,, ,,
6.	क्षतिग्रस्त बाउन्ड्री वाल की मरम्मत का कार्य।	66,000/-	,, ,, ,, ,,
7.	जेल हैंड वर्क्स पर क्षतिग्रस्त पम्प बदलने का कार्य।	65,000/-	,, ,, ,, ,,

Page No 182

(182)

1	2	3	4
8.	सूर सागर टैंक की बाउन्ड्री वाल व पंपिंग सैंटस् को बचाने हेतु मजदूरी एवं खाली बोरी आदि ।	6,742/-	6,742/-
	योग	4,64,030/-	1,34,842/-
	कन्टिन्जेन्सीज	20,882/-	
	कुल योग	4,84,912/-	

राज्य सरकार द्वारा उक्त कार्यों हेतु आवंटित राशि 4.87

(183)

सूची ङ–1

नगर परिषद, बीकानेर

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त प्रस्तावित कार्यों की सूची

क्र. सं. 1	कार्य का विवरण 2	कार्य स्वरूप 3	व्यय राशि 4
1.	सिटी कोतवाली के पीछे आचार्य श्रीराम विद्यालय के पास वाली गली में मिट्टी उठाना।	मिट्टी उठाना	5,100.00
2.	गोविन्द लाल पुरोहित की गली रताणी व्यासों के चौक में चट्टा निर्माण	चट्टा निर्माण	8,200.00
3.	सादानियों की गली में चट्टा निर्माण	,,	18,000.00
4.	बेरासरियों की गली में चट्टा निर्माण	,,	9,300.00
5.	भैरू जी मन्दिर लालानी व्यासों के चौक से बी० के० विद्यालय तक पुनः नाली निर्माण नाला निर्माण	,,	20,000.00
6.	भैयाजी के कुए से माताजी के मन्दिर तक नाला निर्माण	नाला निर्माण	19,000.00
7.	नरसिंह जी के मन्दिर से छबसिंह को कोटड़ी तक पुनः नाली बनाना।	नाली निर्माण	20,000.00
8.	मोहतों के अस्पताल से भैयाजी का कुआ वाया बिनाणियान पुनः नाली निर्माण	,,	58,000.00
9.	डागा साइन्स कालेज के पास नाली निर्माण	,,	31,600.00

Page No 184

(184)

1	2	3	4
10.	सिटी कोटवाली से सिक्को के मोहल्ले तक नाली निर्माण	नाली निर्माण	24,000.00
11.	डागा साइन्स कालेज से बिनानी निवास से जसूसर गेट तक पुनः सड़क निर्माण	सड़क निर्माण	40,000.00
12.	केदीहर्ष की गली में चट्टा निर्माण कार्य	चट्टा निर्माण	17,000.00
13.	छगानियों की गली में चट्टा निर्माण	चट्टा निर्माण	13,000.00
14.	नत्थुसर गेट से बाहर गुवाड़ तक नाली निर्माण	नाली निर्माण	20,000·00
15.	डागों के मोहल्ला में चट्टा निर्माण	चट्टा निर्माण	12,000.00
16.	रघुनाथसर कुए से नत्थुसर गेट तक वार्ड नम्बर 9 मय नाला निर्माण	नाला निर्माण	37,000.00
17.	उस्तों की बारी से उस्तों के मोहल्ले तक	नाला निर्माण	33,000.00
18.	मोहल्ला स्वामियान सुथारान बड़ी गुवाड़ ईदगाह बारी के अन्दर वार्ड नम्बर 1 में पुनः नाली निर्माण	नाली निर्माण	20,000.00
19.	बारहगुवारी के अन्दर पारीख मोहल्ला वार्ड नं० 2 में नाली निर्माण	नाली निर्माण	20,000.00
20.	डोडू सिपाहीयान मोहल्ला सोहनगिरी कुऐ के पास डागों का मोहल्ला तथा बिनानियान वार्ड नम्बर 3 में नाली निर्माण।	नाली निर्माण	20,000.00
21.	मोहल्ला गोस्वामीयान कुम्भाराम जोशी-वाड़ा वार्ड नम्बर 4 में नाली निर्माण	नाली निर्माण	20,000.00

1	2	3	4
22.	मोहल्ला सिक्कान रामपुरिया कालेज के पीछे, महावतान वार्ड नं० 5 में नाली निर्माण	नाली निर्माण	20,000.00
23.	मोहल्ला खड़गावतान दर्जीयान की बड़ी गुवाड़ डाकोतान वार्ड नं० 6 में नाली निर्माण।	,,	20,000.00
24.	मोहल्ला तेलीवाड़ा दमो का मोहल्ला वार्ड नं० 7 नाली निर्माण	,,	20,000.00
25.	मोहल्ला कोकानी व्यास चौथानीहोंगा नृसिंगजी का चौक छोटा गोपाल जी का मन्दिर वार्ड नं० 8 में नाली निर्माण	,,	20,000.00
26.	मोहल्ला झवरान कोकड़ी नाथानियों की सराय किराड़वों की गली वार्ड नं० 9 में नाली निर्माण।	,,	20,000.00
27.	मोहल्ला बारागुवाड़ राजरंगो की गली खाखेड़ी छंगानियान की गली वार्ड नं० 10 में नाली निर्माण।	,,	20,000.00
28.	मोहल्ला मोचियान मावापट्टी माथियान मोहता चौक वार्ड नं० 11 नाली निर्माण	,,	20,000.00
29.	रामपुरियों का मोहल्ला नायकान आसानियान का चौक वार्ड नम्बर 12 में नाली निर्माण।	,,	20,000.00
30.	मोहल्ला रांगड़ी चौक सेठियान, सुनारों की गुवाड़ वार्ड नम्बर 13 में नाली निर्माण।	,,	20,000.00

Page No 186

(186)

1	2	3	4
31.	सुनारों की छोटी गुवाड़ कजानी मालियान सुनारों की बड़ी, गुवाड़ गुजरान में नाली निर्माण वार्ड नं० 14 ।	नाली निर्माण	20,000.00
32.	छबिली घाटी बागाडियान मोहल्ला बेगानियों का व कोठारियान वार्ड नं० 15 नाली निर्माण ।	,,	20,000.00
33.	मोहल्ला हमालान रिगत मल जी भैरूजी के पास बसानियों का मोहल्ला वार्ड नं० 16 में नाली निर्माण ।	,,	20,000.00
34.	मोहल्ला छिपान, डूमान, पिजरान वार्ड नं० 17 में नाली निर्माण ।	,,	20,000.00
35.	दर्जियों की बड़ी गुवाड़, सुनारों की बड़ी गुवाड़, चुड़ी गरान वार्ड नं० 18 में नाली निर्माण ।	,,	20,000.00
36.	मोहल्ला उस्तान, आचार्यों का चौक, भटड़ों का चौक दफ्तरियों की गली, नाइयों का मोहल्ला, वार्ड नं० 19 में नाली निर्माण ।	,,	20,000.00
37.	कुम्हारों के मोहल्ले से सिटी कोटवाली तक पुनः नाली निर्माण ।	,,	44,000.00
38.	सोहनी सिगियों के चौक से कुम्हारों के मोहल्ले तक पुनः नाली निर्माण ।	,,	44,000.00
39.	मोदीयों के पगोथिये से दर्जियों के मोहल्ले तक पुनः नाली निर्माण ।	,,	40,000.00
40.	रामेश्वर व्यास की गली एण्ड मांगी लाल गुजराती के मकान के पास वार्ड नं० 15 में पुनः नाली निर्माण ।	,,	24,000.00

1	2	3	4
41.	छबिली घाटी प्रभूदयाल व्यास के मकान से नत्थुमाली वार्ड नम्बर 15 में पुनः नाली निर्माण।	नाली निर्माण	20,000.00
42.	रतनलाल झाडू की गली साले की होली के पास चट्टा निर्माण।	चट्टा निर्माण	6,700.00
43.	झवरों का चौक व प्रोल में चट्टा निर्माण।	,,	9,700.00
44.	जयनारायण व्यास की गली मोहतों का चौक में चट्टा निर्माण।	,,	11,000.00
45.	जानकीदास व्यास की गली रतानी व्यासों के चौक में चट्टा निर्माण।	,,	15,000.00
46.	हर्षों का चौक में चट्टा निर्माण •	,,	8,000.00
47.	उघोदास जी की गली मोहतों का चौक में चट्टा निर्माण।	,,	9,200.00
48.	गणेश जोशी की गली मोहतों का चौक में चट्टा निर्माण।	,,	7,400.00
49.	राजा बाठियों की गली व चौक में चट्टा निर्माण।	,,	7,500.00
50.	गणेश महाराज की गली मोहता चौक में चट्टा निर्माण।	,,	13,000.00
51.	भैरूंजी की गली मोहता चौक में चट्टा निर्माण।	,,	10,000.00
52.	बाबूलाल व्यास की गली रतानीव्यासों के चौक में चट्टा निर्माण।	,,	5,800.00

1	2	3	4
53.	शेकर लाल हर्ष की गली, मोहलों का चौक में चट्टा निर्माण कार्य।	चट्टा निर्माण	10,000.00
54.	भट्टमाल जी जोशी की गली मोहतों का चौक में चट्टा निर्माण कार्य।	,,	5,000.00
55.	गीताबाई की गली, वार्ड नं० 15 में छबील घाटी में चट्टा निर्माण कार्य।	,,	9,000.00
56.	छबवरों का चौक हनुमान दास की गली में चट्टा निर्माण कार्य।	,,	14,000.00
57.	भागीरथ मोहत्था के मकान से मोती महाराज के मकान तक चट्टा निर्माण।	,,	20,000.00
58.	दाऊदयाल कोठारी के मकान से कोठारियों के मोहल्ले तक चट्टा निर्माण।	,,	20,000.00
59.	बिशों का चौक रमनसा पहलवान की गली में चट्टा निर्माण.।	,,	15,000.00
60.	मोहता चौक चोधरियों की गली में चट्टा निर्माण।	,,	15,000.00
61.	विसो का चौक कल्लो की गली में चट्टा निर्माण कार्य।	,,	20,000.00
62.	आचार्यों का चौक पोलसा की गली में चट्टा निर्माण कार्य।	,,	10,000.00
63.	किकानी व्यासों का चौक, माधोदास व्यास की गली चट्टा निर्माण।	,,	15,000.00
64.	निर्माण व पुनः निर्माण नालियों माजी साहब का वास।	नाली निर्माण	20,000.00

1	2	3	4
65.	निर्माण व पुनः निर्माण नालियों मोहल्ला हनुमान हत्था ।	नाली निर्माण	20,000.00
66.	निर्माण व पुनः निर्माण मोहल्ला चातीना कुआ नाली निर्माण ।	,,	20,000.00
67.	निर्माण व पुनः निर्माण नालिया मोहल्ला वार्ड नं० 35 गोगागेट के बाहर ।	,,	20,000.00
68.	विभागीय कार्यों के लिए मेटेरियल सप्लाई ।	मेटेरियल सप्लाई	20,000.000

1.	नालियों के निर्माण पर व्यय	8,09,600.00
2.	चट्टा निर्माण कार्य (चूने कंकरट की सड़कें)	3,34,100.00
3.	मटेरियल सप्लाई (विभागीय कार्य)	20,000.00
4.	सड़क निर्माण कार्य पर व्यय	68,000.00
5.	सीमेन्ट क्रय पर व्यय	1,00,000.00
6.	विभागीय मजदूरों द्वारा सड़कों की मरम्मत	70,000.00
7.	मिट्टी उठाने पर व्यय	5,100.00
	कुल योग	15,06,800.00

सूची ड.-2

नगर परिषद, बीकानेर

बाढ़ सहायता के तहत नगर परिषद द्वारा अब तक (25.2.82) प्रारम्भ करवाये गए कार्यों का विवरण

क्र. सं. 1	कार्य का स्थान 2	कार्य का नाम 3	राशि 4
1.	वार्ड नम्बर 1 मोहल्ला स्वामियान, सुथारों की वड़ी गुवाड़ ईदगाह बारी के अन्दर।	नाली निर्माण	20,000
2.	वार्ड नम्बर 2 पाबूबारी के अन्दर पारीकों का मोहल्ला।	,,	20,000
3.	वार्ड नम्बर 3 डोडू सिपाहियों का मोहल्ला सोनगिरी कुए के पास, डागों का मोहल्ला चिनानियान।	,,	20,000
4.	वार्ड नम्बर 4 मोहल्ला गोस्वामियान सुनारन जोशीवाड़ा।	,,	20,000
5.	वार्ड नम्बर 5 मोहल्ला सिक्कान राम-पुरिया कालेज के पीछे महावतान।	,,	20,000
6.	वार्ड नम्बर 7 मोहल्ला तेलीवाड़ा डूमों का मोहल्ला, चुनगरान का मोहल्ला।	,,	20,000
7.	वार्ड नम्बर 8 मोहल्ला हर्षों किकाणी व्यासों का चौक, चाथाणी ओझा नरसिंह जी का मन्दिर छोटे गोपाल जी।	,,	20,000
8.	वार्ड नम्बर 9 मोहल्ला साले की होली झवरान, कोकड़ीवाग, नयोणियों की सराय किराड़ियान, रूघनाथसर कुआ।	,,	20,000

1	2	3	4
9.	वार्ड नम्बर 10 मोहल्ला बारह गुवाड़ राजरगा की गली, खावेड़ी छंगाणियों की जाल की गली।	नाली निर्माण	20,000
10.	वार्ड नम्बर 10 मोहल्ला उत्सान आचार्यों का चौक, भटड़ों का चौक, दफ्तरियों की गली, नाईयों का मोहल्ला।	,,	20,000
11.	सिटी कोतवाली के पीछे आचार्य श्रीराम विद्यालय के पास वाली गली में मिट्टी उठाना।	मिट्टी उठाना	5,100.00
12.	गोविन्दलाल पुरोहित की गली, रताणी व्यासों का चौक में चट्टा निर्माण कार्य	चट्टा निर्माण, चूना कंकर की सड़क मय नाली के	8,200.00
13.	सादाणियों की गली में चट्टा निर्माण।	चट्टा निर्माण	18,000.00
14.	देरासरियों की गली में चट्टा निर्माण कार्य।	,,	9,300.00
15.	भैरूजी मन्दिर लालाणी व्यासों के चौक से बी० के० विद्यालय तक पुनः नाली निर्माण कार्य।	नाली निर्माण	20,000.000
16.	भैया कुए से माताजी के मन्दिर तक नाला निर्माण कार्य।	,,	19,000.00
17.	नरसिंह जी मन्दिर से छतर सिंह की तक पुनः नाली निर्माण कार्य।	,,	20,000.00
18.	मोहता अस्पताल से भैंईया जी कुआ वाया बिनानियान पुनः नाली निर्माण।	,,	58,000.00
19.	डागा सांइस कालेज के पास नाली निर्माण।	,,	31,000.00
20.	सिटी कोतवाली से सिक्कों के मौहल्ला तक नाली निर्माण।	,,	24,000.00

Page No 192

(192)

1	2	3	4
21.	डागा साइंस कालेज से विनाणी निवास से जस्सूसर गेट तक पुनः सड़क निर्माण ।	सड़क निर्माण	68,000.00
22.	छंगानियों की गली में चट्टा निर्माण कार्य ।	चट्टा निर्माण	13,000.00
23.	डागों का मोहल्ला में चट्टा निर्माण ।	,,	12,000.00
24.	रघनाथसर कुए से नत्थुसर कुए तक वार्ड नं० 9 में नाला निर्माण कार्य ।	,,	37,000.00
25.	उस्तों की वारी से उस्तों के मोहल्ले तक नाला निर्माण ।	नाला निर्माण	33,000.00
26.	रतनलाल किराड़ की गली, साले की होली के पास चट्टा निर्माण कार्य ।	चट्टा निर्माण	6,700.00
27.	भवरों की प्रोल में चट्टा निर्माण कार्य ।	,,	9,700.00
28.	जानकीदास व्यास की गली, बरतानी व्यासों का चौक में चट्टा निर्माण कार्य ।	,,	15,000.00
29.	राजा बांडियों की गली व चौक में चट्टा निर्माण ।	,,	7,500.00
30.	डागों का मोहल्ला में चट्टा निर्माण कार्य ।	,,	12,000.00
31.	गणेश महाराज की गली, मोहतों का चौक में चट्टा निर्माण कार्य ।	,,	13,000.00
		योग	6,38,400.00

नगर परिषद, बीकानेर

जुलाई, 1981 में आई बाढ़ से एकत्रित मलबा मिट्टी आदि साफ करवाने के संबंध में सूरसागर नाले पर होने वाला व्यय

क. सं.	व्यय का विवरण	रुपया राशि	विशेष विवरण
1.	राजस्थान नहर परियोजना विभाग को 90 सौ. के. हाईड्रेलिक मशीन का किराया माह अगस्त, 1981	31,162.85	भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।
2.	ट्रक किराया, माह अगस्त, 1981।	1,872.00	,,
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग बाबत ट्रेक्टर किराया।	22,000.00	,,
4.	राजस्थान नहर परियोजना विभाग बाबत पोकलने मशीन किराया।	15,0,000.00	,,
5.	मस्ट्रोल मजदूरान् बाबत नाला सफाई सूरसागर टैंक नहर	5656.00	भुगतान कर दिया
	योग	2,10,690.85	

सूची "च"

जुलाई, 1981 के बाढ़ से प्रभावित सड़कों की सूची
शहर की चार दीवारी के अन्दर

1. कोटगेट अणचाबाई होस्पीटल से लोहारों को सड़क होते हुए रागढ़ी चौक से लक्ष्मीनाथ जी मंदिर ।
2. कोटगेट से मोहता चौक से नत्थूसर दरवाजे तक ।
3. कोटगेट से लक्ष्मीनाथ जी मंदिर वाया प्रकाश चित्र ।
4. जसूसर गेट से लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर तक (भैया कुआ बिनानी चौक तेलीवाड़ा, आचार्यों के चौक से होते हुए दाती बाजार से लक्ष्मीनाथ जी मंदिर)
5. आचार्यों के चौक से सुथारों की बड़ी गुवाड़ उस्तों को बारी तक ।
6. नाइयों के पगोथियों से दर्जियों को बड़ी गुवाड़ होते हुए शीतला गेट तक ।
7. भैया कुआ से डागा स्कूल होते हुए ईदगाह बारी डा. घनपत रोड तक ।
8. आचार्यों के चौक से दफ्तरियों की गली से सेवगों के पाटे से -रतानी व्यासों के चौक तक तथा भट्डों के चौक से बकीसर बारी तक ।
9. बिनानी चौक से बिस्सा चौक से होते हुये दम्मानियों के चौक से वाया बिकानों व्यासों के चौक से होते हुये चौथानी ओझा से बिनानी चौक तक ।
10. लालानी व्यासों के चौक से होते हुए डागा स्कूल तक वाया गोपीनाथ जी मंदिर तथा मथुराबाई फतहचन्द्र दम्माणी अस्पताल तक ।
11. रामगेट से पाबूबारी होते हुये डागा साइन्स कालेज से बिनानी निवास तक ।
12. नत्थूसरगेट, गोपीनाथ जी मंदिर वाया खाण्डियां कुआ से दम्माणी चौक तक ।
13. कसाइयों की बारी से जगमन कुआ होते हुए पाबूबारी तक ।

14. गोस्वामी चौक से सिक्कों का मोहल्ला से सिटी कोतवाली तक ।

15. सादुल हायर सैकण्डरी स्कूल से सिटी कोतवाली वाया सिक्को की मस्जिद ।

16. ईदगाह बाई से रघनाथसर कुआ तथा नाथनियों की प्रोल तक ।

17. बासानियों के चौक से धोबियों की पोल होते हुए सिटी कोतवाली तक वाया कुम्हारों का मोहल्ला ।

18. मगतुजी रंग वाले की दुकान के पास से हमालों की मस्जिद होते हुए हमालों की बारी तक तथा हमालों की बारी से शीतला गेट तक ।

19. सिटी डिस्पेंसरी नम्बर-2 से मोहता मोहल्ला होते हुए, डाकोतान से लोहारान का मोहल्ला होते हुए रामपुरियों की सड़क तक ।

20. गोकुल जी ओझा के मकान से कास नदी तक (सीमेन्ट कंकरीट रोड़)

21. पाबूबारी से भैयाजी के कुए तक ।

22. सिटी कोतवाली से ढढों का चौक वाया कोचरों का चौक ।

23. बड़ा बजार से गुजरों की मस्जिद तक वाया बागड़ियों का मोहल्ला ।

शहर की चार दीवारी के बाहर की सूची

24. जवाहर नगर से तेनासर बारी तक वाया ईदगाह बाई नत्थूसर मालियान, भाटान ।

25. उस्तों की बारी से शितला गेट के बाहर से हमालों की बारी तक ।

26. गोगोगेट से पंचमुखी हनुमान जी तक ।

27. मोहल्ला हिन्दू छिपाया से चोपड़ा कटला इण्डस्ट्रीयल एरिया तक ।

28. मोहल्ला जेलवेल वल्लभसागर से फोर्ट हायर सैकण्डरी स्कूल तक ।

29. मोहल्ला धोबी तलाई ट्रान्सपोर्ट गली ।

30. आदर्श कालोनी रेल्वे क्वाटर्स ।

31. कसाइयों की बारी के बाहर से पाबूबारी के बाहर मोहल्ला मेहदालान ।

32. सादुल गंज सादुल कालोनी, नागनेजची जी श्रोर जयनारायण व्यास नगर योजना ।

33. पब्लिक पार्क के चारों श्रोर, हनुमान हत्था रथखाना, चौतीना का कुश्रा मोर्डन मार्केट श्रलख सागर, कमलाकोलोनी, खरनाड़ा, बिनोबा बस्ती, श्रमरसिंह पुरा, सुभाषपुरा, इन्द्रानगर, रामपुरा, सर्वोदय बस्ती ।

34. मेघाराम बंध कालोनी, नायकान गजनेर रोड़, प्रतापबस्ती, व जस्सूसर गेट के बाहर ।

35. बीकानेर रेल्वे स्टेशन से गोगागेट ।

36. जस्सूसर गेट से कर्मीसर तक वाया शीतला गेट, जनता प्याऊ ।

37. पब्लिक पार्क के श्रन्दर की सड़क ।

38. रेल्वे स्टेशन से के. ई. एम. रोड तक ।

39. नत्थूसर गेट से टी. बी. क्लिनिक तक ।

40. जे. पी. श्रो. से पुलिस लाइन वाया चौखूटी ।

41. गिनानी सड़क ।

42. रानी बाजार से होस्पिटल रोड़ ।

43. फोर्ट हायर सैकण्डरी स्कूल से जेलवेल ।

44. टी. टी. कालेज से गजनेर रोड।

45. धोबी तलाई चौक का सड़क ।

46. गजनेर रोड से चोखूटी वाया हरिजन मोहल्ला ।

47. श्रम्बेडकर सर्किल से नागनेची जी मंदिर वाया मेडिकल कालेज ।

48. जूनागढ़ से बंगला नम्बर 8 वाया थाना नम्बर-4

49. कसाइयों की बारी से कसाइयों की मस्जिद तक वाया मीट मार्केट ।

50. गजनेर रोड से पुराने रोशनी घर तक ।

51. बीकानेर से सुजान देश (नगरीय सीमा)

—

सूची 'छ'

सरकारी भवनों की सूची

(सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर)

1. डूंगर महाविद्यालय।
2. डूंगर महाविद्यालय छात्रावास।
3. पोलेटेक्निक महाविद्यालय एवं छात्रावास।
4. सादुल पब्लिक स्कूल।
5. सामान्य प्रशासन भवन।
6. चिकित्सा विभाग के भवन।
7. पब्लिक पार्क।
8. केन्द्रीय कारागृह भवन।
9. पुलिस लाइन।
10. जिलाधीश कार्यालय।
11. नगर परिषद कार्यालय भवन व भंडार।

———

सूची 'ज'

जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, बीकानेर

वर्ष 1981 के दौरान पाइप लाइनों व पम्पसेट्स एवं सम्पत्ति बाढ़ व अतिवृष्टि से हुई क्षति की सर्वे सूची।

1. गंगा गार्डन पर क्षतिग्रस्त पम्पिंग सेट।
2. बीकानेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों की मरम्मत।
3. सूरसागर पर स्थित पम्प हाउस की मरम्मत एवं निर्माण कार्य।
4. नत्थूसर स्थित क्षतिग्रस्त सी. डब्ल. आर. की मरम्मत।
5. नत्थूसर स्थित क्षतिग्रस्त उच्च जलाशय की मरम्मत।
6. नत्थूसर स्थित क्षतिग्रस्त सब-स्टेशन की बाउन्ड्री वाल की मरम्मत।
7. जेल हेडवर्क्स पर पर क्षतिग्रस्त पम्प बदलने का कार्य।
8. सूरसागर टैंक की बाउन्ड्री वाल व पम्पिंग सेट को बचाने हेतु।

——

सूची (भ)

गत जुलाई 1981 को बीकानेर नगर में हुई अतिवृष्टि बाढ़ से क्षतिग्रस्त नालियों की विस्तृत सूची

शहर की चार दीवारी के अन्दर

1. नत्थुसर दरवाजे से दाऊजी मन्दिर वाया रातानियों का मोहल्ला मोहतान तेलीपाड़ा, नुगरान होते हुए दाऊजी मन्दिर तक।
2. तेलीपाड़ा के चौक से भईया कुआ वाया बिनाणियों का चौक।
3. दाऊजी के मन्दिर से सोहन गिरी कुंआ होते हुए ईदगाह बारी तक।
4. मोहल्ला आचार्य चौक रतानी व्यासान दफ्तरी की गली भट्डो का चौक वेनीसर बारी खावेड़ी छगानियान।
5. हर्षो का मोहल्ला, दम्मानिया का चौक, बिस्सों का मोहल्ला, रुगनाथसर कुवा, साले की होली, भंवरो का चौक व बाहर ग्वाड़।
6. बड़ा बाजार नाइटान गोलछान, हमालों का मोहल्ला, बागड़ीयान छत्रीली घाटी, छीपों का मोहल्ला, दर्जियान सुधारान।

शहर की चार दीवारी के बाहर

7. ईदगाह बारी, नत्थुसर गलियान भाटान से वेनीसर बारी बाहर।
8. उस्तोकी बारी के बाहर, सीतला गेट के बाहर व हमालों की बारी के बाहर।
9. गोगा गेट पंचमुख हनुमानजी मन्दिर तक।
10. मोहल्ला हिन्दुछिपान से चौपड़ा व कटला इण्डस्ट्रीयल एरिया तक।
11. मोहल्ला जेलवेल वस्त सागर से फोर्ट हायर सैकण्डरी स्कूल तक।
12. मोहल्ला धोबी तलाई ट्रांसपोर्ट गली।
13. आदर्श कालोनी रेलवे क्वाटर्स।
14. कसाई चौकी बारी के बाहर व पाबूबारी के बाहर मेघवालान।

15. सादूलगंज सादुल कालोनी, नागनेचोजी, जयनारायण व्यास नगर योजना।

16. पब्लिक पार्क के चारों तरफ, हनुमान हत्था, रथखाना, चौतीना कुंआ, मोर्डन मार्केट अलखसागर, कमला कालोनी, खरनाड़ा, बिनोबाबस्ती अमर-सिंह पुरा, सुभाषपुरा, इन्द्रा कालोनी, रामपुरा, सर्वोदय बस्ती।

17. मघाराम बंध कालोनी, नायकान गजनेर रोड, प्रताप बस्ती व जस्सुसर गेट के बाहर।

परिशिष्ट–5

तारांकित प्रश्न संख्या 106 की सूची

क्र. सं. 1	जिला मुख्यालय का नाम 2	नगर विकास न्यास 3	नगर परिषद/नगर पालिका 4	योग 5
1.	जयपुर	79,87,979/– (कलेण्डर वर्ष)	52,09,882/– (कलेण्डर वर्ष)	1,31,97,861/–
2.	भरतपुर	शून्य (कलेण्डर वर्ष)	5,00,000/– (वित्तीय वर्ष)	5,00,000/–
3.	अजमेर	5,53,000/– 1–4–81 से 31–1–1982	—	5,53,000/–
4.	डूंगरपुर	—	52,508.50 (कलेण्डर वर्ष)	52,508.50
5.	उदयपुर	19,00,000/– (कलेण्डर वर्ष)	—	19,00,000/–

1	2	3	4	5
6.	नागौर	—	1,58,921·64 (वित्तीय वर्ष)	1,58,921·64
7.	जोधपुर	25,88.692/– (कलैण्डर वर्ष)	18,66,774/–	44,55,466/–
8.	गंगानगर	13,67,273·68 (कलैण्डर वर्ष)	11,12,726·32 (वित्तीय वर्ष)	24,80,000/–
		30–1–82 तक	30-1-82 तक	
9.	सवाई माधोपुर	—	6,52,581·41 (कलैण्डर वर्ष)	6,52,581·41
10.	सीकर	—	9,56,371/– (कलैण्डर वर्ष)	9,56,371/–
11.	बांसवाड़ा	—	12,16,945/– (कलैण्डर वर्ष)	12,16,945/–

1	2	3	4	5
12.	अलवर	43,70,086/- (कलेण्डर वर्ष)	शून्य	43,70,086/-
13.	कोटा	76,08,873·94 (वित्तीय वर्ष)	63,78,300/- (अप्रेल 81 से फरवरी, 82 तक)	1,39,87,173·94
14.	ंदी	—	6,66,755·08 (वित्तीय वर्ष)	6,66,755·08
15.	झालावाड़ा	—	2,32,143/-	2,32,143/-
16.	र	64,43,603·41 (कलेण्डर वर्ष)	5,56,774/- (अप्रेल, 81 से जनवरी, 82 तक)	70,00,377·41
17.	टोंक	—	72,594·55 (कलेण्डर वर्ष)	4·55
18.	बाड़मेर	—	2,80,488·65 (कलेण्डर वर्ष)	2,80,488.65

1	2	3	4	5
19.	पाली	—	14,89,931·42 (वित्तीय वर्ष 80-81)	14,89,931·42
20.	जैसलमेर	—	3,28,319/- (कलैण्डर वर्ष)	3,28,319/-
21.	चूरू	—	16,85,722.54 (कलैण्डर वर्ष)	16,85,722·54
22.	भीलवाड़ा	19,56,351·00 (कलैण्डर वर्ष)	24,89,951·76 (कलैण्डर वर्ष)	44,46,302·76
23.	झुन्झुनू	—	5,59,828/- (वित्तीय वर्ष 81-82)	5,59,828/-
24.	चित्तौड़गढ़	—	6·06,709/- (कलैण्डर वर्ष)	6,06,709/-

1	2	3	4	5
25.	सिरोही	—	शून्य (वित्तीय वर्ष)	शून्य
26.	जालोर	—	शून्य (कलैण्डर वर्ष)	शून्य

परिशिष्ट-7

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

राजकीय चिकित्सालय, बूंदी की क्रमोन्नति

259. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय, बूंदी को क्रमोन्नति करने की कार्यवाही सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो बूंदी चिकित्सालय को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

राजकीय चिकित्सालय बूंदी को 100 शैयाओं से बढ़ा कर 150 शैयाओं में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

खान मालिकों से वसूल की जाने वाली रॉयल्टी पर नया सेस (कर) लगाना

260. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने खान मालिकों से वसूल की जाने वाली रॉयल्टी पर नया सेस (कर) लगाने का निर्णय लिया है, जिससे खान श्रमिकों को चिकित्सा, मकान, दुर्घटना बीमा आदि की सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) यदि हां, तो इसकी क्या रूपरेखा बनाई गई है और इसको कब से लागू कर दिया जायेगा ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

किशनगढ़ के पावरलूम उद्योग

261. **श्री केशरी चन्द चौधरी** (किशनगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनगढ़ में कितने पावरलूम स्थापित हैं ?

(2) क्या इन पावरलूम के सम्बन्ध में बिक्री कर 2 प्रतिशत से 1 प्रतिशत किया जाने के लिए कोई प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ?

(3) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) किशनगढ़ में 4028 पावरलूम स्थापित हैं।

(2) जी हां।

(3) इस प्रकरण की जांच करने पर राज्य सरकार द्वारा पावरलूम उद्योग को बिक्री कर में रियायत देने का औचित्य नहीं पाया गया।

ग्राम पंचायत इटावा की नगरपालिका में क्रमोन्नति

263. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा तहसील में एक भी नगरपालिका नहीं है ?

(2) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि इटावा ग्राम पंचायत की आबादी डोली, झाडोल, खोडावदा व डडवाडा को मिला कर करीब 10-15 हजार की होती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इटावा ग्राम पंचायत इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है तथा इसकी आय करीब 4-5 लाख रुपया सालाना है ?

(4) क्या सरकार ग्राम पंचायत इटावा को नगरपालिका बनाने के आदेश प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस तहसील में एक नगरपालिका इन्द्रगढ़ है।

(2) इटावा ग्राम पंचायत की आबादी डोली, झाडोल व खोडावदा को मिलाकर 9230 है। डडवाडा, ग्राम पंचायत नोनेरा में सम्मिलित है जिसकी आबादी 1100 है।

(3) जी हां। पिछले दो वर्षों की आय के आधार पर औसतन 1,93,078.79 सालाना की आय होती है।

(4) इस बारे में अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सवाई मानसिंह अस्पताल को बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ति

264. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती विद्या पाठक)

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल में माह जुलाई, 1981 मे बाढ़ के कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिये राज्य सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है और कब ?

(2) उक्त राशि को किस किस कार्य पर खर्च कर वह काम कब तक पूरे किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ?

(3) उपरोक्त संबंध में कितनी लागत का व कौन कौनसा काम माह जनवरी, 1982 तक पूरा कर लिया गया था ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा माह जनवरी, 82 में 18 लाख रुपये इस क्षतिपूर्ति के लिए स्वीकृत किए गये हैं ।

(2) स्वीकृत राशि संलग्न सूची में दर्शाये मदों के अनुसार व्यय की जावेगी । इसको व्यय करने का लक्ष्य मार्च, 82 तक का है ।

(3) माह जनवरी, 82 तक निम्न मदों में उनके सम्मुख राशि का व्यय किया गया है :

1.	मशीनरी एवं इन्स्ट्रूमेन्ट टूल्स एवं सामान	95,000/-
2.	दवा व भेषज	1,56,000/-
3.	कपड़े व बिस्तर	43,000/-
	कुल व्यय	2,94,000/-

॥ सूची ॥

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के लिये राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों में स्वीकृत राशि का व्यौरा :—

मद	राशि
1- मशीनरी इन्स्ट्रूमेन्टस एवं टूल्स प्लान्ट	4.70 लाख
2- ड्रग्स एवं मेडिशन्स	8.00 लाख
3- क्लोथिंग एवं बेडिंग	2.00 लाख
4- स्टेशनरी	0.30 लाख
5- वर्दियां	1.00 लाख
6- मेन्टिनेन्स	2.00 लाख
कुल :	18.00 लाख

———

(210)

आर. ए. सी. की आठवीं बटालियन

265. श्री नाथूसिंह (वांदीकुई) । क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आठवीं बटालियन, आर.ए.सी. (आई.आर.) में कितने हैड कान्सटेबल कार्यरत हैं ? उनमें से कितने स्थाई एवं कितने अस्थाई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पद पर 10 वर्ष से ज्यादा समय से कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई नहीं किये जाने के क्या कारण है ?

(3) क्या विभाग उपरोक्त कर्मचारियों को शीध्र स्थाई करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आठवीं बटालियन, आर.ए.सी. (आई.आर) में 139 हैड कान्सटेबल कार्यरत हैं इनमें से 2 स्थाई एवं 137 अस्थाई हैं।

(2) आठवीं बटालियन आर.ए.सी. (इण्डिया रिजर्व) केन्द्र सरकार के अनुरोध पर सृजित की गई है व अस्थाई है, जिसका खर्चा केन्द्रीय सरकार ही वहन कर रही है। अतः इस बटालियन में कार्यरत हैड कान्सटेबलों को स्थाई पदों के अभाव में स्थाई नहीं किया जा सकता है।

(3) ऐसी कार्यवाही इस बटालियन के स्थाई होने तथा इस बटालियन के पदों के स्थाई किये जाने पर ही सम्भव हो सकेगी।

जनाना अस्पताल टोंक में शय्याओं की समुचित व्यवस्था

266. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनाना अस्पताल, टोंक में शय्याओं की वर्तमान संख्या क्या है और यह कब से चली आ रही है ?

(2) क्या यह सही है कि जनाना अस्पताल, टोंक में पर्याप्त शय्याओं के अभाव में मरीजों को फर्श पर सोना पड़ता है ?

(3) क्या सरकार टोंक नगर की बढ़ती आबादी को देखते हुए शय्याओं की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनाना अस्पताल टोंक में वर्ष 1976-77 से 25 रोगी शैयाऐ स्वीकृत हैं।

(चिकित्सा मंत्री)

(2) जी हां।

(3) जी हां। वित्तीय प्रावधानानुसार अभी वित्तीय वर्ष 82-83 में इन शैयाओं की संख्या में वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं है।

बालोतरा नगर के गन्दे पानी का निकास

267. श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बालोतरा शहर के गन्दे पानी को बाहर निकालने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो इस योजना के तहत कब तक गन्दे पानी की निकासी शहर के बाहर हो जावेगी?

उत्तर

बालोतरा शहर का गन्दा पानी जो बांकिया तालाब में इकट्ठा हो जाता है, की निकासी शहर से बाहर करने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है एवं योजना बनाने की कार्यवाही की जा रही है। योजना की क्रियान्विति के पश्चात् गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था पूर्ण होगी।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को प्रकरणों में चालान पेश करने की अनुज्ञा

268. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा मार्च, 1980 से जनवरी 1982 तक कितने मामलों में सरकार से चालान पेश करने की अनुमति चाही गई है?

(2) सरकार ने कितने मामलों में चालान पेश करने की अनुमति नहीं दी? ऐसे मामलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कितने मामले अभी भी अनुमति के लिए राज्य सरकार के पास विचाराधीन है? 16 माह से भी अधिक समय से विचाराधीन मामलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) मार्च, 1980 से जनवरी, 1982 की अवधि में 27 मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने चालान पेश करने की अनुमति राज्य सरकार से चाही थी।

(2) राज्य सरकार ने उपरोक्त 27 मामलों में से 9 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार के पास 3 मामले अनुमति प्रदान करने हेतु विचाराधीन हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(212) (385 परिशिष्ट-5 मार्च, 1982-परिशिष्ट

उन अधिकारियों की सूची जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने चालान करने की अनुमति नहीं दी

(1) श्री कंवर बहादुर सक्सेना

(2) श्री पुरुषोत्तमदास

(3) श्री अमृतलाल माथुर

(4) श्री अमृतलाल माथुर

(5) श्री एस.एन. माथुर

(5) श्री निरंजन लाल गर्ग

(6) श्री के. एस. मेहता व अन्य

(7) श्री श्यामलाल शर्मा

(9) श्री हाजी उस्मान

उन अधिकारियों की सूची जो छः माह से अधिक समय से विचाराधीन है

(1) श्री गुरदेवसिंह चन्दी

(2) डा. एन.के. कट्टा

(3) श्री राम शरण सरपंच

जयपुर में चौकड़ी गंगापोल व रामचन्द्रजी की क्षतिग्रस्त गटर लाइन की दुरुस्ती

269. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौकड़ी गंगापोल व रामचन्द्र जी की गटर लाइन जिससे जल-मल निस्तरण होता है क्षतिग्रस्त पड़ी है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि जल-मल निस्तरण न होने से आस पास में दुर्गन्धमय वातावरण के कारण वहां पर नागरिकों का रहना दूभर हो रहा है ? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक करवाये जाने की राज्य सरकार की योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। गटर लाइन तीन वर्ष से क्षतिग्रस्त है।

(2) जी नहीं। क्षतिग्रस्त गटर लाइन का जल मल नालियों द्वारा निस्सरण किया जा रहा है एवं नित्य प्रति इनकी सफाई की जाती है। पी. एच. ई. डी. द्वारा मार्च, 82 के अन्त तक क्षतिग्रस्त गटर लाइन को पूर्ण करने का लक्ष्य है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसरापुर तथा उप-केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति

270 श्री मालाराम (खेतड़ी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खेतड़ी पंचायत समिति के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसरापुर तथा इसके उप केन्द्रों में कितने-कितने डाक्टर्स, नर्सेज एवं अन्य स्टाफ के पद रिक्त हैं ?

(2) ये रिक्तियां कब से व किन कारणों से हैं तथा क्या सरकार इनको भरने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसरापुर में निम्न पद रिक्त हैं :—

1. डाक्टर —	एक
2. कम्पाउण्डर श्रेणी 2	एक
3. प्रसविका	एक

(2) 1. डाक्टर 4·6·81 से स्थानान्तरण के कारण,

(214)

(चिकित्सा मंत्री)

2. कम्पाउण्डर सितम्बर, 1 से प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में।

3. प्रसविका गत दो वर्ष से प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में।

प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर रिक्त पद भर दिये जावेंगे। नये डाक्टर्स की भर्ती होने पर डाक्टर भी लगा दिया जावेगा।

पाली व जालौर जिलों में नये आरक्षी केन्द्रों की स्थापना

281. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल); श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) व श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)-

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली व जालौर जिलों में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं तथा प्रत्येक थाने के अन्तर्गत कितने-कितने गांव हैं ?

(2) क्या मौजूदा पुलिस स्टेशनों के गांवों एवं क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कुछ और पुलिस स्टेशन खोलने का विचार रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार जालौर जिले के बड़े कस्बों यथा भीनमाल एवं सांचोर पुलिस स्टेशनों पर सब इन्सपेक्टर की बजाय इन्सपेक्टर लगाना आवश्यक मानती है ? यदि हां, तो यह निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला पाली में 20 और जिला जालौर में 13 पुलिस स्टेशन वर्तमान में स्थापित हैं। प्रत्येक पुलिस स्टेशन का नाम व उसके अन्तर्गत गांवों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट "क"

जिला पाली के पुलिस स्टेशन :—

	पुलिस स्टेशन का नाम	कुल ग्रामों की संख्या
1.	पुलिस स्टेशन पाली	39
2.	पुलिस स्टेशन गुढ़ा एन्दला	56
3.	पुलिस स्टेशन केरला	76
4.	पुलिस स्टेशन मगर तलाव	54
5.	पुलिस स्टेशन देसूरी	29
6.	पुलिस स्टेशन कालू (आनन्दपुर)	49
7.	पुलिस स्टेशन नाना	40
8.	पुलिस स्टेशन खारची	43
9.	पुलिस स्टेशन सोजत सिटी	44
10.	पुलिस स्टेशन बाली	48
11.	पुलिस स्टेशन तखतगढ़	36
12.	पुलिस स्टेशन बगड़ी	39
13.	पुलिस स्टेशन सादड़ी	32
14.	पुलिस स्टेशन सिरियारि	75
15.	पुलिस स्टेशन सुमेरपुर	36
16.	पुलिस स्टेशन रानी	40
17.	पुलिस स्टेशन जैतारण	65
18.	पुलिस स्टेशन सेन्दड़ा	60
19.	पुलिस स्टेशन शिवपुरा	44
20.	पुलिस स्टेशन रायपुर	40

जिला जालोर के पुलिस स्टेशन :

पुलिस स्टेशन का नाम		कुल ग्रामों की संख्या
1.	पुलिस स्टेशन जालोर	30
2.	पुलिस स्टेशन नौसरा	62
3.	पुलिस स्टेशन ग्राहोर	68
4.	पुलिस स्टेशन बागरा	37
5.	पुलिस स्टेशन सायला	47
6.	पुलिस स्टेशन भीनमाल	41
7.	पुलिस स्टेशन सांचोर	63
8.	पुलिस स्टेशन रानीवाड़ा	62
9.	पुलिस स्टेशन बागोडा	34
10.	पुलिस स्टेशन सरवाना	63
11.	पुलिस स्टेशन चीलवाना	57
12.	पुलिस स्टेशन जसवन्तपुरा	34
13.	पुलिस स्टेशन मोदरा	44

———

जयपुर नगर में ऑटो-मोबाइल डीलर्स को भू-खण्ड आवंटन

272. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि 1975 में आटो-मोबाइल डीलर्स को जयपुर नगर के आगरा रोड पर भू-खण्ड आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो भू-खण्ड किस दर से दिये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार ने इन दिये हुए भू-खण्डों पर पुन: आवेदन मांगे हैं एवं बढ़ी हुई दर से आवंटित करने जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों एवं बढ़ी हुई दर क्या है ?

उत्तर

(1 एवं 2) जी नहीं। भू-खण्डों का आवंटन नहीं किया गया है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

जयपुर नगर में 5 वर्ष से कार्यरत डाक्टर्स

273. श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जयपुर शहर में कितने डाक्टर ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण पिछले पांच वर्ष से जयपुर शहर से बाहर नहीं हुआ है ?

(2) मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित डाक्टरों के अतिरिक्त ऐसे डाक्टरों की जिनकी पदस्थापना जयपुर शहर में पांच वर्ष से अधिक से है, कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कुल 184 डाक्टर हैं।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(218)

सूची

क्र० सं०	नाम
(1)	डा० सी० एम० शर्मा
(2)	डा० टी० के० जगदेव
(3)	डा० ए० बी० एल० माथुर
(4)	डा० ज्ञानप्रकाश
(5)	डा० विश्वनाथ शर्मा
(6)	डा० टी० एस; सहाय
(7)	डा० दीनदयाल निमावत
(8)	डा० एस० एस० देवड़ा
(9)	डा० के० एन० हल्दिया
(10)	डा० वी० के० जैमिनि
(11)	डा० बी० के० जोशी
(12)	डा० (श्रीमती) उषा चौधरी
(13)	डा० (श्रीमती) फ्लोरेन्स चन्द्रमणी
(14)	डा० मोहनसिंह
(15)	डा० एस० के० सरकार
(16)	डा० एस० चौधरी
(17)	डा० डी० एन० जैसलमेरिया
(18)	डा० (श्रीमती) के० सी० देवकी
(19)	डा० (श्रीमती) गिरिराज रावत
(20)	डा० गोपरामचन्दानी
(21)	डा० हुकम चन्द सेठी
(22)	डा० (श्रीमती) तुलसी माथुर
(23)	डा० ओ० एन० माथुर (दंत चिकित्सक)
(24)	डा० (सुश्री) खुर्शीद अलवी

(25) डा बाल किशन शर्मा
(26) डा० सुभाष भार्गव
(27) डा० वीरेन्द्रसिंह पुत्र श्री गणेशसिंह
(28) डा० जी० सी० शाह
(29) डा० (श्रीमती) श्यामा देवी मिश्रा
(30) डा० (श्रीमती) सन्तोष शर्मा
(31) डा० (श्रीमती) सरला घीया
(32) डा० (श्रीमती) सविता भण्डारा
(33) डा० (श्रीमती) रेखा पुरोहित
(34) डा० (श्रीमती) शोभा भट्ट
(35) डा० (श्रीमती) विभा पारीक
(36) डा० (श्रीमती) विमला दोषी
(37) डा० (श्रीमती) मन्जू बन्सल
(38) डा० अरुणकुमार पुरोहित
(39) डा० ओमप्रकाश यादव
(40) डा० वी० एन० पुरोहित
(41) डा० (श्रीमती) प्रकाश मेहता
(42) डा० प्रमोद आर्य
(43) डा० वी० के० बाफना
(44) डा० (श्रीमती) सरोज रन्दानी
(45) डा० एस. ए. वेग
(46) डा० गोविन्द लाल माथुर
(47) डा० सत्य स्वरूप शर्मा
(48) डा० (श्रीमती) कमलेश प्रकाश
(49) डा० बजरंग लाल चौधरी
(50) डा० प्रेम पुरोहित
(51) डा० धरमवीर
(52) डा० वी० के० माथुर

Page No 220

(२२०)

(53) डा० (श्रीमती) अन्ना जैन
(54) डा० जे० बी० तालो
(55) डा० एस० सी० जैन
(56) डा० बी० के० पाटनी
(57) डा० मदनलाल बालोदिया
(58) डा० (श्रीमती) सुषमा रानी लखेरा
(59) डा० आर० के० गोदारा
(60) डा० (श्रीमती) राजेश्वरी चौहान
(61) डा० एस० के० जैन
(62) डा० वी० के० अरोड़ा
(63) डा० (श्रीमती) कृष्णा कंवल
(64) डा० एस० ए० मजीद
(65) डा० मोहम्मद हबीब
(66) डा० कैलाशचन्द्र शर्मा
(67) डा० लादूराम मेहरडी
(68) डा० आनन्द कुमार शुक्ला
(69) डा० विनयकुमार शर्मा
(70) डा० ओ० पी० ताहीन
(71) डा० के० एल० छंगानी
(72) डा० (श्रीमती) हेमलता गोयल
(73) डा० (श्रीमती) मंजू मेहता
(74) डा० (श्रीमती) मधु माथुर
(75) डा० रामस्वरूप शर्मा
(76) डा० कुशालचन्द अग्रवाल
(77) डा० (श्रीमती) नरेन्द्र राजावत
(78) डा० (श्रीमती) सुमित्रा शर्मा
(79) डा० एस०एस० माथुर
(80) डा० आर० एस० चौधरी

(81) डा० जी० एन सक्सेना

(82) डा० (श्रीमती) सन्तोष मुकुल (ई० एस० आई० के० अधीन)

(83) डा० रामजी कक्कड़ ,,

(84) डा० सी० के० ग्रोवर ,,

(85) डा० (श्रीमती) निदिवेता कुदेशिया ,,

(86) डा० प्रतिभा शर्मा ,,

(87) डा० वी० के० जैन ,,

(88) डा० राजसिंह ,,

(89) डा० (श्रीमती) लीला सक्सेना ,,

(90) डा० (श्रीमती) लीला माथुर ,,

(91) डा० (श्रीमती) लीला शर्मा ,,

(92) डा० रश्मि माथुर ,,

(93) डा० वी० एस० रावत ,,

(94) डा० के० सी० विश्वास ,,

(95) डा० उमारानी अग्रवाल ,,

(96) डा० (श्रीमती) विद्या तिवाड़ी ,,

(97) डा० महेश वर्मा ,,

(98) डा० (श्रीमती) हेमलता सोलंकी ,,

(99) डा० (श्रीमती) उर्मिला पुरोहित ,,

(100) डा० (मिस) सन्तोष सक्सेना ,,

(101) डा० आर० के० शृंगी ,,

(102) डा० एस० के० बक्शी ,,

(103) डा० (श्रीमती) गीता जोशी ,,

(104) डा० (श्रीमती) ऊषा माथुर ,,

——

चालू वर्ष की योजना में विभिन्न कार्यों हेतु आवंटित राशि का उपयोग

274. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1981–82 की योजना में विद्युत सिंचाई एवं सड़कों के लिये पृथक-पृथक कितनी राशि रखी गई थी और कितनी कितनी राशि उपयोग में लाई जा सकी ?

उत्तर

वार्षिक योजना 1981–82 का आकार योजना आयोग द्वारा 340 करोड़ रु. अनुमोदित किया गया था जिसके विरुद्ध संशोधित प्रावधान 345.53 करोड़ रु. का अनुमानित है। बजट प्रस्तुत करते समय 3.06 करोड़ रु. योजना आधिक्य और 17 करोड़ रु. सम्भावित अग्रिम योजना सहायता को भी दर्शाया गया था।

वर्ष 1981–82 की योजना में दिसम्बर, 81 तक 20133.65 लाख रु. व्यय हुआ जिसमें 305.52 लाख रु. योजना आधिक्य के भी सम्मिलित हैं। वर्ष के अन्त तक प्रावधान का पूरा उपयोग हो जायेगा।

सिंचाई, विद्युत एवं सड़कों के लिये किये गये मूल प्रावधान और संशोधित प्रावधान तथा व्यय का विवरण निम्नानुसार है :—

	कुल प्रावधान	संशोधित प्रावधान	व्यय माह दिसम्बर, 81 तक (लाख रु०)
अ. सिंचाई	6700.00	6846.00	4803.83
ब. विद्युत	11712.00	11796.00	6120.02
स. सड़कें	1625.00	1512.50	916.29

बिसाऊ नगरपालिका की सड़कों की मरम्मत

275. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बिसाऊ नगरपालिका की सड़कों की मरम्मत के लिए अनुदान दिया गया था ?

(2) यदि हां, तो अब तक निर्माण कार्य क्यों नहीं किया गया ?

(श्री लच्छूराम)

(3) क्या राज्य सरकार अब बिसाऊ नगरपालिका की सडकों की मरम्मत करवाने के लिए धनराशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सड़क एवं नालियों के निर्माण एवं मरम्मत के लिये अनुदान दिया गया था।

(2) निर्माण व मरम्मत के कार्यों पर 1977 से अब तक 52,197/- रुपये व्यय किये जा चुके हैं। 35,000/- रु. की राशि से सड़कों की मरम्मत का कार्य पालिका द्वारा हाथ में लिया जा रहा है।

(3) दिनांक 4-2-82 को राज्य-सरकार द्वारा 25,000/- रुपये की राशि निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत की जा चुकी है।

बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के औषधालय

276. श्री अमीन खां (शिव): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में कुल कितने औषधालय हैं और राज्य के अन्य जिलों में कितने-कितने औषधालय हैं? जिले वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में कुल कितने औषधालय बिना कर्मचारियों के कब से हैं?

उत्तर

(1) बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में क्रमशः 63 एवं 27 तथा राजस्थान के अन्य जिलों के चिकित्सालय/औषधालय की जिलेवार सूची सदन के पटल पर (परिशिष्ट "क" में) रख दी गई है।

(2) बाड़मेर व जैसलमेर के 32 औषधालयों में चिकित्सक, 27 औषधालयों में कम्पाउन्डर धात्री एवं 7 औषधालयों में परिचारक के पद रिक्त हैं। उक्त पद जिस दिनांक से रिक्त हैं, उसकी सूची (परिशिष्ट ख पर) सदन के पटल पर रख दी गई है।

Page No 224

(२२५)

परिशिष्ट—"क"

राजस्थान में चिकित्सालयों/औषधालयों का जिलेवार व
चिकित्सा पद्तिवार विवरण

				चिकित्सा व औषधालय			
	नाम जिला	आयुर्वेद	यूनानी	होम्योपैथिक	प्राकृतिक	कुल चिकित्सालय	योग
	1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	88	3	2	—	—	93
2.	अलवर	122	2	2	—	—	126
3.	बांसवाड़ा	73	1	1	—	1	76
4.	बाड़मेर	57	4	1	—	1	63
5.	भरतपुर	127	5	3	—	—	135
6.	भीलवाड़ा	135	—	2	—	—	137
7.	बीकानेर	63	3	6	—	1	73
8.	बून्दी	38	1	3	—	—	42
9.	चित्तौड़गढ़	90	1	2	—	—	93
10.	चूरू	90	1	2	—	—	93
11.	डूंगरपुर	77	3	1	—	1	82
12.	श्रीगंगानगर	111	—	3	1	—	115
13.	जयपुर (अ)	148	2	2	—	—	152
14.	जयपुर (ब)	132	4	6	—	—	142
15.	जालौर	40	—	1	—	—	41
16.	जैसलमेर	24	1	1	—	1	27
17.	झालावाड़	59	1	2	—	—	62
18.	झुन्झुनू	114	3	2	—	—	119

	चिकित्सा व औषधालय					
नाम जिला	आयुर्वेद	यूनानी	होम्योपैथिक	प्राकृतिक	कुल चिकित्सालय	योग
1	2	3	4	5	6	7
19. जोधपुर	64	4	2	—	—	70
20. कोटा	85	3	3	—	1	92
21. नागौर	110	3	2	—	—	115
22. पाली	74	1	3	—	—	78
23. सवाई माधोपुर	139	9	2	—	1	151
24. सीकर	112	1	1	—	—	114
25. सिरोही	36	—	2	—	—	38
26. टोंक	72	2	1	—	—	75
27. उदयपुर	188	2	5	1	1	197
योग—	2468	60	63	2	8	2601

226

परिशिष्ट "ख"

बाड़मेर/जैसलमेर जिलों में रिक्त पदों की सूची
जिला बाड़मेर

क्र. सं.	नाम औषधालय	पद रिक्त दिनांक
रिक्त वैद्य/हकीम/होम्योपैथ		
1.	माडरवा	12.9.81
2.	अमाडा	10.8.81
3.	रावतसर	29 7.81
4.	पारल	15 8.81
5.	धोरिमन्ना	12.7.81
6.	राखी	20.5.81
7.	बीसासन	6.6.81
8.	भणियाणा	5.6.81
9.	सज्जनकापार	10.5.81
10.	होड	10.5 81
11.	मेहलू	1.10.81
12.	खोखसर	15.8.80
13.	गिराब	10.10.80
14.	जसाई	9.9.80
15.	बीजराड	4.9.80
16.	बामडला	15.8.81 ए
17.	बाबडीकला	3.6.81
18.	सिणधरी	12.8.80
19.	गंगाला	25.10.80

क. सं.	नाम औषधालय	पद रिक्त दिनांक
20.	भ्रमणशील ईकाई	5.7.81
21.	होम्यो बाड़मेर	30.3.81
22.	कोनरा (यूनानी)	30.3.81
23.	बुहरान की तला (यूनानी)	
24.	दुधियाकला (यूनानी)	
25.	दतानी (यूनानी)	

रिक्त कल्पद/धात्री

1.	भडयस	24.7.81
2.	पादरू	14.8.81
3.	खडम	11.6.81
4.	आगियाली	16.6.81
5.	दाखा	22.6.81
6.	पारल	25.3.81
7.	जसाई	25.5.81
8.	बामडला	4.6.81
9.	कवास	6.4.81
10.	भडखा	23.4.81
11.	बाघर	19.3.81
12.	गुडामलानी	12.4.81
13.	बालोतरा	10.10.81
14.	पाटोदी	4.9.75
15.	चौहटन	26.8.80
16.	नीमला	12.10.81
17.	कोनरा	20.8.80

Page No 228

(228)

क्र. सं.	नाम औषधालय	पद रिक्त दिनांक
18.	मेडाणा	26.1.81
19.	राणीदेशपुर	31.8.81
20.	भ्रमणशील इकाई	24.6.81

रिक्त परिचारक पद

1.	मेडाना	26.1.81
2.	सिघासवा	26.1.81
3.	बाड़मेर (होम्यो)	1.2.81

परिशिष्ट (ख)

बाड़मेर/जैसलमेर में रिक्त पदों की सूची

जिला—जैसलमेर

क. सं. 1	नाम औषधालय 2	पद रिक्त दिनांक 3
रिक्त वैद्य/हकीम/होम्योपेथ		
1.	जलडा	26-11-81
2.	भरियाणा	1-1-81
3.	फतेहगढ़	6-5-81
4.	सम	4-3-81
5.	झिझियाली	24-2-81
6.	मैंडवाना	21-5-81
7.	माउवा	8-9-80
8.	भ्रमणशील इकाई	19-5-81
रिक्त धात्री/कल्पद पद		
1.	भ्रमणशील इकाई	8-10-80
2.	माउवा	12-6-80
3.	चौहटन	11-6-81
4.	भ्रमणशील इकाई	16-8-80
5.	पलूसंड	23-9-80

क्र. सं. 1	नाम औषधालय 2	पद रिक्त दिनांक 3
6.	रामदेवरा	22-9-80
7.	सिंहडार	17-12-80

रिक्त परिचारक पद

1.	भ्रमणशील इकाई	1-2-82
2.	मेडाना	1-2-82
3.	मोहनगढ़	1-2-82
4.	रामगढ़	1-12-81

———

कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

277. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शासन सचिवालय के कर्मचारियों को वित्त विभाग द्वारा उनके 60 माह के मूल वेतन के बराबर राशि भवन निर्माण हेतु अग्रिम के रूप मे माह मई, 1981 में स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी को कितनी राशि स्वीकार हुई और उसमें से प्रथम किस्त के रूप में कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया है? सूची कर्मचारियों के नाम, कुल स्वीकृत राशि एवं भुगतान की गई राशि सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुल स्वीकृत राशि में से करीब 15 प्रतिशत राशि ही मई, 1981 में सरकार ने कर्मचारियों को देकर आज तक कोई राशि नहीं दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार इस तरह से आर्थिक संकट में फंसे हुए कर्मचारियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शेष सम्पूर्ण राशि का भुगतान तुरन्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) शासन सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, लोक आयुक्त एवं विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण हेतु वित्त विभाग द्वारा माह मई, 1981 में रु. 3,13,000/– की राशि आवंटित की गयी। जिन कर्मचारियों को उक्त राशि में से ऋण स्वीकृत किये गये, उनकी सूची संलग्न है।

(2) इस मद पर दिनांक 31-3-81 तक उक्त विभागों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के आधार पर रु. 14,57,263·00 की राशि की आवश्यकता बनती थी, जिसके विरुद्ध केवल रु. 3·13 (लाख) अर्थात् कुल भाग का 21·40% वित्त विभाग द्वारा मई, 1981 में आवंटित किया गया। इसके अतिरिक्त रु. 28,835/ की राशि माह जनवरी, 1982 में और आवंटित की गई।

(3) इस हेतु बजट में उपलब्ध राशि के आधार पर वित्त विभाग द्वारा राज्य के समस्त विभागों के कर्मचारियों की मांगों को मध्य नजर रखते हुए विभिन्न विभागों में राशि का आवंटन किया जाता है।

आवंटित राशि रुपये 3,13,000 को निम्न प्रकार से स्वीकृत किया गया

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम एवं विभाग	कुल राशि जो बतौर ऋण स्वीकृत की गई	किश्तें जो दिनांक 31-3-81 के पूर्व दी गई			राशि जो वर्ष 1981-82 में दी गई	योग
			प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	योग		
1	2	3	4				
	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गई राशि						
1.	श्री त्रिलोकीनाथ चौबीसा, क० लेखाकार, शासन सचिवालय	45500/-	—	—	—	4170/- (27-5-81)	4170/-
2.	श्री शकूरखां, च० श्रे० क०, शासन सचिवालय	15480/-	—	—	—	4170/- (1-6-81)	4170/-
3.	श्री शिवनारायण, च० श्रे० क०, शासन सचिवालय	15300/-	—	—	—	4170/- (27-5-81)	4.70/-
4.	श्री श्री सियाशरण ग्रामेरिया, शी० लि०, शासन सचिवालय	41400/-	—	—	—	4170/- (4-6-81)	4170/-

1	2	3	4	5	6
5.	श्री जगदीशनारायण मीणा व० लि०, शासन सचिवालय	30600/-	— — —	4170/- (4-6-81)	4170/-
6.	श्री रामधन मीणा क० लि०, शासन सचिवालय	26700/-	— — —	4168/- (1-6-81)	4168/-
7.	श्री मीठालाल सामोता क० लि०, विधान सभा सचिवालय	28500/-	— — —	4165/- (1-6-81)	4165/-
8.	श्री रामगोपाल च० श्रे० क०, लोक आयुक्त सचिवालय	15480/-	— — —	4165/- (1-6-81)	4165/-
9.	श्री भोलूराम ढेनवाल क० लि०, शासन सचिवालय	23700/-	— — —	4165/- (1-6-81)	4165/-
10.	श्री वंशीधर कुमावत फर्राश, राज्यपाल सचिवालय	15300/-	— — —	4165/- (1-6-81)	4165/-
11.	श्री गजानन्द सोनी व० लि०, शासन सचिवालय	33000/-	— — —	4165/- (1-6-81)	4165/-
12.	श्री प्रभुदयाल वर्मा व० लि० शासन सचिवालय	25000/-	— — —	4165/- (1-6-81)	4165/-

1	2	3	4	5	6
13.	श्री भीमनमल व० लि०, शासन सचिवालय	41500/-	— — —	4165/- (1-6-81)	4165/-
14.	श्री कन्हैयालाल जाट व० लि०, शासन सचिवालय	34200/-	— — —	4165/- (6-6-81)	4165/-
15.	श्री नानालाल कोठारी सहायक, शासन सचिवालय	53400/-	— — —	4165/- (1-6-81)	4165/-
16	श्री भोलाराम पारीक शी० लि०, शासन सचिवालय	33000/-	— — —	4165/- (29-5-81)	4165/-
17.	श्री ज्ञानेन्द्र आर्य सहायक, शासन सचिवालय	48900/-	— — —	4165/- (6-6-81)	4165/-
18.	श्री हरिशंकर शर्मा क० लि०, शासन सचिवालय	22500/-	— — —	4165/- (8-6-81)	4165/-
19.	श्री सहदेव व० श्रे० क०, शासन सचिवालय	14760/-	— — —	4165/- (1-6-81)	4165/-
20.	श्री भोगीलाल मीणा व० लि०, शासन सचिवालय	30600/-	— — —	4165/- (29-5-81)	4165/-

Page No 235

1	2	3	4	5	6
21.	श्री सतीशकुमार भण्डारी क० लि०, विधान सभा सचिवालय	26700/-	— — —	4165/- (4-6-81)	4165/-
22.	श्री मिश्रीलाल सैनी शी० लि०, विधान सभा सचिवालय	27000/-	— — —	4165/- (28-5-81)	4165/-
23.	श्री रामकरण मीणा व० लि०, शासन सचिवालय	27600/-	— — —	4165/- (8-6-81)	4165/-
24.	श्री चिमनलाल शी० लि०, शासन सचिवालय	34200/-	— — —	4165/- (4-6-81)	4165/-
25.	श्री नींबूलाल च० श्रे० क०, शासन सचिवालय	15120/-	— — —	4165/- (6-6-81)	4165-/
26.	श्री सत्यनारायण विद्युतकार, राज्यपाल सचिवालय	26400/-	— — —	4165/- (6-6-81)	4165/-
27.	श्री सुमतप्रकाश जैन व० लि०, शासन सचिवालय	36600/-	— — —	4165/- (6-6-81)	4165/-
28.	श्री हीरालाल गुप्ता व० लि०, शासन सचिवालय	35400/-	— — —	4165/- (27-5-81)	4165/-

Page No 236

1	2	3	4	5	6
29.	श्री नवलकिशोर शर्मा साo सहायक, शासन सचिवालय	43835/-	— — —	4165/- (6-6-81)	4165/-
30.	श्री मोहनलाल भाटी ड्राइवर, राज्यपाल सचिवालय	3400/-	— — —	4165/-	4165/-
		भूखण्ड क्रय हेतु			
31.	श्री स्वरूपनारायण शर्मा शीo लिo, शासन सचिवालय	8800/-	— — —	8800/- (7-5-81)	8800/-
32.	श्री विनोदचन्द्र जैन शीo लिo, शासन सचिवालय सर्विस ट्रिब्यूनल	16640/-	— — —	16640/- (8-6-81)	16640/-
33.	श्री बाबूलाल अग्रवाल कo लिo, शासन सचिवालय	6766/-	— — —	6766/- (8-6-81)	6766/-
34.	श्री सुभाषचन्द्र विजय साo सहायक, शासन सचिवालय	5778/-	— — —	5778/- (8-6-81)	5778/-

1	2	3	4			5	6
35.	श्री मोहनलाल राजलवाल व० लि०, शासन सचिवालव	7680-/	—	—	—	7680/- (28-5-81)	7680/-
36.	श्री मुन्नालाल शर्मा क० लि०, शासन सचिवालय	6160/-	—	—	—	6160/- (18-9-81)	6160/-
			बकाया किश्त				
37.	श्री कैलाशचन्द्र मिश्रा सहायक, शासन सचिवालय	40000/-	2360/-	—	2360/-	37640/- (27-5-81)	40000/-
38.	श्री गेंदीलाल च० श्रे० क०, शासन सचिवालय	15120/-	1820/-	—	1820/-	13300/- (20-5 81)	15120/-
39.	श्री बुन्दूखां च० श्रे० क० शासन सचिवालव	15300/-	4080/-	7200/-	11280/-	4020/- (20-5-81)	15300/-

1	2	3	4			5	6
40.	श्री आर० के० आहूजा व० लि०, शासन सचिवालय	33000/-	2360/-	19610/-	21970/-	11030/- (22-5-81)	33000/-
41.	श्री अर्जुनलाल जिलेवा व० लि०, शासन सचिवालय	16800/-	8352/-	7324/-	15676/-	1124/- (10-6-81)	16800/-
42.	श्री निरंजनलाल वर्मा व० लि०, शासन सचिवालय	28800/	16450/-	7550/-	24400/-	4800/- (22-5-81)	28800/-
43.	श्री कल्याणसिंह सिसोदिया व० लि०, राज्यपाल सचिवालय	24850/-	20000/-	—	20000/-	4850/- (6-6-81)	24850/-
44.	श्री कुंजविहारी भारतीय सहायक, शासन सचिवालय	50000/-	25000/–	16000/–	41000/–	9000/– (22-5-81)	50000/–
45.	श्री भगवतसिंह च० श्रे० क० शासन सचिवालय	15300/–	1820/–	8636/–	10456/–	4844/– (28-5-81)	15300/–
46.	श्री मदनलाल शर्मा क० लेखाकार, शासन सचिवालय	35400/–	2360/–	21250/–	23510/–	11890/– (27-5-81)	35400/–

1	2	3	4			5	6
47.	श्री रामकिशोर व. लि०, शासन सचिवालय	33000/-	2360/-	19610/-	21970/-	11030/- (22.5.81)	33000/-
48.	श्री जुगलकिशोर पंचोली सहायक, शासन सचिवालय	51900/-	1820/-	32050/-	33870/-	18030/- (27.5.81)	51900/-
49.	श्री फूलचन्द च० श्रे० क० शासन सचिवालय	15300/-	2360/-	8300/-	10660/-	4640/- (6.6.81)	15300/-

कुल योग 3,13,000/-

नगरपालिका सवाई माधोपुर द्वारा लगाया गया भवन कर

278. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका सवाई माधोपुर द्वारा हाउस टैक्स लगाया गया है ? यदि हां, तो किस सत्र में लगाने का फैसला किया गया था ?

(2) जिस समय बोर्ड द्वारा हाउस टैक्स लगाया गया था उस समय उसको लागू किया गया था या नहीं ? यदि नहीं, तो कौन से सत्र से लागू किया गया है ?

(3) जिस समय हाउस टैक्स लगाया गया था क्या उसकी सूचना प्रत्येक मकान मालिक को दी गयी थी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या नोटिस देना आवश्यक नहीं था ?

(4) नगरपालिका ने जो हाउस टैक्स लगाया है उसका असेसमेन्ट किसके द्वारा किया गया है ? उसकी योग्यता क्या थी ?

(5) क्या हाउस टैक्स वसूल करते समय $\frac{1}{6}$ की छूट देना जरूरी था ? यदि हां, तो $\frac{1}{10}$ की छूट किस आधार पर दी गई है और किससे आदेश से ? क्या इस गृह कर को निरस्त किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1960 से।

(2) गृह कर बोर्ड के समय 1960 में लागू किया गया था, परन्तु वसूली सन् 1975-76 से प्रारम्भ की गई।

(3) गृह कर लगाने के समय नहीं परन्तु सन् 1974–75 में प्रत्येक मकान मालिक को सूचना दी गई थी।

(4) गृह कर का निर्धारण, गृह कर निर्धारक द्वारा किया गया था उसकी योग्यता हायर सैकण्डरी एवं कर निर्धारक डिप्लोमा थी।

(5) जी नहीं। वार्षिक किराये के मूल्य में 10 प्रतिशत कटौती की जाकर गृह कर का निर्धारण राजस्थान नगरपालिका भवन व भूमि कर नियम, 1961 के नियम 41/1 के अधीन किया जाता है। इस गृह कर को निरस्त करने के संबंध में राज्य सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

तहसील रामगंजमंडी में 20 संकल्प कार्यक्रम की प्रगति

279. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रामगंज मण्डी तहसील में 20 संकल्प कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस कार्यक्रम में क्या प्रगति हुई ?

(2) "पिछड़े को पहले" योजना के अन्तर्गत क्या क्या सुविधायें दी गईं ?

Page No 241

(श्री हरीश शर्मा)

(3) किसी व्यक्ति अथवा क्षेत्र को पिछड़ा मानने का सरकार का क्या मापदण्ड है ?

उत्तर

(1) हां तहसील रामबज मण्डी में बीस संकल्प कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। संकल्प वा प्रगति प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) वांछित सूचना प्रगति प्रतिवेदन में संकल्प संख्या 13 में उपलब्ध है।

(3) समग्र ग्राम विकास (आई.आर.डी.) के अन्तर्गत ऐसा कोई भी परिवार, जिसके पास किसी भी प्रकार की उत्पादक सम्पत्ति जैसे भूमि, पशु धन आदि न हों और जिसकी आय 400/— रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक से कम हो।

अथवा

भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण दस्तकार तथा सीमान्त एवं लघु कृषक परिवार जिसके पास उत्पादक सम्पत्ति है परन्तु समस्त स्रोतों से उसकी कुल वार्षिक आय 400/- रुपये वार्षिक से कम हो।

गरीबी की सीमा रखा से नीचे होने के कारण लाभान्वित किया जाता है यानि पिछड़ा माना जाता है।

औद्योगिक विकास के सन्दर्भ को जोड़कर कोई विशेष क्षेत्र पिछड़ा नहीं माना गया है।

238

संकल्प वार प्रगति प्रतिवेदन

संकल्प संख्या 1—पूरे चुनाव

यह संकल्प राज्य सरकार से सम्बन्धित है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार तहसील रामगंजमंडी में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा नगर पालिका रामगंजमंडी व ग्राम सेवा सहकारी समतियों के चुनाव पूर्ण करवाये जा चुके है। मार्केटिंग सोसा-इटी रामगंजमंडी के चुनाव माह अप्रेल, 82 में कराये जाने का कार्यक्रम है। कृषि उपज मण्डी समिति रामगंजमंडी के चुनाव भी कराये जाने शेष हैं।

संकल्प संख्या 2—बढ़िया शिक्षा

तहसील रामगंजमंडी में बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत 24 विद्यालयों का चयन किया गया है। जिसनें एक माध्यमिक विद्यालय, 12 उ0 प्रा0 वि0 2 कन्या उ0 प्रा0 वि 7 प्रा0 वि0 एवं 2 कन्या प्रा0 विद्यालयों के लिये फर्नीचर, टाट पट्टी, आदि सामान क्रय करने की प्रक्रिया सम्बन्धि अधिकारीगण द्वारा जारी है। चयनित विद्यालयों के पास भवन उपलब्ध है। माध्यमिक विधालय में नवीन कमरा निर्माण हेतु रुपये 30,000/- रुपये स्वीकृत हुआ है जिसके निर्माण हेतु कार्यवाही जारी है। 7 उ0 प्रा0 विद्यालय के भवनों की मरम्मत एवं निर्माण हेतु रुपये 24, 800/-रुपये का आवंटन विद्यालयों को कर दिया गया है। निर्माण कार्य सम्बन्धित प्रधानाध्यापको द्वारा कराने की कार्यवाही जारी है।

संकल्प संख्या 3—सस्ता न्याय

इस संकल्प के सम्बन्ध में प्रक्रिया जारी है।

संकल्प संख्या 4—गरीब को छप्पर

तहसील रामगंजमंडी क्षेत्र में पंचायतों द्वारा 480 व्यक्तियों को निशुल्क आवासीय भूखण्डी का आवंटन किया गया है। जिनके पट्टे भी पंचायतों द्वारा जारी कर दिये गये है। रामगंजमंडी नगरपालिका क्षेत्र में एक व्यक्ति को आवासीय भूखण्ड का आवंटन किया गया गया है।

ग्रामीण आवासीय भूखण्ड आवंटन एवं विकास योजना अनुदान 1981-82 के अतर्गत रामगंजमंडी तहसील क्षेत्र में जो गरीब व्यक्ति रहने का मकान बना रहे हैं, उनको 150 व्यक्तियों को 750/-रुपये प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान स्वीकृत किया गया है। जिसमें से अब तक 143 व्यक्तियों को प्रथम किश्त रुपये 250/-प्रति व्यक्ति के हिसाब से रुपये 34,750/-रुपये का वितरण किया जा चुका है। कार्य की प्रगति के अनुसार शेष भुगतान किया जा रहा है।

संकल्प संख्या 5—छोटा परिवार

तहसील रामगंजमंडी में छोटा परिवार के अन्तर्गत प्रगति निम्न प्रकार है:—

क : स्टेरीलाइजेशन	472
ख : आई0 यू0 डी0	23
ग : सी0 सी0 इस्तेमाल	656
घ : निरोध वितरण	19,565 (ग्रामीण क्षेत्र में)

संकल्प संख्या 6—नई ऊर्जा

तहसील रामगंजमंडी में अब तक नई ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 गोबर गैस संयत्र लगाये जा चुके हैं तथा 8 संयंत्रों में ले आऊट दे दिया गया है जिनके कार्य चालू हैं। साथ ही 14 व्यक्तियों के ऋण आवेदन-पत्र बैंक स्तर पर विचाराधीन है।

संकल्प संख्या—7—राजस्थान नहर

इस क्षेत्र से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

संकल्प संख्या—8—कोटा थर्मल

इसका तहसील क्षेत्र रामगंजमंडी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

संकल्प संख्या —9—जंगल में मंगल

तहसील रामगंजमंडी में जंगल में मंगल योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा सलावद वी प्लान्टेशन में 4600 पौधे लगाये गये हैं। पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायत समिति द्वारा 912 पौधों का वितरण किया गया है। रामगंजमंडी नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा 151 एवं अन्य संस्थाओं द्वारा 371 पेड़ लगाये गये हैं।

संकल्प संख्या—10—खेत में बिजली

तहसील क्षेत्र रामगंजमंडी में खेत में बिजली योजना के अन्तर्गत 72 कुओं पर विद्युत कनेक्शन दिया गया है। जिसमें सहायक अभियन्ता, ग्रामीण द्वारा 42 कुओं व सहायक अभियन्ता, वितरण द्वारा 30 कुओं पर दिया गया है।

संकल्प संख्या—11—पीने का पानी

तहसील रामगंजमंडी के ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था हेतु जिला आयोजना

समिति द्वारा दिनांक 18–2–81 को 8 ग्राम, दिनांक 7–3–81 को 28 ग्राम व दिनांक 8-5-81 को 8 ग्राम तथा दिनांक 8-12-81 को 10 ग्राम प्रस्तावित किये हैं। हेण्ड पम्प अभी नहीं लगे हैं।

सकल्प संख्या—12—ग्राम तक सड़क

कोई लक्ष्य इस तहसील के लिये निर्धारित नहीं था।

संकल्प संख्या—13—पिछड़े को पहले

तहसील क्षेत्र रामगंजमंडी में वर्ष 81-82 में पिछड़े को पहले योजना के अन्तर्गत 194 व्यक्तियों का चयन किया गया है। इनमें से निम्न प्रकार से लाभान्वित किये गये हैं :—

क्र. स.	प्रयोजन	लाभान्वित संख्या
1.	पेन्शन	46
2.	भूमि	24
3.	बकरी पालन	12
4.	चर्म उद्योग	5
5.	टोकरी उद्योग	1
	योग	88

इसके अतिरिक्त 103 व्यक्तियों को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजन जैसे सिंचाई, मशीन, बांस टोकरी, ऊनी कार्य, दुधारू पशु बैल, बैलगाड़ी, कृषि प्रदर्शन आदि हेतु ऋण एवं अनुदान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोटा द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

42 व्यक्तियों को वर्ष 81-82 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोटा द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत प्रशिक्षित कर स्वरोजगार हेतु तैयार किया गया।

उक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं जन–जाति के 368 छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा चुकी है।

संकल्प संख्या —14—विकलांग

तहसील रामगंजमंडी में दिनांक 5—11—81 को विकलांग शिविर में 312 व्यक्तियों का चयन किया गया है। जिनकी सूची निम्न प्रकार से है :—

1—छात्रवृत्ति	101	आवेदन फार्म तैयार कर सम्बन्धित को भिजवा दिये गये हैं।
2—अंग लगाना इलाज व यन्त्र	141	
3—सिलाई मशीन	4	
4—पेन्शन	42	
5—सेवा योग्य	12	
6—तीन पहिये की साइकिल	2	
7—अन्य	8	किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा सकती।
	312	

संकल्प संख्या—15—हरिजन कष्ट मुक्ति :

तहसील रामगंजमंडी में 15 मध्य शहर को सूखी तहरात में बदलने की योजना के अन्तर्गत रामगंजमंडी नगर का चयन किया गया है। जिसमें से अब तक 60 तहारतों के लक्ष्य के मुकाबले 4 का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष की कार्यवाही जारी है।

संकल्प संख्या —16—राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय एकता के अन्तर्गत स्कूलों के माध्यम से 4 विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

संकल्प संख्या—17—डेयरी विकास

तहसील रामगंजमंडी में डेयरी विकास दुग्ध संकल्प हेतु कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया। वेफ कार्यक्रम के तहत जनवरी, 1982 तक 66 क्रास ब्रीडिंग का कार्य सम्पन्न कराया जा चुका है।

संकल्प संख्या—18—मुर्गी पालन

तहसील रामगंजमंडी व कोटा जिले हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

संकल्प संख्या—19—कृषि एवं सहकारिता :—

कृषि

तिलहन .	1 : रबी	662	हेक्टर में बुवाई की गई ।
	2 : खरीफ	661	हेक्टर में बुवाई की गई ।
दालें	1 : रबी	2355	,, ,,
	2 : खरीफ	9098	,, ,,

सहकारिता

चार गोदाम निर्माणाधीन है। बीस समितियों के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाये जा चुके हैं।

संकल्प संख्या 20 हस्त शिल्प एवं उद्योग

तहसील क्षेत्र रामगंजमंडी में औद्योगिक रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से 323 अस्थाई तथा 76 स्थाई औद्योगिक इकाइयों का पंजीयन किया गया। जिसमें अनुसूचित-जाति व जन जाति के 54 हैं। आई. आर. डी उद्यमियों के 6 व्यक्तियों को 14,900/- रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।

—

चांदपोल बाजार जयपुर की यातायात व्यवस्था में सुधार

280. श्री राम कंवार बैरवा (फागी)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर के मुख्य बाजारों व विशेष कर चांदपोल बाजार में यातायात नियंत्रण पूर्णतः व्यवस्थित नहीं है और आवागमन में बहुत असुविधा होती है ?

(2) यदि हां, तो सरकार बाजारों में आवागमन की उचित व्यवस्था के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर के मुख्य बाजारों व विशेष कर चांदपोल बाजार में यातायात नियन्त्रण की पूर्ण व्यवस्था है। आवागमन में असुविधा चान्दपोल बाजार में अनाज मण्डी होने के कारण ही है, ट्रैफिक सम्बन्धी व्यवस्था के कारण नहीं।

(2) जयपुर के बाजारों में यातायात की व्यवस्था पर नियन्त्रण रखा जा रहा है। दैनिक ट्रैफिक की समस्याओं के प्रति सरकार जागरुक है और योजनाबद्ध तरीकों से जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

1. जयपुर डवलपमेंट ओथरिटी का गठन हो जाने पर उसके अधीन एक यातायात सैल का गठन किये जाने की योजना है।

2. ट्रैफिक-शिक्षा देने हेतु नवीनत्तम साज सामान युक्त ट्रैफिक पार्क बनाये जाने की योजना है।

3. चान्दपोल बाजार एवं एम. आई. रोड को चौड़ा करने एवं पार्किंग की जगह निर्धारित करने की योजना है जिसके अन्तर्गत कुछ कार्य आरम्भ भी हो चुका है।

4. शहर के अन्दर बनी अनाज-मण्डियों एव ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों को नगर से बाहर ले जाने की योजना पर भी कार्यवाई हो रही है।

नागौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

281. श्री रामधन (लाडनूं)—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नागौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्मचारियों की कमी के कारण बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो एसे केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा सरकार इनको कब-तक खोलने का इरादा रखती है ?

उत्तर

जी नहीं।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ?

(२४८)

परिशिष्ट 8

वर्ष 1979, 1980 व 1981 की अवधि में प्रतापगढ़ तहसील में पुलिस द्वारा पकड़े गये तस्करों की सूची :—

1. श्री चेना पुत्र लाल गाबरी निवासी बारी
2. ,, शेरबादशाह पुत्र हकीम खां निवासी, अखेपुर
3. ,, भवाना पुत्र उदा लावाना ,, ,,
4. ,, महबूबखां पुत्र सनवरखां निवासी जावदा
5. ,, समरथमल पुत्र ताराचन्द महाजन नि. बरमण्डल
6. ,, नाथूलाल-पुत्र गोविन्दराम ,, ,,
7. ,, बजेराम पुत्र नाथू आजगा ,, ,,
8. ,, केशरसिंह पुत्र गोवर्धनसिंह ,, ,,
9. ,, सीताराम पुत्र मालाराम नि. फलोदी
10. ,, चुन्नीलाल पु० शंकरलाल पालोदी नि. तारानगर
11. ,, लक्ष्मीनारायण पु० रेवाचन्द नि. लास अचनेरा
12. ,, ताजमोहम्मद पु० गुमामोहम्मद पीजार
13. ,, प्रेमचन्द पु० बसन्तीलाल निवासी अरनोद
14. ,, अम्बालाल पु० लक्ष्मणदास नि. ,,
15. ,, हरजी पु० मनजी नि. कोटडीका खेड़ा
16. ,, राधेश्याम पु० शम्भाजी कुम्भावत सालुजी
17. ,, जयनारायण पु० नानूराम सा0 उचवानियां
18. ,, मेहबूबखां पु० अहमदनूर सा0 जावदा
19. ,, नवीनूर पु० अहमदनूर ,,
20. ,, लक्ष्मीनारायण पु० शंकरलाल नि. खरोट
21. ,, पीताम्बर दास पु० रामदास बैरागी अमलावदा
22. ,, राधेश्याम पु० रामू कुभावत नि. जाजलो
23. ,, जगन्नाथ पु० नानूराम ,, ,,

24. श्री टेकराम पु० भेरा कुमावत
25. ,, सवला पु० धोखा नि. पीपलदा
26. ,, रामा पु० तेली नि. बड़ी सालवली
27. ,, वसन्तलाल पु० गुलाबचन्द महाजन नि. रायपुर
28. ,, रतनलाल पु० केशूराम नि. नितोर
29. ,, रामेश्वर पु० देवराम कलमी नि. दलोट
30. ,, ऊंकार पु० गोरीलाल नि. कावलिया
31. ,, बापूलाल पु० हीरालाल नि. काम्बलिया
32. ,, रतनलाल पु० गुलाब कुक्कड़ ,, ,,
33 ,, मोती पु० रूपा मठा नि. कल्मीपुरा
34. ,, कालूराम पु० बरदा गुर्जर नि. नकोर
35. ,, हीरालाल पु० बरदा गुर्जर नि. मोगरीखेड़ा
36. ,, घीसा पु० नाथू कुम्हार नि. बाराबऊदा
37. ,, धुलिया स्त्री डूंगा मीणा नि. मानपुरा
38. ,, गोवरलाल पु० दुपचन्द लबाना नि. ,,
39. ,, राधाकिशन पु० पन्नालाल लबाना नि. ,,
40. ,, अम्बालाल पुत्र अमृतलाल लबाना ,, ,,
41. ,, रोड़ा पु० पखरा मीना ,, ,,
42. ,, गोपीलाल पु० रमकिया लबाना ,, ,,
43. ,, कन्हैयालाल पु० रतनलाल लबाना

२५०

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 201 की सूची

कार्यालय नगरपालिका, गंगाशहर बीकानेर

चौपड़ा कृषि भूमि (बाडी) में आये भूखण्डों की सूची

क्र. सं.	भूखण्ड सं.	नाम जिसको अलाट किया गया	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	21	श्री रामचन्द पु० नानाराम चौधरी	
2.	23	,, दीपचन्द पु० श्रीचन्द बोहरा	
3.	24	,, भंवरलाल पु० सुरजाराम दर्जी	
4.	25	,, चम्पादेवी पत्नी इंद्रचन्द नवलया	
5.	26	,, सुखीदेवी पत्नी चम्पालाल भादाणी	
6.	27.	,, जतनलाल पु० श्री नन्दलाल माली	
7.	28	,, इन्द्रा देवी पत्नी बुधड़चन्द वेद	
8.	29	,, छगनलाल पु० रामदेव माली	
9.	29	,, गौरीशंकर पु० पोवराराम माली	
10	31	,, कन्हैयालाल पु० नृसिंहदास ब्राह्मण	
11.	32	,, भंवरलाल पु० चांदराम कुम्हार	
12.	33	, मदनलाल पु० बाबूलाल माली	
13.	34	,, मांगीलाल पु० जोराराम ब्राह्मण	
14.	36	,, बद्रीराम पु० खेमाराम कुम्हार	
15.	37	,, आसूराम पु० नारायण राम ब्राह्मण	
16.	38	,, हनुमानप्रसाद पु० बगाराम जाट	
17.	39	विद्यादेवी पत्नी लुणाराम कामता	

Page No 251

1	2	3	4
18.	41	श्री हीरादेवी पत्नी चतुर्भुज वैद	
19.	42	,, किशनलाल पु० शिवरतन माली	
20.	44	,, तीजादेवी पत्नी जयराम कुम्हार	
21.	45	,, केदारदेवी पत्नी हनुमानप्रसाद उपाध्याय	
22.	46	,, कृष्णादेवी पत्नी रामकिशन पचलौरिया	
23.	47	,, बुलाकीराम पु० नारायणराम उपाध्याय	
24.	48	,, टीकूराम पु० ज्ञानाराम जाट	
25.	49	,, रमजान पु० रहीमबक्श रंगरेज	
26.	50	,, गफूरअली पु० अब्दुलगफार नारीय	
27.	51	,, जुबे ा देवी पत्नी असगरअली जुड़ीगर	
28.	52	,, राजादेवी पत्नी रावतमल चेड़िया	
29.	53	,, मांगीलाल पु० आईदाइ नाई	
30.	54	,, महावीरप्रसाद पु० जयसाराम नाई	
31.	55	,, मोहम्मद अली रहीम बक्श रंगरेज	
32.	56	,, मोहनलाल पु० चुन्नीलाल चुनार	
33.	58	,, सन्तोषीदेवी पत्नी हंसराम भगोत	
34.	59	,, सुवाराम पु० बख्ताराम ब्राह्मण	
35.	65	,, सुशीलादेवी पत्नी विजयकुमार सोनी	
36.	66	,, पूनमचन्द पु० गोविन्दराम पारख	
37.	67	,, बद्रीराम पु० पूनमचन्द ब्राह्मण	
38.	69	,, पुष्पादेवी पत्नी रतनलाल दुग्गड़	
39.	70	,, शांतिदेवी पत्नी धनराज कुचा	
40.	71	,, तुलसीदेवी पत्नी रामलाल ब्राह्मण	
41.	72	,, भंवरलाल पु० सुवाराम ब्राह्मण	
42.	73	,, सनुदेवी पत्नी आवतमल वैद	

1	2	3	4
43.	75	श्री सम्पतलाल पु० जयसराज नवलखां	
44.	76	,, सोहन श्रीचन्द पु० सोहनलाल नाई	
45.	78	,, संचीयालाल पु० महरचन्द छाजेड़	
46.	79	,, गुलीदेवी पत्नी नेमीचन्द सेठिया	
47.	80	,, रामचरण पु० श्रवणलाल सक्सेना	
48.	81	,, मेनादेवी पत्नी हुकमचन्द ललवानी	
49.	82	,, विमलादेवी पत्नी नारायणमल डागा	
50.	83	,, तिरियादेवी पत्नी केशरीचन्द डागा	
51.	84	,, कमलादेवी पत्नी सूरजमल डागा	
52.	85	,, जतनादेवी पत्नी प्रेमराज माडा	
53.	86	,, रामप्यारी देबी पत्नी मेघराज माली	
54.	88	,, मेघराज पु० पोकरण राम जाट	
55.	89	,, राम्मेश्वरलाल पु० मडताराम जाट	
56.	90	,, भीयाराम भोकलराम जाट	
57.	91	,, श्रीरामनारायण पु० भीयाराम जाट	
58.	92	,, पन्नाराम पु० जेताराम कुम्हार	
59.	93	,, किरणदेवी पत्नी केदारनाथ सुनार	
60.	94	,, रावतमल पु० भंवरलाल सेठिया	
61.	95	,, रामनाथ पु० जोगाराम सुनार	
62.	96	,, मूलचन्द पु० हजारीमल कुम्हार	
63.	97	,, गोपालराम पु० हनुमानदास सुथार	
64.	98	,, जगदीशप्रसाद पु० गंगाराम सुथार	
65.	99	,, सूरजाराम पु० हीराराम उपाध्याय	
66	100	,, पानमल पु० श्री सुरजाराम दर्जी	
67.	101	,, गंगादेवी पत्नी पूनमचन्द ब्राह्मण	

1	2	3	4
68.	102	श्री हडमानराम पुत्र लूनाराम नाई	
69.	103	,, तिलोकचन्द पुत्र भंवरलाल सेठिया	
70.	104	,, गोवर्धन पु० लालूराम सुथार	
71.	106	,, शांतीलाल पु० किशनलाल बोथरा	
72.	109	,, भागीरथ पु० धोकलराम नाई	
73.	110	,, रामधन पुत्र शिवनाथ नाई	
74.	111	,, तोलाराम पुत्र नानूराम नाई	
75.	115	,, सम्पतलाल पुत्र छोगाराम ब्राह्मण	
76.	116	,, गंगादेवी पत्नी प्रतापमल पलोदिया	

——

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 205 की सूची

सूची उन निजी भवनों की जिन्होंने होटल के नियमों के अन्तर्गत नगरपालिका सौ सौ रुपये देकर अनुज्ञा प्राप्त किए हैं :—

क्र० सं०	नाम	अनुज्ञा पत्र की राशि
1–	श्री कोठारी अतिथिशाला	100/–
2–	श्री गंगा जमना	100/-
3–	श्री कुन्दन होटल	100/–
4–	श्री श्रीजी लांज	100/–

परिशिष्ट "ख"

कार्यालय नगरपालिका, नाथद्वारा (राजस्थान)

सूची निजी भवनों की जिनमें यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है।

1. श्री कोठारी अतिथि शाला
2. श्री गंगा-जमना
3. श्री कुन्दन होटल
4. श्री सीजी लॉज
5. श्री बम्बई गेस्ट हाउस
6. श्री गोकुल गेस्ट हाउस
7. श्री चन्द्रविलास
8. श्री मोनिका गेस्ट हाउस
9. दाउजी गेस्ट हाउस
10. पारस गेस्ट हाउस
11. न्यू भारत गेस्ट हाउस
12. गीता गेस्ट हाउस
13. कैलाश भोजनालय
14. लावटी गेस्ट हाउस
15. मांगीलाल सुराणा गेस्ट हाउस
16. लावटी गेस्ट हाउस, लाल बाजार
17. पर्यटन आवास गृह (पर्यटन निगम)

सूची उन निजी भवनों की जिन्होंने अब तक अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये हैं।

1. श्री कोठारी अतिथि शाला
2. श्री गंगा-जमना
3. श्री कुन्दन होटल
4. श्री सीजी लॉज

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, नाथद्वारा

256

परिशिष्ट "ग"

कार्यालय नगरपालिका, नाथद्वारा (राजस्थान)

सूची मन्दिर मण्डल व अन्य ट्रस्टों के अंतर्गत संचालित होने वाली धर्मशालाओं की, जिनमें यात्रियों के ठहरने एवं होटलों की व्यवस्था हैं :—

1. श्री न्यू कोटेजेज, नाथद्वारा जिनमें 23 कोटेज हैं ।
2 श्री वल्लभा कोटेज
3. श्री बिनानी कोटेज
4. श्री चितल वाला बिश्रान्ति गृह
5. दिल्ली वाली धर्मशाला
6. चांदवाली धर्मशाला
7. आसु भाई की धर्मशाला
8. छोटी धर्मशाला
9. लक्ष्मी निवास धर्मशाला
10. डाया भवन धर्मशाला
11. तेली वाली धर्मशाला
12. बशन्जीलालजी की धर्मशाला
13. बम्बई वाली धर्मशाला
14. द्वारकाधीश की धर्मशाला
15. बिट्ठलनाथजी की धर्मशाला
16. गोपाललालजी की धर्मशाला
17. सिन्धी वाली धर्मशाला
18. रानीजी की धर्मशाला

19. बनमालीजी की धर्मशाला
20. सेठानी वाली धर्मशाला
21. केशव भवन धर्मशाला
22. देलवाड़ा वाली धर्मशाला
23. मणीबाई की धर्मशाला

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, नाथद्वारा

परिशिष्ट (घ)

क्र. सं.	नाम गेस्ट हाउस	सिंगल बैड	डबल बैड	विशेष विवरण
1.	गंगा-जमना	25/—	—	अतिरिक्त व्यक्ति 5/-रु.
2.	कुन्दन भवन	15/—	—	,,
3.	कोठारी अतिथिशाला	—	20	प्रति ब्लाक
4.	सीजी लॉज	10	—	
5.	बम्बई गेस्ट हाउस	—	20	प्रति ब्लाक
6.	अन्य गेस्ट हाउस	—	20	प्रति कमरा
7.	चन्द्र विलास	20/—	30	प्रति कमरा

मन्दिर मण्डल के अधिपत्य धर्मशाला एवं कॉटेज

1.	न्यू काटेज	—	40/-55/-	प्रति काटेज न्यौछावर पर
2.	वल्लभा कॉटेज	—	25/-49/-	,,
3.	चितनयाला	—	15/-35/-	,,
4.	पोरबन्दर धर्मशाला	प्रति कमरा	10/-6/-5/-	
5.	बम्बई वाली धर्मशाला	,,	5/-7/-40/-	ब्लाक का
6.	मणीबाई धर्मशाला	,,	5/-10/-	
7.	सिन्धी वाली धर्मशाला	,,	5/- - 10/-	
8.	चांदवाली धर्मशाला	,,	5/-10/-	
9.	देहलीवाली धर्मशाला	,,	2/से०/-	

क. सं.	नाम गेस्ट हाउस	सिंगल बेड	डबल बेड	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
10.	रेनबाडावाली धर्मशाला	1/-2,502/-3/-	15/-20/-25/-30/-	प्रति कमरा न्यौछावर पर
11.	डाया भवन	2/- से 6/-		प्रति कमरा
12.	छोटी धर्मशाला	1/- से 10/-		प्रति कमरा
13.	आसूभाई धर्मशाला	1/- से 25/-		प्रति कमरा
14.	केशव भवन धर्मशाला	4/- से 10/-		प्रति कमरा
15.	लक्ष्मी विलास धर्मशाला	1/- से 10/-		प्रति कमरा
16.	तेलीवाली धर्मशाला	4/- से 10/-		प्रति कमरा
17.	बिट्ठलनाथ गिरी धर्मशाला	10/- से 25/-		प्रति कमरा
18.	गोपाललालजी की धर्मशाला	10/- से 25/-		प्रति कमरा
19.	पर्यटन आवास गृह (पर्यटन निगम द्वारा संचालित)	35/-	45/- (डोर मिट्टी)	55/- (फैमिली)

२६०

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 208 का राज्यादेश

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-4) विभाग

प्रेषित :—

आयुक्त,
उपनिवेशन विभाग,
राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक प० 2 (130) राज/उप/ग्रुप-3/73/राज-4 जयपुर, दिनांक 24-3-1981

विषय :—फील्ड फाईरिंग रेन्ज, बीकानेर का अन्यत्र स्थानान्तरित करने।

सन्दर्भ :—आपका पत्र क्रमांक एफ 5 (डी) (43) उपनि/73/बी/ दिनांक 29-9-80 एवं 6-2-81।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके प्रस्तावानुसार ग्राम शरह नग्रानियां के खसरा नं० 16,22 एवं 23 की 5025 (बीघा-15 बिस्वा) 5023। (11) 3 गैर मुमकिन गोवर, 1।।)1 बीघा जोहड़ पायतन व 1/2 बीघा गैर मुमकिन बावड़ी भूमि की कीमत रुपये 12) प्रति वर्गगज की दर से रुपये 18,24,36,540.00 सुरक्षा विभाग से वसूल कर इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 6 (219) राज/3/79 (ग्रुप-4) दिनांक 24-4-80 में वर्णित शर्तों पर हस्तान्तरित किये जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति आदेशानुसार प्रेषित है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति सं. आई. डी./225/एफसी/आरआर/81 दिनांक 19-3-81 के द्वारा जारी की जाती है।

भवदीय
ह०/—
उप शासन सचिव

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 213 के नियम

आयुर्वेद विभागीय अनुदान (सहायता) नियम, 1973
के भाग 'प्रथम' के नियम-10 के उद्धरण की प्रतिलिपि

चिकित्सा संस्था को अनुदान देने की शर्तें :—

1. विभागीय अनुदान ऐसी संस्थाओं को ही दिया जावेगा जो कि राजस्थान सोसाइटी एक्ट, 1954 के अन्तर्गत पंजीकृत है। ऐसी संस्थाओं में अनुदान हेतु आवेदन पत्र देने के 2 वर्ष पूर्व से ही जनसाधारण को नि:शुल्क चिकित्सा सेवायें उपलब्ध की जा रही है। चिकित्सा संस्था हेतु दैनिक रोगी संख्या शहरों, कस्बों एवं ग्रामों में क्रमश: 50, 30 व 20 से कम नहीं हो। शिक्षा संस्था हेतु छात्रों की संख्या 40 से कम न हो।

2. ऊपर वर्णित 2 वर्षों की अवधि नई संस्थाओं के लिए विशेष परिस्थितियों में निदेशक की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा दी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में संस्था के प्रथम वर्ष के अनुमोदित व्यय के आधार पर किश्त में एडहाक नियम 4 के अन्तर्गत दी जा सकती है।

3. राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं (चिकित्सा) के लिए निम्न शर्तों का पालन करना आवश्यक है :—

   (अ) जनसाधारण को नि:शुल्क बहिरंग, अन्तरंग चिकित्सा सुविधा बिना जनजाति के भेदभाव उपलब्ध करायेगी।

   (ब) चिकित्सालय निश्चित समय पर खोलना व बन्द करना होगा एवं पूरे कार्य दिवस में कम से कम 6 घण्टे कार्य करना होगा।

   (स) औषधालय/चिकित्सालय के मुख्य दृष्टव्य स्थान पर एक सूचना पट्ट लगाया जायेगा जिस पर स्पष्ट शब्दों में निम्न सूचना अंकित होगी :—

।

....

औषधालय वैद्य/हकीम का नाम जो औषधालय का प्रभारी हो,

....

हर ऋतु में औषधालय खोलने व बन्द होने का समय

....

जनसाधारण की निःशुल्क चिकित्सा का अंकन

(द) औषधालय बिना विशेष परिस्थिति के जो कि व्यवस्थापक की नियन्त्रण सीमा से बाहर है निदेशक के आदेश के अभाव में एक दिन से अधिक बन्द नहीं रहेगा।

(च) वैद्य/हकीम, संस्था का प्रभारी मुख्यालय से बाहर न रहेंगे। मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में वे अपने कार्यभार की सुव्यवस्था करेंगे।

(छ) संक्रामक रोगों का प्रकोप होने पर वैद्य/हकीम विशेष ध्यान व उत्साह से जनसाधारण की चिकित्सा सेवा करेंगे एवं निदेशक के आदेशों का पालन करेंगे।

(ज) अनुदान की समस्त राशि संस्था को चलाने हेतु ही उपयोग में लायी जायेगी जिसका लेखा नियमित व व्यवस्थित रूप में रखना होगा और हर तिमाही बाद निर्धारित फार्म में विस्तृत विवरण निदेशक, आयुर्वेद विभाग या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारियों को प्रस्तुत करना होगा। (परिशिष्ट–छ)

(झ) संस्था का प्रभारी वैद्य/हकीम अन्य कोई कार्य जिससे संस्था के दैनिक कार्य में बाधा पड़ती हो नहीं करेगा।

(ड) रोगी पंजिका निर्धारित फार्म में बराबर रखी जायेगी। (परिशिष्ट च)

(ठ) हर माह का रोगी विवरण आगामी माह की 10 तारीख तक प्रेषित करना आवश्यक होगा। संस्था का वार्षिक रोगी गोश्वारा आगामी वर्ष के जनवरी माह में निदेशालय में प्रेषित करना होगा। (परिशिष्ट—छ)

(ड) संस्था के अन्य रिकार्ड निर्धारित फार्म में नियमित रूप से रखे जायेंगे एव समय-समय पर निदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारियों को औषधालय के निरीक्षण, लेखा जांच आदि करने में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जावेगा।

(ढ) औषधालय में सुधार एवं व्यवस्था हेतु निदेशक द्वारा किये गये निर्देश का संस्था द्वारा पूर्ण रूप मे पालन किया जावेगा।

(ण) चिकित्सा सेवाओं के सदाचार का पूर्ण रूप से पालन किया जावेगा।

(त) समाज विरोधी तत्व तथा राजनैतिक कार्यों में संस्था एवं कर्मचारी भाग नहीं लेंगे।

(थ) अनुदान प्राप्त संस्थायें यथा सम्भव वही औषधियों का प्रयोग करेंगी जो राज्य सरकार द्वारा राजकीय औषधालय हेतु फरमो, कोपियों अन्तर्गत (भैषज्यसंग्रह) मान्य है।

(म) जिन संस्थाओं में स्वयं की रसायनशाला है तथा उनमें जो औषधियां निर्मित होती है, उनका मूल्य अपनी स्वयं की संस्था के लिए लागत मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिये।

(प) संस्था को प्रतिवर्ष अपनी सम्पत्ति एवं आय की सूची विभाग को प्रेषित करनी पड़ेगी। यह विवरण सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

(ब) संस्था में नई प्रवृत्ति प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग से उसकी अनुमति प्राप्त कर लेनी आवश्यक होगी। बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये हुए किसी भी नई प्रवृत्ति का व्यय अनुमोदित व्यय नहीं माना जावेगा।

Page No 264

264

(म) संस्था की किसी भी विद्यमान प्रवृत्ति को बन्द करने की सूचना मय विस्तृत कारणों के विभाग को 3 माह पूर्व देना आवश्यक है।

(य) बिना पूर्व सूचना एवं स्पष्टीकरण बताये हुए कोई प्रवृत्ति बन्द करने संस्था को अनुदान स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

(र) संस्था का अपने धन का विनियोग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं पोस्ट आफिस में रखना होगा। अन्यत्र विनियोग अनुमति संस्था को नहीं होगी।

(ल) अनुदान राशि का वह भाग जिसका संस्थान उपयोग नहीं कर पाई है, राज्य सरकार को वापस करना होगा।

———